खण्ड-185, अंक-7
मंगलवार, 22 श्रावण, शक संवत् 1879
(13 अगस्त, 1957 ई0)

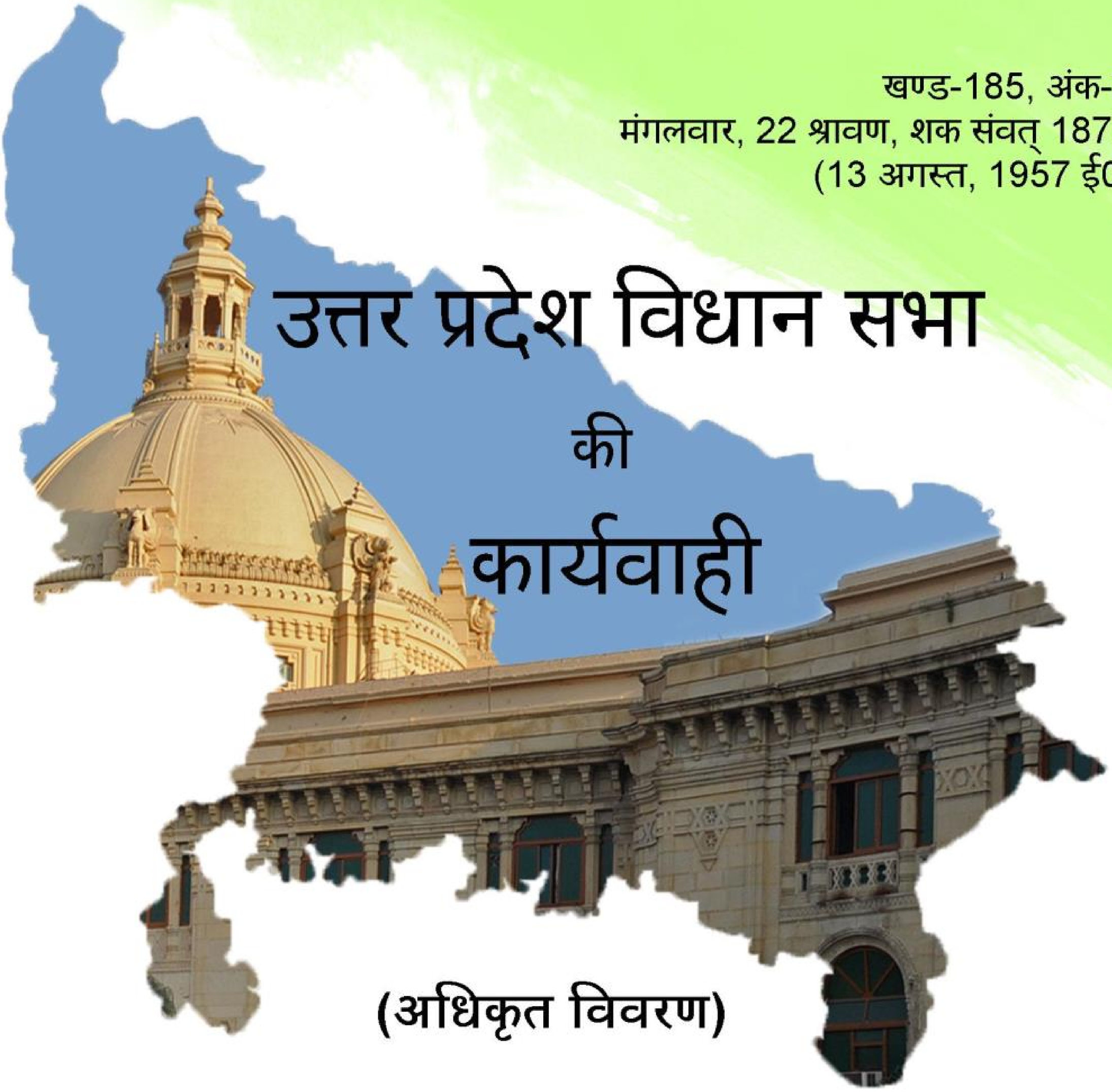

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 185 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन	५२६–५२७
अनुदान संख्या ४३—लेखा शीर्षक ६३—क—युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय और ६३—ख—सामुदायिक विकास योजनाएं—राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण-कार्य (स्वीकृत) ..	५२७–५७२
अनुदान संख्या ४०—लेखा शीर्षक ५७—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान (स्वीकृत)	५७२–६०७
नत्थियां	६०७–६२१

विधान सभा पुस्तकालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १३ अगस्त, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३५५)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज़ इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुलरऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोला देवी, श्रीमती
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अलीज़हीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम छन्नन गुरु
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
किशोरीरमणसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती

गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहासमिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जंगबहादुरसिंह विष्ट, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयरामवर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टोकाराम पुजारी, श्री
डूगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिका प्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह, चौधरी
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री

प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनपांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखान सिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्तदुबे, राजा
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री उपनाम लाल साहब
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजविहारीसिंह, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री

अवलोकन प्रदर्शन

रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण, श्री
रामलखन, श्री (जौनपुर)
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखनमिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह, चौधरी
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशाल सिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीरहसन, श्री
शमशुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराज बहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवती देवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री

संसद विधान सभा

सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--माल उप-मंत्री श्री परमात्मानन्द सिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १३ अगस्त, १९५७ ई०

तारांकित प्रश्न

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पेय जल के अभाव को दूर करने के कार्य

*१--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि पीने के पानी के अभाव को दूर करने के लिये कौन-कौन से उपाय उसने प्रदेश के नगरों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किये हैं ?

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)--नौ जिला हेडक्वार्टरों में पाइपों द्वारा जल वितरण तथा वर्तमान कबाल बोर्डों और नैनीताल की वर्तमान जल वितरण योजना के पुनर्गठन के लिए एक अस्थाई योजना बनाई गई है । चूंकि केन्द्रीय सरकार ने अभी तक उक्त योजना के लिए कोई धन स्वीकृत नहीं किया है, इसीलिए अभी तक योजना कार्यान्वित नहीं की जा सकी है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मंत्री महोदय बतलायेंगे कि किन-किन कबाल टाउंस के लिये वह योजना बनायी गयी है और वह योजना क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव--यह प्रयत्न किया जा रहा है कि उन ९ हेडक्वार्टर्स के स्थानों में और कबाल टाउंस में जहां तक वाटर सप्लाई का सम्बन्ध है, पानी बढ़ायें और जहां वाटर सप्लाई नहीं है वहां नया कायम किया जाय और ड्रेनेज स्कीम में भी सुधार किया जाय ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि नैनीताल की जो स्थायी योजना है, वह कितने की है और कितने एरिया में उसका पानी वितरण होगा ?

श्री रामस्वरूप यादव--इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--माननीय मंत्री जी ने नैनीताल की जिस स्थायी योजना का जिक्र किया है, क्या वे उस योजना का विवरण बतला सकते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--विवरण के लिये तो सूचना की आवश्यकता है ।

इलाहाबाद नगरपालिका को पेयजल के लिए ऋण

*२--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद नगर-पालिका को वहां पीने के पानी के अभाव को दूर करने के लिये कितना रुपया ऋण के रूप में ३ वर्षों में दिया गया और उससे कितना पानी पीने का अभाव कम हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव--इलाहाबाद नगरपालिका को गत ३ वर्षों में १७.५ लाख रुपया ऋण के रूप में जल वितरण योजना के लिये दिया गया है। पानी का अभाव कटरा, कर्नलगंज एवं दारागंज में काफी कम हो गया है। इन तीन वर्षों में सम्पूर्ण जल वितरण में लगभग २५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जो शहर का एरिया है, वह उसमें क्यों शामिल नहीं किया गया है, केवल कटरा और दारागंज ही लिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--प्रयत्न यह होता रहा है कि सभी जगहों के लिये हो सके, लेकिन इस वक्त जहां तक हो सका है वह कटरा और दारागंज के लिये ही प्रबन्ध किया गया है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार नगर निगम बनने के पहले जो हिस्सा छूट गया है या बढ़ाया जायगा, उसमें पानी का फैलाव बढ़ाने के लिये कोई योजना बनाने के लिये आदेश देगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--नगर निगम विधेयक तो जल्दी ही बन कर पास हो जायगा, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी तो सब जगह यह सुधार नहीं हो सकेगा, फिर भी योजना के अनुसार जल्द से जल्द प्रयत्न किया जायगा।

*३--**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)--[२७ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*४-५--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर २० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

गाजीपुर जिले में मैनपुर-जमानिया घाट सड़क तथा गंगा पर पुल की आवश्यकता

*६--**श्री यमुनासिंह** (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार गाजीपुर जिले के मैनपुर ग्राम से जमानियाघाट तक पक्की रोड बनवाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)--यह सड़क द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं है। अतः योजना की अवधि में इसके निर्माण के प्रश्न पर विचार करना सम्भव नहीं है।

*७--**श्री यमुनासिंह** (अनुपस्थित)--क्या सरकार जमानियाघाट, जिला गाजीपुर में गंगा नदी पर पुल बनवाने के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं।

१९५२ व १९५७ के आम चुनावों पर व्यय

*८--**श्रीमती चन्द्रावती** (जिला बिजनौर)--क्या सरकार बतायेगी कि विधान सभा के लिये १९५२ के जनरल चुनाव पर सरकार का कितना व्यय हुआ ?

न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)--विधान सभा तथा लोक सभा के आम चुनाव एक साथ होते हैं। प्रथम आम चुनाव पर कुल १,००,१२,७०३ रु० व्यय हुआ। इस राशि का लगभग आधा भाग विधान सभा के चुनाव का व्यय मान लिया जाय।

इस व्यय में निर्वाचक-सूची संबंधी व्यय सम्मिलित नहीं है।

*९--**श्रीमती चन्द्रावती**--क्या सरकर यह बताने की कृपा करेगी कि १९५७ के आम चुनाव पर खर्च किये गये धन की राशि क्या है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सन् १९५७ ई० के आम चुनाव पर वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में कुल ५३,९८,५०० रु० व्यय हुआ। अनुमान किया जाता है कि वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में इस चुनाव के शेष आकस्मिक व्यय तथा यात्रिक भत्तों के बिलों के भुगतान में २५ लाख रुपया और व्यय होगा।

इस व्यय में निर्वाचक-सूची संबंधी व्यय सम्मिलित नहीं है।

श्रीमती चन्द्रावती—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इसमें से कितना धन यात्रिक भत्तों में व्यय किया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसका विवरण इस समय मेरे पास नहीं है।

श्रीमती चन्द्रावती—क्या सरकार बतायेगी कि इस राशि का लगभग आधा धन विधान सभा का व्यय मान लिया गया तो यह बाकी आधा किस तरह से आया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसका आधा धन तो केन्द्रीय सरकार ने दिया।

श्रीमती चन्द्रावती—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आकस्मिक यात्रिक भत्तों के भुगतान में जिलों में जो २५ लाख रुपया व्यय होने वाला है वह ५३ लाख में जोड़ लिया गया है या वह अलग है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सन् १९५७-५८ के चुनाव में जो व्यय हुआ, उसमें जो भुगतान भत्तों का अभी बाकी है वह अभी देना बाकी है, वह दिया जायगा।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—उन दिनों चुनावों के सिलसिले में जो माननीय प्रधान मंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू ने इस प्रदेश का दौरा किया था उस समय का उनका सीक्योरिटी व्यय भी इसमें शामिल है या वह अलग है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—इसकी तफसील तो मुझे याद नहीं है, लेकिन गालिबन वह इसमें शामिल नहीं है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि हमारे माननीय मंत्रियों का एलेक्शन के सम्बन्ध में जो यात्रिक व्यय हुआ वह इसमें शामिल है या नहीं ? यदि हां, तो कितना ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—चुनाव के सम्बन्ध में जो भी खर्च हुआ वह इसमें शामिल नहीं है। मंत्रियों ने वह व्यय या तो अपने पास से किया या उनकी पार्टी ने किया।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—पिछले आम चुनाव और इस आम चुनाव में कितने खर्च का अन्तर है और इसके क्या कारण हैं, इस पर रोशनी माननीय मंत्री जी डालने की कोशिश करेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—पिछले आम चुनावों में स्वभावतः कुछ तैयारियां करनी पड़ी थीं जो कि इस आम चुनाव में नहीं करनी पड़ीं।

श्रीमती चन्द्रावती—क्या सरकार बतलायेगी कि इसमें कितना प्रतिशत केंद्रीय सरकार देती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—पचास प्रतिशत।

श्री गेंदासिंह—क्या कुछ ऐसे बिल भी पड़े हैं, जो सन् १९५२ के आम चुनाव के हैं ?

श्री सैयद अलीजहीर—जहां तक खयाल है १९५२ के सारे बिल अदा हो चुके हैं।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि निर्वाचिका सूची के छपाने के सिलसिले में जो व्यय हुआ है वह इस चुनाव के सिलसिले में क्यों नहीं शामिल है ?

श्री सैयद अलीजहीर—वह एक फेहरिस्त होती है, जब वह बन जाती है तो उसको कैंडीडेट्स खरीदते हैं और उसकी कीमत अदा हो जाती है। इस वजह से इसमें शामिल नहीं की जाती।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या यह सही है कि इस साल जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां हैं उनको सूचियां मुफ्त दी गयी हैं ?

श्री सैयद अलीजहीर—जी हां, शायद एक एक सूची हर पार्टी को मुफ्त दी गयी है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट में दीवानी की विचाराधीन अपीलें

*१०—**श्री जगदीश शरण अग्रवाल** (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—क्या न्याय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में दीवानी की कितनी first या second appeals जो ५ साल से अधिक पुरानी हों pending हैं ?

श्री सैयदअली जहीर—इलाहाबाद हाईकोर्ट में दीवानी की १८७० प्रथम तथा २६६८ द्वितीय अपीलें १ जुलाई, १९५७ को ५ साल से अधिक पुरानी पड़ी थीं।

मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव कराने की प्रार्थना

*११—**श्री राजकुमार शर्मा** (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार से मिर्जापुर जिले के विधायकों द्वारा यह मांग की गई थी कि वहां का जप्तशुदा जिला बोर्ड छोड़ा जाय या एक एडहाक बोर्ड के सुपुर्द काम किया जाय अथवा शीघ्र चुनाव करा दिया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां।

श्री राजकुमार शर्मा—कृपया सरकार बतायेगी कि इन विधायकों द्वारा मांग पर उसने क्या विचार किया ?

श्री रामस्वरूप यादव—चूंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव होने जा रहे हैं और मिर्जापुर में भी चुनाव, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के आम चुनाव के साथ होगा इस वजह से मुनासिब नहीं समझा गया कि ऐडहाक कमेटी बनायी जाय।

म्युनिसिपल बोर्ड चन्दौसी के अध्यक्ष के विरुद्ध स्मृतिपत्र

*१२—**श्री देवनारायण भारतीय** (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को यह विदित है कि म्युनिसिपल बोर्ड चंदौसी (जिला मुरादाबाद) के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया हुआ है ?

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—सरकार की जानकारी में ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ।

*१३—**श्री देवनारायण भारतीय** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि स्वशासन मंत्री की सेवा में चंदौसी म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष के विरुद्ध कोई स्मृतिपत्र आया हुआ है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां।

आजमगढ़ जिले की गांव समाजों को दिये गए धन के हिसाब में गड़बड़ी

*१४—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ में आजमगढ़ जिले की १४६९ गांव सभाओं को १५० रु० प्रति सभा के हिसाब से देशीय सरकार द्वारा सहायता प्रदान की गई थी ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी नहीं। सन् १९५४ में गांव सभाओं को सरकार द्वारा सहायता प्रदान नहीं की गई थी।

*१५--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सहायता में से जिला पंचायत अधिकारी के कार्यालय द्वारा प्रत्येक गांव सभा से २५ रु० काट लिया गया था ?

श्री रामस्वरूप यादव--प्रश्न नहीं उठता।

*१६--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जिला कार्यालय में उक्त काटी हुई ३७ हजार रुपये की धनराशि की फाइल नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव--प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल में सहायक लेखा अधिकारी, विकास आयुक्त कार्यालय ने जो जिला पंचायत कार्यालय में जांच की है क्या उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा है कि पंचायत कार्यालय के हिसाब-किताब में गड़बड़ी है और देना और पावना दोनों रकमों का हिसाब कार्यालय में नहीं है ?

श्री रामस्वरूप यादव--प्रश्नों के संबंध में मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर चुका था कि लेखा अधिकारी ने जिन कागजात का मुआइना किया वे सील कर दिये गये हैं और उनमें लिखा है कि हिसाब में गड़बड़ी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--तो क्या यह समझा जाय कि १९५४ में सरकार ने जो सहायता दी थी वह रकम काटी गयी और गांव सभाओं को नहीं दी गयी ?

श्री अध्यक्ष--यह तो जवाब में लिखा है कि सहायता नहीं दी गई। आप पूछें कौन-सा जवाब सही है ?

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार यह बतायेगी कि लेखाधिकारी विकास आयुक्त ने जो सरकार के पास रिपोर्ट भेजी है उस रिपोर्ट को पढ़ करके सरकार ने जवाब दिया है या जो जिलाधिकारी ने जवाब दिया है वह जवाब दिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--माननीय सदस्य को यह भ्रम हो रहा है। १९५४ में कोई सहायता नहीं दी गई थी। १९४९ में दी गई थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बतायेगी कि १९४९ में जो सहायता दी गई थी क्या यह सही है कि १५० रु० फी गांव सभा धन बांटा गया था और वह उन्हें दिया नहीं गया था ?

श्री रामस्वरूप यादव--प्रत्येक गांव सभा को १५० रु० के हिसाब से दिया गया था। २५ रु० काटा गया था जो लेखन-सामग्री इत्यादि के लिये वहां के कोष में जिला नियोजन समिति में, जमा होना चाहिये और उसका हिसाब भी होना चाहिये।

श्री गेंदासिंह--जिस आडिट रिपोर्ट के आधार पर कागजात सील किये गये हैं उसके संबंध में मंत्री जी बतायेंगे कि कितने रुपये के हिसाब में गड़बड़ी बतायी गयी है ?

श्री रामस्वरूप यादव--एकाउन्टेंट जनरल के जरिये से हिसाब की जांच हो रही है उनकी रिपोर्ट आने पर ही इसके बारे में बताया जा सकता है, अभी इस वक्त कोई ऐसी रिपोर्ट मेरे पास नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि हिसाब-किताब में जो गड़बड़ी करने वाले लिपिक और प्रधान लिपिक उस वक्त थे वे अब भी मौजूद हैं और जिसकी वजह से जनता में यह भ्रम है कि हिसाब-किताब की सही जांच नहीं हो सकेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--पिछले सप्ताह में माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा था। मैंने निवेदन किया था कि अगर ऐसा है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी और उनको आश्वासन भी दिला दिया था।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या सरकार बतायेगी कि वे कागजात कब सील किये गये थे और किसके सामने किये गये थे और कब खोले जायेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव--पहली अप्रैल के करीब सील किये गये थे और ए० डी० एम० आजमगढ़ के सामने सील किये गये थे और जब एकाउन्टेंट जनरल आडिट पार्टी जांच करने के लिये भेजेंगे तब खोले जायेंगे।

*१७--**श्री कल्याणचन्द मोहिले**--[अस्वीकार किया गया।]

वाटर सप्लाई ऐण्ड ड्रेनेज स्कीम के अन्तर्गत नगरपालिकाओं को ऋण

*१८--**श्री वीरेन्द्र वर्मा** (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)--क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि Water Supply and Drainage Scheme के अन्तर्गत राज्य के किन-किन शहरों को कितनी-कितनी धनराशि अलग-अलग १९५५-५६ व १९५६-५७ में दी गई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--एक विवरण तालिका संलग्न है, जिसमें राज्य के भिन्न-भिन्न नगरपालिकाओं को १९५५-५६ तथा १९५६-५७ में Water Supply and Drainage Schemes के लिये जो ऋण दिया गया है, दिखाया गया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६०८-६१० पर)

*१९--**श्री वीरेन्द्र वर्मा** (अनुपस्थित)--क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त योजना हेतु केंद्रीय सरकार से कितनी धनराशि प्रदेशीय सरकार को उक्त दोनों वर्षों में अलग-अलग प्राप्त हुई थी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--उक्त योजना हेतु केन्द्रीय सरकार से, जो उक्त दोनों वर्षों में ऋण प्राप्त हुआ था वह निम्नलिखित है:--

१९५५-५६	३३७.५ लाख रुपया
१९५६-५७	४५.० लाख रुपया

बरेली जिले में सीमेंट का वितरण

*२०--**श्री शिवराजबहादुर** (जिला बरेली)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उसने जिला बरेली को सन् १९५४-५५ व १९५५-५६ में कितना सीमेंट दिया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--१९५४-५५ व १९५५-५६ में बरेली जिले में ५,००८ टन व ४,४२२ टन सीमेंट की प्राप्ति हुई।

*२१--**श्री शिवराजबहादुर**--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उक्त सीमेंट के कोटे से जिले की तहसीलों को अलग-अलग कितना सीमेंट इन दो सालों के अन्दर दिया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--तहसीलवार वितरण की तालिका मेज पर रक्खी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६११ पर)

श्री शिवराज बहादुर---क्या सरकार बतायेगी कि इसमें से कितना सीमेंट पब्लिक को दिया गया और कितना प्लानिंग के काम में लगाया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इसका विवरण अलग से नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस सीमेंट का हवाला आपने दिया उसमें से कितना शहर वालों को दिया गया और कितना देहात वालों को ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---शहर वालों को १९५४-५५ में ३,६८८ टन और १९५५-५६ में २,५५२ टन सीमेंट दिया गया और बाकी देहात को दिया गया ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बरेली में जि तन सीमेंट का कोटा आता है, उसमें से कितना कोटा पब्लिक के लिये फिक्स्ड है और कितना प्लानिंग के लिये फिक्स्ड है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इसका अलग से विवरण नहीं है मेरे पास इस के लिए सूचना चाहिये ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो देहात को सीमेंट दिया जाता है उसके बांटने की क्या एजेंसी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---अब तो उसकी एजेंसी तहसील के द्वारा है । तहसीलदार साहब उसको बांटते हैं । वैसे वहां भी एक मैटीरिअल ऐडवाइजरी कमेटी के निर्माण की बात है और उसकी सलाह से बांटा जायगा । वहां अब कुछ ऐसा किया गया है कि क्वार्टर का कोटा आने से १५ दिन पूर्व दरख्वास्तें ले ली जायं और उन पर क्रमशः आवश्यकता के अनुसार और दरख्वास्तों की असलियत की बिना पर इसका वितरण किया जाय ।

हरदोई जिले में डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन की ओर से चालू भट्ठे

*२२---**श्री मोहनलाल वर्मा** (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में District Co-operative Development Federation की ओर से कितने और किस-किस स्थान पर ईंट के भट्ठे चल रहे हैं ?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---पांच । शाहाबाद, हरदोई, संडीला, शुक्लापुर और सांडी ।

*२३---**श्री मोहनलाल वर्मा** (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह भट्ठे D. C. D. F. हरदोई स्वयं अपनी देख-रेख में चला रहा है या ठेकेदारों को अलग-अलग ठेका दे रखा है और अगर ठेका दिया है, तो किस आधार पर ?

श्री मोहनलाल गौतम---फेडरेशन भट्ठे अपनी निगरानी में चला रहा है ।

*२४---**श्री मोहनलाल वर्मा** (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५६-५७ में कितनी गाड़ी कोयला का permit D. C. D. F. हरदोई की ईंट फूंकने को दिया गया और कितनी गाड़ी प्राइवेट भट्ठे वाले को दिया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम---फेडरेशन को ६४ गाड़ी और प्राइवेट भट्ठे वालों को १०० गाड़ी कोयला दिया गया ।

गोरखपुर जिले में सड़कों का निर्माण

*२५--श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितनी मील सड़क पी० डब्लू० डी० और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा अलग-अलग पक्की की गई है और कितने मील कच्ची सड़क बढ़ाई गई है ?

श्री गिरधारीलाल--वांछित सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी तालिका 'क' में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६१२ पर)

*२६--श्री केशव पांडेय (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतायेगी कि गोरखपुर जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और पी० डब्लू० डी० अलग-अलग कितने मील कच्ची-पक्की सड़कें बनायेगी ?

श्री गिरधारी लाल--वांछित सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी तालिका 'ख' में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६१३-६१४ पर)

*२७-२९--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--[२७ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

नगर नियोजन विभाग के अस्थायी कर्मचारी

*३०--श्री सैयद जरगाम हैदर (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि टाउन प्लानर के दफ्तर में कितने कर्मचारी अस्थायी हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--नगर नियोजन विभाग खुद अभी तक एक अस्थायी विभाग है। कुल कर्मचारियों की संख्या ७० है, उसमें से चार डेपुटेशन पर आये हैं, उनको छोड़कर बाकी सभी कर्मचारी अस्थायी हैं।

आगरे के डेवलपमेंट ट्रस्ट लिमिटेड की हाउस बिल्डिंग प्लान

*३१--श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरे के डेवलपमेंट ट्रस्ट लिमिटेड की हाउसिंग बिल्डिंग का प्लान सरकार के टाउन प्लानर ने मंजूर कर दिया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां।

श्री जगन्नाथ लहरी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि टाउन प्लानर ने कब मंजूरी दी है ?

श्री रामस्वरूप यादव--इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री जगन्नाथ लहरी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि टाउन प्लानर ने जो यह मास्टर प्लान मंजूर किया है वह क्या नगरपालिका के बाईलाज के बिलकुल विपरीत है और उसकी अवहेलना की गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव--ऐसी तो कोई सूचना शासन के पास नहीं है कि जो प्ला उन्होंने मंजूर किया है वह बाई लाज के खिलाफ है।

आगरा नगरपालिका का बिल्डिंग बाई-लाज में परिवर्तन करना

*३२—श्री जगन्नाथ लहरी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा नगरपालिका अपने बिल्डिंग बाई लाज में परिवर्तन कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव—आगरा नगरपालिका सिविल लाइन्स क्षेत्र में भवन निर्माण के संबंध में अपने बिल्डिंग बाईलाज में परिवर्तन कर रही है। इसका कारण यह है कि जहां दूसरे क्षेत्रों में सड़क के किनारे मकान बनाये जाने पर केवल सामने की ओर चार फीट जगह छोड़ कर मकान बनवाया जा सकता है, सिविल लाइन्स में चारों तरफ काफी जगह छोड़ने का नियम है जिसकी वजह से कम आमदनी के लोगों के लिये सिविल लाइन्स में मकान बनवाना प्रायः संभव नहीं हो पाता। सिविल लाइन्स में बहुत सा भू-भाग बिल्कुल अविकसित तथा कम आमदनी वालों के रहने के लिये अत्यन्त उपयुक्त है। ऐसी स्थिति में यदि उपर्युक्त बाईलाज में परिवर्तन नहीं किया जाता है तो यह जनता के हित में नहीं होगा।

श्री जगन्नाथ लहरी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरे की जनता ने सरकार के समक्ष या नगरपालिका के समक्ष इस तरह की कोई प्रार्थना की थी कि बाई लाज में परिवर्तन कर दिया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव—डेवलपमेंट ट्रस्ट ने ऐसी प्रार्थना की थी।

श्री जगन्नाथ लहरी—क्या सरकार को यह पता है कि डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा जो मकान बनाये जा रहे हैं उनमें उन्होंने आगरे की नगरपालिका के बाई लाज की पूरी तरह अवहेलना की है और नगरपालिका द्वारा उनके ऊपर केस चलाया जा रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसी सरकार के पास कोई सूचना नहीं है कि उन्होंने बाई-लाज की अवहेलना की है।

झांसी जिले की महरौनी तथा ललितपुर तहसीलों में जंगल विभाग का आय-व्यय

*३३—श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला झांसी तहसील महरौनी व ललितपुर में सन् १९५२ से सन् १९५६ तक जंगल विभाग में प्रतिवर्ष कितनी आय और कितना व्यय हुआ है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—एक सूची मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६१५ पर)

श्री गज्जूराम—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जो जंगलों में आग लगने से ठेकेदारों को छूट दी जाती है वह रकम उसमें शामिल है या नहीं ? यदि है तो कितनी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता पड़ेगी कि वह रकम कितनी है। लेकिन मेरे खयाल से खर्चे में जो छूट आदि दी जाती है वह जरूर शामिल है।

श्री गज्जूराम—क्या यह सच है कि पर्याप्त सड़कें इन जंगलों में न होने के कारण इन जंगलों से कम आमदनी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—संभव है सड़कों की कमी से आमदनी कम हो।

जंगल के निकट रहने वालों को ईंधन की सुविधा

*३४—श्री देवनारायण भारतीय (अनुपस्थित)—क्या सरकार को यह मालूम है कि जंगल के करीब रहने वालों को जलाने की लकड़ी जंगल से काट लेने की जो सुविधा सदा से मिल रही थी वह अब हटा ली गई है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं।

*३५—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—[२७ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

एटा में सड़कें न बनने की शिकायत

*३६—श्री राजेन्द्रसिंह (अनुपस्थित)—क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा की सड़कों का निर्माण सरकार क्यों नहीं करा रही है, जब कि निर्माण के अर्थ धनराशि उसे नगरपालिका से दी जा चुकी है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—नगरपालिका एटा को १९५३-५४ से १९५५-५६ तक क्रमशः ३०,००० रु० १०,२०० रु० तथा १२,५०० रुपया शासन द्वारा सड़क निर्माण हेतु दिया गया था, किन्तु उक्त नगरपालिका इस धन को व्यय करने में असमर्थ रही और उसने समस्त धन चीफ इंजीनियर स्वायत्त शासन विभाग को सड़क निर्माण-कार्य के लिये सौंप दिया, जिसकी सूचना जिलाधीश ने अभी हाल ही में दी है। चीफ इंजीनियर द्वारा सड़क निर्माण कार्य करने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

गोंडा जिले में पंचायतों का अपूर्ण चुनाव

*३७—श्री धर्मपाल सिंह (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में कई पंचायत अदालतों का चुनाव अभी तक नहीं हो सका है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी हां। ४२ पंचायत अदालतों का चुनाव अभी तक नहीं हो सका है।

मेरठ जिले में ईंट के भट्ठों को कोयला

*३८—श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मेरठ जिले में कितने ईंट के भट्ठों को गत वर्ष ईंट फूकने के लिये कोयला दिया गया?

श्री सैयद अलीजहीर—१९८।

आजमगढ़ जिले में सरकारी दूकानों पर सस्ता तथा बिक्री-कर-मुक्त अनाज बेचने की प्रार्थना

*३९—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बतायेगी कि आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में कितनी सस्ते गल्ले की दुकानें खुली हैं और गल्ला वितरण की क्या योजना है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जिला आजमगढ़ की विभिन्न तहसीलों में खोली गई सस्ते गल्ले की दूकानों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

प्रत्येक दूकान से ३० मन गल्ला प्रतिदिन निम्नलिखित फुटकर दरों पर बेचा जाता है:—

गेहूं—२ सेर १० छटांक प्रति रुपया।

चना—३ सेर प्रति रुपया।

जौ तथा बेझर—३ सेर २ छटांक प्रति रुपया।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ६१६ पर)

श्री विश्रामराय---क्या अन्न मंत्री गल्ले को सस्ता करने का उपाय करेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---सरकार का प्रयास तो है कि गल्ला और सस्ता हो, लेकिन आज की परिस्थिति में वह सस्ता हो सकेगा या नहीं यह कहना सन्देहात्मक है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या अन्न मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गेहूं २ सेर १२ छटांक से २ सेर १० छटांक क्यों कर दिया गया है?

श्री सैयद अली जहीर---इसकी वजह यह है कि जो खर्चा अनाज के लाने में होता था उसमें मुख्तलिफ जगहों पर कुछ फर्क हो जाता था। कहीं वह २ सेर १२ छटांक, कहीं २ सेर ११ छटांक और कहीं २ सेर १० छटांक पड़ता था। अब उसको एक कर दिया गया और वह करीब-करीब वही भाव है जो "नो प्राफिट नो लास" के बेसिस पर निकलता है। इसीलिये सब जगहों पर वह २ सेर १० छटांक कर दिया गया है।

श्री गेंदासिंह---बनारस में मेरठ से सस्ता गेहूं मिलता है यह सरकार ने मान लिया है और बनारस व आजमगढ़ में कम फर्क है, तो क्यों आजमगढ़ में गेहूं तेज भाव पर बिक रहा है ?

श्री अध्यक्ष---वह तो एक-सा ही भाव बतला रहे हैं। पहले आप पूछिये कि भावों में फर्क है या नहीं है।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि बनारस और आजमगढ़ के गेहूं के भावों में कितना अन्तर है ?

श्री सैयद अली जहीर---जो सरकारी दूकानें गेहूं की खुली हैं वे चाहे आजमगढ़ में हों या बनारस में सब पर एक ही निर्ख है। बाजार में कुछ अन्तर हो सकता है।

श्री गेंदासिंह---जो जवाब कुछ दिन पहले बनारस के संबंध में सरकार ने दिया था वह किस प्रकार का जवाब था, आम दूकानों के संबंध में था या सरकारी दूकानों के संबंध में ?

श्री अध्यक्ष---आपको क्या जवाब दिया था वह बतलाना होगा।

श्री गेंदासिंह---बनारस के संबंध में आम रेट का जिक्र करते हुए सरकार ने कहा था कि १६ रुपये से कम भाव में बनारस में गेहूं बिक रहा है तो आजमगढ़ में इस भाव में बिकवाने की वह कोशिश क्यों नहीं करती ?

श्री अध्यक्ष---१६ रुपये के हिसाब से ढाई सेर भाव आता है जबकि सरकार तो २ सेर १० छटांक के हिसाब से बिकवा रही है। इसलिये सवाल पैदा नहीं होता।

श्री झारखंडेराय---सरकार ने आदेश दिया है कि २ पंचायती अदालतों पर एक दूकान खोली जाय। इससे आजमगढ़ जिले में गड़बड़ी पैदा हो रही है और वहां से इस बात की मांग आई है कि ५ हजार या १० हजार की आबादी के ऊपर दूकानों का हिसाब रक्खा जाय ?

श्री सैयद अली जहीर---जहां तक दूकानों का ताल्लुक है वैसे तो आमतौर से यह आदेश दे दिया गया है कि २ पंचायती अदालतों पर एक दूकान खोल दी जाय, लेकिन जिलाधीशों को उसमें कुछ कमोबेशी करने के अख्तियारात दिये गये हैं। कहीं आबादी ज्यादा हो तो दूकान बढ़ा सकते हैं और कहीं आबादी कम हो तो २ पंचायती अदालतों के बजाय ३ पंचायती अदालतों पर एक दूकान खोल सकते हैं। गरज कि जैसी हालत हो उसके हिसाब से दूकानें खोली जा रही हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ में जो आज खाद्य स्थिति है उसको देखते हुये ये दूकानें जिनकी संख्या बहुत अपर्याप्त है, निकट भविष्य में और दूकानें बढ़ाने का प्रयत्न किया जायगा ?

श्री सैयद अली जहीर--जितनी अभी तक सूचना मेरे पास है, जो दूकानें खुली हैं वे काफी हैं और अगर १०-५ की और जरूरत हो तो जिलाधीश को अख्तियार है कि वे खोल सकते हैं।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अकाल पीड़ितों से सस्ते गल्ले की जो कीमत ली जाती है उसके साथ उनसे सेल्स टैक्स भी लिया जाता है ?

श्री सैयद अली जहीर--सेल्स टैक्स अगर लिया जाता है सूबे में, तो उनसे जरूर लिया जाता होगा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह दो पंचायती अदालतों पर जो एक दूकान खोलने की इजाजत दी है, उसी हिसाब से गल्ला भी बढ़ाया गया है ?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां, इसके जवाब में कहा गया है कि फी दूकान ३० मन गल्ला रोज दुकानों को दिया जा रहा है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अकाल पीड़ित क्षेत्रों में जो गल्ले की दूकानें खोली गयीं, उन पर जो सेल्स टैक्स लिया जा रहा है, उसको माफ करने का वह कुछ विचार करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर--यह विचार मेरे मुताल्लिक तो है नहीं। यह तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब करेंगे ?

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो दूकानें मुकर्रर की गयी हैं वह किसी आबादी के अनुपात पर की गयी हैं या गल्ले की तादाद पर की गयी हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--दोनों बातों का लिहाज रखा गया है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सेल्स टैक्स माफ करवाने की दृष्टि से माननीय अर्थ मंत्री और कैबिनेट से कोई इसका प्रस्ताव रखेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर--यह तो जैसा लेजिस्लेचर तय करेगा वैसा होगा। सारे मामले आपके सामने आते हैं और यहां पर उनका फैसला होता है। सेल्स टैक्स का मामला भी आता है, गल्ले का भी आता है और सब बातों का फैसला तो यह सुप्रीम बाडी लेजिस्लेचर जैसा तय करती है वैसा होता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन दोनों में कौन-सी तादाद सही है कि आजमगढ़ जिले में सूबना में १८१ दूकानों की तादाद है और खाद्य स्थिति पर जिस दिन बहस हुई थी, उस दिन बताया गया कि २१६ दूकानों की तादाद है दोनों में कौन सही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--प्रश्न का जवाब जब आया उसके बाद कुछ और दूकानें बढ़ गयीं और अब २१६ हैं।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उनके पास आजमगढ़ जिलाधीश अथवा सप्लाई अफसर से ऐसा कोई सुझाव आया है कि आजमगढ़ जिले के अन्नपीड़ित इलाके में ५,००० आबादी के ऊपर एक दूकान खोली जाय? यदि हां, तो उस पर क्या विचार हुआ ?

श्री सैयद अली जहीर--ऐसी कोई इत्तला नहीं है ।

*४०--श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--[२७ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४१--४३--श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)--[२७ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४४--श्री गज्जूराम--[२७ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

जौनपुर जिले में सस्ते अनाज की दूकानें

*४५--कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--क्या सरकार तारीखवार ब्यौरा देने की कृपा करेगी कि जौनपुर में जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा सन् १९५६ में किस-किस को सस्ते गल्ले की दूकान दी गई और उनसे कितना-कितना रुपया अल्प बचत योजना में लिया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--सन् १९५६ ई० में जौनपुर जिले में नियुक्त किये गये सरकारी सस्ते गल्ले के दूकानदारों की एक सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

सरकारी खद्यान्नों के विक्रय की योजना के नियमों के अनुसार प्रत्येक दूकानदार से २०० रुपया की नकद जमानत ली गई, तथा उसे जिलाधीश के नाम बंधक के रूप में पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक एकाउण्ट में जमा किया गया । चूंकि पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक एकाउण्ट अल्प बचत योजना का ही एक भाग है । अतः इस प्रकार से जो धन जमा कराया गया वह अल्प बचत योजना के अन्तर्गत है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ६१७-६१८ पर)

कुंवर श्रीपालसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खाली जौनपुर शहर में १८ सस्ते गल्ले की दूकानें खोली गयी हैं और इसकी पांच तहसीलों में भी १८ ही दूकानें खोली गयी हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री सैयद अली जहीर--यह तो जरूरत के लिहाज से खोली गयी हैं ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर शहर में सबसे गल्ले का थोक बाजार है तो उसमें सस्ते गल्ले की दूकान खोलने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री सैयद अली जहीर--यह सवाल तो माननीय सदस्य पूछ चुके हैं और जवाब भी दिया जा चुका है । जवाब यह है कि ऐसी जगह जहां गल्ले की दूकानें होती हैं वहां लोग गल्ला खरीदने के लिये आते हैं तो मुनासिब समझा जाता है कि वहां पर सस्ते गल्ले की दुकान हो, जिससे उनको अपनी जरूरत पूरी करने का मौक़ा मिल जाया करे ।

मैनपुरी-खुड़िया सड़क पर ईसन नदी के पुल की आवश्यकता

*४६--श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले के अन्दर मैनपुरी-खुड़िया सड़क पर परोख ग्राम के पास ईसन नदी पर वह पुल बनाने का विचार रखती है ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं ।

*४७--श्री गनेशचन्द्र काछी--यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री गिरधारीलाल--मैनपुरी-खुड़िया कच्ची सड़क है और इसको पक्का करने का कोई प्रस्ताव विभाग की योजना के अन्तर्गत नहीं है। अतः इस सड़क पर पुल बनाने का अभी कोई विचार नहीं है।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन नदियों को पक्की सड़क पार करती हैं उन पर पुल बनाने का विचार क्यों नहीं है ?

श्री गिरधारीलाल--धनाभाव के कारण।

टाउन एरियाओं के चुनाव के सम्बन्ध में जानकारी

*४८--श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार टाउन एरियाओं का चुनाव कब तक करने का विचार रखती है ?

श्री रामस्वरूप यादव--टाउन एरियाओं का चुनाव अक्तूबर, १९५७ में कराने का विचार है।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यदि टाउन एरियाज के चुनाव अक्तूबर, १९५७ में हुए तो उसके लिये कोई तारीख निश्चित की गई है या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव--टाउन एरियाज के चुनाव अक्तूबर, १९५७ में होंगे, लेकिन तारीख निश्चित नहीं की गई है।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो चुनाव होगा उसमें मेम्बरों और चेयरमैन का चुनाव साथ-साथ होगा या अलग-अलग होगा ?

श्री रामस्वरूप यादव--मेम्बरों और चेयरमैन का चुनाव साथ-साथ ही होता है, यह नियम है।

श्री झारखंडेराय--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो टाउन एरियाज सुपरसीड की गई हैं उनके चुनाव भी साथ ही होंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव--अधिकतर टाउन एरियाज ऐसी हैं, जिनका समय समाप्त होता है उनमें चुनाव एक साथ ही होंगे। जिनका चुनाव समाप्त नहीं होगा उनके बारे में विचार किया जा रहा है। सम्भव है किसी में साथ ही हो और किसी में न हो।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कोरी जाति को हरिजनों में शामिल कर लिया गया है तो कोरियों की वजह से संख्या बढ़ जाने से सीटें बढ़ाई जायंगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री मदन पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चुनाव की तारीख कब तक निश्चित हो जायगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--शीघ्र ही हो जायगी।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९५५ में अक्तूबर में जो नई टाउन एरियाज बनी हैं, उनका चुनाव हो चुका है तो क्या उनका भी चुनाव होगा ?

श्री रामस्वरूप यादव--मैं समझता हूं कि उनका चुनाव तो चार वर्ष का है, उनका चुनाव शायद नहीं होगा।

श्री मुकुटबिहारी अग्रवाल (जिला बाराबंकी)--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया और म्युनिसिपैलिटी के एलेक्शन साथ ही साथ रखे जायंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव--ये चुनाव अक्तूबर, १९५७ में होंगे, तिथि में फर्क भी हो सकता है।

जुडीशियल तथा आनरेरी मैजिस्ट्रेट जिला हरदोई की अदालतों के मुकदमे

*४९--श्री बुलाकीराम (जिला हरदोई)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई में कितने जुडीशियल तथा आनरेरी मैजिस्ट्रेट हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--हरदोई जिले में ३ जुडीशियल मैजिस्ट्रेट तथा ८ आनरेरी मैजिस्ट्रेट हैं।

*५०--श्री बुलाकीराम--इनमें से प्रत्येक के पास १ जनवरी, १९५७ से ३१ मई, १९५७ तक कितने मुकदमें आये और कितने डिस्पोज आफ हो चुके हैं और कितने पेंडिंग हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--कृपया इस सम्बन्ध में संलग्न सूची देखें।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ६१९ पर)

*५१--श्री बुलाकीराम--क्या इन मुकदमों की नेचर तथा संख्या देखते हुये इतने आनरेरी मैजिस्ट्रेट एक छोटे से जिले के लिये नियुक्त कर देना वांछनीय है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी हां।

श्री बुलाकीराम--क्या न्याय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि हमारे जिले में १,७३८ मुकदमें अब भी पेंडिंग हैं तो इनको जल्द फ़ैसल कराने के लिये कौन सी कार्यवाही की जा रही है ? क्या आनरेरी मैजिस्ट्रेट ज्यादा एप्वाइंट किये जायेंगे या कोई दूसरी कार्यवाही की जायगी ?

श्री सैयद अलीजहीर--आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स तो जैसी जिलाधीश जरूरत समझते हैं और सरकार से कहते हैं कि जरूरत है तो एप्वाइंट कर दिये जाते हैं। जो मुकदमें बाकी हैं उनके लिये कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द खत्म हों।

श्री सैयद अलीजहीर--क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इन मुकदमों में जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों ने कितने मुकदमें किये हैं और आनरेरी मैजिस्ट्रेटों ने कितने किये हैं ?

श्री सैयद अलीजहीर--सूची तो संलग्न है, उसमें सब लिखा हुआ है।

आगरा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापकों को प्रावीडेंट फण्ड का न मिल सकना

*५२--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि आगरा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जिन अध्यापकों की सेवाएं छावनी बोर्ड को ट्रान्सफर कर दी गई हैं उनका प्राविडेन्ट फन्ड अभी तक मिला है या नहीं ? ट्रांसफर कब हुआ था ?

श्री रामस्वरूप यादव--(क) जी नहीं। ट्रांसफर के समय जिला बोर्ड के खाते पूरे नहीं थे। अब वे १९५२-५३ वर्ष तक पूरे कर लिये गये हैं और अध्यापकों से फण्ड के ट्रान्सफर करने के लिये अनुमति ले ली गई है। छावनी बोर्ड से भी इसी प्रकार अनुमति मांगी गई है और जैसे ही उनकी अनुमति प्राप्त हो जायगी, रुपया छावनी बोर्ड को ट्रान्सफर कर दिया जायेगा।

(ख) सन् १९४८ में।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि खाते पूरे क्यों नहीं थे और १९५२-५३ तक के खाते पूरे करने में ८-९ वर्ष क्यों लगे ?

श्री रामस्वरूप यादव--जिला बोर्ड ने कुछ देरी की है। बाकी कारण के लिये तो सूचना की आवश्यकता है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब १९५२-५३ तक के खाते पूरे करने में ८-९ वर्ष लगे हैं तो अब जो बाक़ी चार साल हो गये हैं उनके खाते पूरे करने में कितने वर्ष और लगेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव--उन खातों को भी जल्द से जल्द पूरा किया जायगा।

आगरा छावनी बोर्ड के अध्यापक मण्डल का प्रस्ताव

*५३--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार का ध्यान आगरा छावनी बोर्ड के अध्यापक मण्डल द्वारा मई, १९५७ में स्वीकृत प्रस्तावों की ओर गया है ? इन प्रस्तावों में व्यक्त की गई अध्यापकों की शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां। उत्तर प्रदेशीय सरकार इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। छावनी बोर्ड्स भारत सरकार के रक्षा मन्त्रालय के प्रशासनीय नियन्त्रण में हैं, अतः अध्यापकों के प्रस्तावों की प्रतिलिपि मूल रूप में जनरल आफिसर कमांडिंग इन-चीफ़, ईस्टर्न कमान्ड, लखनऊ को उचित कार्यवाही के लिये भेज दी गई थी और अध्यक्ष, आगरा छावनी बोर्ड अध्यापक मंडल, को भी यथावत् सूचित कर दिया गया था।

*५४--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--[२७ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

फैजाबाद जिले में टाण्डा-अकबरपुर रेलवे लाइन के पुनर्निर्माण की प्रार्थना

*५५--श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)--क्या राज्य सरकार ने केन्द्र का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि फैजाबाद में टाण्डा-अकबरपुर की पुरानी रेलवे लाइन फिर बनवाई जाय ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां।

श्री देवीप्रसाद मिश्र--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय बजट में इसका अनुदान होने पर भी यह लाइन क्यों नहीं बन रही है ?

श्री गिरधारीलाल--इसका जवाब तो केन्द्रीय सरकार देगी, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है।

*५६--श्री देवीप्रसाद मिश्र--[२७ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*५७--श्री अमरेश चन्द्र पांडेय (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)--[२७ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

मिर्जापुर में गंगा नदी पर पुल बनाने की योजना

*५८--श्री अमरेश चन्द्र पांडेय (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि मिर्जापुर नगर में गंगा नदी पर पक्का पुल बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री गिरधारी लाल--जी हां।

टेहरी-गढ़वाल जिले में डी० एफ० ओ० टौन्स डिवीजन के कैम्प मजदूर लालदास की मृत्यु

*५९--श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)-- क्या यह सही है कि हाल ही में दिसम्बर सन् १९५६ के दर्मियान जिला टेहरी-गढ़वाल में डी० एफ० ओ० टौन्स डिवीजन ने पट्टी पंचगाई फते पर्वत के ग्राम वारी से एक गरीब हरिजन को अपनी बेगार देकर जबर्दस्ती नदी पार करने को कहा और वह बेचारा उस नदी में बह कर मर गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--यह सत्य है कि २९ अक्टूबर, १९५६ को उन मजदूरों में से जो डी० एफ० ओ० टौन्स के कैम्प के सामान के ले जाने के लिये रक्खे गये थे उनमें से एक रूपिन नदी में बह गया और मर गया। औरों की तरह इसको भी मजदूरी पर रक्खा गया था और उसने अपनी इच्छा से उस मजदूरी का काम लिया था।

*६०--श्री सूरतचन्द रमोला--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह व्यक्ति कौन था और उस गरीब के परिवार को क्या कोई मुआवजा दिया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य-- उस व्यक्ति का नाम लालदास था। उसके परिवार को कोई मुआविजा नहीं दिया गया, क्योंकि उसको सामयिक प्रकार के श्रम के लिये रक्खा गया था।

श्री सूरतचन्द रमोला--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उस मजदूर की जिस दिन मृत्यु हुई उस दिन की मजदूरी उसे दी गई ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--मजदूरी तो बाद में दी जाती है, वह तो बेचारा आ नहीं सका, क्योंकि मर गया था।

श्री झारखंडे राय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस प्रश्न के सिलसिले में जो जांच की गई है वह डी० एफ० ओ० के पास भी भेजी गयी थी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री सूरतचन्द रमोला--क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जिस दिन उसकी मृत्यु हुई उसकी इत्तला पुलिस को भी दी गयी थी ?

श्री सैयद अलीजहीर--जो जरूरी कार्यवाहियां होती हैं वे सब की गई होंगी। अगर पुलिस को इत्तला करना जरूरी होगा तो जरूर की गई होगी। इसके अलावा पंचनामा वगैरह जो होता है मौके पर वह भी हुआ ही होगा।

*६१--श्री अमरेशचन्द्र पांडेय--[२७ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया]।

बुलन्दशहर जिले में पक्की की जाने वाली सड़कें

*६२--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बुलन्दशहर जिले की कौन-कौन सड़कें पक्की की जा रही हैं ?

श्री गिरधारीलाल--द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बुलन्दशहर जिले की पक्की की जाने वाली सड़कों का विवरण इस प्रकार है:--

१--शिकारपुर-दादरी १२ मील २ फर्लांग।

२--राजघाट-नरोरा ३ मील।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर जिले में सड़कों की कमी को देखते हुए दूसरे पंचवर्षीय आयोजन में और सड़कें लेने का विचार सरकार रखती है ?

श्री गिरधारीलाल---जी नहीं, अभी कोई विचार नहीं है ।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सयाना-अनूपशहर सड़क पक्की की जायगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

*६३---**श्री रामचन्द्र विकल**---[१९ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न २९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*६४-६६---**श्री रामप्रसाद देशमुख** (जिला अलीगढ़)---[२७ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।)

गोरखपुर जिले के सिसवा बाजार की ड्रेनेज योजना

*६७---**श्री मदन पांडेय**---क्या गोरखपुर जिले की सिसवा बाजार, नौतनवा, पिपराइच, बड़हलगंज और गोला टाउन एरियाओं में ड्रेनेज सुधार की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री रामस्वरूप यादव---गोरखपुर जिले के केवल सिसवा बाजार में ड्रेनेज सुधार की योजना चीफ इंजीनियर, स्वायत्त शासन विभाग ने बनाई है । कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

*६८---**श्री मदन पांडेय**---यदि हां, तो यह योजना कब तक लागू होगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---सवाल नहीं उठता । यह तो टाउन एरिया को तय करना है कि क्या वह इस योजना को कार्यान्वित कर सकती है या नहीं ।

*६९---**श्री मदन पांडेय**---इन योजनाओं पर व्यय क्या होगा ?

श्री रामस्वरूप यादव---चीफ इंजीनियर स्वायत्त शासन विभाग ने जो ड्रेनेज योजना सिसवा बाजार के लिये बनाई है उसका तखमीना ४ लाख रुपये का है ।

श्री मदन पांडेय---क्या सरकार बतलायेगी कि चीफ इंजीनियर द्वारा निर्मित इस योजना के बनने पर कितना खर्च हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव---चीफ इंजीनियर की फीस टाउन एरिया से ली गई होगी । इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो कुछ खर्च हुआ इस योजना पर उसके बाद भी इस पर विचार न करने का क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह योजना तो टाउन एरिया की प्रार्थना पर चीफ इंजीनियर ने बनाई थी और इसका व्यय टाउन एरिया को ही बरदाश्त करना है । या तो टाउन एरिया गवर्नमेंट आफ इंडिया से कर्ज लेकर इस योजना को पूरी करावे या स्वयं अपने रुपये से इसको पूरा करवा सकती है ।

श्री मदन पांडेय---प्रश्न ६९ के उत्तर में मंत्री जी ने बताया है कि लगभग ४,००,००० रुपये की लागत की यह योजना थी । तो इसका निर्माण करते वक्त ऐसी भी कोई योजना विचाराधीन थी कि जिसके अनुसार ड्रेनेज सुधार की योजनाओं में सरकार सहायता देती ?

श्री रामस्वरूप यादव--प्रांतीय सरकार के पास तो ऐसा कोई धन नहीं है कि जिससे वह सहायता दे सके।

श्री धनपति सिंह टण्डन, आनरेरी मैजिस्ट्रेट, शाहगंज बेंच, जिला जौनपुर की नियुक्ति पर आपत्ति

*७०--**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्तियां किस आधार पर, किस परिस्थिति में और किसकी सिफारिश पर की जाती हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति जिला सेलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर वैतनिक मैजिस्ट्रेटों को शिकायती मुकदमों से मुक्त किये जाने के लिये की जाती है। उनकी नियुक्ति सरकार द्वारा बनाये हुए नियमों के आधार पर होती है।

*७१--**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की शाहगंज बेंच के अधीनस्थ जो लोग आनरेरी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये हैं वे स्थानीय हैं और सभी शर्तों की पूर्ति करते हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--दो आनरेरी मैजिस्ट्रेट स्थानीय लोग हैं तथा तीसरे जौनपुर नगर के निवासी हैं और सभी शर्तों की पूर्ति करते हैं।

*७२--**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की शाहगंज बेंच पर नियुक्त आनरेरी मैजिस्ट्रेट श्री धनपतिसिंह टंडन जौनपुर नगर के निवासी और सरकारी सीमेंट के विक्रेता हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--श्री धनपत सिंह टंडन जौनपुर नगर के निवासी हैं और सीमेंट के लाइसेंसदार हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किन-किन क्वालीफिकेशन्स के आधार पर आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति होती है ?

श्री सैयद अलीजहीर--उनकी क्या क्वालीफिकेशन्स हों यह तो गजट में शाया हो चुकी हैं, लेकिन अगर माननीय सदस्य चाहें तो एक कापी मैं उनको दे दूंगा। उसको वह पढ़ लें।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या कोई एजूकेशनल क्वालीफिकेशन्स भी आवश्यक होती हैं ?

श्री सैयद अलीजहीर--इसमें यह लिखा हुआ है कि :

"He shall have passed an examination equivalent to or higher than the High School examination and should be able to record evidence and write judgements in Hindi or English in his own hand, and be capable of appreciating the evidence and forming a reasoned judgement;

Provided that the State Government may, in special cases, grant exemption from educational qualifications."

जो आनरेरी मैजिस्ट्रेट नियुक्त हों वह या तो हाई स्कूल का इम्तहान पास हों या इस से कोई ज्यादा ऊंचा इम्तहान पास हों और हिन्दी में या अंग्रेजी में अपनी तजवीज अपने हाथ से लिख सकने की काबलियत रखते हों और इस के साथ उन में इतना माद्दा भी हो कि वह सही नतीजे पर पहुंच सकें। इसके साथ एक प्राविजो है कि स्टेट गवर्नमेंट को यह अख्तियार है कि अगर वह चाहे तो किसी को एजूकेशनल क्वालिफिकेशंस से मुस्तसना भी कर सकती है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---तो क्या सरकार ने श्री धनपत सिंह टंडन को एजूकेशनल क्वालिफिकेशन्स से मुक्त किया है ?

श्री सैयद अलीजहीर---मुझे याद नहीं कि यह मुस्तसना किये गये हैं या कैसे हैं, लेकिन यह मुझे इत्तला है कि उनको अच्छी तरह से अंग्रेजी और हिन्दी आती है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या जिस क्षेत्र के यह मैजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये हैं शाहगंज तहसील में वहां के यह सीमेंट लाइसेंसदार भी हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी हां, यह मैंने उत्तर में कहा कि यह जौनपुर नगर के निवासी और सीमेंट के लाइसेंसदार हैं।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति किसी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर होती है या प्रत्येक को माननीय मंत्री जी नामिनेट करते हैं ?

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब दिया जा चुका है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सज्जन जौनपुर शहर के रहने वाले हैं और उनकी बेंच २४ मील दूर शाहगंज में है तो इतनी दूर के आदमी को नियुक्त करने की क्यों आवश्यकता पड़ी ? क्या शाहगंज में इस क्वालिफिकेशन का आदमी नहीं मिला ?

श्री सैयद अलीजहीर---उनके कारोबार शाहगंज में है इसी सिलसिले में वह वहां रहते हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उस को क्या यह निश्चित पता है कि वह शाहगंज में रहते हैं या जौनपुर में कोठी में रहते हैं ?

श्री सैयद अलीजहीर---मैंने यह अर्ज किया कि शाहगंज में वह बिजनेस करते हैं तो शायद इस सिलसिले में वह वहां रहते भी होंगे।

कानपुर के कुछ मुहल्लों में पानी के निकास का प्रबन्ध न होने की शिकायत

*७३---श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मोहल्ला डकनापुरवा रत्तूपुरवा, बमुरिहा, गढ़ा, परमपुरवा छोटी जुही शहर कानपुर में ड्रेनेज (पानी के निकास) का समुचित प्रबन्ध नहीं है ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह ठीक है कि इन मुहल्लों में ड्रेनेज का समुचित प्रबन्ध नहीं है।

*७४---श्री भगवती सिंह विशारद---क्या सरकार को ज्ञात है कि उन्हीं मोहल्लों में ३ ऐसे तालाब हैं जो गन्दगी के भंडार हैं और इससे वहां के रहने वालों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां।

*७५---श्री भगवती सिंह विशारद---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त मोहल्लों में कितने सार्वजनिक शौचालय हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---इन मोहल्लों में शौचालय निम्न प्रकार हैं ।

मोहल्ला	शौचालयों की संख्या	(सीट सहित) सीटें
१---ढकनापुरवा	१	१६
२---बबुरिहा	१	१६
३---परमपुरवा	१	१६
४---जुही गढ़ा	१	१६
५---रसूपुरवा	२	१६

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या माननीय स्वशासन मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन मुहल्लों में ड्रेनेज का समुचित प्रबन्ध नहीं है उन मुहल्लों के ड्रेनेज का पानी कहां इकट्ठा होता है ?

श्री रामस्वरूप यादव---पहले वह हिस्सा टाउन एरिया में था इसलिये पहले वहां पानी का प्रबन्ध नहीं था, गड्ढे थे और उन गड्ढों में पानी भर जाता था, लेकिन अब भरसक प्रयत्न किया जा रहा है कि उन गड्ढों से पानी जल्द से जल्द निकल सके । इसके लिये उचित प्रबन्ध किया जा रहा है । इसके अलावा सीवर लाइन डालने की भी कोशिश की जा रही है जिससे वहां गन्दगी न रहे ।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या यह सही है कि यह तीन तालाबों में जो पानी भरता है उससे शहर भर की गन्दगी उन तालाबों में भर जाती है उससे और वहां गंदगी फैलती है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी नहीं, ऐसा नहीं है । न वहां पर गन्दगी भरी रहती है । उनको साफ रखने के लिये, जिससे पानी जमा न हो, तोड़ा जा रहा है ।

*७६---श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---[५ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न ८४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*७७-७८---श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)---[२७ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

देवरिया जिले के बाढ़ पीड़ित इलाके में सीमेण्ट, लोहा, कोयला तथा जी० सी० शीट्स का वितरण

*७९---श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५६-५७ में देवरिया के बाढ़ पीड़ित इलाके में कितना सीमेंट, लोहा, कोयला, तथा G. C. Sheets का वितरण हुआ है ?

श्री सैयद अलीजहीर---सन् १९५६-५७ में देवरिया जिले के बाढ़ पीड़ित इलाके में १२,५८० बोरी सीमेन्ट, २१ टन छड़, ४२ टन जी० सी० सीट तथा ४,९३८ टन कोयला बांटा गया ।

इटावा जिले की औरैया म्युनिसिपैलिटी जल कल सहकारी समिति को सहायता देने की प्रार्थना

*८०---श्री भजनलाल (जिला इटावा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले की औरैया म्युनिसिपैलिटी जल-कल सहकारी समिति को सरकार ने सन् १९४८ में यह आश्वासन दिया था कि उक्त सहकारी समिति द्वारा १ लाख रुपये का प्रबन्ध किये जाने पर सरकार उक्त म्युनिसिपैलिटी में बिजली सप्लाई के प्रबन्ध में पूरी मदद करेगी ?

नोट---तारांकित प्रश्न ७५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

सहकारिता मंत्री श्री मोहनलाल गौतम--जी नहीं।

*८१--**श्री भजनलाल**--क्या यह सही है कि उक्त समिति ने अब तक छः लाख रुपया उक्त सम्बन्ध में खर्च कर दिया है और सरकार की ओर से अब तक कोई सहायता नहीं दी गई है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां, लेकिन सरकार अभी इस पर विचार कर रही है कि सोसाइटी को आर्थिक सहायता दी जा सकती है या नहीं।

जिला सहकारी अधिकारी, टेहरी-गढ़वाल का डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन के सेक्रेटरी का काम करना

*८२--**श्री सूरतचन्द रमोला**--क्या यह सही है कि जिला टेहरी-गढ़वाल के जिला सहकारी अधिकारी District Co-operative Federation के सेक्रेटरी का कार्य अपने आप कर रहे हैं और यदि यह सही है, तो क्यों ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां। असाधारण परिस्थिति में अथवा जिस जिले में सहयोग आन्दोलन अपनी प्रारम्भिक अवस्था में हो, वहां सरकारी अधिकारी को सहकारिता की किसी भी संस्था का सेक्रेटरी नियुक्त किया जा सकता है।

प्रेसीडेंट, नोटीफाइड एरिया कमेटी, रामनगर के विरुद्ध शिकायतों की जांच रिपोर्ट

*८३--**श्री प्रतापसिंह**--क्या सरकार को विदित है कि प्रेसीडेंट नो० ए० कमेटी, रामनगर के विरुद्ध प्रेषित शिकायतों पर नायब तहसीलदार, रामनगर ने अपनी जांच की रिपोर्ट विगत २ जून, १९५६ को ए० डी० एम०, नैनीताल को प्रेषित की थी ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रेसीडेंट के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--प्रेसीडेंट नोटीफाइड एरिया कमेटी रामनगर के विरुद्ध शिकायतों पर जांच पेशकार रामनगर द्वारा की गई थी। उनकी जांच रिपोर्ट आधार पर डिप्टी कमिश्नर इंचार्ज कुमायूं डिवीजन द्वारा म्युनिसिपल ऐक्ट, १९१६ की धारा ४८ (२) के अधीन प्रेसीडेंट पर आरोप लगाते हुये उनका स्पष्टीकरण मांगा गया था, जो प्राप्त हो चुका है। प्रेसीडेंट के स्पष्टीकरण पर सब डिवीजनल आफिसर काशीपुर के विचार मांगे गये हैं जिनके प्राप्त होने पर अन्तिम आदेश दिये जायेंगे।

चुनार, जिला मिर्जापुर में नजूल की भूमि से किसानों की बेदखली की शिकायत

*८४--**श्री राजकुमार शर्मा**--क्या सरकार को पता है कि चुनार नगर, जिला मिर्जापुर में सरकारी नजूल की भूमि से, जिसे किसान वर्षों से जोतता चला आता है वह प्रति वर्ष बिना कारण बेदखल किया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को उस भूमि पर नियमतः स्थायी अधिकार देने पर विचार कर रही है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जिला सहकारी संघ, देवरिया द्वारा भट्ठों के लिए कोयले का भाव न निश्चित करना

*८५--**श्री उग्रसेन**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला सहकारी संघ, देवरिया द्वारा जो सहकारी भट्ठों को कोयला दिया जाता है उसका रेट प्रति टन अभी तक निश्चित नहीं किया गया है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां। रेट अभी तक निश्चित नहीं किया गया है।

जिला बोर्ड, नैनीताल को अनुदान

*८६—श्री नारायणदत्ततिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बोर्ड, नैनीताल को सन् १९५५-५६ एवं १९५६-५७ में कितनी धनराशि सरकार द्वारा दी गई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—वांछित सूचना माननीय सदस्य की मेज पर एक तालिका के रूप में रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ६२० पर)

आजमगढ़ जिले में मधुवन-बिल्थरा रोड में ली गयी जमीन का मुआवजा न मिलने की शिकायत

*८७—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मधुवन-बिल्थरा रोड, जिला आजमगढ़ की सड़क के निर्माण के लिये जो भूमि ली गई है, उसका मुआवजा अब तक किसानों को नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारी लाल—सूचना एकत्र की जा रही है।

बदायूं जिले में धनारी-भराउटी सड़क पर महावा नदी का पुल टूटने से कष्ट

*८८—श्री जमुनासिंह (जिला बदायूं)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बदायूं जिले की गिन्नौर तहसील में धनारी-भराउटी सड़क के मध्य महावा नदी पर पुल टूट गया है और परिणामस्वरूप तहसील की जनता को भारी कष्ट है ?

*८९—यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह इस पुल के पुनर्निर्माण के हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सूचना एकत्र की जा रही है और एकत्रित होने पर दी जायगी।

हल्द्वानी-भावर, जिला नैनीताल में स्वच्छ जल का अभाव

*९०—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हल्द्वानी भावर, जिला नैनीताल में स्वच्छ पीने के पानी की भारी कमी को दूर करने के हेतु वह क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सूचना एकत्र की जा रही है।

गोंडा जिले की बलरामपुर तथा उतरौला तहसीलों मे सड़कों का निर्माण

*९१—श्री धर्मपाल सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रथम पंच वर्षीय योजनान्तर्गत जिला गोंडा की बलरामपुर तथा उतरौला तहसीलों में कितनी सड़कें कच्ची तथा पक्की बनाई गई हैं ?

श्री गिरधारीलाल—यह सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रखी सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ६२१ पर)

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड शाहजहांपुर के अध्यापकों को वेतन-वृद्धि न मिलना

*९२—श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड शाहजहांपुर के अध्यापकों को १९४७ की पे कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर वेतन में वृद्धि करने का आश्वासन दिया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं। सरकार ने १९४७ की पे कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एक अप्रैल, १९४९ से सभी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिये जिनमें अध्यापक भी सम्मिलित हैं संशोधित वेतन क्रम लागू किये थे, किन्तु इस विषय में आर्थिक सहायता सम्बन्धी कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। शाहजहांपुर जिला बोर्ड ने ये नये वेतन क्रम १९५१ से लागू किये।

*९३—श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार ने अध्यापकों की उपरोक्त वृद्धि को पूरा करने के लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड शाहजहांपुर को १९५० से तीन बार विशेष रकमें प्रदान की हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां।

*९४—श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार को यह मालूम है कि अब तक अध्यापकों की वृद्धि की कोई भी रकम उनको नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार अध्यापकों को सन् १९५१ से निर्धारित वेतन क्रम दिये जा चुके हैं।

हमीरपुर जिले में राठ-महोबा सड़क पर छतेसर नदी के पुल निर्माण की योजना

*९५—श्री डूंगरसिंह (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हमीरपुर जिले में राठ-महोबा सड़क पर छतेसर नदी का पुल बनाने की कोई योजना है ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां।

*९६—श्री डूंगरसिंह—यदि है, तो वह कब स्वीकृत हुई, और अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गिरधारीलाल—इस पुल का निर्माण इसी अप्रैल में स्वीकृत किया गया है। वर्षा के समाप्त होते ही कार्य आरम्भ किया जायगा।

*९७—श्री प्रतापसिंह—[५ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न ८३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

झांसी जिले की ललितपुर महरौनी तहसील में सड़कों की कमी

*९८—श्री गज्जूराम—क्या यह सच है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला झांसी, तहसील ललितपुर महरौनी में निर्माण विभाग द्वारा कोई भी नई सड़कें नहीं बनाई गई हैं ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां, परन्तु २२ मील ५ फर्लांग लम्बी ललितपुर-महरौनी सड़क का पुनः निर्माण २ लाख ५१ हजार रुपये की लागत पर किया गया है।

*९९—श्री गज्जूराम—क्या यह सच है कि इस क्षेत्र में पर्याप्त सड़कें न होने के कारण डकैतियां, चोरी, राहजनी, कत्ल आदि अधिक होते हैं और सरकार शासन की व्यवस्था रखने में कठिनाई अनुभव करती है ?

श्री गिरधारीलाल---इस सम्बन्ध में जिलाधीश झांसी से रिपोर्ट मांगी गई है और वह अभी अपेक्षित है।

हमीरपुर जिले की मौदहा टाउन एरिया में गन्दगी को दबाने का प्रबन्ध न होना

*१००---श्री रामगोपाल गुप्त (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार को मालूम है कि मौदहा, जिला हमीरपुर में टाउन एरिया कमेटी ने गन्दगी जमीदोज कराने के लिये कहीं पर गड्ढे आदि नहीं खुदवाये हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---जी हां।

बलिया-गाजीपुर सड़क पर मंगई नदी के पुल निर्माण का आयोजन

*१०१---श्री मान्धाता सिंह (जिला बलिया)---क्या सरकार को पता है कि मंगई नदी (बलिया) पर पी० डब्ल्यू० डी० का पुल बलिया-गाजीपुर सड़क पर गत बाढ़ में बिलकुल टूट गया है ? यदि हां, तो सरकार कब तक उक्त पुल को बनाने का विचार रखती है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---प्रथम भाग---जी हां।

द्वितीय भाग---पुल का सर्वेक्षण किया जा चुका है तथा डिजाइन तैयार किया जा रहा है। कार्य का आगणन तैयार होने पर पुल के निर्माण के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

रुड़की-बद्रीनारायण मार्ग पर पुलों को चौड़ा करने की प्रार्थना

*१०२---श्री दीनदयालु शास्त्री---क्या सरकार का विचार रुड़की-बद्रीनारायण मार्ग पर व्यवस्थित धनौरी, पथरी, रानीपुर, मुसवा तथा सौंख नदियों के वर्तमान पुलों को चौड़ा करने का है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल---सौंख नदी पर पुल को चौड़ा करने का प्रस्ताव द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है तथा इसी अवधि में कार्यारंभ होगा। पथरी व रानीपुर के पुलों का प्राक्कलन भारत सरकार के विचाराधीन है। शेष पुलों के निर्माण का इस समय कोई विचार नहीं है।

*१०३---श्री दीनदयालु शास्त्री---क्या सरकार का विचार हरद्वार में गंगा नदी पर सड़क का पक्का पुल बनाने का है ? यदि हां, तो तब तक ?

श्री गिरधारीलाल---प्रथम भाग---जी नहीं।

द्वितीय भाग---प्रश्न नहीं उठता।

पीलीभीत जिले की बीसलपुर तहसील से जंगलात के हकूक के लिए प्रार्थना-पत्र

*१०४---श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (जिला पीलीभीत)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला पीलीभीत में तहसील बीसलपुर के कुछ ग्रामवासियों ने वहां के एस० डी० ओ० को अपने जंगलात से हकूक के पाने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दिये हैं ? यदि हां, तो किन तारीखों को ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं। कुछ प्रार्थना-पत्र- मिश्नर रुहेलखंड डिवीजन और कंसरवेटर, ईस्टर्न सर्किल के पास आये थे।

१९५६–५७ में विदेशी खाद्यान्न का आयात तथा वितरण

*१०५––श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)––क्या पूर्ति मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में कितने रुपये का खाद्य सरकार ने विदेश से मंगाकर इस प्रदेश में वितरित करवाया ?

श्री सैयद अली जहीर––वित्तीय वर्ष १९५४–५५ तथा १९५५–५६ में कोई विदेशी खाद्यान्न वितरण के लिये नहीं मंगाये गये। वित्तीय वर्ष १९५६–५७ में २,५७,७६८ टन विदेशी गेहूं लगभग ९,८२,३८,२५२ रुपये का प्राप्त हुआ, जिसमें से २,३९,२५२ टन मार्च १९५७ के अंत तक वितरित किया गया।

अतारांकित प्रश्न

कानपुर पय-परिषद् को दिया गया धन

१––श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)––क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर पय-परिषद् को मार्च सन् १९५६ से मार्च, १९५७ तक कुल कितना रुपया दिया गया है और किस आधार पर ?

श्री मोहनलाल गौतम–२१,५१७ रु० जिसमें से १२,६१३ रु० अनुदान और ८,६०४ रु० ऋण के रूप में है जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित ६० तथा ४० प्रतिशत के आधार पर है। यह रकम यन्त्रों आदि की शक्ल में दी गई थी, नकद नहीं।

२––श्री बलवानसिंह––क्या उपर्युक्त संस्था घाटे में चल रही है ? यदि हां, तो क्यों और स्थिति को सुधारने में सरकार ने कौन से कदम उठाये हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम––जी नहीं।

ट्रांस घाघरा-राप्ती-गंडक क्षेत्र में घाघरा राप्ती इत्यादि नदियों की बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष––एक काम रोको प्रस्ताव श्री मदन पांडेय ने भेजा है जिसमें वे कहते हैं कि "घाघरा, राप्ती और बड़ी गंडक तथा उनकी सहायक नदियों के बाढ़ के कारण राज्य के ट्रान्स-घाघरा-राप्ती-गंडक क्षेत्र में व्याप्त अन्नाभाव, चारे की कमी तथा विभिन्न बीमारियों के कारण इस क्षेत्र के लोगों का जीवन विपन्न हो उठा है। विशेषकर गोरखपुर जिले की महाराजगंज-फरेन्दा तहसील का उत्तरी और पूर्वी भाग और सदर इत्यादि का बहुत बड़ा भाग इन नदियों के जल से ढक गया है इत्यादि-इत्यादि"। यह बड़ा सा प्रस्ताव है जो वहां की परिस्थिति बताता है। बाढ़ें तो हर साल प्रान्त में आती हैं और एकाध दिन उस पर बहस हो जाती है। अगर एक-एक या दो-दो जिलों के बारे में बहस होने लगे तो उससे सारी परिस्थिति का, पूरे प्रान्त का, कोई पता सदन को नहीं चलता। इस समय तक अन्न के बारे में बहस हो चुकी है, लेकिन बाढ़ के बारे में नहीं हुई है।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)––अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा, बरसात के मौसम में हमारे प्रदेश को जिलों में इस तरह की कुछ न कुछ बात होती ही रहती है कि नदियों में पानी बढ़ जाने से गांवों के लोगों को कठिनाई होती है। काम रोको प्रस्ताव लाकर हर जिले की बाबत बहस होने से तो काम चलना मुश्किल हो जायगा। अभी तक हमारे प्रदेश में सौभाग्य से वैसी हालत नहीं हुई है जैसी कि पिछले साल या उससे पहले हो गई थी, तो इस प्रकार का प्रस्ताव प्रीमेच्योर है। लेकिन अगर दुर्भाग्य से पानी बढ़ा तो हम खुद इस बात को पसन्द करेंगे कि एक दिन इस पर पूरी तरह से विचार हो जाय।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---मैंने गत ५ अगस्त को भी इसी आशय का एक प्रस्ताव रखा था। लेकिन उस दिन कहा गया कि जिला मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट से मालूम होता है कि वहां बाढ़ बिल्कुल नहीं है। इस बीच मैं उस इलाके में गया था। कांग्रेस के लोग भी लखनऊ से गोरखपुर गये होंगे। सहजनवां से गोरखपुर का १० मील का पूरा हिस्सा पानी से ढका हुआ है और उसके फलस्वरूप लगभग २ दर्जन गांवों के लोग पेड़ों पर निवास कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---यह ठीक है, आपने सूचना दे दी। मैं समझता हूं कि मैं इसमें आपकी ही मदद कर रहा हूं। वैसे अन्न मंत्री जी का अनुदान कल आने ही वाला है तो उस समय आप कह सकेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी अगस्त का महीना है और पानी और बरस सकता है। हम लोग आशा अवश्य करें कि पूर्वी जिलों में बाढ़ न आवे, लेकिन यह हमारे हाथ में नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है कि अगर बाढ़ का सिलसिला बढ़ा तो उस पर एक रोज बहस हो जायगी। इसलिये आपकी इच्छा की पूर्ति के लिये मैंने रास्ता निकाल लिया है। वैसे आज यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता।

गोरखपुर जिले में अभिकथित भुखमरी की स्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---दूसरा प्रस्ताव श्री अब्दुल रऊफ लारी का है। यह पूर्वी जिलों में विशेषकर गोरखपुर, फरेन्दा तहसील में भुखमरी की स्थिति की ओर ध्यान दिलाने की जरूरत के बारे में है। इस विषय में अन्न की कमी के बारे में बहस हो चुकी है और कल भी इस पर बहस हो सकती है। इसकी मैं इजाजत नहीं देता हूं।

*टेहरी-गढ़वाल राजस्व पदाधिकारियों का (विशेषाधिकार) अधिनियम, १९५६, के अन्तर्गत आलेख्य आदेश

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से टेहरी-गढ़वाल राजस्व पदाधिकारियों का (विशेषाधिकार) अधिनियम १९५६, की धारा २ के अन्तर्गत जिला टेहरी-गढ़वाल के कुछ रेवेन्यू आफिशियल्स को थाने के आफिसर इन्चार्ज के अधिकार देने के सम्बन्ध में आलेख्य आदेश को उक्त अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (१) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

*यू० पी० पंचायत राज नियमावली में प्रख्यापित संशोधन

स्वशासन मंत्री के सभासचिव (श्री रामस्वरूप यादव)---अध्यक्ष महोदय, मैं यू० पी० पंचायत राज नियमावली के नियम १७४ के वाक्य-खण्ड (घ) में पंचायत राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या १९५७-प।३३---२६-५७, दिनांक ११ मई, १९५७ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को यू० पी० पंचायतराज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

*छापे नहीं गये।

विभिन्न विरोधी दलों के लिए कमरों की व्यवस्था

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, नये चुनाव के बाद नई विधान सभा की बैठक प्रारम्भ होने पर आपने आश्वासन दिया था कि सदन की विरोधी पार्टियों को कमरे दिये जावेंगे; लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी को अभी तक कोई कमरा नहीं मिला है। आपके यहां से, जहां तक मैं पता लगा सका हूं, इसके आदेश भी जा चुके हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी से आश्वासन मिला था कि कमरा मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक कमरा नहीं मिला है। मालूम नहीं कि फाइल या कागज कहां पर रुका हुआ है। मैं चाहूंगा कि इस सिलसिले में अगर जल्दी हो सके और हमारी दिक्कत दूर हो सके तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष---आपने अचानक सवाल कर दिया। आप मुझसे जिक्र करते तो मैं फाइल निकलवा कर देख लेता कि स्थिति क्या है। सेक्रेटरी यह सूचना देते हैं कि वह मुख्य मंत्री जी के पास भेज दी गई है, किसी स्टेज पर। इसके बारे में मैं जानकारी प्राप्त करके कल उत्तर दूंगा।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को भी आफिस के लिये कोई कमरा नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष---झारखंडे राय जी ने यह नहीं कहा कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को मिल गया है, इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता है।

१९५७-५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---हमको यह अपील करनी है कि हरिजन अनुदान आज पहले ले लिया जाय और उसके बाद विकास योजना को लिया जाय। कल विरोधी दल की ओर से जो रखा गया, उससे मैं देखता चला आ रहा हूं कि हरिजन समाज का वहां समाज में बहिष्कार किया जा रहा है, इस सदन में भी ऐसी प्रवृत्ति होती जा रही है।

श्री अध्यक्ष---कल आप यहां मौजूद थे क्या ?

श्री गंगाप्रसाद---कल मैं चला गया था। विरोधी दल के लोगों से भी पता कर लिया है और वे लोग इस पर राजी हैं।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर वह पहले ले लिया जाय एक घंटा इस पर और बाकी समय प्लानिंग पर और आगे हाउस का समय बढ़ जावेगा, जैसा कि कल निश्चय हुआ था।

श्री अध्यक्ष---मैंने मंत्री जी से कह दिया था कि शाम को लिया जायगा और उस समय आप समय भी बढ़ा सकते हैं।

श्री गंगाप्रसाद---बहुत से मेम्बर जो अपने सुझाव देना चाहते हैं, वे चले जावेंगे। माननीय विरोधी दल के नेता उस पर विचार करें कि कल प्रशासन पर बहुत-सी बातें कही जा चुकी हैं।

श्री अध्यक्ष---उनकी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मंत्री जी ने कहा था कि आज के बजाय कल ले लेना चाहिये। तो यह निश्चय हो गया था कि कल शाम को होगा, यानी आज शाम को। अब इस समय मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं कि जिस कारण से उन्होंने यह बात कही थी उस पर समुचित प्रकाश डाल सकें। अगर वे होते, तो मैं उनसे पूछ कर आपकी इच्छा पूरी कर सकता। लेकिन वह सम्भव नहीं है। इसलिये जिनको उक्त

अनुदान में दिलचस्पी ज्यादा है, उन्हें उसके लिये आज शाम बैठना चाहिये। शाम के ४ बजे वह शुरू होगा। उस समय आप बहस कर लें और चाहें तो समय बढ़ा लीजिये। इस प्रकार से एक घंटा समय आपको ज्यादा मिल जायगा।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)——अध्यक्ष महोदय, प्लानिंग ५ बजे तक चलेगा। उसके बाद आप जितना समय चाहेंगे, आप को दे दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष——मैं समझता हूं कि आप दो घंटे उस पर बहस कर सकेंगे। जैसी सदन की राय उस समय होगी, उसके हिसाब से यह हो सकता है। मैं समझता हूं कि डिप्टी स्पीकर साहब और अधिष्ठाता मंडल के जो सदस्य हैं, वे इसमें आपकी मदद करेंगे।

अनुदान संख्या ४३—लेखा शीर्षक ६३—क—युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय और ६३—ख——सामुदायिक विकास योजनाएं——राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण-कार्य

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)——अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४३——योजना और एकीकरण——लेखा शीर्षक ६३-क——युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय और ६३——ख——सामुदायिक विकास योजनायें—राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण-कार्य के अन्तर्गत ८,८४,४४,९०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

आज भी मेरा विचार तो यह है कि मैं बहुत ही शांति के साथ विवाद को, आलोचनाओं को और सुझावों को सुनूं और उनको सुनने के बाद, जो कुछ थोड़ा बहुत आवश्यक हो, वह सदन के सामने निवेदन करूं। फिर भी दो एक बातें हैं, जिनकी आरम्भ में भी चर्चा कर देना आवश्यक प्रतीत होता है।

एक थोड़ी सी गलतफहमी, इस सदन के माननीय सदस्यों को नहीं, लेकिन बाहर है और कुछ सरकारी विभागों में भी इस प्रकार की गलतफहमी मालूम होती है जैसे शिक्षा विभाग, उद्योग विभाग आदि हैं, वैसे ही प्लानिंग विभाग भी है। केवल इस प्रदेश में ही नहीं, बल्कि केंद्र में भी और दूसरे देशों में भी, यही चीज देखी गयी है कि प्लानिंग विभाग की तरफ लोगों की बहुत सहयोग की भावना नहीं रही। लोगों को ऐसा लगा कि मानों और विभागों के ऊपर यह प्लानिंग का भी एक विभाग लाद दिया गया है, जो दूसरे विभागों पर हावी होकर उनको दबा देना चाहता है। लोगों को अपने मन से इस भ्रम को निकाल देना चाहिये। प्लानिंग तो अपने देश में तरक्की करना चाहता है और वह भी एक ठीक ढंग से। एक ढांचा बना कर वह देश और प्रदेश को तरक्की करना चाहता है। जो हमारा एक संकल्प है, एक विचार है, उसी का प्रतीक यह प्लानिंग है। इसके अतिरिक्त यह और कोई चीज नहीं है। सभी विभाग, जो अलाहिदा अलाहिदा काम करते हैं वे एक नियंत्रित और संगठित रूप में आ जायं। बस इसका इतना ही मतलब है। इसलिये प्लानिंग का किसी विभाग के साथ मुकाबला नहीं होना चाहिये।

हमारी जो सेंकिड फाइव ईयर प्लान है उसकी पूरी तस्वीर भी इस प्लानिंग के बजट के अन्दर नहीं मिल सकती, क्योंकि उसका कुछ बजट शिक्षा विभाग के बजट के साथ है, कुछ इंडस्ट्री विभाग के बजट के साथ है और कुछ कृषि विभाग के बजट के साथ है। कुछ थोड़ा रुपया है, वह प्लानिंग के अन्दर रक्खा हुआ है। जब हम शिक्षा विभाग के बजट पर गौर करते हैं, इंडस्ट्री विभाग के बजट पर गौर करते हैं, या और ऐसे ही दूस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

विभागों के बजट पर गौर करते हैं, तो अक्सर माननीय सदस्य यह शिकायत करते हैं कि अमुक चीज होनी चाहिये थी या अमुक चीज की कमी रह गयी और उनमें से बहुत सी बातों को हम स्वीकार भी करते हैं। बहुत सी शिकायतों के साथ हमारा पूरी तरह से सादृश्य भी होता है, लेकिन हमारा जो प्लानिंग है, उसकी सूरत भी हमारे सामने रहती है, पहली प्लान तो कुछ ठीक ढंग की प्लान नहीं थी। १५० करोड़ रुपये की बात थी जो होते-होते १६१ करोड़ रुपये की हो गयी थी। दूसरी प्लान जरूर प्लान कही जा सकती है जो जिलों में बनायी गयी और प्रदेश में उस पर गौर हुआ और इस तरह से ७३८ करोड़ रुपये की वह प्लान तैयार की गयी, लेकिन इसके ये मानी नहीं थे कि अगर यह ७३८ करोड़ रुपये की प्लान मंजूर हो जाती तो हमारे प्रदेश में जो कमी थी, जो मुसीबत थी, वह सारी कमी और मुसीबत दूर हो जाती। फिर भी हम अपने कदम को आगे बढ़ाते यदि ७३८ करोड़ रुपया हमको मिल जाता। मगर इसके साथ ही साथ हमको आपको इस बात को भी सामने रखना है कि महज रुपये की ही कमी नहीं है, बल्कि और भी काफी कमियां हैं जिनके बारे में मैं शाम को जिक्र करूंगा। लेकिन इस समय मैं जरा सा जिक्र कर देना चाहता हूं कि हमारे पास परसोनेल की भी कमी है। जितने इंजीनियर्स हमको चाहिये वे हमारे पास नहीं हैं, जितने ओवरसियर्स हमारे पास चाहिये वे हमारे पास नहीं हैं, जितने डाक्टर्स हमको चाहिये उतने डाक्टर्स हमारे पास नहीं हैं, जितने शिक्षक हमको चाहिये उतने शिक्षक हमारे पास नहीं हैं। इस प्रकार के परसोनल को तैयार करने में भी काफी समय लगता है। एक डाक्टर को तैयार करने में करीब ५ वर्ष का समय लगता है, एक इंजीनियर को तैयार करने में भी इतना ही समय लगता है।

आज जो हमारे पास परसोनेल है, उस परसोनेल को देखते हुये हम समझते हैं कि अगर ७३८ करोड़ रुपया हमको मिल सकता तो, उसको खर्च करने में दिक्कत होती भी लेकिन इतना जरूर है कि हम प्रदेश को जितना आगे बढ़ाना चाहते, बढ़ा सकते। मगर ७३८ करोड़ तो बहुत दूर की बात थी, घटते-घटाते प्लानिंग कमीशन का जो पहला मसविदा तैयार हुआ वह ३३८ करोड़ का हुआ। उसके ऊपर जो माननीय सदस्य पहले थे उनको याद होगा कि इस सदन में चार रोज तक १८,१९,२० और २१ अक्तूबर, १९५५ को बहस हुई और जो मसविदा पास हुआ चाहे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों, उनमें कोई मतभेद नहीं था, सब की राय थी कि प्लानिंग अच्छी चीज है, लेकिन अपनी आवश्यकताओं को देखते हुये हमारी प्लानिंग तो ७३८ करोड़ की हो चुकी थी, जो कट कर सवा ३ करोड़ रह गया था। गवर्नमेंट आफ इंडिया के पास जब प्लानिंग कमीशन की सिफारिश पहुंची तो उन्होंने उसको काट-काट कर २४८ करोड़ रुपया ही कर दिया। ७३८ करोड़ से हुआ सवा ३ करोड़ और फिर उसके बाद २४८ करोड़ ही रह गया। इस पर हमारे इस सदन में बहस तो नहीं हुई, लेकिन हमारे यहां की जो प्लानिंग स्टैंडिंग कमेटी थी उसमें इस पर २० मार्च को काफी बहस हुई और उसने इस संबंध में एक रिज्योलूशन पास किया। वह रिज्योलूशन काफी लम्बा कई पेज का है। वह रिज्योलूशन तथा जो प्लानिंग कमेटी में बहस हुई, वह सारी सामग्री मेरे पास मौजूद है, उसको दिल्ली भेज दिया गया लेकिन उसका कोई खास असर नहीं हुआ। २४८ करोड़ को बढ़ा कर २५३ करोड़ कर दिया गया, लेकिन वह उस बहस की वजह से नहीं, जो प्लानिंग स्टैंडिंग कमेटी में हुई या इस सदन में हुई, बल्कि वहां कुछ ब्योरे की बहस करते-कराते खींच-खांच कर २५३ करोड़ हमारे यहां की प्लानिंग के लिये कर दिया गया। ज़ाहिर बात है कि जिस काम को हम समझते थे कि ७३८ करोड़ में पूरा करेंगे वह २५३ करोड़ ही रह गया, तो जितनी हमारी कमियां हैं, जितनी हमारी जरूरतें हैं, उनकी पूर्ति किसी तरह से भी नहीं हो सकती। हम आप सभी चाहते हैं कि अपने प्लान को पूरा कर सकें, लेकिन उसके पूरा होने में मुझे कुछ सन्देह मालूम होता है। इस संबंध में मैं बाद में जिक्र करूंगा कि पूरी

तरह से इच्छा रहते हुए और पूरी तरह से अपने संकल्प पर दृढ़ रहते हुए भी उसको पूरा करने में कुछ ऐसी दिक्कतें सामने आयेंगी जिनके संबंध में माननीय सदस्य भी जिक्र करेंगे और मैं भी थोड़ा सा आपके सामने निवेदन कर देना चाहता हूं कि किन कठिनाइयों और दिक्कतों की वजह से हमें इसमें सन्देह होता है कि २५३ करोड़ के काम को भी हम पूरा कर सकेंगे। उसको पूरा करने का हमारा संकल्प है, चाहे कोई किसी भी दल का हो, सभी चाहते हैं कि जो हमारा प्लान है वह पूरा हो सकें और उसमें किसी तरह की रोकथाम न हो, लेकिन कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं जिनकी वजह से उसके पूरा होने में मुझे संदेह मालूम होता है। मैं चाहता हूं कि सब लोगों की जानकारी के लिये उसको आपके सामने रख दूं।

जैसे इस साल के लिये तय हुआ है कि हमारा यू०पी० का प्लान ५२ करोड़ का होगा जिसमें ३२ करोड़ रुपया तो गवर्नमेंट आफ इंडिया से आयेगा और २० करोड़ रुपया हम अपने यहां से निकालेंगे, लेकिन जो सूरत है, वह मैं फिर शाम को आपके सामने रखूंगा कि मुझको तो इसी में संदेह है कि ३२ करोड़ रुपया गवर्नमेंट आफ इंडिया से आयेगा या नहीं आयेगा और हम अपने यहां से २० करोड़ रुपया निकाल सकेंगे या नहीं निकाल सकेंगे। इन सब कठिनाइयों के होते हुए मैं ऐसा मानता हूं कि ये कठिनाइयां तथा और बहुत सी कठिनाइयां हैं और उन सब कठिनाइयों के होते हुए मैं ऐसा समझता हूं कि काम हुआ है, बहुत काम हुआ है और बहुत काम हो रहा है, लेकिन और ज्यादा काम हो सकता है, और ज्यादा काम होना चाहिये, और हम सब की कोशिश होनी चाहिये कि जो पैसा हमारे पास है, जो साधन हमारे पास है, उनका पूरा-पूरा उपयोग हो। वह तभी हो सकता है जब हम सब इस काम में पूरा सहयोग करें।

एक तरफ हमारा ध्यान बहुत कम गया है। हमारा जो संविधान है उसको देखते हुए हमारे यहां कोआपरेशन का बहुत ऊंचा स्थान होना चाहिये, लेकिन अनेक कारणों से हमें इस तरह जैसा ध्यान देना चाहिये वह हम न दे सकें। लेकिन हमने अब अपने यहां कोआपरेटिव की अलग मिनिस्ट्री कायम की है और उसके लिये अलग एक मिनिस्टर रखा है और हम आशा करते हैं कि हमारे सामूहिक जीवन में कोआपरेशन को जो स्थान मिलना चाहिये उसे वह स्थान देने में हम अब अधिक समर्थ हो सकेंगे।

केवल एक विषय की मैं और चर्चा करूंगा और वह इसलिये कि संभवतः बहुत से माननीय सदस्यों के दिमाग में वह चीज होगी। हमारे बजट में इस वक्त यह लिखा हुआ है कि प्रांतीय रक्षक दल के लिए बहुत कम रुपया रखा गया है और जो बजट की भाषा है उससे भी कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि प्रांतीय रक्षक दल तोड़ दिया जायगा। किफायत की दृष्टि से जहां और बहुत से प्रस्ताव हुए, वहां एक प्रस्ताव इस तरह का भी जरूर था और यह बात भी कुछ सही है कि बजट बनाते वक्त ऐसा खयाल हुआ कि यह एक ऐसी दिशा है जिस में कि किफायत करना संभव है, लेकिन उसके बाद हमने यहां देखा कि सभी विचारों के माननीय सदस्यों का ऐसा खयाल है कि प्रांतीय रक्षक दल के द्वारा बहुत से उपयोगी काम हुए हैं इसलिये उसको तोड़ना नहीं चाहिये। जब हम ने आम तौर से ऐसा विचार देखा तो मैंने सोचा और उचित समझा कि जो ख्याल माननीय सदस्यों का है उसके सामने हमें फिर सिर झुकाना चाहिये और हमें उसको स्वीकार करना चाहिये। इसीलिये हमने अब प्रांतीय रक्षक दल को तोड़ने का खयाल छोड़ दिया है। हमने उसके संबंध में विचार किया। हम अब उसको वह रूप देना चाहते हैं जोकि हम समझते हैं कि पहले से भी अधिक उपयोगी होगा। ब्योरा तो उसका बाद में बनेगा, लेकिन उसका जो खाका है मोटे तौर से उसका क्या रूप रहेगा, उसको मैं बताना चहता हूं, यों कहा जा सकता है कि हमने अब प्रांतीय रक्षक दल के २ टुकड़े किये हैं, एक छोटा टुकड़ा और एक बड़ा टुकड़ा।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

आज से पहले इसी सदन में हम ने कई कानून पास किये हैं जिनको कार्यान्वित करने के लिये हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि समाज की सेवा के भाव से प्रेरित हों और साथ ही वे इस काम के करने के लिये काफी अधिकार की जगह में भी हों। खास तौर से इस समय में सदन का ध्यान उस कानून की ओर आकर्षित करता हूं जिस का ताल्लुक जुविनाइल आफ़ेंडर्स से है, मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वह जरा अपनी स्मृति को ताजा करें तो उन्हें याद होगा कि एक कानून बना था कि जिन लड़कों के मां-बाप नहीं हैं या कोई देखने वाला गार्जियन नहीं है, मर गये हैं, या ऐसे लड़के हैं कि जिनके मां बाप या गार्जियन हैं लेकिन वह अपने उन बच्चों पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कुछ करते नहीं हैं, और आवारगी में घूमते हैं, या कोई ऐसे बच्चे हैं कि जिनके माता-पिता उनको चोरी करने, बुरे कामों में या भीख आदि मांगने के काम में लगाते हैं, या कोई ऐसी लड़कियां हैं कि जिनके अभिभावक उनको बुरे पेशों में लगाना चाहते हैं, इस तरह के बच्चों पर कंट्रोल पाने के लिये और उनको बुराई से हटाकर अच्छे कामों में लगाने के लिये हमने वह कानून पास किया था। माननीय सदस्यों को संभवतः यह भी याद होगा कि इस कानून के संबंध में जो अधिकार दिये गये हैं, जो भी अधिकारी बनाये जायेंगे, वे इस तरह के लोगों के मकानों में जा सकते हैं लोगों को, गिरफ्तार कर सकते हैं, जो अपराधी हों कस्टडी में रख सकते हैं। तो इस तरह का जो काम है उसको करने के लिये अभी हमारी पुलिस में भी साधारणतः ट्रेनिंग नहीं है। जरूरत इस बात की है कि इस तरह के लोग हम अपने यहां ट्रेन करें, यह ऐसे लोग हों जिन में समाज सेवा की भावना हो।

(इस समय १२ बज कर २५ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

प्रांतीय रक्षक दल में ऐसे लोग हैं कि जिन की ट्रेनिंग कुछ इस किस्म की है और वे बरसों से समाज सेवा का काम कर रहे हैं। एक पूर्व में, एक मध्य में और एक पश्चिम में—वाराणसी, लखनऊ और आगरा इन तीन जगहों में रक्षक दल, एक पुलिस का विंग बनाना चाहते हैं, जिसमें प्रांतीय रक्षक दल से ही लोग लिये जायेंगे। ऐसे ही लोग लिये जायेंगे जो प्रांतीय रक्षक दल में काम कर चुके हैं और उनके जिम्मे खास तौर से सोशल किस्म के काम जो पुलिस को करने चाहिये, रहेंगे। उनके पास क्राइम के इनवेस्टीगेशन का काम नहीं होगा। लेकिन जब पुलिस में रहेंगे तो ला ऐंड आर्डर के मेंटिनेंस की जिम्मेदारी उन पर जरूर होगी, लेकिन खास तौर से इस किस्म के कामों से पुलिस को वे रिलीव कर देंगे और यह काम उनके जिम्मे रहेंगे। आशा है कि ऐसा करने से समाज सेवा में और लोगों की भी रुचि बढ़ेगी। इस तरह से साढ़े चार सौ आदमी उसमें से ले लेंगे। इतना ही नहीं तीन जगह हम यह एक्सपेरीमेंट करते हैं हमारा यह विचार है कि आगे चल कर अगर इन जगहों में और संख्या बढ़ाने की आवश्यकता हुई तो बढ़ायेंगे और दूसरे जिलों में भी हम इसको करना चाहते हैं। उनमें भी जो भरती होगी या तो प्रांतीय रक्षक दल से होगी या इस किस्म की कोई और संस्था हो, जिसमें ट्रेनिंग भी होती हो और समाज सेवा का अभ्यास भी हो, प्रायः उन्हीं संस्थाओं से भरती करेंगे और वह एक पुलिस का विंग होगा।

बाकी रक्षक दल का जैसा काम चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। हम इससे आशा करते हैं कि यह विंग एक उपयोगी विंग साबित होगा। वहां जो काम करने वाले होंगे उनको समाज सेवा के काम करने का प्रोत्साहन भी मिलेगा और जो काम करने वाले हैं उनको स्थायी जीविका भी मिल जाती है। बाकी जो आज कल प्रांतीय रक्षक दल कार्य कर रहा है वह करता जायगा। कुछ किफायत इसमें जरूर होगी। वह इस तरह से होगी कि हेडक्वार्टर्स में किफायत की जा सकती है। जिलों में असिस्टेंट कमांडेंट्स हैं, उनके पद तोड़ने की जरूरत है। साथ ही जो एन० ई० एस० ब्लाक्स होने वाले हैं, उनकी संख्या आठ सौ से ऊपर होने वाली है। हम ऐसा करना चाहते हैं कि यह जो प्रांतीय रक्षक दल के क्षेत्र हैं वह एन० ई० एस० ब्लाक्स से मिलते जुलते हों तो कई बातों में सुविधा होगी। शुरू में यह ६७० के करीब होंगे।

यह थोड़े में हमारी स्कीम है। हम ऐसी आशा करते हैं कि यह जो हमने प्रांतीय रक्षक दल की बाबत सोचा है, सभी माननीय सदस्यों को पसन्द होगा। मैं समझता हूं कि इसके संबंध में कटमोशन भी आये हैं। मैं आशा करता हूं कि जो मैंने थोड़े में चीज सामने रखी है, उसको सभी लोग पसन्द करेंगे और हमें इसका समर्थन मिलेगा और यदि समर्थन मिला, जैसी कि आशा है कि हमें जरूर मिलेगा, तो इस नयी स्कीम को महात्मा जी के जन्म दिन से यानी २ अक्टूबर से शुरू करेंगे।

इतना ही मैं कहना चाहता हूं और जो ग्रांट मैंने रखी है, आशा है कि सदन इसको जरूर स्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इसमें भाषण वगैरह के लिये समय जो कल की ग्रांट पर था वही लागू रहेगा।

*श्री गजेन्द्रसिंह (जिला इटावा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने जो अनुदान संख्या ४३-योजना और एकीकरण--लेखा शीर्षक ६३-क--युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय और ६३-ख--सामुदायिक विकास योजनाएं-राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण-कार्य के अन्तर्गत ८,८४,४४,९०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये पेश की है उस में मैं एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव आपकी आज्ञा से पेश करना चाहता हूं। कटौती का प्रस्ताव पेश करने का मंशा विभाग में फैली हुई गड़बड़ियों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना और उसकी आलोचना करना है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब इस सदन में वित्त मंत्री महोदय ने अपना बजट भाषण प्रारम्भ किया था तो उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार एक समाजवादी ढांचे के समाज का निर्माण करना चाहती है। उसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा था कि वह दौलत के न्यायसंगत बटवारे की ओर अग्रसर होंगे और इस बात पर जोर दिया था कि लोगों की आमदनियों में जो बड़ा भारी अन्तर है वह कम किया जायगा। जब माननीय वित्त मंत्री द्वारा उनकी सरकार का एक नया समाज बनाने का, समाजवादी ढंग का समाज बनाने का मंशा बताया गया उसका हम यह अर्थ समझते हैं कि सरकार का जो लक्ष्य है उससे जो मांग है वह बहुत ज्यादा दूर है। जहां तक समाजवादी ढांचे की सरकार बनाने का प्रश्न है और इस बजट का जब मुकाबला करते हैं तो बहुत बड़ा अन्तर पाते हैं। अनुदान संख्या ४३ में ८ करोड़ रुपये से ऊपर रकम खर्च की जा रही है। उसमें से आधा रुपया ऐसा है जो सर्विसेज में खर्च किया जा रहा है। जैसा कि बजट के पेज ४८८ में है-(ख) प्रगाढ़ रूप से विकसित ब्लाक--इसको देखें तो मालूम होगा कि ३ लाख १३ हजार ६०० रु० रखा गया है, जिसमें से ५९ हजार ७०० रुपया आवर्त्तक और अनावर्त्तक है और शेष २ लाख ६३ हजार ९०० रुपया सर्विसेज के लिये रखा गया है। इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, "ब्लाक स्तर पर" इसमें जो रुपया रखा गया है वह ८० लाख ९ हजार २०० है, जिसमें से ३० लाख ७ हजार २०० रु० अनावर्त्तक, आवर्त्तक और सहायक अनुदान के रूप में निर्माण कार्य के लिये खर्च किया जायगा और ४६ लाख ८८ हजार ४०० रु० सर्विसेज पर खर्च किया जा रहा है।

इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, शीर्षक ६३--ख--राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजनाएं जो हैं उसमें २३ लाख ३० हजार १०० रु० खर्च किया जा रहा है, जिसमें से ११ लाख १३ हजार १०० रु० आकस्मिक व्यय और सहायक अनुदान में खर्च किया जा रहा है और १२ लाख १७ हजार रुपया सर्विसेज पर खर्च किया जा रहा है। इसी तरह से (ख) विकास योजनाएं-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गजेन्द्र सिंह]

राष्ट्रीय प्रसार सेवा में साढ़े चार लाख रुपया नौकरों को देने के लिये रखा गया है, और ४७ हजार ९०० रुपया अनावर्त्तक और आवर्त्तक मांग के रूप में मांगा जा रहा है। इस तरह से अगर उपाध्यक्ष महोदय, पूरी डिटेल्स को देखें तो यह पता लगेगा कि अनुदान संख्या ४३ में ४ करोड़ से ज्यादा सर्विसेज पर खर्च किया जायगा और बाकी दूसरी मदों में खर्च किया जायगा। यह ४ करोड़ से ज्यादा जो रुपया खर्च किया जायगा, उसमें भी हम पाते हैं कि वित्तीय वर्ष के खात्मे के समय आगे चलकर एक दम से अनाप-शनाप बुरी तरह से रुपया खर्च कर दिया जाता है, क्योंकि उतना रुपया वित्तीय वर्ष के लिये मंजूर है। मेरा अपना यकीन है कि उसमें भी करीब १ करोड़ रुपया इस तरह से खर्च हो जाता है।

इसके साथ ही साथ भ्रष्टाचार, करप्शन का जहां तक सवाल है वह हर एक विभाग में है। इसमें भी है। सरकार में ही नहीं, सरकार के बाहर, समाज के अन्दर भी भ्रष्टाचार है जिसको मानना पड़ेगा। उसके लिये भी सरकार ही दोषी हो, ऐसी बात नहीं है। हमारे समाज के ढांचे में ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है और इसको दूर करने के लिये हमको एक दूसरे ही तरीके से सोचना पड़ेगा। सर्विसेज पर लांछन लगाने से काम नहीं चलेगा लेकिन सरकार की वहां पर जिम्मेदारी आजाती है जब आज जो भ्रष्टाचारका मूल कारणहै, उसको अगर देखें तो पायेंगे कि जीवन की मांगे बढ़ चुकी हैं और उसी के साथ-साथ जो पैसे का मूल्य है, वह ज्यादा बढ़ गया है, इसी वजह से समाज में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और किसी को समाज में इस बात की श्योरिटी नहीं है कि हमको रोटी, कपड़ा मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा हमारे बच्चों को शिक्षा मिलेगी। आज इस दौड़ में समाज दौड़ रहा है। इसकी वजह से ही समाज में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार पर उस वक्त आ जाती है जब मौजूदा व्यवस्था को सरकार बदलना नहीं चाहती है। सरकार कहती जरूर है कि समाजवादी ढांचा लाना है, समाजवादी ढांचा लाने के बाद ही समाज में फैला भ्रष्टाचार दूर कर सकते हैं। जब तक आमदनियों में समानता नहीं लायेंगे, जब तक लोगों में पैसा पैदा करने की मनोवृत्ति को कम नहीं करेंगे और श्रम के मूल्यों का मूल्यांकन नहीं किया जायगा, तब तक समाज में भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है दूर नहीं किया जा सकता है। इसके दूर करने की पूरी जिम्मेदारी सरकार पर है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में भी भ्रष्टाचार की वजह से भी बहुत सा रुपया सरकार का व्यर्थ जाता है। इस तरह से समाजवादी समाज बनाने के लिये जो डिमांड की जा रही है, उसमें जो रुपया खर्च किया जा रहा है, वह उन गरीबों तक या उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम यह भी देखते हैं कि खाद, बीज तथा औजार से जो फायदा उठाया जाता है और इसमें जो पैसा खर्च किया जाता है उससे वही किसान फायदा उठा पाते हैं जो कि मालदार होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं। इसी तरह से जो किसानों को लोन दिया जाता है, वह लोन लेने में भी वही किसान फायदा उठाते हैं जिनके पास पैसा होता है, जिनकी हैसियत होती है। लिहाजा समाज का वह तबका जो अलाभप्रद जोतों वाला है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, और जिसकी तादाद बहुत ज्यादा है, वह सरकार के इस लोन से महरूम रहता है, ग्रांट से भी महरूम रहता है और इसके साथ-साथ खाद, बीज औजार और और भी तमाम चीजें जो एन०ई०एस० ब्लाक्स और पाईलट प्रोजेक्ट्स के द्वारा वितरित की जाती हैं उससे भी वह महरूम रहता है। उससे भी फायदा वही लोग उठाते हैं, जो प्रभावशाली होते हैं, पैसे वाले होते हैं, जिनकी तादाद गांवों में उंगलियों पर गिनी जा सकती है और समाज का तथा गांव का बहुत बड़ा तबका जो गरीबी और मुफलिसी में पड़ा हुआ है, तंग है, उसको कोई फायदा नहीं मिल पाता है। सरकार की योजनाओं से वह कोई फायदा नहीं उठा पाता। इस ओर सरकार ने कोई भी बजट का प्राविजन नहीं किया है कि ऐसे लोगों को भी जिनकी अलाभप्रद जोतें हैं, जिनकी हैसियत कम है, जिनको कर्जा नहीं मिल पाता है, जिनको बीज भी नहीं मिल पाता है उनकी भी कुछ सहायता हो सके।

जब तक समाज के उस बड़े तबके को जो पद-दलित है, शोषित है, पीड़ित है, नेगलेक्टेड है उसके लिये कोई प्राविजन नहीं होता है तब तक हम कैसे मानें कि यह सरकार समाजवादी ढांचे का समाज बनाना चाहती है।

यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, तालाबों और नदियों आदि में पंपिंग सेट्स और मशीनें लगाये जाने की योजनाएं हैं, जिसके लिये गत वर्ष ७५ हजार रुपया रखा गया था, उसके लिये अबकी बजट में कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। क्षेत्रीय कर्मचारी वर्ग का प्रशिक्षण जिस पर पिछले बजट में २३,९७,४०० रुपये की मांग थी, अबकी दफे उसके लिये भी कोई रकम नहीं रखी गई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्षेत्रीय कर्मचारियों का प्रशिक्षण बहुत ही जरूरी होता है। इस दिशा में अभी काफी काम करना चाहिए था। जब तक एक हमारे क्षेत्रीय कर्मचारी शिक्षित और दीक्षित नहीं होंगे तब तक गवर्नमेंट की यह प्लानिंग कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन सरकार ने इसके लिये कोई रकम नहीं रखी है।

तालाबों और नदियों आदि पर पम्प लगाने या छोटी-छोटी प्रोजेक्ट योजनाओं पर, जिन पर पहले ७५ हजार रुपया रखा गया था अब की बार कोई भी रकम नहीं रखी गई है। इन छोटी-छोटी योजनाओं से भी समाज को काफी फायदा पहुंच सकता था, लेकिन सरकार इस ओर से उदासीन है। यही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बजट में इतना सारा रुपया नौकरशाही पर खर्च करके सरकार एक नौकरशाही की पल्टन जनता के बीच में और अपने बीच में खड़ी करना चाहती है। मेरा अपना यकीन है कि इस नौकरशाही को इन एन० ई० एस० ब्लाक्स और दूसरी सामुदायिक विकास योजनाओं से हटा लिया जाय तो पिछले सालों के अन्दर सरकार ने जो इमारत खड़ी की है वह सब की सब ढह जायगी और सारा काम समाप्त हो जायगा, क्योंकि यह नौकरशाही जनता के बीच में वह उत्साह पैदा करने में असफल रही है, जिसके द्वारा वह इन कार्यों में स्वतः रुचि ले, स्वतः उसका रुझान इसकी तरफ हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पैदावार में बढ़ोत्तरी की बात कही गई है। यह हो सकता है कि देश की बढ़ी हुई जनसंख्या की आवश्यकता के लिये नयी-नयी जमीन तोड़ी गई और उस नयी जमीन के तोड़ने से टोटल पैदावार देश की बढ़ गई हो, लेकिन जहां तक इंडिविजुअल किसान की पैदावार का प्रश्न है, मेरा ऐसा यकीन है कि उसमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। अगर हुई है, तो उन किसानों में हुई है, जो ऊंचे किस्म के किसान हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय गोविन्दवल्लभ पंत यहां के मुख्य मंत्री थे, तो मैंने योजना एकीकरण पर कटौती का प्रस्ताव पेश किया था और सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये कहा था कि इटावा में जो पायलट प्रोजेक्ट योजना चल रही है, जिसके मुताल्लिक कहा जाता था कि वहां सोना उपजाया जा रहा है, वह गलत है और गलत तरीके से सरकारी कर्मचारी सरकार के मुख से ऐसी बात निकलवा रहे हैं। मेरे कहने पर एक डेपुटेशन मुकर्रर किया गया था। मैं स्वतः वहां गया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बतलाना चाहता हूं कि जिन-जिन गांवों में मैं गया वहां पहले से ही खबर लग गई। लिहाजा ऐसे किसान जो इस योजना से फायदा उठाते थे उनको इकट्ठा करके बयान दिलाया गया कि बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। मैं उस जिले का रहने वाला हूं। मेरे क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट योजना नहीं है। लेकिन ३०, ४० मील की दूरी पर वह योजना चल रही है। इंटीरियर में जाकर जब मैंने इंडिविजुली पूछा तो मालूम हुआ कि ग्राम जनता के लोगों को इस योजना से कोई फायदा नहीं हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि सनई या दूसरे किस्म की खादों से लोगों को फायदा हुआ है, लेकिन आलू की पैदावार की बढ़ोत्तरी की जो बात कही जाती है वह गलत

[श्री गजेन्द्रसिंह]

हैं। इन खादों को अमीर किसान ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी तादाद ऊंगुलियों पर गिनी जा सकती है। अधिकांश किसान गरीब हैं, जो पैसे के अभाव के कारण इन चीजों से महरूम हैं। हो सकता है कि पूरे सूबे की पैदावार बढ़ी हो, लेकिन इंडिविजुअली नहीं बढ़ी। इसमें सरकार को कोई श्रेय नहीं है। अगर बढ़ती हुई आबादी को जिन्दा रहना है, तो उसे काम करना है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में जो आंकड़े पेश किये जाते हैं और जिस तरह इकट्ठे किये जाते हैं उनकी कहानी अजीब है। अधिकतर आंकड़े तहसीलों में लेखपाल या ग्राम सेवकों द्वारा बनवाये जाते हैं। वे छोटी हैसियत के आदमी होते हैं। मैं उनकी ईमानदारी पर अटैक नहीं करता, लेकिन वे बेचारे असहाय हैं। ग्राम सेवकों को जो ट्रेनिंग जिस एटमास्फियर में दी जा रही है उसमें आप इस देश को डेवलप नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे डेवलपमेंट विभाग के जो कर्मचारी गांव में जाते हैं उनकी वेशभूषा और भाषा गरीब किसानों की वेशभूषा और भाषा से भिन्न होती है। अगर आपको देहातों का डेवलपमेंट करना है तो ग्राम सेवकों को देहाती बोली में बात करनी होगी, किसानों की तरह उन्हें पहिनना-ओढ़ना होगा, तभी वे उनमें घुलमिल सकते हैं। अगर टोप, टाई, कोट पैंट पहिन कर किसानों के बीच में इन्हें भेज कर सरकार प्लान करना चाहती है और डेवलपमेंट करना चाहती है, तो गैरमुमकिन है, कभी ऐसा नहीं हो सकता है।

जहां तक ग्राम सेवकों का ताल्लुक है, वे जनता से बहुत दूर हैं। एवोल्यूशन रिपोर्ट वाल्यूम १, पृष्ठ २६ पर कहा गया है—

"In the last Evolution Report it had been observed that the role and functions of the Grama Sevak as they were actually emerging in the field were different from those visualized by the planners of the programme."

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं आगे इसमें कहा गया है:—

"Reports have come from a number of Evolution Centres that the Grama Sevaks do not have work; and spend a considerable proportion of their time at block headquarters and hat they donot visit villages and even when they do, confine their contacts to a few people whom they know well. It is also reported that some of them are getting more 'official' in their behaviour and expect the villagers to come to their 'Offices' for their requirements."

उपाध्यक्ष महोदय, आगे फिर इसमें कहा गया है :—

"that the Grama Sevakas are developing a sense of frustration, do not quite know what to do with their time now that they do not have much constructino work to look to, and in any case feel that they would be ineffective because of the consideralily smaller volume of funds at disposal for disbursement to the villages"

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया की जो रिपोर्ट है कि ग्राम सेवक जो हैं वह ठीक से अपनी ड्यूटीज को अदा नहीं कर पा रहे हैं, वह इसलिये नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी वेश-भूषा और भाषा दूसरे किस्म की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक रुपये के वेस्टेज का ताल्लुक है....

श्री उपाध्यक्ष—नया विषय न लीजिये। समय समाप्त हो गया है।

श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव (जिला बहराइच)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

जहां तक इस पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है, श्रीमन्, इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि इसके लक्ष्य को प्राप्त करने के पश्चात् प्रदेश की शक्ल बदल जायगी। हमारे प्रदेश में

जो इकोनामिक रिसोर्सेज हैं, वह डेवलप हो जायंगे, ह्यूमेन रिसोर्सेज डेवलप हो जायंगे और बहुत अंशों में हमारी आय का एक तरह से बराबर डिस्ट्रिब्यूशन हो जायगा, बहुत हद तक हमारी 'पर्चेजिंग पावर' बढ़ कर हमारे स्टैंडर्ड आफ लिविंग को भी ऊंचा कर देगी। यह बहुत कुछ इस पंचवर्षीय योजना की सफलता पर अवलम्बित है।

एक प्रश्न जो इस समय सामने है, श्रीमन्, कि अब जबकि हम 'इम्पलीमेंटेशन फ़ेज' में चल रहे हैं तो उसका ढंग क्या हो? यह सब से बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। जब इस तरफ हम नजर उठाते हैं तो हम देखते हैं कि प्लानिंग से मासेज कुछ दूर हटती चली जा रही है। यह क्यों? इसका कारण केवल यही है, श्रीमन्, कि वह टेम्पो जो कि जनता में होना चाहिये, जिससे प्रेरित हो कर जनता प्लानिंग के टर्म में हर चीज को सोचने लगती है और प्लानिंग ही उसका टर्न आफ माइंड बन जाता है, ऐसा जोश और प्रेरणा उसको मिलती है कि जिससे वह पूरे तौर से सहयोग दे कर अपने प्रदेश की उन्नति की तरफ आगे चल निकलती है, वह टेम्पो नहीं है। उसका कारण क्या है? हमारा प्लानिंग सेट-अप अधिकतर आर्फिशियलिज्म वातावरण से सरचार्ज्ड है। हमारे प्लानिंग सेट-अप में वह भावना नहीं है जिस भावना के अन्तर्गत हम अपनी पंचवर्षीय योजना को, जिसको कि हम 'पीपुल्स प्लान' कहते हैं, उसे हम पीपुल्स पार्टिसिपेशन से सफल बना सकें। जबकि आफिशियलिज्म इतना बढ़ जाता है, जो जाहिर है कि जो हमारी पीपुल्स प्लान है, उसके इम्पलीमेंटेशन का कैरेक्टर बदल जाता है और गवर्नमेंट प्लान विद गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन हो जाता है। उसको होना चाहिये पीपुल्स प्लान और पीपुल्स पार्टिसिपेशन के साथ, उसमें इनीशियेटिव पब्लिक का होता है और इम्प्लीमेंटेशन में सहायता गवर्नमेंट करती है, तभी हम उसका सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंटेशन कर पाते हैं। यही नहीं, बल्कि व्यावहारिक रूप में भी देखा जाय तो अधिकतर जनता की राय यह है कि यह काम सरकार का है, इसे सरकार करेगी। वह इस प्लान को इस प्रकार अपना नहीं पायी है कि यह हमारी प्लान है, हमको करनी है, और जो कुछ दूसरे भी कर रहे हैं, वह हमारे लिये कर रहे हैं।

अभी-अभी हमारे एक साथी ने वी० एल० डब्लू० की तरफ इशारा किया। सही है कि जब तक गांव का पूरा अध्ययन हमारे वी० एल० डब्लूज को न हो, जब तक गांव के प्रोग्राम, गांव की बोली-वाणी, वेशभूषा, सारी चीजों का ज्ञान उनको न हो और जब तक उस सांचे में वी० एल० डब्लू० अपने को ढाल कर गांव में न जायं तब तक किसी प्रोग्राम को सफलता नहीं मिल सकती। यही नहीं, बल्कि श्रीमन्, जैसा कि मैंने अभी कहा इनीशियेटिव जनता के हाथ से निकल गया है। वह क्यों? इसलिये कि प्लानिंग के ढांचे में कोआर्डिनेशन की बात चलाई गई। इसके मान तो यह हैं कि पारस्परिक सहयोग हो और सभी सरकारी विभागों को इसी सहयोग के आधार पर एक निर्धारित लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है, लेकिन जो गलती की गई है वह श्रीमन्, यह है कि कोआर्डीनेशन से भी एक कदम आगे हम बढ़ गये और वह हमारा कदम मर्जर की तरफ चला गया है। यही कारण है कि दूसरे विभागों में संदेह पैदा हो जाता है, और वह सोचने लगते हैं कि हम मर्ज हो जायेंगे, तभी उनका इनीशियेटिव खत्म हो जाता है। अभी तक प्लानिंग आफिसर को ए० डी० एम० का स्टेटस नहीं दिया गया था। इसके अब देने से यह निश्चय हो जाता है कि जो विभाग अब तक कहना नहीं मानते थे और सहयोग नहीं देते थे तो अब चूंकि ए० डी० एम० के स्टेटस में उनका स्तर ऊंचा हो गया है, तो विभागों के ऊपर एक तरह से प्रेशर पड़ सकता है।

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान पंचायतों की तरफ दिलाना चाहता हूं। पंचायतों की स्थापना १५ अगस्त, १९४७ में हुई थी। इनकी स्थापना के बाद जनता में एक उल्लास देखा गया था और उनसे बड़ी-बड़ी आशाएं थीं, लेकिन ज्योंहीं प्लानिंग का ढांचा तैयार हुआ और

[श्री शिवशरण लाल श्रीवास्तव]

उसकी कुछ चर्चा चली तो उससे लोगों को संदेह होने लगा और फिर ऐसा मालूम पड़ने लगा कि लोगों में उल्लास खत्म हो गया है। प्लानिंग का सेटअप आर्गेनाइजेशनल विंग है और सरकारी विभाग ऐक्जीक्यूटिव विंग है। इसलिये अगर ऐक्जीक्यूटिव विंग आर्गेनाइजेशनल विंग में मर्ज हो जाता है तो सारा इनीशियेटिव समाप्त हो जाता है। प्लानिंग के माने यह हैं कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये साध्य और साधनों का एकीकरण कर के ऐसी व्यवस्था की जाय कि थोड़े से साधनों से और थोड़े से एफर्ट्स से अधिक से अधिक नतीजा हासिल हो सके। प्लानिंग के मैं यही माने समझता हूं।

इसमें वेस्ट की गुंजाइश जरा भी नहीं होती है और इसमें ऐक्सपर्ट्स की भी आवश्यकता है और जिसका प्राविधान बजट में किया गया है। मैं समझता हूं कि अगर इसमें वेस्ट न हो और एक एक पैसे को इकोनामिकली खर्च किया जाय तो प्लानिंग अवश्य सफल हो सकता है।

अभी-अभी एक पुस्तिका यहां पर वितरित की गई थी, जिसमें एक चित्र था कि एक उच्च अधिकारी गये और उन्होंने एक डलिया मिट्टी सड़क पर डाली और उनका चित्र खिंच गया और वह हम लोगों के सामने आया है। उन्होंने सोचा होगा कि हमारे इस कार्य से जनता को प्रेरणा मिलेगी लेकिन इसी के साथ-साथ एक गड़बड़ी कर दी गई, जिससे सारी प्रेरणा समाप्त हो जाती है। जब लोग देखते हैं कि सामने कैमरा लगा हुआ है और उन्हें मालूम होता है कि साहब की तस्वीर खींची जायगी तब किसान सोचते हैं कि यह साहब अपनी तस्वीर खिंचवा कर ले जायेंगे और बड़े साहब को दिखायेंगे और इनकी तरक्की हो जायगी। इस तरह की भावना आ जाती है। हमें इन चीजों को दूर रखना चाहिये। हमें ब्यूटीफाइंग टेंडेंसीज की ओर उस समय तक ध्यान नहीं देना है जब तक कि हमारे मुल्क की मौलिक आवश्यकताएं पूरी न हो जायें।

प्लानिंग का जहां तक देहात से ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि सब से अधिक ध्यान सरकार को इधर देना चाहिये। कम से कम हर एक ब्लाक में एक-एक माडल गांव सभा होनी चाहिये, जिससे लोगों को प्रेरणा मिल सके। गांव का प्लानिंग आसान नहीं है। गांवों में एक तरह का काम्प्रीहेंसिव प्लानिंग वहां के डायनेमिक कन्सिडरेशन के आधार पर होना चाहिये। वहां पर जाने वालों को गांव के जीवन का पूरा अध्ययन करना चाहिये और सब से जरूरी चीज यह है कि वहां पर जनता में एक ऐसा एटमास्फ़ियर पैदा करना चाहिये जिससे हर मनुष्य आगे बढ़ता नजर आये। यह तभी हो सकता है जब हम प्लानिंग को एक वार (War) लेविल पर और इमर्जेंसी डिक्लेयर करके अपने कार्य का सम्पादन करेंगे, जब अपने तमाम मेन, मैटीरियल और मनी के सारे रिसोर्सेज को उस तरफ ठेल दें। तभी जा कर हम एक टेम्पो बना सकेंगे। इसके साथ-साथ जब हम जनता को "आराम हराम है" कोई इस प्रकार का नारा देंगे तभी हमारा प्लानिंग आगे बढ़ सकेगा। यही नहीं, बल्कि मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि गांवों का जो वातावरण है, जो एंटी सोशल इंस्टीट्यूशन्स वहां के हैं वे आज हमारे रास्ते में एक रोड़ा बनते चले जा रहे हैं। हमको उन्हें हटाना है और वहां के लोगों को शान्ति देनी है। जब तक देहात में शान्ति का वातावरण पैदा नहीं होगा तब तक प्लानिंग को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है। इन चन्द शब्दों के साथ जो अनुदान हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव जो श्री गजेन्द्रसिंह की तरफ से आया है मैं उसके अनुमोदन के लिये खड़ा हुआ हूं। इस सम्बन्ध में दोनों तरफ़ से जो भाषण हुए और जो अभी हमारे सामने बैठे हुए एक सम्मानित सदस्य ने कहा है करीब-करीब बातें दोनों एक सी हैं। एक बात मुझे इस वक्त याद आयी कि जब कांग्रेस का जमाना था, हम लोग झंडा ले कर चलते थे तो

एक जमींदार के दरवाजे से गुजर रहे थे। हमने नारा लगाया कि 'जमींदारी का नाश हो।' आप की आज्ञा से मैं कहना चाहता हूं कि उन जमींदार साहब के हाते में एक तवायफ़ का नाच हो रहा था और उसने अन्दर से गाया—

"बात दोनों एक ही हैं,
हम कहें या तुम कहो।"

जो हम कहते हैं वही ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से भी कहा जाता है। इस सम्बन्ध में मैं कुछ वाकयात अर्ज करना चाहता हूं और वे ये हैं कि इस प्लानिंग विभाग के अन्तर्गत एक विभाग पी० डब्लू० डी० भी है। हम यह जानते हैं कि हमारे लिये जो कुछ भी किया जा रहा है वह इस लिये कि पब्लिक का हर प्रकार से भला हो और जनता और इस देश का कल्याण हो। मगर इसकी आशा नहीं की जा सकती है। इसकी वजह के संबंध में मैं अपने जिले लखीमपुर-खीरी में प्लानिंग विभाग के अन्तर्गत एक विभाग जो पी० डब्ल्यू० डी० है उसके कुछ कारनामे आपके सामने रखना चाहता हूं। सारे प्रदेश का दौरा करने का सौभाग्य तो हमें नहीं प्राप्त होता मगर कुछ ऐसी चीजें साफ़-साफ आपके सामने रखना चाहता हूं जिनसे आपको एक नयी चीज की जानकारी होगी। खीरी में फूलबेहड़ रोड पर सन् १९५१-५२ में ७ लाख रुपये सड़क के नव-निर्माण के लिये प्लानिंग विभाग के खर्च हुए। तारकोल की सड़क ७ मील तक बनायी गयी। एक तरफ से सड़क बनती जाती थी और पीछे से खत्म होती जाती थी और ६ महीने में सारी सड़क खत्म हो गई और पता नहीं लगा कि उसके ऊपर का तारकोल कहां गया, बजरी कहां गयी। मालूम होता था कि यह वही रेगिस्तान की सड़क है जो दस वर्ष पहले थी। किसने यह रुपया खाया कुछ पता नहीं। इंजीनियर के बारे में कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वे बड़े अफसर हैं, न मेट के बारे में कहा जा सकता है, क्योंकि वह बहुत बेकसूर गरीब है। सीधी-सादी बात यह है कि जनता का रुपया बर्बाद हो गया और पता नहीं लगा कि क्या हुआ। आज तक कोई इन्क्वायरी इस सम्बन्ध में नहीं की गयी। बार-बार यह सवाल मेरे जिले में उठाया गया, मगर उसका कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ। इसी रोड पर सन् १९५२ में ५४ ड्रम तारकोल सड़क के किनारे लगा था, क्योंकि मेरे फ़ार्म उसी तरफ़ हैं इसलिये उधर जाना पड़ता था, तो मैंने देखा कि कई महीने तक ये ड्रम सड़क के किनारे रहे और उसके बाद रिपोर्ट की गई कि रात में ये ५४ ड्रम चोरी चले गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा बताना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को कि ये ५४ ड्रम सन् १९५२ में चोरी हो गये। कहां चोरी गये? क्या वे लोग चोरी कर ले गये जो कि घरों में चोरी करते हैं, जो नकब लगाने वाले चोर होते हैं या वे लोग चोरी कर ले गये, जो कि डकैती करते हैं? कौन चुरा ले गया? एक मोटर ट्रक पर सिर्फ ११ ड्रम लादे जा सकते हैं और इस तरह से कम से कम चार या पांच मोटर ट्रक उन सारे ड्रमों को लादने के लिये चाहिये थे। अन्दाज लगता है कि पी० डब्ल्यू० डी० की ट्रकें इनको लाद कर ले गयीं। सारी पुलिस उसका पता लगाती रही, सारी पुलिस परेशान रही, लेकिन पता नहीं लगा। यह ५४ ड्रम हमारे देश की प्रापर्टी थी, जिसके ऊपर हम यह भरोसा करते थे कि ११ मील लम्बी सड़क बनेगी, लेकिन हमारी आशा पर पानी फिर गया और पता नहीं कि वे ड्रम किसके पेट में चले गये और हम लोग उस सड़क से महरूम रह गये।

इसी तरह से इसी सड़क के ऊपर एक स्टीम रोलर खड़ा था। श्रीमन्, मैं आप के द्वारा य सब बातें बताना चाहता हूं कि जिस बाल्टे में पानी भरा जा रहा है उसके नीचे बड़े-बड़े सूराख हैं जिसके परिणाम स्वरूप पानी भरने वाला पानी भरता चला जाता है और नीचे के सूराखों से पानी बहता चला जाता है और प्यासा प्यासा ही रह जाता है। श्रीमन्, इसी सड़क पर एक स्टीम रोलर काम कर रहा था....

श्री उपाध्यक्ष—आप एक ही सड़क पर सीमित रह कर अपना भाषण समाप्त न कर दें समय बड़ा बहुमूल्य है, आप कुछ और भी बातें कहें।

श्री शिवप्रसाद नागर---श्रीमन्, हमें केवल अपने जिले का ही किराया मिलता है, इसलिये हम अपने जिले की ही बातें कहते हैं। जिस प्रकार एम० पी० को इण्डिया सेक्शन का रेलवे पास मिलता है उसी प्रकार यदि कोई ऐसा प्राविजन कर दिया जाय जिससे हमें सारे यू० पी० में जाने का पास मिल जाये और हम सारे राज्य का दौरा कर सकें तो हम यह भी बता सकेंगे कि किस जिले में कहां क्या हो रहा है? लेकिन हमें तो केवल लखीमपुर से लखनऊ तक का ही किराया मिलता है, इसलिये हम वहीं की बात कह पाते हैं।

तो श्रीमन्, उस रोड पर जो स्टीम रोलर काम कर रहा था उसके सारे ब्रास पार्टस खोल लिये गये। उसमें कोई भी पीतल का पुर्जा बाकी नहीं रह गया और वे सभी चोरी हो गये जो आज तक रिप्लेस नहीं किये जा सके हैं। इस समय हमारे जिले में ५ रोलर हैं जिनमें केवल एक ही कारामद है और बाकी सब बेकार हैं। ऐसी दशा में क्या आशा की जाय कि हमारी योजना सफल हो जायगी। श्रीमन्, मैं बताना चाहता हूं कि बटलोई में केवल एक ही चावल देखा जाता है और उससे पता लग जाता है कि बटलोई के सारे चावल पक गये हैं या नहीं। इसी तरह से हम सिर्फ एक ही जिले की बात बतलाते हैं और उसी से यह अन्दाज लगाते हैं कि सारे प्रदेश में ऐसी परिस्थिति हो सकती है। अगर वैसी परिस्थिति नहीं है तो यह हमारा सौभाग्य है।

इसके अतिरिक्त हमारे जिले में गोला गोकरननाथ में पी० डब्ल्यू० डी० के एक ओवरसियर थे, उन्होंने ६०० बोरी सीमेन्ट इस विकास योजना की चोरी से निकाल कर अपने मेट से कहा कि इसे ब्लैक मार्केट में बेचो। उसने कहा कि मैं गरीब आदमी हूं, अगर कहीं राज खुल गया तो मेरी तो फांसी हो जायगी। इस पर वे नाराज हो गये और कहा कि हम तुम्हें बरखास्त करा देंगे। वह भाग कर मेरे पास आया और मुझसे इसका जिक्र किया तो हमने कहा तुम्हारी नौकरी बचेगी, तुम डिप्टी कमिश्नर के पास जाओ और उनसे यह बात कहो। ओवरसियर को मेट की भाग-दौड़ से कुछ दहशत हुई तो उन्होंने प्रयत्न किया कि ६०० बोरी सीमेंट ट्रकों में भर कर फर्दहन वाली नहर में डाल दें। आधी रात का समय था। बोरियां खोल-खोल कर सीमेंट नहर में बहाई गयीं इतने में कोई मोटर आ रही थी, उसकी रोशनी देखकर उन्होंने सारी बोरियां पूरी की पूरी नहर में डालना शुरू कर दिया। उसके रोड़े आज भी नहर की बेंक में पड़े हुए हैं। मैंने इसकी रिपोर्ट की। उस पर जांच हुई और जो बोरियां बेंक में पड़ी हुई थीं उनके रोड़े डिप्टी कमिश्नर उठा कर ले आये। लखीमपुर से आठवें मील पर अब भी नहर की बेंक में रोड़े पड़े हुये हैं। जांच हुई और ओवरसियर साहब को मुअत्तल कर दिया गया और मेट भी बर्खास्त कर दिया गया। अब ओवरसियर साहब बहाल कर दिये गये और बेचारा मेट आज भी नौकरी से अलग है और परेशानी में पड़ा हुआ है।

तो मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि इस प्रकार कोई बात अगर आप को बताई जाय, कोई सुझाव आपको दिये जायं, कोई चोरी आपको पकड़वाई जाये तो नतीजा यह होता है कि जो शाह है वह चोर रहता है और जो चोर है वही शाह रहता है। आपके प्लानिंग विभाग में एक सप्लाई विभाग भी है। उसके बारे में मैं आपसे क्या कहूं? चिराग के नीचे अंधेरा रहता है। इसी लखनऊ के सप्लाई आफिस से गुप्ता आयरन स्टोर्स लखीमपुर के नाम से सैकड़ों टन लोहे का परमिट कटता चला गया और आज तक वहां एक कील भी लोहे की डिलीवरी नहीं हुई। श्रीमन्, मैं ठेला जोतने वाला आदमी हूं। लखीमपुर में मैंने हजारों मन माल वहां का ढोया है, लेकिन गुप्ता आयरन स्टोर्स की एक भी बिल्टी मैंने नहीं छुड़ाई, गुप्ता आयरन स्टोर्स की एक भी बिल्टी नहीं आई और गुप्ता आयरन स्टोर्स का वहां कोई साइनबोर्ड तक नहीं है। उसकी कोई दूकान नहीं है। लखीमपुर में उसका कोई वर्कशाप नहीं है, लेकिन गुप्ता आयरन स्टोर्स के नाम से सैकड़ों टन और हजारों टन लोहे का परमिट कटता चला गया और उन परमिटों के माल की डिलीवरी हुई उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर आदि में। इसी तरह से हमारे

प्लानिंग के अन्दर कितने ही ऐसे डिपार्टमेंट हैं और उनके अन्दर किस तरह का भ्रष्टाचार है इसको आप देखें, आप उसका निवारण करें और उसके बाद आप बाल्टे को भरने की कोशिश करें। पहले उसके छेदों को बन्द करने की जरूरत है।

इसके बाद में बतलाना चाहता हूं कि हमारे लखीमपुर में वैल नाम का एक टाउन एरिया है। उसके स्टेशन पर एक मशीन रखी हुई है। मैंने पूछा कि यह क्या चीज है? कैसी मशीन है? तो पता लगा कि इसको तो सरकार के मंत्री महोदय ने उद्योग की उन्नति के लिए पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत यहां भेजा है, बर्तनों का काम सिखाने के लिये। इसको यहां आये हुए एक साल से ज्यादा हो गया है। एक साल से ज्यादा से एक इंस्पेक्टर है और इस मशीन पर पहरेदार पहरा देने के लिये और उसके साथ दो-चार और मुलाजिम हैं। मेरा ऐसा खयाल है कि जब से वह मशीन वहां पर भेजी गयी है उस पर १०, १५ हजार रुपया खर्च हो चुका होगा, मगर आज तक वह मशीन उसी तरह से रखी हुई है। उसका न कोई उपयोग है और न उससे कोई उद्योग ही। लोग वहां जाते हैं और मशीन का दर्शन करके चले आते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

***श्री राम लक्षण** (जिला बलिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज नियोजन के संबंध में जो बजट पेश है, उसके संबंध में मैं आपके समक्ष कुछ कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। नियोजन हमारे देश में चलाया गया और इसका हर वर्ग और हर तबके ने जोरों के साथ स्वागत किया। इसका कार्य क्षेत्रों में प्रारम्भ किया गया और जहां यह कार्य प्रारम्भ हुआ वहां एक होड़ सी मच गई। लोगों की शिकायतें आने लगीं कि हमारे क्षेत्र में यह क्यों नहीं शुरू किया गया। लोगों ने देखा गलियों को बनते हुए, लोगों ने देखा सड़कों को बनते हुए, लोगों ने देखा छोटे बच्चे के जीवन से लेकर हर एक वृद्ध पुरुष के जीवन को नियोजित किये जाते हुए और इससे ग्रामीण जीवन में एक नयी स्पिरिट और एक नयी चेतना पैदा हुई। उस चीज को देख करके सारे सूबे में लोगों के दिलों में एक बड़ी लहर पैदा हुई। आज जब हम यहां आकर इस विषय की चर्चा करते हैं तो हम इस चीज के महान् उद्देश्य को कुछ अलग करके अपने-अपने घर या गांव के अनुभव के आधार पर कुछ बातें करते हैं। मैं इसे ठीक नहीं मानता। मैं समझता हूं कि किसी भी समाज में और किन्हीं भी कार्यों में जब बहुत से लोग काम करते हैं तो जैसा जो व्यक्ति होता है उसको वह कार्य उसी के अनुरूप दिखलाई देता है। यदि कोई ग्राम सेवक साहब बन कर घूमने वाला है तो कोई ऐसा भी ग्राम सेवक मेरी जानकारी में है कि जो अपने क्षेत्र की ग्रामीण जनता के घर-घर के सुख और दुःख में शरीक रहता है। उसको देख कर वहां की ग्रामीण जनता में, उसके जीवन में एक लहर पैदा हो जाया करती है और जब भी वह उस गांव में घूमता है लोग समझते हैं कि हमारा एक रक्षक आ गया। इसी तरीके से और भी बहुत सी त्रुटियों और कमियों की बातें कही जा सकती हैं, लेकिन उन त्रुटियों और कमियों के बावजूद भी जिन चीजों को लेकर हमारा राष्ट्र आगे बढ़ता जा रहा है वे हमारे लिये एक पृष्ठ भूमि बन रही हैं, जिस पृष्ठ भूमि के आधार पर समाजवाद का समाज स्थापित हो सकेगा। समाजवाद के समाज के भीतर जो सबसे महान् और सबसे बड़ी चीज है वह यह है कि हम समष्टि की महत्ता के द्वारा व्यक्तिगत विकास और सामूहिक विकास की कार्यमूलक सामूहिक और सार्वजनिक भावना और प्रेरणा को देखना चाहते हैं। तभी हमारा समाजवाद का समाज स्थापित होगा। हम क्या चाहते हैं? हम यह चाहते हैं कि हर आदमी से उसकी क्षमता के अनुसार कार्य लिया जाय और हर व्यक्ति के पास उसकी आवश्यकता के अनुसार चीजें पहुंच जायं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामलक्षण]

इन चीजों के लिये आज हमारे राष्ट्र को धन की और अन्न की आवश्यकता है। आज उन दोनों चीजों को पैदा करने के लिये सबसे ज्यादा आवश्यक है हमारी सामूहिक भावना का जागृत होना। आज हम सामूहिक कार्य करने के आदी नहीं रह गये हैं। आज व्यक्तिगत रूप से अपनी जिम्मेदारी को हम महसूस करते हैं। आज हमारा यह आर्थिक समाज है कि एक एक व्यक्ति अपने लिये जिम्मेदार है। आज राज्य का हर एक व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं लिये हुये है। इसी कारण से आज व्यक्तिगत पूंजी और व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण लोग अपनी अपनी पूंजी इकट्ठा करने में लगे हुये हैं और यही कारण है कि आज भ्रष्टाचार का जो इतना नाम लिया जाता है वह दूर नहीं हो पा रहा है। आप बैठे हुये हैं और आपकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जिस दिन आप सारी जिम्मेदारी हाथ में ले लेंगे और जिस दिन आप राज्य के लिये सोचना शुरू कर देंगे, हमारा खयाल है, आप भ्रष्टाचार के द्वारा अपनी प्रगति को नहीं जाने देंगे। लेकिन जब तक यह चीज नहीं होती है, विश्वास रखिये, जितनी भी आप दवा करेंगे, जो कुछ भी आप इलाज करेंगे वह कारगर नहीं होगा, लेकिन इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिये, ज्यादा क्रान्ति लाने के लिये हमें एक भावना की आवश्यकता है और एक प्रेरणा की आवश्यकता है और वह भावना है हमारी सामूहिक प्रवृत्ति और सामूहिक रूप से काम करने की भावना। उसको अगर कोई भी विकसित कर सकता है तो यह योजना, जो, आज देश में चलायी गयी है यह आपके अन्दर एक प्रेरणा को भर सकती है। क्या आप कभी भी यह खयाल कर सकते थे कि केवल घरों में रहने वाले बड़े लोग, जिन्होंने कभी कुदाल और फावड़ा अपने हाथ में नहीं लिया था, हाथ में कुदाल और सर पर फावड़ा लेंगे। आज वह मिट्टी खोद रहे हैं, सिर पर ढो रहे हैं और सड़क का निर्माण कर रहे हैं। 'श्रमदान जिन्दाबाद' का नारा लगाते हुये आगे बढ़ रहे हैं। बच्चा कैसा होना चाहिये और बच्चे की तालीम कैसी होनी चाहिये, उसका स्वास्थ्य कैसा होना चाहिये, इसकी शिक्षा का कार्य उपदेश द्वारा नियोजन विभाग गांव गांव में कर रहा है। हमारे मकान कैसे होने चाहिये, हमारा उत्पादन कैसा होना चाहिये, हमारी खेती कैसे तरक्की कर सकती है और खेती में उपज कैसे बढ़ सकती है, बीज कैसा होना चाहिये, खेत कैसा होना चाहिये, खेतों में पानी कैसे देना चाहिये, इन सारे विषयों में जहां पर बिलकुल अन्धकार छाया हुआ था आज वहां पर कार्य करके और उनके सामने उदाहरण देकर उनकी भावनाओं को जागृत करने की चेष्टा की जाती है।

श्री उपाध्यक्ष--अब आप चार मिनट बाद में बोलियेगा।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नेकराम शर्मा के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राम लक्षण--अभी हमने आपके सामने यह कहा था कि समाजवादी समाज की स्थापना के निमित्त यह आवश्यक है कि हमारे देश के धन और धान्य में वृद्धि हो तथा इस धन और धान्य की वृद्धि के लिये यह आवश्यक शर्त बतलाई कि हमारे भीतर सामूहिक रूप से काम करने की प्रवृत्ति और प्रेरणा उत्पन्न हो। जब तक हमारे भीतर सामूहिक रूप से काम करने की प्रेरणा और भावना उत्पन्न नहीं होगी और व्यक्तिगत रूप से हर बात को करते जायेंगे, तब तक समाज का धन और ऐश्वर्य नहीं बढ़ पायेगा। जब तक समाज का धन और ऐश्वर्य नहीं बढ़ेगा तब तक समान रूप से साधनों का वितरण नहीं हो सकेगा।

जब हिन्दुस्तान गुलाम था तो हमने उसकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति का नारा लगाया था। हमने राजनीतिक क्रान्ति तो की, लेकिन अभी सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति पूरी नहीं हो सकी है। इसी सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति की पूर्ति के लिये यह हुकूमत कायम हुई है। उसी क्रान्ति को पूरा करने के दौर में हम नियोजन

के कार्यों को भी कर रहे हैं। अगर हम इसे ठीक रूप से अपनायेंगे, उसे उपयोगी बनायेंगे तो यह साधन अत्यन्त उपयोगी साबित होगा, किन्तु यदि हमने उसको उपयोगी बनाने की चेष्टा नहीं की तो यह भी सत्य बात है कि उपयोगी नहीं हो सकती। जब हमने राजनीतिक लड़ाई लड़ी थी तो हम फांसी पर चढ़ जाना आसान समझते थे, लेकिन यह नियोजन का कार्य, आर्थिक और सामाजिक क्रान्ति का कार्य बड़ा कठिन दिखायी देता है। इसके लिये अत्यन्त पसीना बहाने की जरूरत है, बड़े धैर्य की जरूरत है, बड़ी लगन और दत्तचित्त होने की आवश्यकता है। इन चीजों के अभाव में हम कामयाब नहीं हो सकते। आज तो वही देश भक्त कहा जा सकेगा जो इस बात को सिद्ध करेगा कि वह अपना एकएक क्षण देश के उत्पादन के कार्य के लिये इस्तेमाल करता है और खराब नहीं जाने देता, लेकिन यदि अपने-अपने दिल से हम यह पूछना शुरू करें कि राष्ट्र के लिये हम अपनी कौन सी वस्तु समर्पित कर रहे हैं और राष्ट्र को उससे क्या लाभ हो रहा है, तो यह दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने को शून्य पायेंगे। सभी लोगों को आज अपने में यह धुन पैदा करनी है कि हमें राष्ट्र की उन्नति करनी है, राष्ट्र की उन्नति करने के लिये हमें काम करना है, तभी नियोजन का काम सफल हो सकता है। इसमें आलोचना की आवश्यकता नहीं पड़ती। हर व्यक्ति काम करने में दत्तचित्त हो जाता है। काम करने वाले को समय कहां कि वह आलोचना करे। जब आलोचना पर आलोचना करते हैं और इस प्रकार के काम में दिलचस्पी नहीं लेते तो राष्ट्र के लिये जो आवश्यक कार्य हैं उनकी उपेक्षा ही होती है। मैंने यह भी बतलाया था कि भ्रष्टाचार की बातें करना आज बिल्कुल ही फिजूल सा है।

श्री अधिष्ठाता—माननीय तिवारी जी आपका समय समाप्त हो गया।

नियोजन उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—अधिष्ठाता महोदय, कोई योजनाएं किसी भी देश में इस उद्देश्य से बनायी जाती हैं कि वहां के साधारण नागरिक का जीवन स्तर ऊंचा हो, वही उद्देश्य हमारे इस प्रदेश की योजनाओं के अन्दर निहित है। आशा यह की जाती है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना ही में नहीं, बल्कि उसके पश्चात् आने वाली योजनाओं में हम अपने यहां रहने वाले व्यक्तियों की आय जो इस समय है उससे बढ़ा कर दुगुनी कर डालेंगे और उसके निमित्त हर प्रकार से टैक्स आदि द्वारा धन इकट्ठा किया जा रहा है। तो यह तो स्वाभाविक बात है कि इसके लिये सरकार प्रयत्नशील है कि हम उसमें पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करें। सरकार ही नहीं, बल्कि यहां के समस्त नागरिकों की यही अभिलाषा होनी चाहिए कि सरकार इसमें कामयाब हो और मैं यह समझता हूं कि अगर हम सब लोग मिल जुल कर प्रयास करें तो वर्तमान समय में जो हमारी व्यक्तिगत आय लगभग २५० रु० के करीब पड़ती है। वह उससे दुगुनी हो जायगी और अन्य देशों के समकक्ष हमारे देश के नागरिकों की भी आय हो, जायगी। तभी यह देश समृद्धि शाली और सम्पत्तिशाली कहा जा सकेगा और एक प्रकार से हमारे देश में तभी रामराज्य की स्थापना हो सकेगी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन सबकी आधारशिला कृषि है। हमें प्रति एकड़ अपने यहां के उत्पादन को बढ़ाना चाहिए। इससे भी काम नहीं चलने वाला है कि हम केवल खेती का ही विस्तार बढ़ाते चले जायें उसमें गहरी जुताई कर और खाद इत्यादि देकर हमें अपने उत्पादन में काफी वृद्धि करनी चाहिए। अन्य देशों की तरह हमें अपने अनाज का उत्पादन प्रति एकड़ किसी का ६० मन, किसी का ७० मन के हिसाब से बढ़ाते रहना चाहिए। इसके लिए खाद के अतिरिक्त सिंचाई की भी बड़ी आवश्यकता होती है। सिंचाई के लिये इस योजना के अन्तर्गत बड़ी और छोटी बहुत सी योजनाएं हैं। एक मित्र ने उधर से कहा था कि हमारे यहां गरीब लोग हैं और उनके पास कोई साधन नहीं है। यदि उनको तकावी के रूप में हम कुछ नहीं दे सकते तो उनका कोई भला इससे होने वाला नहीं है।

[श्री जगमोहन सिंह नेगी]

एक प्रश्न यह उठता है कि जिन लोगों के पास भूमि नहीं है, जो भूमिहीन और मजदूर हैं उनको तो तकावी देने से कोई लाभ नहीं होता जब तक कि उनके पास भूमि न हो। हां, जो गरीब तबके के किसान हैं, उनके लिये रेट आफ इंटरेस्ट जहां तक मेरा अनुमान है काफी घटाकर करीब साढ़े ४ परसेंट कर दिया गया है। तकावी की वसूलयाबी के नियमों में भी परिवर्तन किया गया है। पहले यह नियम था कि पहले ही वर्ष से उनसे लिया जाता था, अब उसके बजाय दो वर्ष के बाद उनसे लिया जायेगा। तो इस तरह के सुझाव सरकार के सम्मुख आते रहे कि निम्नस्तर के लोगों को किस तरह से राहत मिले। सरकार इन बातों पर विचार करके नियमों में भी उसी प्रकार परिवर्तन कर सकती है। केवल यह कह देने से जनता का इन्सेन्टिव निकल गया है या उनमें टेम्पो नहीं रह गया या जो तमाम सरकारी अहलकार हैं उनकी वेश भूषा, उनका रहन सहन उस प्रकार का नहीं है जैसा कि ग्रामीणों का है, इससे तो काम नहीं चलता। केवल इस प्रकार की आलोचना कर देने से ही जैसा कि इस साल की गयी, गत वर्ष भी की गयी और उसके पूर्व भी की गयी, काम नहीं चलने का है। एक नयी आलोचना भी हो सकती है जिससे सरकार सोच सकती है, कि उसमें क्या सुधार किया जाय और जो कुछ सरकार ने ठीक समझा किया भी। मगर इस माननीय सदन की ओर से कोई ऐसा ठोस सुझाव नहीं आता कि किस प्रकार अपने अधिकारियों को सरकार ठीक करे और किस प्रकार से किस ढांचे में उनको ढाला जाय कि वे ग्रामीण जनता में हिलमिल जायें ताकि उनमें और ग्रामीणों में कोई भेदभाव न रहे। इसके लिये सुझाव देना आपका भी कर्त्तव्य है। केवल आलोचना कर देने से ही काम नहीं चलता।

जहां तक सरकार का ताल्लुक है, वह उनको इस प्रकार का प्रशिक्षण देती है, उनको इस प्रकार से ट्रेंड करती है कि चाहे प्लानिंग आफिसर हो या कोई भी हो, बख्शी तालाब में सभी एक साथ बैठ कर खाना खाते हैं, गांवों में जाकर ग्रामीणों से उसी प्रकार मिलते-जुलते हैं और इस प्रकार सरकार उनसे विद्यार्थी और ब्रह्मचारियों का जीवन व्यतीत कराती है। मगर फिर भी ग्रामों में जाकर वह बदल जाते हैं तो इसमें दोष किसका है? वहां के रंग में जाकर उन पर ग्रामों का रंग क्यों नहीं चढ़ता और उनमें वही साहबाना रंग क्यों आ जाता है? इसका कारण क्या है? हमारे इटावा के माननीय मित्र कह रहे थे कि इटावा ही में उनका निवास स्थान है, वहां ग्रामों में इस तरह का बड़ा भेद भाव है। इसका कारण यह है कि उन ग्रामीण क्षेत्रों में हम शिक्षित लोग जिनका उनसे सम्बन्ध है, वहां ऐसा वातावरण, ऐसी आबहवा नहीं पैदा कर पाते कि वहां के अफसरों को भी हम उसी रंग में रंग सकें, बल्कि अब तक होता यह रहा है कि वह भी उसी रंग में रंग जाते हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि हमारी कोई भी योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि जनता में और हम लोगों में एक मानसिक क्रान्ति पैदा नहीं होती और हम सब अपने संविधान के उद्देश्यों को न समझें। हमें ग्रामों में लोगों को समझाना होगा कि जनता के मौलिक अधिकार क्या हैं, संविधान के सिद्धान्त क्या हैं, रामराज्य जिसकी हम कल्पना करते हैं वह कैसे बन सकता है और सबसे ऊपर हमारे कर्त्तव्य क्या हैं। ये चीजें ही प्लानिंग की मुख्य हैं।

हमने इन ए० डी० ओज० सोशल एजूकेशन को इसीलिये भर्ती किया है कि वे जनता को ग्रामों में शिक्षित कर सकें। उधर से शिकायत हुई कि जो उनका सही काम है या उनको जनता को जो बातें समझानी चाहिये वह नहीं समझा पाते तो फिर प्रश्न यह है कि इसमें दोष किसका है? मैं कहूंगा कि इस सदन के माननीय सदस्य अधिकांश ग्रामीण हैं और ग्रामीण क्षेत्रों से ही उनका अधिक सम्बन्ध है। हममें से कितनों ने कोई ऐसा प्रयत्न किया, कोई ऐसा वातावरण अपने यहां पैदा किया कि जो कोई नया अधिकारी किसी पद पर आये वह जनता के साथ हिलमिल और घुलमिल जाये। सरकार इसके लिये प्रयत्नशील है और युवक मंगल योजना और यूथ-क्लब वह ग्रामों में कायम करना चाहती है, ताकि वहां पर अनेक प्रकार की काम की चीजें, गांव के जितने काम हैं—कृषि का सुधार कैसे हो, गांव

की सफाई कैसी रखी जाय, नागरिकों के स्वतंत्र देश में क्या अधिकार हैं, संविधान की धाराओं से वहां लोगों को अवगत कराना--ऐसे सब काम युवक मंगल योजना के द्वारा कराए जायं। जब वहां इस तरह का वातावरण पैदा होगा तो जो भी पढ़ा लिखा अधिकारी वहां जायगा वह भी वहीं के उसी ढांचे में और रंग में रंग जायगा और कोई भेदभाव की बात नहीं रहेगी, लेकिन इसके लिये हमारे सदन के माननीय सदस्यों को कुछ अधिक काम करना पड़ेगा।

मैं माननीय यशपालसिंह जी की स्पीच सुन रहा था, उनका कहना था कि अमुक आदमी भ्रमण नहीं करते और मैंने स्वयं अपने घोड़े पर सारे गांवों का दौरा कर डाला। वह अपना सफर तो घोड़े पर करते हैं, लेकिन दूसरों को कोई एलाउन्स उसका नहीं देना चाहते, ये दोनों चीजें कहां तक संगत हैं। या तो वह खुद भी पैदल सफर करते। हमें यह समझना चाहिये कि सवारी कोई बुरी चीज नहीं है, उससे जिस काम को हम दस दिन में करते उसे एक दिन में कर सकते हैं, सवारी अच्छी चीज है बशर्ते कि उसका सही उपयोग हो और उससे सही काम लिया जाय।

मुझसे कुछ माननीय सदस्य आकर मिले और उन्होंने कहा कि ग्रामों में एन० ई० एस० और प्रोजेक्ट्स आदि की जो योजनायें चल रही हैं उनको हम देखना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि जरूर देखिये, लेकिन फिर वह कहने लगे कि अधिकारी लोग हमें अपनी जीप में बिठाकर नहीं ले जाते। तो एक तरफ तो वे कहते हैं कि प्लानिंग के लोग हमें जीप नहीं देते और दूसरी तरफ कहते हैं कि प्लानिंग विभाग की जीपें तोड़ दो। एक तरफ तो यहां लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है, पक्षपात बढ़ गया है, आफिशियलडम बढ़ गया है, लेकिन अगर सरकार की तरफ से किसी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाती है तो माननीय सदस्य दौड़े आते हैं कि इनको छोड़ दीजिये यह बिलकुल निर्दोष हैं। अगर हमें सही तरीके पर कुछ करना है और भ्रष्टाचार मिटाना है तो चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसके लिये हर एक को अपना दिल मजबूत करना पड़ेगा कि अगर मेरा भाई भी मेरा लड़का भी भ्रष्टाचार में आता है तो हमें सजा देनी पड़ेगी। मगर वह इसके लिये तैयार नहीं है। अगर कोई बात होती है तो सबसे पहले सदस्य ही इसके लिये आगे जाते हैं। मैं समझता हूं कि हमें कहने से अधिक करने की आवश्यकता है।

यह बड़ी खुशी की बात है और सभी माननीय सदस्यों को इससे प्रसन्नता भी हुई है कि इस वक्त हमारा प्रांतीय रक्षक दल एक ऐसी सर्विस है जिसको लोग कहते हैं कि इसके अन्दर आफिशियलडम नहीं है। इसको कई माननीय सदस्य स्वीकार करते हैं। मुझे जहां तक पता चला यह सदन माननीय मुख्य मंत्री जी का इसके लिये आभारी है कि उन्होंने इसको रखा है, इसको कार्य दिया है इस बात की इधर के ही नहीं, बल्कि उधर के भी सदस्यों ने मुझसे कहा। एक बात मैं एकानामी के संबंध में आपको बता दूं कि १९५३-५४ में २२-२३ लाख के करीब प्रांतीय रक्षक दल पर खर्च हुआ और ३६ लाख के करीब इसने श्रमदान किया। यह भी मैं बता दूं कि इसमें अफारेस्टेशन का काम शामिल नहीं है। वह अलग है, और अन्य कार्य अलग हैं। मैं समझता हूं कि हम उसमें २० लाख खर्च करके पचास लाख का ठोस फायदा उठाते हैं। जिस प्रकार जनता को उनसे लाभ पहुंचता है और संबंध स्थापित होता है वह दूसरा लाभ है। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। केवल यह बताना चाहता हूं कि यह नहीं है कि इस वक्त प्रांतीय रक्षक दल का कोई उद्देश्य न हो, उसका श्रमदान का कार्य मुख्य है। बाकी कार्यों पर प्रकाश माननीय मुख्य मंत्री जी ने डाल दिया, उस पर मैं अधिक न कहूंगा।

मेरी आपसे यही अपील है कि अगर आप इस प्रकार के सुझाव दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम ऐसा वातावरण पैदा करें, जिसमें हम इन योजनाओं द्वारा अपनी कृषि और छोटे-

[श्री जगमोहन सिंह नेगी]

छोटे उद्योगों को और जितने भी कार्य ग्रामवासियों के शारीरिक, मानसिक, भौतिक सुख-सम्पदा के लिये आवश्यक हैं उन्हीं के अनुकूल सर्विसेज को ढाल सकें। कैसे ढाला जाय, या कोई आश्रम खोला जाय या कोई ठोस सुझाव दें तो माननीय मुख्य मंत्री उस पर जरूर विचार करेंगे। लाल बत्ती हो गयी है। मैं दूसरों के समय पर आक्रमण नहीं करना चाहता। अब यह विभाग माननीय मुख्य मंत्री जी के स्वयं अधिकार में है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नागर जी ने जैसी शिकायतें की हैं या दूसरों ने की हैं, अगर उनके अन्दर कोई तथ्य है तो सरकार बड़ा जबर्दस्त और सख्त कदम उठायेगी और मुझे आशा है कि भविष्य में ऐसे वाकयात नहीं होंगे।

मुझे आशा है कि यह सदन इस मांग को स्वीकार करेगा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--श्रीमन्, अधिष्ठाता महोदय, मैं अनुदान संख्या ४३ पर जो कटौती पेश हुई है उसका अनुमोदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, यह अनुदान बहुत अहम है और काफी ज्यादा रकम का है इसमें हमें बड़ी खुशी होती कि हम इस कटौती के प्रस्ताव का अनुमोदन न करते। लेकिन जब हम देखते हैं कि एक तरफ देश की तरक्की के लिये इतनी रकम लगायी जाती है और दूसरी तरफ हमें यह देखने को मिलता है कि उस लगी हुई रकम की तरफ हमारे मंत्रीगण एक नजर भी नहीं देखते कि पिछले सालों में क्या काम हुआ है। अभी हमारे पूर्व वक्ता डिप्टी मिनिस्टर साहब ने कहा कि अगर प्रत्यक्ष बातें मिलती हैं तो हम बड़ी सख्ती से काम लेंगे बशर्ते कि उसकी सिफारिश सदस्यगण न करें। अगर किसी अधिकारी की सदस्यगण सिफारिश करते हैं और कोई उसको सुनता है तो वह खुद भ्रष्टाचारी है। अगर भ्रष्टाचार की वजह से कोई अधिकारी दंडित होता है तो चाहे बड़ा से बड़ा माननीय सदस्य ही क्यों न हो अगर वह उसकी सिपारिश करता है तो उनकी बात नहीं सुननी चाहिये और अगर कोई मंत्री सुनते हैं तो वह भ्रष्टाचार के भागी होंगे और उन्हें देश को जवाब देना पड़ेगा।

मैं एक प्रत्यक्ष बात आज बताना चाहता हूं। अगर मंत्री जी चाहें तो दिखला दूंगा। हमारे यहां एक लाख रुपये की लागत से महानदी की खुदाई हुई है। जब खुदाई पूर्ण हो गई तो वहां का बच्चा बच्चा यह कहने के लिये तैयार था कि यह रुपया समूचा डाँढ़ गया। मैंने इंजीनियर से पूछा तो मालूम हुआ कि १ लाख खुदाई में लगा और २ लाख से ज्यादा रुपया उस नदी को बांध कर पानी बहाया गया उससे फसल की बर्बादी तथा खेत जो बालू से पट गया उसकी बर्बादी हुई। इस तरह ४ लाख रुपया बर्बाद होने के बाद एक कौड़ी का फायदा उस खुदाई से नहीं हुआ। जितने गांव पहले बर्बाद होते थे उससे अब ज्यादा हुये हैं। जो सड़कें, नलकूप, टोंटियां लग रही हैं अगर हमारे मंत्रिगण देखें तो मालूम होगा कि एक तरफ विकास हो रहा है और दूसरी तरफ बर्बादी, हालत क्या है, वह रुपया कहां जा रहा है, मैं तो टोंटियों को देखता हूं, गोरखपुर शहर में स्टेशन पर जो लगी हैं, एक तो गोरखपुर में जल-कल इसी साल बना है, उस पर भी टोटी ऐसी नहीं है जो ठीक से काम कर रही हों। यह मामूली सी मिसाल है।

सड़कों का जहां तक ताल्लुक है, पहले जो सड़कें बनती थीं वे ३०,३० साल चलती थीं। गोरखपुर में एक मिसाल मौजूद है, वह सड़क उन सड़कों से अच्छी है जो सड़कें पारसाल आपकी तरफ से बनी हैं। अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि यह रुपया जिन कामों में लग रहा है हमें उन कामों की तरफ भी देखना चाहिये कि वाकई यह काम मुस्तकिल हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं या सारा रुपया बर्बाद हो रहा है। मैं खुले तौर पर यह कह देना चाहता हूं कि जो रवैया आज है, विकास के नाम पर जो इतना रुपया बरबाद हो रहा है एक भी काम आपका १० वर्ष में बाकी नहीं रहेगा, सब ध्वस्त हो जायगा। जिस तरह का मैटीरियल लग रहा है, पैसा लग रहा है और जिस

बुरी तरह से चीजें उसमें लगायी जाती हैं, सारा सीमेंट, सारा लोहा ब्लैक में जाता है, बड़ी-बड़ी कोठियां आज ब्लैक से सीमेंट खरीद कर बन रही हैं। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं कि जब परमिट से सीमेंट नहीं मिल रहा है तो इतनी बड़ी कोठियां कैसे बन गयीं।

अभी हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब ने कहा कि किसानों में काफी तरक्की हो रही है और उम्मीद है कि इस योजना के बाद दुगुनी आमदनी हो जायगी। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि वह फरेंदा तहसील में चल कर किसानों की हालत देखें कि उनकी हालत क्या है। नहरें आपकी सांप, बिच्छू की तरह उनको काटने को दौड़ती हैं, वे पानी नहीं लेते उन नहरों से, फ्लड लाने का काम हो रहा है और गांव के गांव डूबते जा रहे हैं। अगर पूछा जाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से तो वह बतायेंगे कि ऐसा काम हुआ है, नहरें ऐसी जगहों पर बना दी जाती हैं जिसकी वजह से सैकड़ों गांव डूब जाते हैं और आज हमारे यहां १००, १०० एकड़ के किसान दाने दाने को मोहताज हैं। आज जो कार्यस्थगन प्रस्ताव मैंने दिया था उसमें सभापति, पटवारी और १००,१०० आदमियों के दस्तखत थे कि भुखमरी हो रही है। आज गरीब किसान की हालत बरबाद होती जा रही है और वह मिटते जा रहे हैं। मैं मिसाल के तरीके पर बताना चाहता हूं कि लार कस्बे के अन्दर कम से कम १०० कोरी हैं। वे कभी भी हमारे जीवन में इस हालत में नहीं थे जैसे आज हैं। पहले उनके पास जमीन थी, खाने-पीने को था वे किसी के यहां मजदूरी करने नहीं जाते थे और आज यह हालत है कि उनके बच्चों के बदन पर कपड़े नहीं हैं। सभी दूसरों के यहां जाकर मिट्टी का काम और मजदूरी का काम करते हैं। लार के इलाके में टेस्ट वर्क इस बात का सबूत है कि वहां क्या हालत है, ढाई-ढाई हजार तीन-तीन हजार मर्द बच्चे और औरतें ४ आने और ६ आने में काम पर जुटते हैं। क्या यह इस बात का द्योतक नहीं है कि आज देश हमारा कहां जा रहा है। एफ० ए० और मैट्रिक पास लड़के रिक्शा चला रहे हैं। हमको इस तरफ भी अपनी नजर उठानी चाहिये। इसमें शक नहीं कि रुपया खर्चा हो रहा है। कुछ चीजें बन भी रही हैं, लेकिन रकम लम्बी खर्च हो जाती है और काम बहुत थोड़ा होता है जैसे खोदा पहाड़ और पायी चुहिया। इसमें शक नहीं कि विकास के काम दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें स्थायित्व नहीं है। वह ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकेंगे, उनके अन्दर मजबूती नहीं है। श्रीमन्, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिए तो अवश्य बधाई दूंगा कि उन्होंने रक्षक दल को जो कायम रखा और उसके लिए ऐसा काम निकाला है कि वह सभी आदमी उसमें काम करते रह जायेंगे। लेकिन इतना मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से और निवेदन करूंगा कि जो लोग कन्फर्म नहीं हैं उनको भी कन्फर्म करके वह काम दें।

श्रीमन्, जहां तक जीवन स्तर ऊंचा करने का सवाल था मैंने बताया कि आज हमारे मध्यम वर्ग का किसान बहुत ही दुखी अवस्था में है और जितने भी ये नहर के काम हैं, कम से कम जो हमारी तहसील में हुए हैं वह इस बेढंगे तरीके से हुए हैं कि वह सिवाय बुराई के किसी भलाई के काम में नहीं आते। अब के साल उसके किनारे लोगों ने गन्ना बो दिया था। पानी जब मांगा तो इंजीनियर ने कहा कि इसके लिए नहर नहीं बनी है। वह तो खरीफ की फसल के लिए है और खरीफ फसल की हालत यह है कि वह फसल सूखने लगती है, उस वक्त तक नहर नहीं बांधी जाती, जब तक वहां काफी हल्ला नहीं मचाया जाता है कि फसल सूख रही है। फसल सूखने के करीब पहुंच जाती है तो नहर में पानी लाया जाता है। उसके बाद कम से कम दस बारह दिन में खेत में पानी पहुंचता है जब तक कि फसल सूख जाती है और वहां पानी का कोई असर नहीं होता है, लेकिन फिर क्या होता है नहर का पानी पहुंच जाने के कारण, हालांकि उससे फसल को कोई फायदा नहीं पहुंचा, लेकिन चूंकि नहर का पानी पहुंच गया इसलिए उसके लिए उनको लगान देना पड़ता है। सिंचाई के मन्त्री जी नहीं हैं। सन् १९५२ के एलेक्शन में वह वहां गए थे। उन्हें मालूम है। छूट

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

की रकम उन्होंने देने का आर्डर किया, लेकिन आज तक वह किसानों को नहीं मिली। वह रकम उनको मुजरा नहीं की गई। आज कई साल हो गये उन नहरों को बने हुए, लेकिन उनकी जमीन जो ली गई उसका लगान आज भी वह गरीब किसान देता है। डाक-बंगला बना हुआ है। माननीय मंत्रिगण जाकर वहां ठहरते हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता होता कि इसके लगान के लिए आज भी वह गरीब किसान मारा जाता है, पीटा जाता है और मारपीट कर उससे लगान वसूल किया जाता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस तरफ भी ध्यान दें और मैं सदन के माननीय सदस्यों से भी यह कहूंगा कि चाहे वह इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों जो बातें उनको देहातों में देखने को मिलती हैं उनको वह यहां भले ही न कहें, लेकिन अपनी पार्टी मीटिंग में अपने माननीय मन्त्रिगण से जरूर ही कहें, क्योंकि उनकी दशा बराबर शोचनीय होती जा रही है। आज सुबह मैंने जो सवाल पूछा था मन्त्री जी से हालां कि वह नहीं लिया गया कि जो गल्ला आप देते हैं अपनी तरफ से सस्ते गल्ले की दुकानों को सस्ता बेचने के लिए वह गल्ला जो ब्लैक में बिक जाता है उसकी सजा करने का कोई कानून है। वह सवाल तो नहीं लिया गया, लेकिन जब मन्त्री जी के सामने मैंने उसे रखा तो वह चौंक पड़े कि क्या ऐसा भी होता है। उन्होंने सेक्रेटरी से पूछा कि क्या कोई कानून है कि उन दूकानदारों को सजा दे दी जाय तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई कानून नहीं है। तहसीलदार से मिलकर वह गल्ला ब्लैक करने वालों को दे देते हैं और २ रुपया मन जो सबसिडी अपनी तरफ से मदद करने को सरकार देती है वह दूकानदार खा जाते हैं। अगर जनता हल्ला मचाती है तो उसे बदल कर उसके नौकर-चाकर रिश्तेदार को रख दिया जाता है।

श्री अधिष्ठाता--आप का समय समाप्त हो गया।

श्री गोविन्दसहाय (जिला बिजनौर)--अधिष्ठाता महोदय, मैंने इस सदन के वाद-विवाद को काफी दिलचस्पी और गौर के साथ सुना और मुझे यह कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि आज अपोजीशन की तरफ से जो स्पीचें हुईं उनसे मुझे काफी निराशा हुई, क्योंकि प्लानिंग के बारे में उनसे कहीं ज्यादा अच्छे डिबेट की आशा की जाती है। इधर के बैठने वाले लोग उनके अकीदे के मुताबिक नकली सोशलिस्ट हैं। इसलिये असली सोशलिस्ट लोगों से प्लानिंग जो सोशलिज्म का जुज है उसके बारे में एक अच्छे डिबेट और अच्छी आलोचना और कहीं अच्छे सुझाव की आशा होनी चाहिये। मुझे खेद है कि आज कोई भी प्रमुख नेता अपोजीशन का इस सदन में ऐसे अहम डिबेट के मौके पर नहीं है। जहां तक कम्युनिटी प्रोजेक्ट के अनुदान का सम्बन्ध है, इसमें दो रायें नहीं हैं कि कांग्रेस मिनिस्ट्री का सब से ज्यादा और कोई ठोस कदम आम लोगों तक पहुंचने का और अपने इरादों को जाहिर करने का मिला है तो कम्युनिटी प्रोजेक्ट के जरिये से ही उसका परिचय मिला है। कम्युनिटी प्रोजेक्ट के जरिये भी काफी काम हुए हैं, इससे इंकार करना कोई मुनासिब बात नहीं होगी। लोगों में इस बात की प्रेरणा पैदा हुई है कि हमें अपने यहां अच्छी सड़कें बनानी हैं, अच्छे स्कूल बनाने हैं, अच्छी नहरें बनानी हैं और न जाने कितने केम्पेन्स हुए हैं जिनमें लाखों लोगों ने भाग लिया है। यह सही है कि प्रगति हुई है, लेकिन प्रगति के साथ-साथ कुछ क्षेत्र में अवगति भी हुई है, इससे भी इन्कार नहीं करना चाहिये।

अधिष्ठाता महोदय, मेरा कहना भी काफी नहीं है। इवैल्युएशन कमेटी की रिपोर्ट बतलाती है कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन के प्रोग्राम व काम में बहुत सुधार की आवश्यकता है, बहुत से काम छुए तक नहीं गए। इसके पढ़ने वाले यह भी समझते हैं कि इसमें और तरक्की हो सकती है। मैं भी यह समझता हूं कि प्लानिंग के काम में प्लानिंग को एक महकमा नहीं समझना चाहिये। प्लानिंग को अगर आप महकमा समझेंगे तो प्लानिंग में तो जो क्रान्तिकारी मनोवृत्ति निहित है वह खत्म हो जाती है। प्लानिंग को एक आन्दोलन के रूप में लेना चाहिये, जिसमें हर आदमी को अपने काम को एक नियोजित रूप से करना होगा। प्लानिंग में

जो इवैल्युएशन (evaluation) के स्टैंडर्ड हैं उनको बतलाना होगा। अब तक प्लानिंग का यही स्टैंडर्ड आंका जाता है कि मदर्से बने या नहीं, पैदावार बढ़ी या नहीं। ये सब चीजें जरूरी हैं, लेकिन प्लानिंग के इवैल्यूएशन का यह स्टैंडर्ड होना चाहिये कि लोगों के दिलोदिमाग में जो प्लानिंग के प्रोग्राम्स हैं उनके प्रति उनकी आस्था बढ़ी या नहीं। जो प्लानिंग का ध्येय है लोगों में एक नई ख्वाहिश पैदा करना, व्यवस्थित ढंग से, उन्नति और आकांक्षा पैदा करना और देश की समूची जनता में प्राब्लम माइन्डेडनेस (problem mindedness) पैदा करना। कोई प्रब्लम केवल सरकार हल नहीं किया करती। प्राब्लम हल हुआ करती है जब समूचे देश उसको एक के बाद दूसरे नियोजित ढंग से, निश्चित तरीके से हल करने की कोशिश करता है। इस नजर से जब हम देखते हैं तो मेरा खयाल है कि हमारी प्लानिंग में कुछ कमी है। हमारी प्लानिंग में लोगों के विचार में कोई क्रान्ति नहीं आई है। उनके विचार उखड़े हुए हैं। वे हमारी प्लानिंग को महज सुविधा और लाभ की नजर से देखते हैं।

श्रीमन्, अभी नेगी जी की कुछ बातों से मुझे आश्चर्य हुआ। उन्होंने प्लानिंग का ध्येय बतलाते हुये इस बात पर एमफैसिस दिया कि लोगों का स्टैंडर्ड आफ लिविंग ऊंचा उठना चाहिये। अगर इतना ही ध्येय है तो मैं अदब से कहूंगा कि प्लानिंग का ध्येय सिर्फ इतना ही नहीं है, वह काम तो एक पुलिस स्टेट भी कर सकती है। ब्रिटेन में लोगों का स्टैंडर्ड लिविंग ऊंचा उठ गया है, लेकिन वह प्लानिंग की नीति के विरुद्ध है। अमेरिका में भी स्टैंडर्ड आफ लिविंग ऊंचा है.....

श्री जगमोहनसिंह नेगी--मैंने सिर्फ यह नहीं कहा। मैंने यह कहा कि यह एक मुख्य चीज है।

श्री गोविन्द सहाय--जी हां, आपने यह कहा कि यह मुख्य चीज है। मैं आपको बतला रहा हूं कि यह मौलिक मुख्य चीज नहीं है। इस गलतफहमी का नतीजा यह हुआ है कि सारे लोगों का कंसेंट्रेशन इसी तरफ रह गया है कि सड़कों का टार्गेट पूरा किया जाय, लेकिन ध्येय यह होना चाहिये कि टार्गेट के साथ-साथ लोगों के अन्दर आकांक्षा पैदा हो कि एक नया समाज हमारे प्रयत्न से बनेगा, हमारा उसमें योग होगा, इस पर एमफेसिस ज्यादा होना चाहिये, इस स्टैंडर्ड आफ लिविंग के एमफेसिस पर लोगों का ऐसा खयाल हो गया है कि सरकार का काम सड़कें बनाना है। सरकार से रुपया मिलता है तो उससे रुपया ले लो। यह मनोवृत्ति, प्लानिंग का जो ध्येय है, ठीक लाइन पर ले जाने वाली नहीं है।

श्रीमन्, मैं जरा मुनासिब नहीं समझता जब बहस हो किसी अनुदान पर तो वही बातें दोहराई जायं कि हमारे सब आफिसर्स करप्ट हैं, बड़ा भ्रष्टाचार फैल रहा है। इससे मसला हल नहीं होता। बल्कि और मसला पेचीदा हो जाता है और एक रिजिडिटी बढ़ जाती है। अगर बार-बार कहा जाता है कि तुम नालायक हो, बेईमान हो तो वह कहता है कि यह आखिरी बात हो गई, अब काम करने की जरूरत नहीं है। सोशलिस्टिक सोसाइटी के निर्माण में सेवाएं भी उतनी ही जरूरी हैं जितने कि पोलिटिकल लीडर्स। दो तरह से समाज मोड़ा जाता है एक सेवाओं के जरिये से और दूसरे पोलिटिकल लीडर्स के जरिये से। सेवाओं को रोज-रोज मौके बे मौके यह कहना ज्यादा मुनासिब नहीं मालूम होता कि तुम बेईमान हो, करप्ट हो। मेरा खयाल है कि सेवाओं के अन्दर भी काफी नवयुवक ऐसे हैं जिनका सोशलिज्म में एतकाद है, जो कुछ करना चाहते हैं। अगर नहीं कर पाते तो वह सिस्टम ही है जो उन्हें करने नहीं देता। कुछ पाबन्दियां हैं जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं देतीं। उसकी सीमाएं हैं जो उनके दिमागों और दिलों के ऊपर रुकावट डालती हैं। इसलिये हमारा एमफ़ैसिस इस बात पर होना चाहिये कि हम उस सिस्टम को बदलवाएं।

[श्री गोविन्द सहाय]

दूसरे हमारे प्लानिंग का जो प्रोग्राम है वह स्पारेडाइक है, उसमें कंटीन्युइटी नहीं है। मैं चाहूंगा आपके जरिये मिनिस्टर महोदय से कि इस प्रोग्राम के अन्दर कुछ ऐसे आइटम भी जोड़े जायं जो रोजाना की जिन्दगी में लोगों को काम दें। हर आदमी गांव का कुछ न कुछ काम करे, अपनी सेहत के लिये करे, अपने जानवरों की सेहत के लिये अपनी जमीन की तरक्की के लिये करे। ऐसा कोई प्रोग्राम होना चाहिये जिसमें सभी आदमी उसमें लगे रहें, जैसे फ्लड की प्लानिंग है और दूसरे हैं, जिसमें लोगों को रोजाना काम मिले। हमारे मौजूदा प्रोग्राम के अन्दर कंटीन्युइटी नहीं है।

तीसरी बात यह है प्लानिंग के बारे में कि आहिस्ता आहिस्ता प्लानिंग एक मुहकमा बनाता चला जा रहा है। प्लानिंग एक नयी सोशल साइंस है, जिसने पिछड़े देशों की कायापलट की है, उनको ऊंचा उठाया है। अगर हम उसे मुहकमा समझ लेंगे और उसका दर्शन नहीं बतायेंगे कि क्यों प्लानिंग होना चाहिये तब तक किसी प्रकार की उन्नति नहीं हो सकती और उससे कोई लाभ नहीं हो सकता। प्लानिंग के जो संघर्ष होते हैं उनमें भी कम जानकारी लोगों को होती है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की बैकग्राउंड क्या थी, उस का ध्येय क्या था और दूसरी पंचवर्षीय योजना का क्या ध्येय है उन्हें बहुत कम जानकारी है कि प्लानिंग से किस प्रकार सोशलिज्म की तरफ जा सकते हैं। हमारे जो विलेज वर्कर्स हैं, सेक्रेटरीज, एडीशनल सेक्रेटरीज और डेपुटी सेक्रेटरीज हैं उनकी प्लानिंग के विषय में रिएजूकेशन होनी चाहिये। उस का जो प्रोसेस है वह उस में सेवाओं के दिमागों को बदलने और सोचने के ढंग को बदलने पर एमफ़ैसिस होनी चाहिये। मुझे कोई अफसोस नहीं अगर भौतिक उन्नति कम हो, लेकिन उसके साथ दिमागी, सांस्कृतिक और नैतिक उन्नति हो तो समाज उन्नति की ओर अग्रसर होगा। जीवन के एक क्षेत्र में अगर तरक्की होती जाय और दूसरे में न हो तो वह पूरी तरक्की नहीं होगी। प्लानिंग ने काफी पिछड़े लोगों को और देशों को बदला है। सोवियट रसा के बाद हिन्दुस्तान दूसरा देश है जिसने प्लानिंग को अपनाया है और एक नया इतिहास आरंभ हुआ है। हम में से हर एक, चाहे इधर बैठें चाहे उधर सबको इस विषय के ऊपर बगैर भेद-भाव के प्लानिंग के प्रश्न और विचारधारा को जनप्रिय बनाने के लिये काम करना चाहिये और ऐसी आबोहवा पैदा करनी चाहिये कि प्लानिंग हमारे सोचने का ढंग बन जाय, हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाय।

†श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)—श्रीमन्, अभी उधर से शिकायत की गयी है कि प्लानिंग पर हम बोलते वक्त सोशलिज्म का कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं। मैं अपने भाई साहब से प्रार्थना करूंगा कि यह बात जरूर हुई है। बात इस ढंग से हो गई कि प्लानिंग जो आपने किया है उससे हमने सोशलिज्म का कोई सम्बन्ध ही नहीं समझा। हम यह समझते ही नहीं कि इसका कोई ताल्लुक आपने सोशलिज्म से रखा है।

उदाहरण के तौर पर वित्त मंत्री का जब मैं भाषण पढ़ता हूं तो पहले ही पृष्ठ पर उन्होंने कबूल किया है कि हम सोशलिज्म की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसी के साथ-साथ उन्होंने यह भी कबूल किया है कि हम जनतांत्रिक ढंग से जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि वित्तमंत्री स्वयं कबूल करते हैं कि यह दोनों चीजें अलग हैं। वह समझते हैं कि सोशलिज्म की तरफ जाने में जनतंत्र ऐसा ढंग है जो रुकावट डालता है। मैंने समझा कि चूंकि वह जनतांत्रिक ढंग से नहीं जाना चाहते, इसलिये सोशलिज्म की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं।

एक बात मैं आपके प्लानिंग पर जरा कह दूं कि इसकी बुनियाद सोशलिज्म पर नहीं रखी गयी है। साढ़े छै करोड़ आदमी इस प्रदेश में रहते हैं। सोशलिज्म का अगर जरा भी तरीका हमने अपनाया होता तो हमारा ढंग यह होता कि हम इन साढ़े छै करोड़ आदमियों को उठाने का प्रयत्न करते। ज्यादा उठा सकते या कम उठा सकते, हमारा प्रयत्न यही होता कि हम सभी आदमियों को साथ

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उठायेंगे। आपकी प्लानिंग और पंचवर्षीय योजना का प्रयत्न यह है कि ४०–५० हजार आदमी पहली पंचवर्षीय योजना में उठा दिये। दूसरी पंचवर्षीय योजना में एक लाख आदमियों को ले लें और तीसरी में दस लाख आदमियों को ले लें तो इस तरह से थोड़े-थोड़े आदमियों के उठाने का जब आप प्रयत्न करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि मैं सोशलिज्म के ढंग से टीका करूं तो मैं परेशान रहता हूं कि मैं टीका कैसे करूं। आपने तो बुनियाद ही सोशलिज्म की नहीं रखी है। आपने नये ढंग से थोड़े आदमियों से प्लानिंग का काम करना प्रारम्भ किया है। यही वजह है कि आपको अपने प्लानिंग में तरक्की भी मालूम होती है और मैं भी इस बात को मानता हूं कि कई जगहों पर जैसे आपके लखनऊ और दिल्ली में जरूर तरक्की दिखाई देती है। इसकी वजह यह है कि आप सिलेक्टिव प्लानिंग कर रहे हैं। आपने थोड़े आदमियों को उठाने का प्रयत्न किया है। मैं कहूंगा कि यह सोशलिज्म नहीं है। एक भाई साहब ने कहा था कि जन-सहयोग नहीं मिल रहा है। जन-सहयोग क्यों मिले जब कि आप जनतांत्रिक ढंग पर काम ही नहीं करना चाहते हैं।

मुझे मालूम है कि आज से दो वर्ष पहले आपने प्लानिंग का ढोंग रचने का प्रयत्न किया था कि आपके प्लानिंग की स्कीम गांव से होकर तहसील में और तहसील से जिले में और जिले से सूबे में और फिर दिल्ली चली जायगी। लेकिन गांव से जो स्कीम आई वह तहसील के ढांचे में फिट नहीं हो रही थी, इसलिये उन्होंने अपनी प्लानिंग की, और उसको जिले में भेजा जो जिले के ढांचे में भी फिट नहीं आई तो उसका नतीजा यह हुआ कि वहां दूसरा ढांचा बनाया गया। सूबे में क्या हुआ प्रदेश में क्या हुआ? मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि गांव वालों ने जो प्लानिंग की थी उसका एक अक्षर भी इसमें नहीं है। यह मेरा अपना अनुभव है। मैं एक तहसील की मीटिंग में मौजूद था। जब ५०० पन्नों की किताब को खोलकर बताया गया कि यह चीजें तुम्हारे यहां होंगी तो गांव वाला भौचक्का रह गया। उसने बताया कि मैंने दूसरी चीजें रखी थीं। गांव में बनाने के लिये तो यह चीजें कैसे लिख दी गईं। मैंने पूछा क्या बात है? यह गड़बड़ी कैसे हो गई? प्लानिंग आफिसर ने बताया कि मैंने स्कीम बनायी है इतनी सड़कों की, इतने कुओं की, गांव की स्कीम इससे फिट नहीं हो रही थी। इसलिये हम लोगों ने अपनी प्लानिंग बना दी है। यह आपका जनतंत्र की तरफ जाने का ढंग है तब आप जन-सहयोग कैसे पायेंगे? गांव वाले जो बात कहते हैं वह आपके प्लानिंग में फिट नहीं होती है और आप दूसरे काम करते हैं, जिसका नतीजा होता है कि आपको जन-सहयोग नहीं मिलता है। आपके सूचना विभाग से सुन्दर-सुन्दर तस्वीरें भेजी जांय तो क्या देहाती उसको देख कर समझ लेगा कि अब काम करने का समय आ गया है और हमें काम करना चाहिये। आप उस बगैर पढ़े लिखे को इतना मूर्ख न समझें। वह जानता है कि आप काम करते हैं या नहीं? आपका प्लानिंग क्या है? इसलिये आप जन-सहयोग नहीं पा रहे हैं। आप उधर जायेंगे तो मिलेगा। जब आप सच्चाई के साथ उधर जायेंगे तो आपको जरूर सहयोग मिलेगा।

प्लानिंग पर करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं। प्लानिंग की जो अलग मद रखी गई है उसमें ८ करोड़ रुपया है। इसके जांचने पर मालूम हो जायगा कि जिले के हेड क्वाटर्स पर और ब्लाक्स के हेड क्वाटर्स पर बिल्डिंग्स बनने के लिये तीन करोड़ रुपया रखा गया है और देहातों के विकास के लिये केवल तीन करोड़ रुपया रखा गया है। मैं आपसे पूछता हूं कि जब आप हेडक्वाटर्स में बिल्डिंग वगैरह में तीन करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं और कुल इतना ही रुपया देहातों के विकास के लिये रखते हैं तो कैसे आप का प्लानिंग कामयाब हो सकता है? इससे मालूम होता है कि थोड़ी सी जगहों को आप ऊंचा उठा लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं कर सकेंगे। तीन अरब से ज्यादा रुपया आप प्लानिंग में खर्च करेंगे, यह रकम जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने बताया, बहुत थोड़ी है, हमारी मांग बहुत ज्यादा थी। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये तीन अरब रुपये भी अगर देहात में पहुंच जाते तो बहुत बड़ी तरक्की होती, मगर ऐसा हो नहीं रहा है। मैं जानता हूं कि प्लानिंग में अधिक रुपया या तो नौकरों पर खर्च हो जाता है और जो कुछ बचा बचाया रुपया

[श्री देवी प्रसाद मिश्र]

देहात में जाने की कोशिश करता है उसका भी ९० फ़ीसदी बीच में ही कहीं रुक जाता है। कहां रुपया जाता है यह तो सरकार के लोग जानें, लेकिन देहात में रहने की हैसियत से मैं जानता हूं कि कुल १० फ़ीसदी ही वहां पहुंच पाता है। प्लानिंग कमेटी में मैंने खुद पेश किया था कि जो रुपये का बटवारा होता है वह प्लानिंग कमेटी में अगर न किया जाय तो कोई बहुत बड़ी कमी नहीं होगी, लेकिन उस ग्रांट से क्या काम हुआ उसको देखने के लिये कम से कम एक ब्यौरा हम लोगों के सामने आना चाहिये। बार-बार यह मांग करने के बाद भी मुझे जिले से ब्यौरा नहीं मिला। इसका कारण यह है कि वहां कोई ब्यौरा रखा नहीं जाता है। वहां यह मान लिया जाता है कि रुपया खर्च हो ही गया होगा। मैं और जगहों की बात नहीं कहता, जिस जगह से आया हूं वहां की बात कहता हूं। टांडा में एक नहर निकल रही है। नहर खुद कर तैयार हो गई है, बंगले बन चुके हैं, सब कुछ हो गया है। सिर्फ़ एक चीज नहीं हुई है, पानी उठाने वाली मशीन नहीं आयी है। वह अभी दो वर्ष तक नहीं आयेगी। नहर खोद डाली, कई लाख रुपये आपने खर्च कर दिये, लेकिन यह न सोच सके कि नहर में सब से पहले जरूरत जो हुआ करती है वह मशीन की हुआ करती है। वह आपके पास नहीं है। हमने पूछा तो एक आदमी ने बताया कि फ़ारेन एक्सचेंज जो सबसे जरूरी चीज थी, उसका हमें खयाल नहीं आया जिसकी वजह से गवर्नमेंट आफ़ इंडिया से बातचीत न हो सकी और मशीन नहीं आ सकी।

श्री अधिष्ठाता--आपका समय समाप्त हो गया।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी को इसके लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने इस बात की घोषणा की कि वे पी० आर० डी० को खत्म नहीं करेंगे, बल्कि उसे दूसरे कामों में लगा कर उसे अधिक उपयोगी बनायेंगे।

नियोजन के सम्बन्ध में अभी चर्चा हुई। हमारा देश, जैसा आपको विदित है, एक नये रास्ते से चल रहा है। नियोजन का पहला प्रयोग एक ऐसे देश में हुआ जो कि हमसे भिन्न रास्ते पर चल रहा है। उस देश जैसा विचार और कार्य का रेजीमेन्टेशन हमारे देश में नहीं है। हमने जनतंत्र की भावनाओं से और जनतंत्र के रास्ते से नियोजन के कार्य को करने का प्रयत्न किया है। नियोजन का क्या लक्ष्य है? मैं तो समझता हूं कि नियोजन का हमारा लक्ष्य यह है कि हम देश के उत्पादन को बढ़ावें और उसके लिये हम जिन रास्तों का अवलम्बन करें उनमें उचित समन्वय और सामन्जस्य (Co-ordination and Balancing) करके यहां एक ऐसी अर्थ नीति का प्रादुर्भाव करें जो कि हमारे उत्पादन को ही न बढ़ाये, बल्कि हम उत्पादन से जो शक्ति इस देश में पैदा करें, उसका अधिक से अधिक उपयोग करें और देश के गरीब से गरीब लोगों तक उसको पहुंचाने का प्रयत्न करें। मेरी समझ में नियोजन का हमारा यही लक्ष्य हो सकता है। वैसे तो देश के जीवन के स्तर को बढ़ाने का प्रयत्न शायद दूसरे देश भी कर रहे हैं। जहां कि अभी नियोजन का काम प्रारम्भ नहीं हुआ है, लेकिन मैं समझता हूं कि जनतंत्र के तरीके पर हमारे देश में नियोजित रूप में पहला प्रयत्न है। मैं नहीं समझता हूं कि बिना स्वतंत्रता का अपहरण किये हुये, कार्य करने और विचार करने की स्वतंत्रता के बिना अपहरण किये हुये और नियंत्रित तरीके पर, क्योंकि आप जानते हैं कि नियोजन में जब हम उत्पादन करते हैं तो बहुत सी जगह हमको नियंत्रण भी करना पड़ता है, तो उसी नियंत्रण और जनतंत्र, इन दोनों का सामन्जस्य, बैलेन्सिंग करके, हम एक ऐसी अर्थनीति को सामने ला रहे हैं जो मैं समझता हूं कि दुनिया में एक नया प्रयोग होगा और जनतंत्र के रास्ते के लिये भी एक मार्ग दिखलायेगा कि किस तरह से हम बिना रेजिमेंटेशन आफ़ ऐक्शन ऐण्ड थाट को किये ही एक नयी अर्थनीति को जन्म दे सकते हैं। इसमें कहां तक हमको सफलता हुई इस पर विचार करना है। आप जानते हैं कि रूस भी सात आठ साल के बाद ऐसी स्थिति में हुआ था जब वह अपनी पहली पंचवर्षीय योजना को उपस्थित कर सकता, लेकिन हमारे देश ने स्वतन्त्र होने के बाद शीघ्र ही प्रथम पंचवर्षीय योजना

को प्रारम्भ किया। इस सम्बन्ध में मैं यह नहीं कहता कि उसमें कमियां नहीं रहीं। बहुत सी बातें उसमें ऐसी रहीं जिनको कि हम शायद अधिक अच्छी तरह करना चाहते, लेकिन फिर भी एक नये तरीके से जिस तरह से हमने अपनी पंचवर्षीय योजना में सफलता प्राप्त की, मैं समझता हूं कि आज दुनिया उसकी साक्षी है, इतिहास उसका साक्षी है। इस तरह से किसी भी देश में नियोजन को सफलता प्राप्त नहीं हो सकी, लेकिन जब मैं यह कहता हूं उसके साथ ही मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से और जो दूसरे विचारवान लोग हैं उनके सामने भी दो-चार बातें रखना चाहता हूं। आज हमारी अर्थ नीति में, हमारे प्रदेश की अर्थ नीति में एक विरोधाभास, कन्ट्राडिक्शन, कई चीजों में पैदा हो गया है। जब हम अपने देश में आंकड़ों को देखते हैं कि हमारे देश ने धन के उत्पादन को पहले से बढ़ाया है, लेकिन मेरा खुद का अनुमान है, हो सकता है कि हमारे विभाग उसके विरोध में भी कहें, लेकिन मेरा खुद का कलकुलेशन है और मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि जहां हमारे प्रदेश में सम्पत्ति बढ़ी है वहां पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय घट भी गयी है। तो यह बेजा बात है और इसको हमें अच्छी तरह से देखना है।

दूसरा विरोधाभास हमारी अर्थनीति में यह है कि कृषि के क्षेत्र में हमने उत्पादन बढ़ाया है, लेकिन उसके साथ यह भी निश्चित है कि हमारा प्रति एकड़ उत्पादन जो है वह घट गया है। इसका कारण यह है कि हमारी समस्यायें जनसंख्या के बढने से उत्पन्न हुई हैं, समस्यायें हमारी सफलता से दो कदम आगे बढ़ रही हैं। इसी तरह से हमारे देश में, हमारे प्रदेश में विभागों पर और हमारे एन० इ० ए० प्रोजेक्ट्स और दूसरे प्रोजेक्ट्स का मल्टिप्लीकेशन हुआ है। मुझे बड़ा खेद है कि जनता की ओर से इन योजनाओं के लिये आधारभूत चीज जनता का सहयोग और जनता का उत्साह (जिनकी बहुत ही आवश्यकता होती है) इस देश में नहीं है। मैंने कही थी रेजीमेंटेशन आफ़ थाट की बात। दूसरे देशों में लोग विचारों को नियोजित कर के एक दूसरी विचार धारा सामने ही नहीं आने देते और इस प्रकार उनके देश में कार्य करने के लिये एक लगन पैदा होती है। उसको हम कैसे करें।

आज तो हमारे देश में जब चकबन्दी का प्रश्न आता है तो ऐसे दल हैं हमारे देश में कि जो यह कहते हैं कि चकबन्दी बन्द करो। गरीब और अशिक्षित जनता के सामने वह इस प्रकार का भ्रम पैदा करते हैं कि मानो चकबन्दी किसी भी अर्थनीति के अनुसार इस देश में उपयोगी नहीं है। मैं मानता हूं कि उसमें गल्तियां हो सकती हैं, परन्तु चकबन्दी की उपयोगिता को देखते हुये हमको और प्रत्येक देशवासी को उसके लिये प्रयत्न करना चाहिये। जब हमारे कम्युनिस्ट भाई यह तय करते हैं कि इसको बन्द करो तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि यह क्यों? चीन और रूस में चकबन्दी हो सकती है, कलेक्टिव फार्मिंग हो सकती है, लेकिन इस देश में क्यों ऐसा नहीं हो सकता? मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश में जहां बहुत सी चीजों में विरोधाभास पैदा हो गया है वहां मैं समझता हूं कि राजनीतिक दलों की विचारधारा में भी बहुत कुछ विरोधाभास चल रहा है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्लानिंग के सम्बन्ध में एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमारे यहां कागज की बहुत कार्यवाही होती है, बिल्डिंग्स की बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन उस अंडर डाग के लिये, जिसके लिये कि आज सारे देश में आवाज उठायी जाती है, उस तक हमारी योजनाओं की आवाज नहीं पहुंच पाती। मैं यह अपील करना चाहता हूं कि जो गरीब हैं, जिनके पास खड़े होने के लिये भित्ति नहीं है, हमको यह देखना है कि हम उनको कैसे खड़ा करें। मैंने इवेलुएशन रिपोर्ट को पढ़ा और उनका यह कथन है कि हम काटेज इंडस्ट्री के लिये फर्स्ट इयर प्लानिंग में कुछ भी नहीं कर सकें। मेरा ख्याल है कि गांवों की अर्थनीति नहीं उठ सकती जबतक घरेलू उद्योगधंधों को लोगों के घरों में प्रविष्ट न किया जायगा।

एक बात मैं पी० आर० डी० के सिलसिले में कहना चाहता हूं कि जो हमारे यहां स्पोर्ट्स की कौंसिल है पी० आर० डी० का जो स्पोर्ट्स का विषय है उसे उसके सिपुर्द कर दिया जाय।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं खड़ा हुआ हूं इस ओर से प्लानिंग विभाग के अनुदान पर जो एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसके समर्थन में। श्रीमन्, कुछ कहने के पहले मैं एक बात की ओर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान अवश्य आकृष्ट करना चाहूंगा। श्रीमन्, यह दो पुस्तिकाएं हम लोगों को पढ़ने के लिये दी गयी—उत्तर प्रदेश इन फीगर्स १९५२-५४ और १९५३-५५। श्रीमन्, इन दोनों पुस्तिकाओं में जो आंकड़े दिये गये उनके मैं दो ही उदाहरण दूंगा कि कितना भेद उन आंकड़ों में है। डेवलपमेंट वर्क्स इन कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स ऐण्ड नेशनल एक्सटेंशन ब्लाक्स इन उत्तर प्रदेश में। श्रीमन्, कहा जाता है कि जो एरिया रिक्लेम्ड जमीन का है, जो खेती योग्य भूमि बनाई गई सरकारी प्रयास से वह १४,७८५ एकड़ बताई गई है १९५३-५४ में और इस पुस्तक में जब उस आंकड़े को रिपीट किया जाता है तो वह १४,२१२ एकड़ हो जाती है। यह ५०० एकड़ का कैसा फर्क है, श्रीमन्? आगे श्रीमन्, देखें कि इसी पुस्तक में ५४-५५ में १५,८३८ एकड़ बताये जाते हैं और इसी पुस्तक में १६४११ एकड़ के आंकड़े दिये जाते हैं, जिनको ५४-५५ का कहा जाता है। अब हम किस आंकड़े का विश्वास करें? मुझे ऐसा लगता है कि जैसा ग्रीक माइथोलाजी में कहा गया है कि:

"Minerva sprang from the head of Jupitor fully armed to satisfy the whim of the movement."

यह आंकड़े भी उसी प्रकार के हैं। आज ब्यूरोक्रेसी के मस्तिष्क से यह आंकड़े उनकी क्षणिक तुष्टि की दृष्टि से निर्माण किये जाते हैं। श्रीमन्, मैं आंकड़े की बात नहीं करूंगा। मैं केवल एक ही प्रश्न माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने रखूंगा। यह पुस्तकें जिस प्रकार से प्रचार विभाग के द्वारा छपवाकर हम लोगों को बांटी जाती हैं यह Thomas cook कम्पनी की किताबों की तरह से हुआ करता है। इसके लिये कम से कम ऐसा किया जाय कि administrative reports दी जायं जिसके आधार पर कुछ भी अन्दाजा लग सके कि हमारे प्रान्त में वास्तव में कितनी उन्नति हुई है और हम कितने पीछे गये हैं। श्रीमन्, यह प्लानिंग आखिर किसलिये की जा रही है? कहा जायगा कि समाज के लिये, किन्तु इस प्लानिंग में छोटे-छोटे लोगों के उत्थान के लिये कहां पर समावेश है? उन लोगों की आवश्यकता, उनकी आशा और आकांक्षा का इस प्लानिंग के अन्दर समावेश कहां है? आज यह प्लानिंग ऊपर से लादी जा रही है। लादने से कोई प्लानिंग नहीं चल सकती और न सफल हो सकती है। कोई भी प्लानिंग जो ऊपर से की जायगी वह कदापि सफल नहीं होगी। प्लानिंग नीचे से होनी चाहिये थी। स्थानीय जनता के हृदयों से आने का इस प्लानिंग में प्रयास होना चाहिये था। मैं यह बात कहूं कि यह साधारण जनता के मन से प्रभावित नहीं हो रही है। प्लानिंग कमीशन ने इस प्रान्त की प्लानिंग के सारे विषयों का इवैल्यूएशन किया है और उनकी रिपोर्ट के आधार पर कहा गया है कि गांव पंचायतों को इस योजना से कितनी सफलता मिली है। गांव पंचायतों से इन योजनाओं में कोई कोआपरेशन नहीं मिला है। जब उन्होंने यह कहा कि कोआपरेशन पंचायतों से नहीं मिलता और उस कोआपरेशन के न मिलने के कारण सब से बड़ा भीषण परिणाम यह हुआ है कि जो उन्होंने अपनी इस इवैल्युएशन रिपोर्ट के १६वें पैराग्राफ में कहा है:

"There is wide disparity in the distribution of the achievement and therefore of the benefits of community project programmes. This disparity exists as between different blocks in the project areas. Within the blocks it exists as between the headquarter villages of Gram Sewakas, the villages easily accessible to them and the villages not so easily accessible. Within the villages, it exists as between cultivators and non-cultivators : and within the cultivating classes, it exists as between cultivator of bigger holdings and larger financial resources and those of smaller holdings and lesser financial resources. This is a matter of serious concern not only in term of

regional and social justice but also in terms of the political consequences that may ensue in the context of the increasing awakening among the people".

श्रीमन्, आप यह प्लानिंग कर रहे हैं लोगों के उत्थान के लिये, लेकिन हमारे ग्रामों से इससे वर्गीकरण खड़ा हो रहा है। यह जो आप प्लानिंग कर रहे हैं यह लोगों के हृदय से नहीं उठ रहा है, क्योंकि आपने इसके अन्दर उनकी इच्छाओं का समावेश नहीं किया है। यह केवल इसी नीति का परिणाम है कि आप इस योजना को ऊपर से लाद रहे हैं। श्रीमन्, आज इस रिपोर्ट को देखा जाय जो कि डेवलपमेंट कमिश्नरों की छठी कान्फ्रेंस मसूरी में हुई थी। मुझे इसको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। जो बातें प्लानिंग कमीशन ने अपनी इस इवैल्युएशन रिपोर्ट में कही हैं उनको डेवलपमेण्ट कमिश्नरों ने माना, परन्तु ब्यूरोक्रेसी ने उन बातों को छिपाने का प्रयास किया है। इस रिपोर्ट के ३४ वें पेज पर यह कहा गया है कि :

"It was also felt that the observation in para. 10 of the Summary that 'items involving change in social attitudes, such as, readiness to go in for Community Centres, Youth Clubs and Women's Organizations are, generally speaking, least successful' did not correctly represent the position in the States. White the coverage of Community Centres, Youth Clubs and Women's Organizations was not extensive enough, it was considered that these were generally successful wherever established. In regard to the observation that 'readiness to use panchayats for planning and executing village development programmes are comparatively unsuccessful', it was noted that these observations may not apply to certain States, e. g., U. P., Punjab and Orissa, etc."

अब प्रश्न इसमें यह उठता है कि यह सुझाव कि पंचायतों का प्लानिंग के लिये उपयोग किया जाय अगर उत्तर प्रदेश में नहीं लागू हो सकता तो इसका क्या कारण है। क्या हम यह मान लें कि यहां हमारी पंचायतों का कार्य असफल रहा है? या हम यह मानें कि वहां के अधिकारी सारे निकम्मे हैं? अगर यह माना जाय कि नियोजन के कार्य में पंचायत का कोई स्थान नहीं है तो क्या यह मानना कठिन होगा कि हमारी पंचायतें असफल रही हैं? ब्यूरोक्रेसी अपने आपको जस्टीफाई करने के लिये अच्छी चीजों को बुरा बनाकर अपने आपको अच्छा प्रकट करने की कोशिश करती है। प्लानिंग बहुत सुन्दर है। परन्तु इसके नतीजों पर भी विचार किया जाय। हमारे यहां इसमें कम्यूनिटी प्रोजेक्ट है, उसके बाद एन०ई०एस० ब्लाक, इन्टेंसिव डेवलपमेंट ब्लाक और फिर पोस्ट इन्टेंसिव डेवलपमेंट ब्लाक हैं। यह इनकी सीढ़ी है। हमारे यहां सड़कें बनीं, अस्पताल बने, लेकिन उनका मेन्टीनेंस कौन करेगा? अगर यह कहा जाय कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स करेंगे तो प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि उनके पास पैसे का आधार नहीं है, उसे वे नहीं संभाल सकते हैं। कार्य कर लेना सुन्दर होता है, लेकिन उसे सफल करने के बाद उसकी स्थिरता की योजना होनी चाहिये थी। इस दृष्टि से कोई विचार नहीं किया गया है।

यह कहा जाता है कि प्लानिंग के कार्य में हम सफल हुए। कुछ मात्रा में हुए, परन्तु क्या इससे हम अपने गांव के जीवन में, उनके रहन-सहन के ढंग में कोई विशेष परिवर्तन ला सके हैं? यह नहीं हो सका है। उसमें हम असफल हुए हैं। हम अपने प्लानिंग के कार्य में एक भावना थोड़ी मात्रा में जरूर जगा सके हैं। चौथी इवैलुएशन रिपोर्ट में दिया है कि

"While there has been considerable increase in rural consciousness of economic, and to a smaller extent, of social needs, objective of stimulating, continuing and positive effort based on self-help for promoting economic or social development has been comparatively unsuccessful"

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

हम अपने गांवों के लोगों की आकांक्षा थोड़ी मात्रा में अवश्य जगा पाये, लेकिन आर्थिक दृष्टि से क्या प्रयास प्लानिंग विभाग ने किया ? आवश्यकता तो इस बात की थी कि आज जो नगरों या गांवों में अंग्रेजी के अक्षर ए से जेड तक, बी० डी० ओज, ए० डी० ओज इत्यादि बने हुए हैं उनके स्थान पर टैक्निकल एक्सपर्ट्स देने चाहिये थे। भूमि में आर्थिक दृष्टि से कार्य कराने की योजना होनी चाहिये थी ।

काटेज इंडस्ट्री के लिये गांव में क्या किया गया ? मैं थोड़ा सा विषयांतर अवश्य हो रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले मुझे जापानीज काटेज इंडस्ट्री की रिपोर्ट में पढ़कर आश्चर्य हुआ कि वहां के गांवों के लोगों की मिनीमम एवरेज इनकम, जो खेती भी करते हैं, ४०० रुपये माहवार थी। आप और हम बाजारों में १४,१५ रुपये में स्वैटर बड़े आनन्द से लेते हैं। यह जापान में घर-घर बनता है। उसकी बहुत छोटी सी निटिंग मशीन क़रीब १०० रुपये में आती है। ८ घंटे कार्य करके एक आदमी क़रीब ६ स्वैटर बुन सकता है। मेरे जैसे मोटे आदमी के लिये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन गोविंद सहाय जी जैसे दुबले पतले आदमी के लिये एक स्वैटर में ४ औंस से अधिक ऊन नहीं लगती। ६ स्वैटर की २४ औंस ऊन हुई और ८ आने फी औंस उनको मिलता है। तो १२ रुपये रोजाना मजदूरी आसानी से हो सकती है। ऐसे छोटे-छोटे उद्योगों से हमारी आमदनी बढ़ सकती है। भले ही इनकम पर कैपिटा आप हिसाब लगाकर बढ़ा लें, परन्तु यह निश्चित है कि इनकम बढ़ी नहीं है ।

जहां तक शिक्षा का प्रश्न है, डेवलपमेन्ट की दृष्टि से स्पष्ट है कि लाइब्रेरीज घटती जा रही हैं। यह इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि डेवलपमेन्ट में टैम्पोरेरी कार्यकर्ताओं के मन में एक उल्लास भले ही रहा हो कि अच्छा काम करने से वे स्थायी हो जावेंगे, लेकिन उनके टैम्पोरेरी रहने से काम में हानि हुई है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इवैलुएशन कमेटी की रिपोर्ट की ओर आकर्षित करूंगा कि विलेज लैविस वर्कर का कार्य कितना असफल रहा है। वी० एल० डबल्यूज का उपयोग केवल इलैक्शन की दृष्टि से किया गया था और गांव के उत्थान की दृष्टि से नहीं किया गया था। मेरा सुझाव है कि जहां समाज के नियोजन का प्रश्न है वहां राजनीति नहीं होनी चाहिये। इस विभाग के कार्य-कर्ताओं में विश्वास और उल्लास होना चाहिये और उसे प्रोत्साहन सरकार की ओर से मिलना चाहिये और जिस मात्रा में वह अपेक्षित था उसमें नहीं मिला। जिनके लिये हम प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा सुझाव लेकर प्लानिंग का निर्माण होना चाहिये। आज की ब्यूरोक्रैसी के नियोजन को हम कह सकते हैं कि यह डैड नियोजन है। उसमें लोगों को उल्लास नहीं हो रहा है। गांव के लोगों ने कहा कि अरे भाई, यह सारा काम तो सरकार करे.....

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)—श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, अभी हमारे राजा साहेब ने प्लानिंग के बारे में सरकार की आलोचना की। आलोचनायें तो सरकार की रोजाना होती हैं, किन्तु ऐसी नहीं होनी चाहियें कि उनमें सच्चाई न हो। आलोचना करने से या जनता के लिये सहानुभूति दिखलाने से जनता या समाज का कोई कल्याण नहीं हो सकता है। जब तक आप जनता को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिये कोई रचनात्मक कार्य नहीं करेंगे तो उसका कोई काम हल नहीं सकता है। मैं दावे के साथ कहती हूं कि जितनी सहानुभूति आप यहां दिखलाते हैं क्या यही भावना आपकी जनता में भी है ? एक उदाहरण मैं ५-४-५७ का आपके सामने पेश करना चाहती हूं। हमारे क्षेत्र में एक ठाकुर साहब का मकान है। उन्होंने एक हरिजन को कहा कि हमारी दीवाल गिरानी है, उसको चल कर गिरा आओ। उसने कहा कि सरकार मैं तीन दिन का भूखा हूं, मुझ से फावड़ा नहीं उठेगा।

लेकिन उसको मजबूर किया गया और कहा गया कि तुमको चलना पड़ेगा और दीवाल को गिराना होगा। बेचारा गया। उसने कहा कि दीवाल को मैं ऊपर से गिराऊंगा, लेकिन उससे कहा गया कि इसमें ज्यादा समय लगेगा, नीचे से गिराओ। नीचे से जब उसने खोदना आरम्भ किया तो दीवार गिर गयी और वह हरिजन दब कर मर गया। अब एक पंचनामा लिखाया गया और उसके तड़पते हुए पिता से उस पर अंगूठा करा लिया गया। क्या यह उसी तरह से है जिस प्रकार की हमदर्दी आप लोग उन लोगों के साथ यहां पर दिखाते हैं? उसने पूछा कि महाराज यह अंगूठे का निशान किस लिये लगवाया जाता है। जवाब दिया गया कि तुम्हारे गुजारे के लिये यह अंगूठे का निशान लगवाया जाता है। एक तरफ तो बाहर इस प्रकार की बातें की जाती हैं दूसरी तरफ सदन के सामने उसी जनता के प्रति इस प्रकार की सद्भावना प्रकट की जाती है। यह मैं मानती हूं कि सरकार के अन्दर भी बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन जिस प्रकार से आप यहां आलोचना करते हैं उस प्रकार की आलोचनाओं से वे बुराइयां दूर नहीं हो सकतीं जब तक कि आप जनता के अन्दर उनकी भलाई के लिये कोई काम नहीं करेंगे और सरकार को आगे के लिये कोई काम की बात न बतलायेंगे। आप जरा गौर से देखें कि क्या आप बाहर भी उसी प्रकार का व्यवहार जनता के साथ करते हैं जिस प्रकार की बातें सदन के सामने आप प्रकट करते हैं। तो अंगूठा लगवा कर उसके हाथ काट लिये गये। मैं माननीय सादक कर मंत्री जी के पास आयी और मैंने उन्हें यह सब कुछ बताया। उन्होंने बताया कि यदि अंगूठा निशानी लगवायी न गयी होती तो कार्यवाही हो सकती थी।

श्री अधिष्ठाता––कृपया आप बार-बार एक ही बात को न दोहरायें।

श्रीमती राजेन्द्र किशोरी––उसको जलाने के बाद ५ सेर धान गुजारे के लिये दिया गया। गांव वालों ने उसको वापिस कर दिया और चंदा करके उसकी क्रिया की। यही आपकी भावना है और यही आपका जनता के साथ सहयोग है, जो आप सदन के बाहर दिखाते हैं।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)––माननीय अधिष्ठाता महोदय, नियोजन एक ऐसा विषय है जिस पर विस्तार से कुछ कहने की आवश्यकता है, परन्तु थोड़े समय में जो प्रश्न मेरी समझ में महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। मुझे इससे संतोष है और मैं समझता हूं लोगों को भी होगा कि इस माननीय सदन की एक पुरानी मांग को माननीय मुख्य मंत्री जी ने मंजूर किया और इस विभाग को अपने हाथ में ले लिया।

प्रान्तीय रक्षक दल के सम्बन्ध में जो फैसला सरकार ने किया है उससे मुझे बेचैनी थी और वह इसलिये कि उसका सम्बन्ध मेरे नाम के साथ था। इसलिये मैं उस पाप को धोना चाहता था। मैंने एकानोमिक कमेटी की रिपोर्ट के सम्बन्ध में जांच की थी और उस जांच के सिलसिले में यह बात भी आयी कि प्रान्तीय रक्षक दल का विघटन हो जाय। उसके विषय में जो फैसला लिया गया उससे मुझे संतोष है। मैं उस दल के सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस वक्त यह दल बनाया गया था उस वक्त नेशनल मिलीशिया की तरह से, जैसे कि रूस में आजादी के बाद फौजी संगठन हुआ था, उस तरह के फौजी संगठन की बात हमारे दिमाग में थी। आज भी उनके व्यक्तियों को यदि काम में लगाया जा सके तो उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं और यह एक बहुत ही अच्छी बात होगी। जिस वक्त किसी एक भी आदमी की नौकरी छूटने की बात होती है तो मैं बहुत ही विचलित होता हूं। इसलिये कि आज हमारे मुल्क में बड़ी बेकारी और बेरोजगारी है। इसलिये हमको इस बात

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

की तरफ ध्यान देना चाहिये, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग काम में लग सकें, और एक साधारण जीवन अपना बिता सकें, चाहे दूसरे लोगों की बहुत लग्जूरियस लाइफ से वे नीचे आ जायं, लेकिन किसी की नौकरी छूटने की बात मुझे खतरे की बात मालूम होती है। यह बात सुन कर मुझे बड़ी खुशी हुई।

मैं प्लानिंग का अर्थ मोटे तौर पर समझता हूं, क्योंकि शास्त्रीय ढंग से तो मैंने समझा नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं कि नियोजन की आवश्यकता ही नहीं होती अगर कुछ कमी नहीं होती। नियोजित समाज था ही किसी जमाने में और फिर आवश्यक चीजों के हासिल करने में दिक्कत हुई। तब यह जरूरत महसूस हुई कि मुल्क में कुछ ऐसी व्यवस्था हो गयी है जिस व्यवस्था को बदलना चाहिये और मैं समझता हूं कि उसमें सबसे पहले ध्यान उस तरफ जायगा जिस तरफ प्रारंभिक आवश्यकताएं जो मनुष्य की होती हैं उनकी पूर्ति हो सके। प्रारंभिक आवश्यकताओं में अन्न के साथ में अब पानी को भी जोड़ता हूं, बल्कि पानी को मैं पहली आवश्यकता ही समझता हूं। आज हमारे सूबे में पानी की समस्या भी एक बड़ी समस्या हो गयी है। अन्न, वस्त्र, पानी और मकान ये चार चीजें हैं, जिनमें मैं पानी को ही सबसे पहले लेता हूं।

पुराने जमाने में किसी कीमत पर पानी के मिलने की बात नहीं थी, क्योंकि पानी खुदाजात चीज थी और उस जमाने में लोग अपनी तंदुरुस्ती अच्छी तरह से कायम रख सकते थे। लेकिन अब दुनिया में पेचीदगियां जितनी बढ़ती चली जाती हैं, खाने-पीने की दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। अब इस जमाने में पानी को भी खरीदने की आवश्यकता पड़ती है। आज जो पानी प्राकृतिक ढंग का मिलता है उससे हमारा काम नहीं चलता। हम देखते हैं कि सारे नगरों में इस प्रकार की मांग है कि जो पानी हमको कुवें से मिलता है उससे तनदुरुस्ती खराब होती है और उससे मलेरिया तथा और तरह-तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, इसलिये ट्यूबवेल्स के जरिये हमको पानी मिलना चाहिये। आज सब नगरों से इस तरह के पानी की मांग है और इस योजना में भी नगरों के लिये पानी देने का प्रबंध है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको एक्सपेडाइट किया जाय और लोगों को जल्दी से जल्दी पानी देने की व्यवस्था की जाय, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर खाना न मिले, लेकिन अगर कपड़ा साफ कर लें और नहा लें तो मेरा अनुभव है कि नहाने के बाद हम खाना जरूर थोड़ी देर के लिये रोक सकते हैं और अगर आदमी को रोज नहाने को मिलता रहे तो खाना न मिलने पर भी वह कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है। उसको रोग से लड़ने की ताकत अधिक मिलती है। यह तो शहरों की बात हुई।

अब मैं गांवों की बात करता हूं। गांवों में जो पहले जमींदार थे, उनके उस जमाने के कुवें बनवाये हुए थे, जब कि जमींदारी थी। इस तरह के २० लाख जमींदार थे और हर एक का एक-एक कुवां होता तो २० लाख कुवें हो जाते थे। वे कुवें उन जमींदारों के पूर्वजों ने बनवाये थे, जिनकी मरम्मत भी जमींदार लोग ही करते थे, लेकिन जमींदारी खतम होने के बाद वे कुवें उन लोगों के नहीं रहे। वे कुवें भी वेस्ट कर दिये गये स्टेट में। जो पुराने जमाने के कुवें थे वे भी पानी ठीक ढंग से न बरसने से व बाढ़ आदि के आने से खराब हो गये तथा उनकी मरम्मत वगैरह भी नहीं हो सकी है। इसलिये सरकार को चाहिये कि वह उनकी मरम्मत वगैरह भी करावे। हमारे सूबे में जो छोटे-छोटे काश्तकार हैं, एक दो काश्तकार मिल कर कुवें की न मरम्मत ही करवा सकते हैं और न कुवां खुदवा ही सकते हैं। फिर सरकार को चाहिये कि जो मनुष्य की प्रारम्भिक आवश्यकताएं हैं उनकी तरफ उसका ध्यान जरूर जाना चाहिये।

अन्न की बात एक ऐसी है, जिसके बिना मैं समझता हूं--मैं नहीं समझता कि माननीय मुख्य मंत्री जी जो संस्कृत के पंडित हैं, अन्न का क्या माने समझते हैं, लेकिन अन्न का भाष्य एक आदमी ने जो जेलखाने में किया था वह यह था कि "अन्न को अगर

संयम से खाया जाय तो आदमी बहुत दिनों तक जीयेगा ।" और असंयम से इस्तेमाल करे तो जो चीज मार दे उसका नाम अन्न है। किसी ने कहा अन्न का नाम ब्रह्म है। मेरी तो धारणा है कि अन्न के बिना आदमी मर सकता है, माननीय मुख्य मंत्री जी तो इस बात को मानेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी आदमी को चौथे दिन खाने को मिले तो वह कम दिन जी सकता है, तीसरे दिन मिले तो कुछ और अधिक दिन जी सकता है, लेकिन अगर रोज-रोज मिले तो और भी अधिक दिन जी सकता है । अगर उसको चौथे दिन खाने को मिलेगा तो यकीन है कि वह २०-३० या ४० साल में मर जायगा और वह रोज खाना मिलने वाले की तरह ७० वर्ष की अवस्था तक पेंशन पाने लायक नहीं रहेगा। इसलिए अन्न न मिलने से इस तरह भूख से उम्र घटती है और आदमी जल्द मरते हैं।

एक बार प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हमारे राज्य में कोई भूख से नहीं मरेगा । उसका नतीजा यह हुआ कि हमारे यहां जितने लोग हैं पटवारी, चौकीदार, थानेदार, तहसीलदार, कलेक्टर सब यह समझने लगे कि जनता का कोई आदमी अब भूख से नहीं मरेगा, लेकिन आज भी आदमी भूख से मरते हैं पर मैंने अब इस कन्ट्रोवर्सी को बचाने के लिये यह कहना बन्द कर दिया है। जरूरत इस बात की है कि पहले अन्न की सेल्फसफीशियेन्सी हमारे यहां हो। सन् १९५४-५५ में हमारा अन्न पैदा करने का टारजेट १ करोड़ २६ लाख टन था, वह अब इस वक्त कितना है, मैं क्या कहूं कि कितना अन्न है, किस जगह है, लेकिन यह सही है कि हमारे यहां की २ करोड़ की आबादी में ८० प्रतिशत आबादी ऐसी है जो आधा पेट खाती है और कोई चौथे वक्त और तीसरे वक्त खाना खाती है और किसी तरह से अपनी रक्षा करती है। अगर किसी को आज के युग में पूअर डाइट भी नहीं मिलती या जीने वाली डाइट भी नहीं मिलती तो यह प्लानिंग का दोष है और इस चीज को हमें बहुत गहराई के साथ सोचना चाहिये । अगर हम इस समस्या का हल प्लानिंग द्वारा नहीं कर पाते तो ऐसे प्लानिंग का कोई उपयोग नहीं है।

वस्त्र और मकानों की समस्या भी शोचनीय है। कानपुर में सचमुच देश में हमारे सूबे की टेक्सटाइल इंडस्ट्री मोटा कपड़ा तैयार करने के लिये बनाई गई और हमारे सारे देश का जो प्लानिंग है कि इतना मोटा कपड़ा प्रतिवर्ष बनना चाहिये उसके अनुसार क्या कभी अच्छी तरह से यह भी सोचा गया कि हमारे प्रदेश में लाखों ऐसे आदमी हैं कि जो साल में दस गज कपड़ा भी नहीं खरीदते। मैं अधिकृत तौर पर कहूंगा कि हमारे यहां ऐसे लाखों परिवार हैं, तो फिर जो भी टारजेट बनता है उसको हम किस हद तक कहें कि वह कहां लोगों को ले जाता है। यह हमारे लिये सोचने की बात है।

शहर में मकानों की हालत यह है कि मैं अभी रेण्ट कंट्रोलर से झगड़ कर आ रहा हूं। हम २ साल से कोशिश कर रहे हैं लेकिन एक मकान नहीं मिल रहा है। माननीय रसद मंत्री जी, माननीय मुख्य मंत्री जी सभी कोशिश में हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। तो हम अन्दाजा लगा सकते हैं कि सब की कोशिश के बाद भी हम जैसे यहां के लोगों को मकान नहीं मिल सकता तो साधारण जनता की क्या हालत होगी ? इससे हमें प्रगति का ठीक ज्ञान होता है....

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जो मकान हम देते हैं उसको आप लेते नहीं।

श्री गेंदासिंह--कैसे मकान एलाट होता है और फिर जब हम जाते हैं तो मालूम होता है कि दूसरे को मिल गया, इस तरह की चर्चा वक्त कम है मैं क्या करूं, न करूं तो अच्छा है। इस तरह की कठिनाई हमें होती है, इसकी चर्चा जरूरत होगी, तो मैं फिर कर दूंगा।

श्री अधिष्ठाता—आपका समय तो अभी काफी है, थोड़ा समय आप क्यों बता रहे हैं ?

श्री गेंदासिंह—मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं...

श्री अधिष्ठाता—मैं तो आपके जीवन का जिक्र कर रहा हूं, अभी तो वह काफी है।

श्री गेंदासिंह—गांव के मकानों के सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं। कोई योजना नहीं है। और सही बात यह है कि परिस्थिति ने ऐसा मजबूर कर दिया है कि आज गांव के मकानों की योजना हमें चलानी चाहिए। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको बताऊं कि हम उस जगह के रहने वाले हैं जहां लाखों आदमी तीन चार महीने तक खाना नहीं बनाते कि अगर खाना बनायेंगे तो घर में आग लग जायगी और समूचा गांव बरबाद हो जायगा। तीन चार महीने बाढ़ में तबाह होते हैं। जाड़ों के महीने में कुछ ही दिन ऐसा वक्त है जब कि दोनों वक्त खाना बना कर खा सकें। ऐसे थोड़े लोग नहीं हैं, करोड़ों लोगों की बात कहता हूं। तो गांवों में मकान बनाने की कोई योजना नहीं है। अगर मकान बनाने की योजना बनायी जाय तो बेरोजगारी हल करने में भी इससे मदद मिलेगी। ईंट बनाने में, मकान बनाने में और तैयार करने में लाखों आदमियों को काम और रोजी दी जा सकती है। इसके लिए जरूरत है कि हम इन लाखों आदमियों को मकान बनाने की व्यवस्था करके, करोड़ों रुपया हम कर्ज दें। शायद केन्द्रीय सरकार ने प्रदेशीय सरकार को बन्द कर रखा है कि वह बाजार में लोन फ्लोट नहीं कर सकती। लेकिन इस सरकार को केन्द्रीय सरकार से कहना चाहिए और तय करना चाहिए कि हम कुछ करोड़ रुपये कर्ज देना चाहते हैं और उस 'कर्जे' से मकान बनाने की व्यवस्था करना चाहते हैं। अधिष्ठाता महोदय, लाल बत्ती और बहुत वक्त यह तो दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं।

मैं अब अपनी बात जल्दी-जल्दी में कहना चाहता हूं। एक बात पर कैपिटा इनकम के सम्बन्ध में श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे जी ने कही। वह विचार करने की बात है। स्टैटिस्टिक्स जो हमारे हैं उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दिक्कत हमारी यह है कि स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का उतना मतलब यहां से नहीं रहता, वह ऐग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा करके कम्पाइल सिर्फ करता है। और ऐग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा करने वाला जो मुहकमा है वह भगवान का बन्दा है। उसने सैकड़ों वर्ष से ऐग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स बनाया है। वह एक जगह बैठ कर सारी पड़ताल कर देता है। हमारे ऐग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स निहायत अनरेलाइबिल हैं। उसी पर हमने सेल्फसफीशेंसी मान ली। आज अपने समूचे सूबे को सेल्फसफीशेंट मान लेने के बाद हो गई यह हालत है कि आज दो करोड़ के करीब आबादी के लिए अकाल की स्थिति पैदा है। स्टैटिस्टिक्स को सम्हालने की जरूरत है और बहुत गौर व खोज करने के बाद तय करना चाहिए कि हम किस तरह उसको कर सकें। एक बात मैं कह दूं कि जब तक गांवों में खेती की तरक्की नहीं होगी और गृह उद्योगों का बन्दोबस्त नहीं होगा तब तक गांवों की तरक्की होना सम्भव नहीं है।

कोआपरेटिव की चर्चा माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं की। उस पर मैं जरूर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरा ऐसा विश्वास है कि उन्होंने उसमें न सिर्फ क्रेडिट सोसाइटियों की ही चर्चा की होगी बल्कि उन्होंने सारे कोआपरेटिव मूवमेंट की चर्चा की होगी। तो मैं उनका ध्यान इस तरफ ले जाऊंगा कि वह मेहरबानी करके कोआपरेटिव फार्मिंग की जो रिपोर्ट चीन से आयी है, उसको जरूर पढ़ें। अनाज की होर्डिंग की रोज चर्चा होती है कि होर्डिंग की वजह से महंगाई आ गयी। मैं समझता हूं कि भूमि का बटवारा सबसे पहले चीन में हुआ उसके बाद कोआपरेटिव लाया गया। कोआपरेटिव बाद को आया। कोआपरेटिव फार्मिंग की जब बात आयी तो एक बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। एक आन्दोलन हुआ। माओ ने तीन महीने तक गांवों में दौरा

किया उसके बाद उस पर अनुभव प्राप्त किया। उसने कहा कि यह-यह सुधार उसमें होना चाहिए। उसमें सबसे बड़ा सुधार यह था कि जमीन के बटवारे की बात पहले ली गयी। आज जिस आदमी के पास दस हजार मन गल्ला होता है वह अपनी खत्ती में रखता है या बेंच लेता है। उसके बाद भी हमारे देश में होर्डिंग की मनोवृत्ति है। होर्डिंग होती है। तो उससे बचने के लिये, देश में जमीन बटवारे के लिये और अकाल से बचने के लिये, फिर प्लानिंग सफल बनाने के लिये सबसे जरूरी बात है कि अब काम वह किया जाय।

अन्त में एक बात और कह देना चाहता हूं। माननीय यादवेन्द्रदत्त जी ने विलेज लेविल वर्कर्स के बारे में जो कहा, उन्होंने अपनी एक राय कायम की है। मैं उनसे कहूंगा कि उनके लिये यह कह देना कि वे चुनाव के लिये इस्तेमाल किये गये, मेरा अपना अनुभव है मेरे इलाके में भी एक विलेज लेविल वर्कर्स ट्रेनिंग सेन्टर है, उन्होंने स्वतन्त्रता पूर्वक काम किया और सरकारी मशीनरी का कोई ऐसा इस्तेमाल नहीं किया।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक माननीय सदस्य भी बोल रहे हैं और कई माननीय सदस्य भी खड़े हैं। क्या यह सदन की व्यवस्था है?

श्री अधिष्ठाता—नहीं, माननीय सदस्यों को खड़ा नहीं होना चाहिये, जब एक माननीय सदस्य बोल रहे हों।

श्री मलखानसिंह (जिला अलीगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इतनी उठक-बैठक के बाद मुझे समय दिया। अभी जो कुछ भी प्लानिंग के सम्बन्ध में कहा गया है मैं भी अपने भाई गेंदासिंह जी से इस बात में सहमत हूं कि सिद्धान्तों की बात तो आसमानी बात हुआ करती है। काम की बात प्लानिंग में क्या हो रही है इस सम्बन्ध में जो मेरे जिले का अनुभव है वह मैं आपके सामने रखूंगा।

मैं जानता हूं कि प्लानिंग में वहां पर हर एक जगह पर तरक्की हुई है; जिले में, गांव में जहां पर उस जगह के लोग उन सरकारी लोगों के साथ जुट गये हैं। मेरे यहां पर टप्पल का ब्लाक है जो हिन्दुस्तान में आज एक आदर्श ब्लाक है जिसे दूसरे देशों के लोग, अमेरिकन और अंग्रेज, भी देख आये हैं। उसका खास ध्येय जितना भी है, वहां के जो कार्यकर्ता हैं गांवों के हैं, उनके ऊपर उसका सारा श्रेय है जिन्होंने वहां के ब्लाक डेवलपमेंट अफसर के साथ कंधे से कंधा मिला कर गांवों की तरक्की की है, हर एक तरह की उनको सुविधायें दी हैं और जैसा मेरे भाई गेंदासिंह जी ने कहा वहां पर खाद का भी इन्तजाम किया गया है, पानी का भी, बीज का भी, यह सब कुछ इन्तजाम वहां पर किया गया है। आज कोई भी विरोधी दल का भाई हमारे साथ चल कर देख सकता है कि कितनी तरक्की गांवों की हुई है। टप्पल गांव अलीगढ़ से ३२ मील दूर है, जमुना के खादर में है।

(इस समय ३ बजकर ५५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

दूसरा क्षेत्र हमारे यहां हसायन ब्लाक है जिसमें मुझे अभी चुनाव के जमाने में लगातार १ महीने गांव-गांव में घूमना पड़ा। मैं अलीगढ़ जिले में ही पैदा हुआ हूं और १९०७ से पब्लिक में काम कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि जिन रास्तों पर पहले हम निकल नहीं सकते थे, इस ब्लाक के जरिये से आज मैंने यह पाया कि एक गांव से दूसरे गांव में, एक कस्बे से दूसरे कस्बे में पैदल आसानी से जा सकते हैं, सवारी से जा सकते हैं।

[श्री मलखान सिंह]

उन गांवों की हालत को भी देखा, वहां के लोगों से बात भी की। वहां पर हर १५ तारीख को उस ब्लाक की मीटिंग होती है। ११० गांव हैं उसमें। वहां के जितने भी प्रधान हैं तथा और लोगों को जिस बात की जरूरत होती है सब वहां पर आते हैं, उनकी बातें सुनी जाती हैं और अगर उनको सीमेंट की जरूरत है तो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वहीं मिल जाती है, दवादारू मिल जाती है, गांवों में भी ब्लाक की तरफ से दवाइयों के वितरण का इन्तजाम है, बीज गोदाम का इन्तजाम है, खाद का भी इन्तजाम है।

अभी शिकायत यह की गई कि छोटी-छोटी इंडस्ट्री का कोई इन्तजाम नहीं है। छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों के लिये भी ब्लाक की ओर से जो ११० गांव हैं उनमें पैठे लगती हैं। उन पैठों के अन्दर ब्लाक की तरफ से जो वहां चीजें पैदा होती हैं जैसे कहीं किसी गांव के जूते अच्छे बनते हैं, कहीं किसी गांव की टुकरी (देशी खद्दर) अच्छी बनती है, कहीं किसी गांव का कोई और सामान अच्छा बनता है, उन सबका वहां पर प्रदर्शन किया जाता है और उनका प्रचार किया जाता है। हसायन ब्लाक जो कि अलीगढ़ से करीब ३६ मील की दूरी पर है जहां कि कोई सड़क भी पक्की नहीं गई है वहां पर मैं आपको बता सकता हूं कि गुलाब की इंडस्ट्री एक बहुत जबरदस्त उसके पड़ोस में है। उस गुलाब की इंडस्ट्री के लिए बाहर से, कानपुर से और और दूसरे शहरों से, जो हर साल दस हजार रुपये के टिन के डिब्बे आते थे, खरीदे जाते थे और हसायन में उनमें इत्र और गुलाबजल वगैरह भर-भर कर दूसरे शहरों को भेजा जाता था। अब ब्लाक हो जाने से यह दस हजार रुपये के जो टिन के डिब्बे बाहर से आते थे उनके बनाने का इन्तजाम वहां पर हो गया है और यह रुपया जो बाहर जाता था वह अब वहीं गांव में ही काम करने वाले जो मजदूर हैं उन्हीं को जाता है। मैं वह बातें बता रहा हूं जो कि हो रही हैं। इसलिये उनसे आंख मिचौनी करना हमारा और आपका काम नहीं है।

मैं यह पहले कह चुका हूं कि जब आप खुद तैयार हो जायेंगे इस बात के लिए कि आप अपना कुर्ता और धोती उतार दें और लंगोट बांध कर, फावड़ा लेकर काम करने चलें तो किसान आपके साथ लग जायगा। लेकिन अगर आप केवल बातें करें और लेक्चर दें और यह कहें कि प्लानिंग आपको मालूम ही नहीं, सिद्धान्त ही नहीं समझा प्लानिंग का, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि काम से सिद्धान्त आया करता है। बढ़िया से बढ़िया सिद्धान्त हो, लेकिन अगर बेउसूले लोगों के हाथ में यह सिद्धान्त पड़ जाता है तो उस अच्छे से अच्छे सिद्धान्त की भी मिट्टी पलीद हो जाती है। इसलिये मैं आपसे कहता हूं कि आपको प्लानिंग के लिए सिद्धान्त की आवश्यकता नहीं है, काम करने की आवश्यकता है, जुट जाने की आवश्यकता है, लोगों के घरों में जाने की आवश्यकता है। मैं आपको बता सकता हूं। आप चलें मेरे साथ, जो मैंने नाम लिये हैं, वहां के अफसर एक-एक गांव के लोगों से चौपालों में जाकर बात करते हैं और उनके साथ काम करते हैं और अमीरों की चौपालों में नहीं, बल्कि गरीबों की चौपालों में, क्योंकि मेरा सिद्धान्त तो यह है कि गरीबों की ज्यादा से ज्यादा सेवा करें, अमीरों की नहीं। अमीर तो अपनी सेवा अपने आप कर लेता है। मैंने यह देखा कि जो पहली पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर मेरे जिले के अन्दर जो ब्लाक खोले गए हैं उनसे देहातों में इंडस्ट्री को भी लाभ पहुंचा है। देहातों में जो गल्ले की पैदावार है वह भी बहुत बढ़ी है। गांवों और कस्बों की दशा भी सुधरी है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य ने इधर देखा नहीं। लाल बत्ती दो मिनट से जल रही है।

श्री मलखानसिंह--माफ कीजिए। मेरा ध्यान उधर नहीं गया। मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं। जैसा मैंने कहा कि काम करने वाला आदमी इधर-उधर देख नहीं सकता। इसलिए आप मुझे क्षमा करें।

मैं यह समझता हूं कि सब से बड़ी जरूरत आज इस बात की है कि हम किसी भी पार्टी के हों, इधर के हों या उधर के, अगर हम सरकारी अफसरों को पब्लिक सर्वेन्ट समझकर उनसे कन्धे से कन्धा मिला कर काम लें तो कोई सरकारी नौकर इन्कार नहीं कर सकता। यह मेरा निजी अनुभव है। मैं इस बात के लिये अपने माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और उन्होंने जो प्लानिंग के लिए अनुदान मांगा है उसके साथ मेरी पूरी सहानुभूति और मेरी सहमति है। वह अनुदान जरूर मंजूर होना चाहिए। और जो दूसरा काम उन्होंने पी० आर० डी० के सिलसिले में किया है उसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत अनुदान में जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। विकास की योजना जिस समय हमारे देश में आयी तो देश की जनता को इस बात का आभास मिला कि अब हमारी आर्थिक और सामाजिक दशाओं में कुछ सुधार होगा। और यह भी सोचा कि हमारे देश का पुनरुद्धार होगा, कृषि में सुधार होंगे, उत्पादन बढ़ेगा, उद्योग में विस्तार होगा, शिक्षा में बढ़ोत्तरी होगी, जनस्वास्थ्य ठीक होगा। इसी तरीके से धन व साधनों का समुचित बटवारा होगा और जितनी व्यवस्थायें हैं सरकार की ओर से उनको नियमित रूप से लागू किया जायगा और एक नया समाज स्थापित होगा, जिसका उद्देश्य समाजवाद होगा। लेकिन, श्रीमन्, इस योजना को ५ साल की कसौटी पर रखने के बाद यह प्रतीत हुआ कि यह योजना समाजवाद कायम करने वाली नहीं है, बल्कि यह पूंजीवाद कायम करने वाली है।

श्रीमन्, माननीय दुबे जी ने इवैल्युएशन रिपोर्ट के पेज ३ से उद्धरण दिया, उसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उससे साफ जाहिर है कि यह योजना पूंजीवाद को बढ़ोत्तरी देती है। एक प्रोजेक्ट के अन्दर, एक ब्लाक के अन्दर ज्यादा साधनों का उपलब्ध होना और दूसरे ब्लाक के अन्दर कम साधनों का उपलब्ध होना और इसी तरह से एक गांव में एक समुदाय को ज्यादा फायदा पहुंचाना और दूसरे को कम फायदा पहुंचाना यह साबित करता है कि यह सिद्धान्त पूंजीवाद को तरक्की देता है। इस योजना के अन्तर्गत यह देखा गया है कि जिनके पास काश्तकारी भी अधिक है, धन भी अधिक है, जिनमें क्षमता है कि वे अपनी खेती और अपने जीवन के स्तर को ऊंचा उठा सकें उनको सरकार की तरफ से भी सहायता दी जाती है और जिन काश्तकारों के पास कृषि कम है, साधन नहीं हैं उनको उससे महरूम रक्खा जाता है। सरकार के विकास की योजनाओं को कार्यान्वित करने के तरीके ऐसे हैं जो एक वर्ग को तो क्षुब्ध कर देते हैं और दूसरे वर्ग को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसीलिये एक वर्ग सहयोग नहीं देता है जिसकी वजह से ये योजनायें सफल नहीं हो रही हैं। इसमें किसी किस्म का भेदभाव न रक्खा जाय, बल्कि उन लोगों को सहायता पहुंचाई जाय जो वास्तव में इसके अहल हैं, जिनको जरूरत है तो कोई वजह नहीं है कि जनता से पूर्ण सहयोग न मिले।

मैं एक बात अपने जिले के सम्बन्ध में बतलाना चाहता हूं, जब विकास के नाम पर रुपया सरकार की तरफ से मिलता है तो या तो उसका दुरुपयोग होता है या वह सरकारी खजाने में पड़ा रहता है। हमारे यहां उन्नाव जिले में प्लानिंग के कार्यों के लिये लगभग ३ लाख रुपये मंजूर हुये। प्लानिंग कमेटी ने करीब ५ लाख रुपये की दरख्वास्तें मंजूर कीं, लेकिन उस ३ लाख रुपये में से आपको ताज्जब होगा कि डेढ़ लाख रुपया अब भी पड़ा हुआ है। होता

[श्री भीखालाल]

यह है कि कुछ आदमियों का प्लानिंग आफिसर और प्लानिंग कमेटी पर असर रहता है जो वक्तन-फवक्तन उस धन से फायदा उठाते रहते हैं। वे किसी न किसी रूप में कई दरख्वास्तें दे देते हैं और रुपया ले लेते हैं। रुपया किस्तों में दिया जाता है। किस्त का रुपया ले कर वे घर बैठ रहते हैं, उस काम को करने की जरूरत तक नहीं समझते और प्लानिंग आफिसर भी उसको मौके पर जा कर देखने की जरूरत नहीं समझता। मिसाल के तौर पर अगर एक मद में १० हजार रुपया रक्खा गया है लेकिन खर्चा २ हजार ही हुआ है। इस तरह से श्रीमन्, आप देखेंगे कि जिस काम के लिये रुपया रक्खा जाता है उस काम पर खर्च नहीं होता है। सरकारी खजाने में रुपया पड़ा रहता है और कागजों पर दिखा दिया जाता है कि इतना रुपया योजनाओं के लिये मंजूर किया गया। इन सब बातों को लेकर हमारे एक साथी एम० एल० ए० ने उन्नाव जिले के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से यह दरख्वास्त की कि वह पिछले सालों का कम से कम हिसाब दे दें कि सरकार से कितना रुपया उनको योजनाओं के लिये मिला और वह किस-किस रूप में खर्च हुआ, किस-किस को दिया गया और कितना अभी बाकी है। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि अगर आपके पास इतना स्टाफ नहीं है तो हम आदमी दे सकते हैं जो आपकी देख-रेख में उन आंकड़ों को छांट सकें और वह नकशा बना सकें, लेकिन उनको कोई काबिल इत्मिनान जवाब नहीं मिलता है और न कोई इत्तला दी जाती है। कहा जाता है कि करीब ३,००० मिसलें हैं। वह इस तरह से पड़ी हुई हैं कि छांटना और ठीक करना और उनका एक नकशा बना कर देना बड़ा ही मुश्किल होगा। अगर विकास के नाम पर इस तरह से काम को चलाया जाय तो मैं समझता हूं कि यह रुपये की बरबादी है और इसको ठीक तौर से काम में नहीं लगाना है।

विकास खंडों के सम्बन्ध में एक बात मुझे कहनी है कि अभी हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यह प्लानिंग कोई अलग मुहकमा नहीं है, बल्कि प्लानिंग की जिम्मेदारी हर मुहकमे के ऊपर बांटी गयी है। एक विकास खंड के अन्दर औसतन सौ-सौ मौजे रखे गये हैं और उनके ऊपर भी कुछ काम विकास का दिया गया है। इसी तरह से विकास का काम तहसील के अधिकारियों पर भी है, हाकिम परगना के ऊपर भी है, सभी के ऊपर थोड़ा थोड़ा है, लेकिन एक अधिकारी को विकास का काम करने के लिये एक जीपकार दी गयी है जिसके पास करीब सौ गांव हैं और एक तहसीलदार और हाकिम परगना जिसके पास ५००-६०० गांव के औसत से हैं उनको यह साधन नहीं दिया गया। उनको गाड़ी इस वजह से दी गयी है कि एफीशियेंसी बढ़े, लेकिन मैं देखता हूं कि जीपकारें देने से उनकी एफीशियेंसी कम होती है। उनका कार्य-क्षेत्र ज्यादातर उन्हीं गांवों में रहता है जो नहरों और सड़कों के किनारे हैं। ऐसे गांवों में जहां मोटर नहीं पहुंच सकती वहां जाने से पहले बड़ी देर तक सोचते हैं कि अगर कार नहीं जा सकी तो बी० डी० ओ० साहब नहीं जा सकेंगे। इसका यह नतीजा है कि कुछ गांव उस विकास की योजना से लाभ नहीं उठा सकते हैं। उनका इस तरह से दुरुपयोग होता है। मैं तो यह सजेस्ट करूंगा कि हमारे माननीय मंत्री जी किसी आदमी को एक या दो घंटे के लिये भेज कर हजरतगंज या लालबाग के चौराहे पर खड़ा कर दें और देखें कि कितनी विकास खंडों की गाड़ियां पास होती हैं तो उससे अन्दाजा लगेगा कि कितना इन गाड़ियों का दुरुपयोग होता है। मैंने पहले भी अपने बजट के भाषण में यह सजेस्ट किया था कि इस किस्म की गाड़ियां जिनसे बजाय फायदे के नुकसान है, उनको फौरन वापस ले लिया जाय और यह जो फिजूल खर्ची का रुपया है वह विकास के कामों में खर्च किया जाय।

सरकार हमारी नौकरशाही पर बहुत भरोसा करती है और उम्मीद करती है कि इस मौजूदा नौकरशाही के दौर में वह समाजवाद की स्थापना कर सकेगी, लेकिन मुझे निराशा होती है इस अभाव से कि किसी अधिकारी या नौकरशाही की ओर से समाजवाद की तरफ कोई रुझान हुआ हो या किसी ने अपनी तनख्वाह में १० परसेंट कटौती करने का प्रमाण देकर यह इरादा जाहिर किया हो कि हम अपनी तनख्वाहों में कटौती करेंगे और इस तरह से देश को समाजवाद की ओर ले जायेंगे और देश की तरक्की में सहयोग देंगे।

कुमारी कमलकुमारी गोईंदी (जिला इलाहाबाद)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा बोलने का इरादा तो नहीं था, लेकिन कुछ सामने के भाइयों की बातें सुनकर यहां पर यह ख्याल हुआ कि एक बात के बारे में अवश्य कह दूं जोकि सब से जरूरी यहां मालूम पड़ी। जहां तक भ्रष्टाचार और निर्माण का प्रश्न है, कुछ भाइयों ने तो निर्माण के बारे में यह कह दिया कि कुछ होता नजर ही नहीं आया, लेकिन मेरे ख्याल में अगर राह जाता हुआ आदमी देखने लगे तो उसको प्लान के अन्दर पाठशालायें, सड़कें और दूसरी चीजें यथा अस्पताल इत्यादि नजर आ जाने चाहिये। उनको गिनाने लगूं तो बहुत समय लगेगा, लेकिन भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में एक चीज कह दूं तो उचित होगा। मान लीजिये हम कुयें बनाते हैं और उस गांव में ८० प्रतिशत कुओं पर रुपया लगता है और २० प्रतिशत भ्रष्टाचार में चला जाता है और उसके बाद अस्पताल बनाते हैं और ९० प्रतिशत गांव वालों को लाभ होता है और १० प्रतिशत रुपया भ्रष्टाचार में चला जाता है इसके अलावा पाठशालायें बनाते हैं तो उसकी बिल्डिंग्स वगैरह में उसी अनुपात से देख लीजिये तो मालूम हो जायगा कि हां भ्रष्टाचार है। इधर के लोग कहें या उधर के लोग कहें लेकिन सवाल यह है कि क्या इन कामों को रोक दिया जाय जब तक कि ईमानदार पर्सनल नहीं मिलता है जो इन कामों को पूरी ईमानदारी से चला सकें? क्या कोई समय निश्चित हो सकता है कि हम इतने समय में ऐसा पर्सनल तैयार कर लेंगे जो सोलह आने ईमानदार होगा? कोई ऐसी मशीन है या कोई ऐसी चीज है? यदि कोई ऐसी मशीन होती तब तो मान लिया जाता कि जब तक यह भ्रष्टाचार दूर न हो तब तक काम रोक दिया जाय। इस बात को कोई भी नहीं मानेगा। जब हमें काम करना है तो सोचना यह है कि किस तरह से भ्रष्टाचार दूर हो।

पहली बात तो यह है कि मैंने देखा है कि जब सड़क बनने लगती है तो हमारे दूसरे भाई सत्याग्रह के नाम से आंदोलन चला देते हैं कि किसान भाइयो, आपकी धरती जा रही है और आपका श्रम भी लिया जा रहा है। इसी तरह से जब नहर खुदने लगती है तो कहने लगते हैं कि इधर से नहीं निकलेगी उधर से निकलेगी। इसमें बीस-बीस महीने बिता देते हैं। इससे अफसरों को उत्साह मिलता है। वह सोचते हैं कि इनकी बात मानें या उनकी बात मानें और देखते हैं कि जनता किस के पीछे है और किस से ज्यादा धन मिलता है। इसलिये आप भ्रष्टाचार में एक कदम और आगे बढ़ा देते हैं। अगर आप कहें तो मैं उदाहरण बतला दूं कि कैसे सत्याग्रह किया गया। अगर आप सचमुच में जनता के हितकारी हैं तो मेरी प्रार्थना यह है कि आप सब लोग मिलकर अपना समय दें और काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। समय नहीं है अन्यथा मैं योजना बतलाती कि कैसे भ्रष्टाचार दूर हो सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे पास आइये। मैं प्रयत्न कर रही हूं कि किस तरह से यह दूर हो सकता है।

दूसरी चीज यह है कि अगर आप देखें कि कहीं काम ठीक नहीं हो रहा है तो आप सुझाव दे सकते हैं और कर्मचारियों से जिस तरह से आप चाहें काम ले सकते हैं। मेरी प्रार्थना यही है कि सब लोग सहयोग दें जिससे काम आसानी से चल सके।

एक अन्य चीज हमारे सामने यह आती है कि ईमानदार पर्सनल कैसे तैयार किया जाय। लोगों में धार्मिकता और सच्चरित्रता का प्रचार करने से यह काम हो सकता है। आप लोग पैसे को ज्यादा महत्व देते हैं सच्चरित्रता को महत्व नहीं देते हैं। एक ईमानदार गरीब होता है तो आप लोग उसके द्वार पर नहीं जाते हैं। अगर किसी ने भ्रष्टाचार से ही पैसा कमाया है और चार कुर्सियां हैं तो लोग उसी के पास जाकर बैठेंगे। मेरे पास समय नहीं है नहीं तो मैं भ्रष्टाचार दूर करने की बात बतलाती। धन्यवाद।

मुख्य मंत्री के सभासचिव (श्री राजविहारी सिंह)--श्रीमन्, कल सुबह यह तय हुआ था कि हरिजन सहायक अनुदान के लिये सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया

[श्री राजविहारी सिंह]

जायगा । इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाय, अर्थात् ६ बजे तक सदन की बैठक हो ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---श्रीमन्, यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और एक घंटे का समय बहुत कम होगा । मेरा प्रस्ताव यह है कि कम से कम दो घंटे सदन का समय बढ़ाया जाय ।

श्री राजविहारी सिंह---मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि आज दो घंटे का समय बढ़ा दिया जाय और सदन ५ बजे के बाद ७ बजे तक बैठे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गजेन्द्रसिंह (जिला इटावा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गोविंद सहाय जी ने कहा कि उन्हें अपोजीशन की तरफ से जो आज स्पीचेज हुई उनको सुन कर बड़ी निराशा हुई । जहां तक निराशा का सम्बन्ध है मैं तो उनके तमाम जीवन से इस नतीजे पर पहुंचा हूं, हालांकि मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, वे मुझसे बुजुर्ग हैं, कि निराशा ने तो उनके अंग प्रत्यंग में घर कर लिया है ।

श्री उपाध्यक्ष---व्यक्तिगत बातें कहने का वक्त नहीं है । आप अपने विषय पर बोलिये ।

श्री गजेन्द्रसिंह---क्योंकि कभी वे ट्रेजरी बेंचेज पर बैठते हैं कभी अपोजीशन में आ जाते हैं । तो निराशा तो उनको हर चीज में दिखायी देती है, क्रिटिसिज्म में भी उन्हें निराशा नजर आती है ।

माननीया राजेन्द्रकिशोरी जी ने कहा कि सदन में बैठ कर हम लोग सिर्फ सरकार की आलोचना करते हैं और कुछ नहीं करते । मैं तो उनसे कहूंगा कि अगर उन्होंने "इवैल्यूएशन रिपोर्ट" को गौर से पढ़ा होगा तो वे हमारी सहायक होंगी, क्योंकि वीमेन्स आर्गेनाइजेशन की बाबत जो रिपोर्ट है उससे पता चलता है कि हमारे प्रदेश में वीमेन्स आर्गेनाइजेशन पर ·०४ काम हुआ है जबकि दूसरे प्रदेशों में, जैसे पंजाब में ·१०, बम्बई में ·११ और दूसरे प्रदेशों में ·१५ काम हुआ है । इसके माने हैं कि इस दिशा में जो दूसरे प्रदेशों ने प्रगति की है हमारी सरकार उससे बहुत पीछे है । मैं माननीया राजेन्द्रकिशोरी जी से निवेदन करूंगा कि जो सरकार इतनी बड़ी संख्या आज स्त्रियों की हमारे यहां है, साढ़े ६ करोड़ की आबादी में करीब आधी संख्या स्त्रियों की होगी, उनके लिये इतने धीरे से कार्य कर रही है उसकी अगर आलोचना नहीं की जायगी तो क्या तारीफ की जायगी ? जो सरकार समाजवादी स्टेट बनाने की बात कहती है लेकिन समाजवाद की ओर पग नहीं बढ़ा रही है उसकी आलोचना नहीं की जायगी तो क्या किया जायगा ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय डिप्टी मिनिस्टर साहब ने कुछ बातें कहीं । उन्होंने बतलाया कि गरीब तबके को लोन देने के लिये सूद की दर को कम कर दिया गया है । जहां तक सूद की दर का ताल्लुक है उसके कम करने से गरीब तबके को लोन नहीं मिलता है और जो तकावी के रूल्स आपने अमेंड किये हैं उनके कारण भी लैंडलेस पीपुल या अलाभकर जोतों वाले किसानों को, जिनकी तादाद हमारे यहां बहुत काफी है, लोन नहीं मिल सकता, है, क्योंकि उनकी अपनी कोई संपत्ति नहीं है जो आपके पास प्लेज कर सकें ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर गांवों की एनालिसिस की जाय और देखा जाय तो यह सही है कि वहां विकास का कार्य हुआ है, रुपया खर्च हुआ है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उससे बड़े आदमियों को ही फायदा हुआ है । माननीय डिप्टी मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा कि साधारण नागरिक के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये योजनायें बना दी जाती हैं । मैं मानता हूं कि साधारण नागरिक के जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये आप योजनायें

बनाते हैं लेकिन असल बात तो यह है कि साधारण नागरिक का जीवन स्तर ऊंचा उठा है या नहीं। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि इस समय हमारे इटावा जिले में पाइलेट प्रोजेक्ट की योजना चलती है उसको हम और आप दोनों चलें और देखें और फिर मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकूंगा, केवल क्रिटिसिज्म के नाते नहीं, कि इन तमाम योजनाओं से गांवों में केवल उन्हीं लोगों को फायदा हुआ है, जिनकी आबादी गांव में एक चौथाई से कम होगी, जिनके पास काफी जमीनें हैं, उन्हीं लोगों को फायदा हुआ है, उन्हीं को सरकार की तरफ से लोन मिले हैं और दूसरी फैसिलिटीज मिलती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज गोविन्द सहाय जी ने हम से पूछा कि हमने अपने क्रिटिसिज्म में समाजवादी स्तर की बात नहीं कही, उनसे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसी हमारी सूरत होगी वैसी ही आइने में आयेगी। हमारी बदसूरत आइने में कभी भी अच्छी नहीं आ सकती। जिस प्रकार का बजट इस माननीय सदन के सामने पेश किया जायगा उसकी उसी प्रकार की आलोचना की जायगी। जिस प्रकार का बजट पेश किया गया है उसकी समाजवादी ढंग की आलोचना कभी भी नहीं हो सकती ....

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय अब समाप्त हो गया है।

***डाक्टर सम्पूर्णानन्द**---उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ध्यान से आलोचनाओं को और सुझाओं को सुना। मेरी उत्सुकता का एक विशेष कारण यह भी था कि यों तो प्रदेश में विकास के सम्बन्ध में जो कुछ काम हुये हैं उनकी जानकारी थोड़ी बहुत मुझ को थी ही परन्तु पिछले कुछ महीनों से प्रत्यक्ष रूप से मैंने इस काम को संभाला है। इस वक्त जो हमारी शैली है, जिस प्रकार का काम हो रहा है उसको भी देखता हूं, कार्य भी करता हूं और स्वभावतः मैं यह जानना चाहता था कि माननीय सदस्यों के क्या ख्याल इन बातों के सम्बन्ध में हैं। निश्चय ही कई सुझाव बहुत ही अच्छे और उपयोगी दिये गये। उन सब की बाबत इस वक्त तत्काल तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जरूर ही वे उत्तेजक हैं और गौर करने के बाद इस बात की जरूर ही कोशिश मुझ को करनी चाहिये कि मैं उनसे लाभ उठाऊं। लेकिन इसके साथ ही एक बात जरूर हुई कि कुछ बातों पर मैं प्रकाश चाहता था और वह प्रकाश मुझ को नहीं मिल सका। जो बातें कि किन्हीं माननीय सदस्यों ने अपने-अपने जिलों की बाबत कहीं स्पष्ट हैं उनके सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना चाहिये भी नहीं और इस समय कुछ कहना सम्भव भी नहीं है। कहां कौन सा पुल रह गया, कहां कौन सी सड़क रह गई, कहां सीमेंट की चोरी हो गई, वह तो मुझे पहले से मालूम नहीं है, हां जांच करने की बात हो सकती है। मनुष्य से गलती भी होती है, लेकिन जानबूझ कर डेलिबरेटली अगर किसी ने गलती की हो तो उसका पता लगाने पर और प्रमाण मिलने पर उसको सजा भी दी जानी चाहिये। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो व्यापक हैं, सार्वभौम हैं उनका मैं जिक्र करूंगा जिनके सम्बन्ध में मैं खास तौर से प्रकाश चाहता था, परन्तु प्रकाश पाने से वंचित रहा।

माननीय गेंदासिंह जी ने, वे इस वक्त यहां नहीं हैं, कुछ बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्लानिंग शब्द का शास्त्रीय अर्थ कुछ भी होता हो, परन्तु प्लानिंग का यह लक्ष्य तो होना ही चाहिये कि प्रत्येक नागरिक को भोजन मिले, भोजन केवल पर्याप्त नहीं बल्कि पौष्टिक भोजन मिले, संतुलित भोजन मिले, जल अच्छा मिले। प्रत्येक नागरिक के लिये वस्त्र का प्रबंध हो और सर के ऊपर एक छप्पर होना चाहिये, घर होना चाहिये। यह एक ऐसी कसौटी है कि जिस के सम्बन्ध में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। निश्चय ही किसी प्रकार की प्लानिंग हो, किसी देश में प्लानिंग हो, किसी तरीके से प्लानिंग की जाय, जरूर ही इन बातों का प्रबंध होना चाहिये। मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम इसका तो दावा नहीं करते कि इन बातों में हम संपूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं, हम यह भी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

दावा नहीं करते कि हम संपूर्णता के कहीं आस पास पहुंच गये हैं, लेकिन मैं इतना जरूर समझता हूं कि हम उस दिशा में जरूर चल रहे हैं और उस दिशा में चल कर हम लक्ष्य तक अवश्य पहुंच सकेंगे।

कुछ ऐसे मित्र यहां हैं जिनको कि जो कुछ भी काम हम ने किया उस में कोई अच्छाई दिखाई ही नहीं पड़ती। उनका ऐसा ख्याल है कि कुछ काम ही नहीं हुआ। मैं सिवाय इसके और क्या कह सकता हूं कि उन के साथ मेरी सहानुभूति है। वह दया के पात्र हैं। ऐसी आशा करनी चाहिये कि ऐसा भी कभी दिन होगा कि जब वह यथार्थ वास्तविकता को देख सकेंगे।

माननीय गेंदासिंह जी ने यह जिक्र किया कि चूंकि हमने इस बात को कह दिया है कि हम उत्तर प्रदेश में किसी को भूखा नहीं मरने देंगे इसलिये सरकारी अहलकार जो रिपोर्ट भेजते हैं वह प्रायः गलत रिपोर्ट भेज देते हैं इस माने में कि लोग जरूर भूखों मरते हैं, लेकिन वह बात हम से छिपाई जाती है। जब कभी भी मुझ से पहले माननीय पंत जी ने इस बात को कहा कि हम किसी को भूखा नहीं मरने देंगे या जब कभी मैंने इस को कहा तो कभी शेखी के साथ हमने इस बात को नहीं कहा। हम मनुष्य हैं। किसी के घर में दो, चार आदमी रहते हों और वह सम्पन्न हों, किन्तु फिर भी वह दावा नहीं कर सकता कि अपने दो, चार आदमियों में से मैं किसी को मरने नहीं दूंगा। जहां पर ६ करोड़ से ऊपर व्यक्ति रहते हों, गरीब प्रदेश हो, वहां कोई इस बात का दावा करे कि मैं किसी को भूखा नहीं मरने दूंगा, शेखी के साथ दावा करे, झूठी शेखी है। बिल्कुल ही झूठी शेखी है। हम ने झूठा दावा नहीं किया, शेखी नहीं की। हम ने यह जरूर कहा और मैं अब भी कहता हूं कि जहां तक मनुष्य के लिए सम्भव है इस बात का प्रयत्न करना कि कोई व्यक्ति भूखों न मरे, हम जरूर इस का प्रयत्न करेंगे। हमारा ऐसा लक्ष्य और संकल्प है कि हम लोगों को भूखा नहीं मरने देंगे, जहां तक मनुष्य के लिए संभव है। जो मनुष्य की शक्ति के बाहर की बात है उस को पूरा करने का दावा हम नहीं करते। अगर हमारे ऐसा कहने का यह परिणाम हुआ है कि हमारे अफसर झूठी रिपोर्ट देते हैं तो यह दुःख की बात है, अफसोस की बात है। इससे हम को खुशी नहीं होती। लोग भूखों मरते हों और हमारी बात को सच करने के लिए अगर झूठी रिपोर्टें अफसर देते हों, तो बुरा करते हैं। यह ऐसी चीज नहीं है कि जिस से हम को खुशी होती हो। मैं ऐसी आशा अब भी करता हूं कि जो रिपोर्टें आती हैं, वह सच होती हैं, लेकिन अगर ऐसी बात है कि लोग भूखों मर रहे हैं, उन के खाने पीने का प्रबन्ध नहीं हो रहा है, तो भले ही हमारी बात झूठी हो जाय, हमारा वायदा गलत हो जाय, लेकिन रिपोर्ट तो सच आनी चाहिए। अगर बीमारी का ठीक ठीक पता नहीं लगता तो दवाई भी ठीक नहीं दी जा सकती। बीमारी गंभीर है और उस को अगर हल्की बीमारी समझ लिया जायगा तो सम्भव है कि हम बीमार का इलाज करने जा कर मार ही डालें। हम को इस से खुशी नहीं हो सकती कि हमारे पास झूठी रिपोर्टें आयें।

गेंदासिंह जी की जल वाली बात से मैं सहमत हूं। हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि देहातों में शुद्ध जल पहुंचाया जाय और यह ठीक है कि इस के लिए उतना जबरदस्त आन्दोलन नहीं है जितना कि होना चाहिए। लेकिन जितना भी रुपया हम केन्द्र से खींच-खांच कर ले जा सकते हैं या अपने पास से निकाल सकते हैं उसे लगा कर हम आशा करते हैं कि इस काम में प्रगति अधिक होगी।

मकानों की बाबत उन्होंने कहा उससे मैं सहमत हूं। मकानों की आवश्यकता पहले भी थी और अब भी है। शहरों में मकानों की जरूरत अधिक थी और अब भी है लेकिन इसके साथ साथ देहातों के अन्दर भी मकानों के प्रोग्राम को बढ़ाने की जरूरत है। हम इसको समझते हैं और गवर्नमेंट आफ इन्डिया से बात चीत कर रहे हैं। अभी तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने हम को कुछ आशा दिलायी है कि शायद वहां से रुपया इस के लिए मिल सके। अगर

सारे प्रदेश के लिए नहीं तो कुछ ऐसी जगहों पर जहां बाढ़-ग्रस्त लोग रहते हैं उन जगहों में और उन देहातों में मकान बनाने के लिए कुछ रुपया मिल सकेगा। किसी तरीके से भी हो प्रदेश में अगर कहीं पर मकान बन सके तो यह अच्छा है। मुझे आशा है कि थोड़े थोड़े इसका विस्तार होता जायगा। थोड़ा बहुत रुपया हम को मिलना शुरू हो जायगा तो इस काम को हम शुरू कर सकेंगे। लेकिन यह काम शीघ्र हो जाय यह हम भी चाहते हैं।

कुछ जिकर जीपों के विषय में आया जो कि प्लानिंग के कामों के लिए जगह जगह फैली हुई हैं कि उनका बहुत दुरुपयोग होता है। मेरे भी सुनने में आया है कि उन जीपों का दुरुपयोग होता है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि यहां हजरतगंज में खड़े हो जाइये तो बहुत सी जीपें यहां खड़ी होती दिखायी देंगी। मैं इस चीज को मानता हूं। लेकिन उन जीपों को वापस लेने में दिक्कत है। उस की पहली वजह तो यह है कि वह हमारी सम्पत्ति नहीं हैं। ऐसा है कि जो यह हमारा प्लानिंग का काम चल रहा है इस काम के सिलसिले में गवर्नमेंट आफ इन्डिया को कुछ अमेरिकन एड मिलती है और उस अमेरिकन एड को गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने स्वीकार किया है और उसी हिसाब से उस प्रोग्राम के अन्तर्गत जहां जहां उन जीपों का रखना तय हुआ था, उनको फैलाया गया है। मैं नहीं जानता कि भारत सरकार ने कुछ उनके लिए दिया या नहीं। बहर हाल हम ने उन जीपों को नहीं खरीदा है। उन पर जो पेट्रोल खर्च होता है, उसका आधा खर्च गवर्नमेंट आफ इन्डिया देती है और आधा हम को अपने पास से देना पड़ता है। बहरहाल पैसा कोई भी देता हो, लेकिन वह भी पब्लिक का ही रुपया है। तो इस वजह से उन जीपों को वापस नहीं लिया जा सकता। अब हम ने इस किस्म की हिदायत दी है कि जिस ब्लाक की जो जीप हो उस ब्लाक का नाम उस जीप के ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में लिख दिया जाय। इस से एक बात हो जायगी कि जब जीप ब्लाक के बाहर जायगी तो दिखायी पड़ेगी कि फलां जीप अपने ब्लाक से बाहर गयी है। इस तरह से आशा है कि कुछ न कुछ दुरुपयोग कम हो जायगा। यह भी है कि बगैर स्पेशल परमिशन के जीप बाहर न भेजी जायगी। माननीय सदस्यों को भी मालूम होगा कि हर जीप पर लिखा जाता है कि वह फलां ब्लाक की है। ऐसा हो जाने के बाद मैं आशा करता हूं कि बहुत कुछ इन जीपों का दुरुपयोग कम हो जायगा। लेकिन जहां तक उन को वापस लेने की बात है उस पर हमारा कन्ट्रोल नहीं है।

प्लानिंग को कहो या किसी चीज का विचार हो एक आध बात भ्रष्टाचार की उस में जरूर आ जाती है। मैं सच कहता हूं कि भ्रष्टाचार की बात सुनकर मैं घबरा जाता हूं और मैं समझता हूं कि जो माननीय सदस्य इन बातों की चर्चा करते हैं वह भी कम नहीं घबराते होंगे। इस बात को गम्भीरता से सोचने की जरूरत है। माना जो लोग शिकायत करते हैं वह सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन आखिरकार इन चीजों पर बहुत ठंढे दिल से सोचने की जरूरत है। गजेन्द्रसिंह जी ने जैसा कहा अपने कटमोशन को पेश करते हुए मैं उस को मानता हूं कि भ्रष्टाचार इस वक्त सरकारी नौकरों में ही नहीं है बल्कि हमारे समाज में यह दोष आ गया है। हम सब को इस पर ठंढे दिल से सोचना है। आखिर जो सरकारी कर्मचारी हैं वह इसी देश के रहने वाले हैं। हम और आप भले आदमी समझे जाते हैं। हमारे घर के जो लड़के हैं वह भी इन सब बातों को सुनते होंगे कि रिश्वत लेना वगैरह कितनी बुरी चीज है। वह लड़का किसी ऐसी जगह पहुंचा जहां किसी किस्म से कुछ पैसे की बात हो तो हर लड़का बदनाम हो जाता है कि यह सरकारी कर्मचारी कितना खराब है। मेरा निवेदन यह है कि सरकारी नौकर को पकड़ना बड़ी आसान चीज होती है। जो सरकारी नौकर इस तरह की बात करता है, जो इस तरह की बात कर के सरकार को बदनाम करता है और भ्रष्टाचार की बात करता है निश्चय ही उसको दण्ड मिलना चाहिए, लेकिन यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है। बहुत से महकमे खुलते जाते हैं। पहले तो पुलिस ही बदनाम थी परन्तु अब बहुत से मुहकमे बदनाम होते जाते हैं। विकास

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

का मुहकमा खोला जाता है तो वहां से भी तरह-तरह की शिकायतें आती हैं। पंचायतों को भी लोग बदनाम करते हैं। नियोजन में बेईमानी होती है। सरकारी तरीके से जो तनख्वाह पाते हैं वह बेईमानी करते हैं, गैर सरकारी तौर पर जो काम करते हैं वे बेईमानी करते हैं। जब ऐसा है तो काम देश का कैसे चलेगा। जो लोग बेईमान हैं उनके कंधों पर स्वतंत्र देश का बोझ कैसे उठाया जा सकेगा? गिर पड़ेगा। देश रसातल को पहुंच जायगा। कोई भी आदमी जो बुरा काम करता है, नीच काम करता है उस को तो दण्ड दिया ही जाना चाहिए, लेकिन हमें सोचना यह है कि किस प्रकार से यह सब दुरुस्त हो।

एक सदस्य---दण्ड नहीं दिया जाता लेकिन उनका समर्थन किया जाता है। इस लिए यह बुराई दूर नहीं होती।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जो लोग जिम्मेदारी के साथ सोच नहीं सकते वे ऐसे ही कहा करते हैं। मैं यह कह रहा था कि गम्भीरता के साथ हर एक आदमी जो देश के हित की बात सोच सकता है उसको सोचना चाहिए, क्योंकि यह इस वक्त की बात है और आगे आने वाली पीढ़ियों की बात है कि देश के लिए यह लज्जा की बात है और जो इस प्रकार के नालायक लोग होते हैं वे देश और जाति के लिए कलंक होते हैं। अगर वे ऐसी बात करते हैं तो उनको दण्ड अवश्य देना चाहिए लेकिन जब हम यह सोचते हैं कि इस गम्भीर प्रश्न का उपाय क्या है तो हम चकरा उठते हैं। इसके लिए कोई भी कैम्पेन यदि हम सबको मिल कर करना पड़े तो करना चाहिए।

समाजवाद की भी चर्चा की गयी। जाहिर बात है बहुत से मित्रों को इसमें समाजवाद दीख नहीं पड़ा, बिलकुल नहीं दीख पड़ा। मैं क्या कह सकता हूं। मैं समझता हूं उन को इतना ही नहीं कि उसमें समाजवाद न दीख पड़ा हो, लेकिन उसमें उनको पूंजीवाद भी दीख पड़ा। कई शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ अलग-अलग होते हैं। पूंजीवाद भी उन शब्दों में से एक है। सन् १९२१ में एक शब्द चलता था और आजकल भी उसका बहुत फैशन हो गया है। वह है ब्योरोक्रैसी जिसका अनुवाद किया जाता है 'नौकरशाही', लेकिन उसका अनुवाद नौकरशाही कदापि नहीं हो सकता। लेकिन वह है। वैसा चल पड़ा है। उसी प्रकार से उनको इसमें पूंजीवाद दीख पड़ा। जहां तक हमारी बात है, हमारा यह कहना है कि हमारे कांस्टीट्यूशन के अन्दर जो हमारा लक्ष्य समाजवाद का है, कि समाजवादी व्यवस्था हम इस देश में कायम करेंगे, उसको हम जनतांत्रिक तरीके से कायम कर सकेंगे। जिस ढंग से रूस और चीन में करने की कोशिश की गयी, वह रास्ता हमारे लिए बन्द है। हमें वह काम लोकतांत्रिक ढंग से करना है। उसकी अच्छाइयां और बुराइयां भी हैं। तो हमारा ऐसा ख्याल है कि हमारे हर एक काम में इस चीज की झलक दिखायी पड़ती है और प्लानिंग में भी दिखायी पड़ती है। हां, हम ऐसा नहीं करते हैं कि किसी बात की २-४ लाइन लिखी और लिख दिया कि यह देखो समाजवाद का तमाशा। इस प्रकार विज्ञापन का काम नहीं किया जाता है। लेकिन सब कामों में समाजवाद वैसा ही ओतप्रोत है जैसे ---"ज्यों मेंहदी के पात में लाली लखी न जाय"। जिस प्रकार से मेंहदी के पत्ते में लाली दिखायी नहीं पड़ती है, उसी प्रकार से इसमें भी समाजवादी व्यवस्था दिखायी नहीं पड़ती। हां, आंखें हों तो देख सकती हैं।

यह जिक्र किया गया कि पब्लिक का सहयोग आज कुछ कम है और यह भी कहा गया कि यह सब सरकारी अधिकारियों का जो रवैया है उसकी वजह से है। इसके बारे में हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो प्लानिंग है उसका इतिहास क्या है। प्लानिंग का काम कैसे चला? शुरू में जो प्लानिंग का रूप था वह यही था 'आफीशियल प्लानिंग विद नान आफीशियल कोआपरेशन'। यदि आरम्भ में सरकारी इनिशियेटिव न होता तो यह प्लानिंग नहीं चल सकती थी। जो समझ में बात आयी उससे एक बार उसका श्रीगणेश कर दिया और यह सरकारी मशीनरी ने उसको किया और सरकारी अहलकार उसको एक हद तक ले

गये, जहां तक वे उसको ले जा सकते थे। मुझको इसमें सन्देह नहीं, अधिकांश की बात में कहता हूं, व्यक्तिगत बात नहीं कहता, कि वे जहां तक जा सकते थे, उनसे जितना हो सकता था, जितनी उनकी ट्रेनिंग थी, उस ट्रेनिंग को ध्यान में रखते हुए वे उसको आगे ले गये, लेकिन अब वह जमाना बदल गया है, अब जमाना दूसरा है। अब दूसरा स्टेज है। इस स्टेज में होना यह चाहिए कि "पीपुल्स प्लान विद आफिशियल कोआपरेशन" हो। किस तरह से चेंज ओवर हो। जो पहला प्लान था वह खतम हुआ और दूसरे प्लान का एक साल खतम हो गया। आगे भविष्य के लिए हम को जरूर सोचना है कि क्या तरीका किया जाय कि सच-मुच में "पीपुल्स प्लान विद आफिशियल कोआपरेशन" बन जाय। आफिसरों को बदनाम करने से और उन को बुरा भला कहने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। जितना काम उनसे हो सकता था, जितनी उनकी शक्ति थी, उसके अनुसार उन्होंने अच्छी तरह से काम किया, इसके आगे वे नहीं जा सकते थे। इसीलिए मैं ऐसा कहता हूं कि जो प्रकाश हमको चाहिए था वह प्रकाश नहीं मिला। खास तौर से श्री गेंदासिंह जी से मुझे आशा थी मगर इस तरफ उनका ध्यान नहीं गया कि हम क्या करें। आज हमारे सामने जो प्रश्न है वह बहुत महत्व का प्रश्न है। पहले हमारे यहां एन० ई० एस० ब्लाक था, उसके बाद इंटेंसिव डेवेलप्मेंट ब्लाक होता था। लेकिन अब हम को नार्मलाइजेशन के लिए सोचना है। जब एन० ई० एस० ब्लाक और इन्टेंसिव डेवेलपमेंट ब्लाक का काम शुरू हुआ तो सोचा गया कि सारे विभाग के द्वारा शासन होगा। आगे हमको सोचना है कि आगे क्या यही तरीका रखें, कि नार्मलाइजेशन हो जाय। ब्लाक के जमाने में आफिसरों के साथ काम हुआ, उसके बाद क्या हो, इस पर हम को और आपको सोचना होगा, आपके और हमारे दिमाग में इस तरह की बातें आती होंगी, केन्द्र के लोग भी सोचते होंगे। तो सब लोगों को मिल कर इस बात को सोचना है कि कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि जिस जिम्मेदारी के साथ काम होना चाहिए, उस जिम्मेदारी के साथ काम हो, लेकिन उसमें जनता का पूरा पूरा सहयोग हो। सहयोग ही नहीं बल्कि जनता सोचे कि वह उसका अपना काम है और सरकार की पूरी मशीनरी जनता के साथ हो। इस सम्बन्ध में जो हमारी पालिसी है उसको मैं आपके सामने रखता हूं। फिर आप इसके ऊपर विस्तार से सोचें व इस पर बात करें।

पहले जब यह काम शुरू हुआ तो प्लानिंग का एक अलग विभाग नहीं था। कोई काम शिक्षा विभाग का करना हो, कोई काम उद्योग विभाग का करना हो, कोई काम कृषि विभाग का करना हो, कोई काम किसी विभाग का करना हो तो बजाय इसके कि अलग-अलग काम हो सबका नार्मलाइजेशन होना चाहिए तथा हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि जिस विभाग के लिए प्लान बने उस विभाग का जो आफिसर हो वह तो उस प्लान के बनाने में हिस्सा ले और उस प्लान को कार्यान्वित करने का काम विभाग का होना चाहिए। सब काम अलग-अलग होना चाहिए। किसी विभाग के दिमाग में यह बात नहीं आनी चाहिए कि प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे ऊपर काम लादा जा रहा है। एक्जीक्यूट करने का काम डिपार्टमेंट का होना चाहिए और इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि कोई काम प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से न रखा जाय। इसीलिए कृषि के बजट पर बोलते हुए माननीय कृषि मन्त्री ने कहा था कि प्लानिंग का कृषि विभाग से सम्बन्धित जो काम होगा उस के ऊपर कृषि विभाग का कन्ट्रोल होगा। तो इस प्रकार से हर डिपार्टमेंट प्लानिंग को अपना काम समझे। दूसरी बात यह है कि इसमें जनता का सहयोग लिया जाय। इसमें करोड़ों रुपया खर्च होगा, सरकारी रुपया खर्च होगा, इसलिए कोई गलत चीज नहीं होनी चाहिए।

कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका जिक्र हवा में आ चुका है और अखबारों में भी कुछ चर्चा आ चुकी है, इसलिए निश्चित रूप से नहीं, लेकिन पालिसी के रूप में मैं आप से कहता हूं, उसको आप समझें। पहले हमारे यहां जिले में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होते थे, जिनके पास रुपया होता था जिससे

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

वे शिक्षा का कुछ काम करते थे और कुछ सड़कें वगैरह भी बनवा देते थे, लेकिन आज तो उन बेचारों के पास रुपया ही नहीं है, जिससे वे कोई काम कर सकें और एक तरह से वे बेकार ही हैं और सचमुच में उनके पास आज कोई काम भी नहीं है। जिले में जो प्लानिंग कमेटी होती है, उस में सरकारी आफिसर हैं और जनता के चुने हुए आदमी भी हैं। तो इसमें मुझे सन्देह नहीं कि जनता के चुने हुए आदमी उसमें होने से काम बहुत हो सकता है। हमारी कोशिश है कि ऐसे कौन से तरीके अपनाये जायं कि जिलों में ऐसे बाडीज बन सकें जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कहलायें, या डेवलपमेंट बोर्ड कहलायें, कुछ भी उन का नाम रहे, और जो काम आज स्टेट के विभाग प्लानिंग का कर रहे हैं वह करीब-करीब सब उनके सुपुर्द कर दिये जायं। इसका ब्योरा अभी हमें सोचना है और अगर अच्छी चीज होगी तो उसको जरूर हर एक आदमी पसन्द करेगा और मैं समझता हूं कि इसके बाद इस तरह की शिकायत नहीं रहेगी कि जनता के हाथ में शक्ति नहीं दी जाती है। हो सकता है बहुत से सवाल ऐसे हों कि जो जिलों में हल न हो सकें, जो आज के से जिला बोर्ड है वह तो नहीं रह सकेंगे, उनका भी कांस्टीटूयूशन हमें बदलना होगा, जिस तरह के आदमी हमारे यहां स्टेट विभागों में हैं ऐसे आदमियों को वहां लाना होगा या कैसे काम आगे बढ़ाया जायगा, किस तरह का उनका स्वरूप होगा यह सब हम अभी सोचेंगे, लेकिन यह निश्चय है कि सरकारी अफसर अब उसको ज्यादा दूर नहीं ले जा सकते। वह बुरे भले जैसे भी हैं उन की जरूरत हमें आगे नहीं रहेगी और उस का सारा काम जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में आ जायगा।

यहां पर पंचायतों का भी सवाल उठाया गया। पंचायतें हमारे यहां बनीं, हमने उनको कायम किया और उनका काम चल रहा है। अब जिला बोर्डों और पंचायतों का क्या सम्बन्ध हो यह सोचने की बात है, लेकिन जो भी हो पंचायतों का प्लानिंग में बड़ा स्थान है। इस सम्बन्ध में एक चीज का जिक्र करना मैं जरूरी समझता हूं। एक माननीय सदस्य ने इस रिपोर्ट का एक भाग पढ़ा, यह तो मैं कैसे कहूं कि अंग्रेजी समझने में उनकी गलती हुई, मेरे समझने में ही गलती हुई होगी। उन्होंने उसको पढ़ा और उसका मतलब लगाया कि हमारे यहां पंचायतें असफल रहीं। यह जो इवैलुएशन रिपोर्ट थी उसमें एक वाक्य था कि :—

"Items involving change in organisational attitudes in the political field such as better understanding of the objectives and responsibilities of panchayat membership and readiness to use panchayats for planning and executing village development programmes are comparatively unsuccessful".

यानी पंचायतों से काम लेने का प्रयत्न प्रायः सफल रहा। लेकिन उन्होंने मतलब दूसरा ही उसका निकाला। इसके बाद उन्होंने मसूरी की डेवलपमेंट कांफ्रेंस की जो रिपोर्ट है उसका एक उद्धरण दिया कि :—

"In regard to the observation that 'readiness to use panchayats for planning and executing village development programmes are comparatively unsuccessful' it was noted that these observations may not apply to certain States (e. g. U. P., Punjab and Orissa etc.)"

उन्होंने ठीक उल्टी बात कही कि यहां पंचायतों के द्वारा काम लेने में बिलकुल असफलता रही, बात यह थी कि जो उन का यह आबजरवेशन था वह यू० पी० और पंजाब व उड़ीसा पर लागू नहीं होता, इस के माने यह हुए कि यहां अच्छा काम उन के द्वारा हुआ और सफलता रही। तो इस रूप में उन्होंने उस बात को रखा। मेरा कहना यह है कि हमारी पंचायतें चल रही हैं, उन के काम में आदमी गलती करते हैं, गलती करके ही लोग कुछ सीखते हैं आगे बढ़ते हैं, पानी में घुसे बिना तैरना नहीं आता, लोगों को हमने तैयार किया है, एक प्रयत्न किया है। हो सकता है उस में गलती भी हुई हो, लेकिन यह तो किसी की भी राय नहीं हो सकती कि इन

पंचायतों को तोड़ दिया जाय, बल्कि इस वक्त तो दूसरे प्रदेशों में भी जहां पंचायतें नहीं हैं वहां उनके कायम करने की बात हो रही है। तो एक तरफ तो मैं ने आप के सामने डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स की बात रखी, उन का क्या स्वरूप हो, वह हमें सोचना है, क्या पंचायतों से उन का सम्बन्ध हो। मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा प्रकाश इस चीज पर डाल दूं और मैंने थोड़ा सा जिक्र उस का कर दिया। इस पर हम लोगों ने बातचीत भी की है और बाहर के लोगों से भी मशविरा किया है और लोगों ने इस ख्याल को पसन्द भी किया है और कहा है कि यह एक अच्छा प्रयोग होगा। तो इस तरह से हम इन प्लानिंग कमेटियों को और जिला बोर्डों को करीब ला सकें तो बहुत अच्छा होगा। अब इसका ब्योरा अभी हमें सोचना होगा। आज तो डिस्ट्रिक्ट बोर्डस को सरकार की तरफ से ग्रान्ट मिलती है उसे वह खर्च करते हैं, अब आगे अगर इस तरह की ऐसी कोई कौंसिल्स बनीं तो करोड़ों रुपया सरकार का उनके द्वारा व्यय होगा, कैसे उसका प्रबन्ध किया जाय, ताकि रुपया ठीक से खर्च हो और सरकारी अफसरों का वहां क्या स्थान रहे ये सब सवाल हैं। अगर इस चीज को हम आगे बढ़ा सकें और बना सकें तो आप सोचें कि वह चीज सोशलिज्म की तरफ बढ़ने के लिए एक अच्छी चीज होगी और जिसे हम समाजवादी व्यवस्था का अपना स्वप्न कहते हैं उस की ओर से जाने वाला यह चीज होगी।

इस के बाद सवाल यह है कि जिलाधीशों का क्या स्थान हमारे यहां होगा। इस के बारे में अभी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जैसा कि मैं ने सदन को बताया इस तरह की अगर कोई व्यवस्था हमारे यहां आ जाती है तो उसमें हमें सोचना होगा कि जिस तरह के हमारे जिलाधीश हैं उस तरह के अफसरों की जरूरत रहेगी या नहीं। यह बड़ा भारी सवाल हमारे सोचने का है। अब जो केन्द्र ने सोचा है वह इस तरह से सोचा है कि जब कि उस जगह इन्टेंसिव डेवेलप्मेंट ब्लाक खत्म होगा और पोस्ट डेवेलप्मेंट जमाना आ जायगा, तो मुझे ठीक याद नहीं पड़ता शायद ३३ हजार रुपया या कितना रुपया वह थोड़े से लोगों की तनख्वाह के लिए देगी। हमको ही सारा चलाना है। जहां लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है वहां ३३ हजार रुपया तो तमाशा है। तो जब हमको ही चलाना है तो हमें जरूर सोचना चाहिए कि जो हमारा रुपया है उसका अच्छे से अच्छा उपयोग हो सके और हम अपने यहां अच्छी से अच्छी व्यवस्था कर सकें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि प्लानिंग के काम में बहुत सी गलतियां होंगी। लेकिन जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने कहा हमने अपने देश में स्वाराज्य की प्राप्ति के बाद जो भी काम किये हैं उनमें से यह एक बहुत बड़ा काम है प्लानिंग का। अगर यह काम किसी वजह से असफल होता है तो एक बहुत बुरा चीज होता है। बहुत बड़ा धक्का लगता है कई चीजों को।

दुनियां में सब से पहले प्लानिंग रूस में शुरू की गयी। उसके पहले और किसी ने नहीं किया। उसके सिवा एक बड़े स्केल पर किसी देश ने नहीं किया। केवल इसी देश ने शुरू किया साथ ही प्लानिंग का किया एक डेमोक्रेटिक तरीके पर। इसलिए हमारे कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम इस काम में असफल होते हैं तो लोगों को कहने को हो जाता है कि लोकतन्त्रीय तरीके पर प्लानिंग नहीं हो सकती। प्लानिंग हो सकती है तो डिक्टेटरशिप से हो सकती है। मैं ऐसा मान लेता हूं कि जितने माननीय सदस्य यहां बैठे हैं चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, उन में से अधिकांश डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। हम ऐसा समझते हैं कि हमारे देश का निर्माण डेमोक्रेसी से हो सकता है। हम को अपनी प्लानिंग को सफल करने के लिए, डेमोक्रेटिक प्लानिंग के जरिये ही अपने प्रदेश का उत्थान करना होगा। हमको दिखलाना होगा कि डेमोक्रेटिक प्लानिंग सफल हो सकती है।

इसलिए मेरी एक अपील है कि अपनी अलग राय रखते हुए, बिना सिद्धान्तों का त्याग किये हुए कुछ दिनों के लिए इस बात को कर के देख लें कि क्या हम किसी किस्म का पोलिटिकल ट्रस कर सकते हैं? जैसा कि युद्ध में होता है, कुछ दिनों के लिए उत्तर प्रदेश

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

में करके देख लें। किसी का किसी के साथ मर्जर नहीं। लेकिन एक बार पांच, सात वर्ष के लिए क्या एक पोलिटिकल ट्रस कर सकते हैं? हम सब मिलकर इस बात को सफल करके दिखला दें, उत्तर प्रदेश की शान के लिए और डेमोक्रेसी की बातको करने के लिए। अगर हम इस बात को कर सकें तो इससे उत्तर प्रदेश का ही नहीं, सारे हिन्दुस्तान और संसार का भला होगा। यह हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा।

मैं सबसे अपील करता हूं कि इस बात को हम एक बार चाहे किसी पोलिटिकल पार्टी के हों कुछ दिनों के लिए हम उस झगड़े को वहीं का वहीं छोड़ दें। जब हमारा देश सम्पन्न हो जायगा फिर हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। एक गरीब देश, भूखे नंगों का देश, उस पर शासन करने का लुत्फ ही क्या? लुत्फ तो तब है जब कि एक बार वह सम्पन्न हो जाय। तो जो चाहे राज्य करे।

मेरी सब से गम्भीरता के साथ निश्चित अपील है। हम लोग एक बार बैठ कर तय कर लें कि कुछ दिनों के लिए हम पोलिटिकल ट्रस कर सकते हैं। फिर शायद उत्तर प्रदेश की नकल दूसरे प्रदेश भी करें। आज जो बातें होती हैं पोलिटिकल दृष्टि से होती हैं। आप जो बात कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद पोलिटिकल दृष्टि से ऐसा कह रहे हैं। इसी तरह से जो बात हम कहते होंगे आपको लगता होगा।

इस चीज को सफल बनाने के लिए अगर हम एकमत हो सकें तो बहुत बड़ा काम होगा।

इस अपील के साथ, जैसा कि कहा जाता है प्रार्थना करता हूं कि यह एक रुपया मेरा न काटा जाय, बल्कि प्लानिंग के काम में लगाने के लिए मेरे पास रहने दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय गजेन्द्रसिंह, आपको माननीय मुख्य मंत्री की आखिरी मांग मंजूर है?

श्री गजेन्द्रसिंह—जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३—योजना और एकीकरण—लेखा शीर्षक: ६३-क—युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय और ६३-ख—सामुदायिक विकास योजनाएं—राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य के अन्तर्गत एक रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३—योजना और एकीकरण—लेखा शीर्षक: ६३-क—युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय और ६३—ख—सामुदायिक विकास योजनाएं—राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य के अन्तर्गत ८,८४,४४,९०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४०—लेखा शीर्षक ५७—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान

श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि (जिला हरदोई)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करना चाहता हूं कि इस अनुदान पर लगभग ४० माननीय सदस्यों ने कटौती का प्रस्ताव किया है अगर १०, १० मिनट भी दिये गये तो दो घंटे का समय नाकाफी है। इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि १ घंटे का समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--इस सम्बन्ध में सदन ने एक फैसला कर लिया है कि २ घंटे का समय रहेगा। अगर कोई दूसरा रास्ता निकाल लें जैसे कि १० मिनट के बजाय ५ मिनट या ७ मिनट माननीय सदस्य बोलें तो वह ठीक रहेगा। लेकिन पहला प्रस्ताव पास नहीं होगा।

श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)--मेरा प्रस्ताव है कि ५,५ मिनट के भाषण हों।

श्री उपाध्यक्ष--यह अच्छा रास्ता है। मैं समझता हूं कि आप लोगों को स्वीकार है।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि १० मिनट और ७ मिनट रख दिये जायं क्योंकि कुछ आदमी जो कटमोशन रखेंगे उनको १० मिनट का समय दिया जाय और जो उसका समर्थन या विरोध करें उनको ७ मिनट दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--ठीक है। माननीय गंगा प्रसाद जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि कटौती के प्रस्तावक को १० मिनट और बाकी को ७ मिनट दिये जायं, इसके बारे में मैं समझता हूं सभी लोग सहमत हैं।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--उपाध्यक्ष महोदय, १० मिनट में जो रिप्लाई देने का समय है वह न शामिल किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--तो १२ मिनट रख दिये जायं। मैं ८ मिनट पहले भाषण करने के लिये रखूंगा और ४ मिनट जवाब देने के लिये दूंगा।

हरिजन सहायक राज्य मंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफ़ारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४०--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान-लेखा-शीर्षक : ५७--विविध के अन्तर्गत ९५,५५,३०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

हमारे इस सूबे में शायद हिन्दुस्तान भर में सब से ज्यादा हरिजनों की बस्ती है और मेरा ख्याल यह है कि शायद ही ऐसा कोई गांव होगा आम तौर से जहां कि हरिजनों की कम और बेश बस्ती न हो। इसमें भी कोई शक नहीं कि जो उनकी बस्तियां हैं वे आम तौर से गांवों की सबसे खराब जगह हैं। हम कई साल से उनकी तरक्की में लगे हुए हैं और हमने कुछ आगे बढ़ने का प्रयास और प्रयत्न किया है। आज से कुछ वर्ष पहले हरिजनों की तरक्की के लिये शिक्षा के लिये ५० हजार रुपये से इस काम को शुरू किया था। आज जो बजट पेश किया गया है वह करीब ९५ लाख रुपये का है। आप देखते हैं कि उस तरफ काफी जोरों से हमारा कदम बढ़ रहा है। लेकिन इसमें दो रायें नहीं हैं कि अब भी उनकी मुश्किलात, दिक्कतें, परेशानियां हैं और उनकी आर्थिक दशा बहुत खराब और शोचनीय है। हमको उसको दूर करने के लिये बहुत मेहनत करनी है और काम करना है।

सरकार की तरफ से थोड़ा पैसा पहले रखा गया था, कोई विभाग उसके लिये अलग नहीं था। लेकिन १९५१ में एक हरिजन सहायक विभाग कायम किया गया और एक डायरेक्टर रखा गया और गवर्नमेंट उस काम को चलाती रही। एक हरिजन सहायक बोर्ड भी रहा। लेकिन १९५७ से उसका विभाग बिल्कुल अलग हो गया, उसके एक मंत्री बनाये गये और पिछले साल ८५ लाख रुपये की ग्रान्ट इस सदन ने दी थी। इस साल वह बढ़ के ९५ लाख हो गई है। सरकार उनकी दिक्कतों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील है और हर साल सरकार ग्रान्ट को अपनी आमदनी के लिहाज से बढ़ा रही है। और कोशिश इस बात की है कि जो सहूलियतें उनको चाहिए उनकी तरफ सरकार का ध्यान हो।

[श्री मंगला प्रसाद]

आजकल सब से ज्यादा खर्च शिक्षा के ऊपर हो रहा है। आम फीस माफी के रूप में, किताबें, आदि देने में, स्कालरशिप, स्टाइपेंड हरिजनों के बच्चों को देने में सब से ज्यादा रुपया खर्च होता है। हमारे हरिजन भाई और पिछड़े हुए लोगों में शिक्षा की बड़ी कमी थी। वैसे तो देश भर में शिक्षा की कमी थी और शायद सन् ४७ के पहले आठ परसेंट या नौ परसेंट कुल शिक्षा इस प्रदेश की थी। अब जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है काफी जोर से उसमें प्रगति हुई है। पिछले साल ५६–५७ में ५ लाख से अधिक विद्यार्थी हरिजनों के इस सूबे में पढ़ रहे थे जब कि और सब की तादाद जितने शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं उनकी सब की तादाद ४०, ४५ लाख के होगी। इनमें ५ लाख हरिजनों की तादाद थी जो कि पहले दर्जे से लेकर बी० ए०, एम० ए० तक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। मुझे आशा है कि इसमें काफी वृद्धि और तरक्की दिनों दिन होती जायगी। अभी सन् ५१ में जो इसका बजट था वह ५ लाख रुपये के करीब था। आज वह ९५ लाख का हो गया है। यही नहीं पिछले साल बजट तो हमारा ८५ लाख का था लेकिन कुल खर्चा हुआ था करीब १ करोड़ १४ लाख के। कुछ रुपया हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है खर्च करने के लिए वह इसमें शामिल नहीं है। तो वह सब मिला कर इस साल भी पहले से ज्यादा ही होगा। तो सरकार बराबर इस तरफ आगे बढ़ रही है। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बयान देते हुए कहा था कि हरिजनों के बारे में जो सुविधायें (फैसिलिटीज़) हैं, जो उनके लिये पैसा दिया जा रहा है वह बराबर कायम रहेगा। उसको कम करने का सवाल नहीं है। कुछ ऐसा सवाल वहां पैदा हुआ था। तो इससे साफ है कि सरकार की नीति इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है।

शिक्षा के बाद जो सब से जरूरी काम हरिजनों के लिए या पिछड़ी जाति के लोगों के लिए हो सकता है वह उनके लिए कोई रोजगार या नौकरी चाकरी, कोई आमदनी का जरिया पैदा करने का है। उसके लिए भी काफी सरमाया लगाया जा रहा है। असल बात यह है कि रोजगार चलाने के लिए कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए तब कोई रोजगार या कारखाना या मिस्त्री का काम चल सकता है। तो पिछले साल, तादाद बहुत कम थी, ८४५ आदमियों को रुपया दिया गया था रोजगार चलाने के लिए। वह ऐसे तो बहुत कम है। जहां करोड़ सवा करोड़ हरिजन बस्ती इस सूबे में है वहां आठनौ सौ को अगर कोई पैसा दिया जाता है रोजगार चलाने के लिए तो बहुत कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक और ध्यान सरकार का है, वह यह कि काफी लोगों को शिक्षा दी जाय, टैक्नीकल और तरह-तरह के रोजगार चलाने की ट्रेनिंग उनको दी जाय और उनकी कोआपरेटिव सोसाइटी बना करके और व्यक्तिगत भी उनकी मदद की जाय और तब उनका कारोबार जो चल सकता है इस कारोबार को सिखा कर उसको फालो आन करने की बात है। जो सीख जायं उनसे आशा है कि वह उस काम को चला करके अपना पेट भर सकें और आमदनी कर सकें। सरकार इसके लिए प्रयत्नशील है।

इस साल दूसरा बहुत जरूरी काम, जिसकी तरफ ध्यान अभी तक नहीं रहा है और उसके लिए कोई आपके इस बजट में पैसा भी नहीं है वह सभी जानते होंगे कि इस सूबे में हरिजनों की आबादी जो १५–२० वर्ष पहले थी उससे बहुत ज्यादा बढ़ गयी है, लेकिन उनके जो रहने के स्थान थे, जो मकानात थे, जितनी जमीन उनके पास थी वही अब भी है। दूसरी तरफ उनकी आबादी डयोढ़ी और दूनी हो गयी है।

एक सदस्य—कुछ फर्जी लोग तो नहीं बन गये हैं हरिजन?

श्री मंगलाप्रसाद--मैं ऐसे सवालों का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। आपके यहां देश की जितनी आबादी थी वह ४०-५० वर्ष के अन्दर डचोढ़ी हो गयी है। मैं समझता हूं कि हरिजनों की तादाद भी उसी लिहाज से डचोढ़ी हो गयी। गो कहा यह जाता है कि जो गरीब होते हैं उनकी तादाद ज्यादा बढ़ती है तो यह सही है कि और लोगों की तादाद से हरिजनों की तादाद ज्यादा बढ़ी है। आपने तो बड़ी-बड़ी जगहों पर कब्जा कर लिया है, पहले से ही बड़े-बड़े मकान अच्छे स्थानों पर बना रखे हैं, उनके पास रहने के लिए स्थान तक नहीं है। आपके पास सौ, दो सौ बीघा जमीन होगी, आप उनकी दिक्कतों को आम तौर से आसानी से महसूस नहीं करेंगे। उनके लिए कोई तकलीफ दूर करने का प्रयत्न होगा तो सभी भाई इस तरफ के और उस तरफ के मुझे आशा है कोशिश करेंगे कि उनकी दिक्कतें दूर हों। कम से कम सुनने की कोशिश तो कीजिये, देने की बात हो तो मत दीजियेगा।

सब से बड़ी समस्या हमारे हरिजनों की यह है कि उनके पास एक कमरा या डेढ़ कमरा है, इसी में एक-एक खानदान और दो-दो खानदान रहते हैं। उसकी दो पतोहू हैं, दो लड़के हैं, वह सब उसी में रहते हैं। जितनी जगह उसके बाप-दादा के जमाने में थी, उतनी ही अब भी है, उनको जगह पाने का कोई साधन नहीं है। आज इस बात की जरूरत है कि जहां-कहीं उनकी आबादी है वहां पर थोड़ी जमीन गांव वाले देने की इनायत करें, मेहरबानी करें। उनको अपना एक अंग और साथी समझ कर और छोटा भाई समझ कर हर गांव में उनको जमीन निकालनी चाहिये। यह उनकी सबसे बड़ी जरूरत है। वह इस प्रकार मिली जमीन में एक छोटा मकान बना कर पांव फैला कर रह सकते हैं। इसके लिए कोई पैसा इस बजट में नहीं है। मैं इस बात की कोशिश कर रहा हूं कि उसके लिए पैसा प्रोवाइड कराऊं। आज तो नहीं है, लेकिन आइंदा हो जायगा। कोई तरीका ऐसा अख्तियार किया जायगा जिसमें इस काम के लिए भी थोड़ा पैसा हो। अगर हमारे पास लाख रुपया हो तो ५ महीने के अन्दर ५ लाख की जमीन हम इकट्ठी कर सकते हैं, बाकी जमीन लोगों की इनायत से मिल सकती है और जहां कहीं नहीं मिलेगी वहां पर कुछ एक्वायर करेंगे। इस महत्वपूर्ण काम के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं और मेरा खयाल है इसमें हमें कामयाबी होगी। यह एक बहुत जरूरी काम है। मैं समझता हूं शिक्षा के बाद दूसरा जरूरी काम हरिजनों के लिए रहने का स्थान, उनके लिए पैर फैलाकर सोने की जगह का इन्तजाम सबसे ज्यादा आवश्यक है।

उसके बाद रोजगार है। रोजगार की तो देश भर में कमी है। जितने बेकार लोग हैं उनको बारोजगार करने का काम हो रहा है और उसमें हरिजन भी आ जाते हैं। उनका भी विकास होगा और उनके लिए अलग से भी ट्रेनिंग और रोजगार की व्यवस्था के तरह-तरह के काम चलाये जा रहे हैं, उसमें रोजबरोज वह तरक्की करते जायंगे।

मैं दो एक बातें और कहना चाहता हूं हमने इस साल थोड़ा सा रुपया क्षय रोग के लिये रखा है। जब कोई काम शुरू होता है तो इसी तरह से होता है। बहुत से लोग कहेंगे कि क्षय रोग के लिये यह २३,००० रुपया क्या होता है। एक मजाक सा मालूम होता है। लेकिन देखिये तमाम चीजें टोकिन ग्रांट से ही शुरू होती हैं। एक स्कूल को ग्रांट दस रूपया से मिलना शुरू होती है और वह तीन हजार तक मिलने लगती है। अभी हमें यह २३,००० रुपया बांटना है और इससे कुछ लोगों को फायदा पहुंचेगा ही। आपने देखा कि ५० हजार रुपये से बढ़ाकर आज हमने ९५ लाख रुपये का बजट पेश किया है। पहले हमारे यहां क्षय रोग के २०० बैड्स थे जो आज एक हजार हो गये हैं। इसी तरह से जो लोग गरीब हैं और जिन को दवा दारू की जरूरत होगी उन को मदद मिल

[श्री मंगला प्रसाद]

सकती है। यदि आवश्यकता होगी तो यह रकम बढ़ जायगी और जितना लाभ दिया जा सकता है उतना दिया जायगा।

इस के अलावा एक और नया आइटम यह रखा गया है कि इन ५-७-१० वर्षों में जो हरिजनों में काम हुआ है उस का सर्वे किया जाय कि कितना काम हुआ है और इस बात का भी सर्वे किया जायगा कि कितना काम करना है। इसके लिये १६,००० रुपये का अनुदान रखा गया है। जब कोई काम किया जाता है तो उस के पीछे मंशा छिपी रहती है। इसके पीछे मंशा यही है कि जो कमियां हैं उनको धीरे-धीरे दूर किया जाय। लेकिन जितनी चादर है उतने ही पांव फैलाये जा सकते हैं। हम इन कमियों को दूर करने के लिये, मिटाने के लिये ही जांच करवा रहे हैं।

आज हमारा एक विभाग हरिजन विभाग के नाम से अलग हो गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिन आइटम्स के लिये रुपया बजट में है उन्हीं तक हमारी कार्यवाही महदूद रहेगी बल्कि हमारा जो आर्गेनाइजेशन है वह अगर सही तरीके से काम करें जैसे कि मिशनरी करती हैं तभी सफलता मिलेगी और अगर जरूरत होगी तो हम उनको ट्रेनिंग वगैरह देने के लिये भी तैयार हैं। जब हमारा और आपका सबका सहयोग होगा तभी हम प्रगति कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। इस सिलसिले में मैं यह निवेदन कर रहा था कि सबकी मदद की आवश्यकता होगी। आज उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। यह एक फैक्ट है, एक वाकया है, जिस को आप जानते हैं और हम भी जानते हैं। मैं पहले कोआपरेटिव विभाग में था तो हरिजनों को बराबर १८ फीसदी जगहें मिलती रहीं। पिछले साल हमारे मुख्य मंत्री जब पुलिस मंत्री थे, तो दरियाफ्त करने से मालूम हुआ, कि जब सब-इंस्पेक्टरों को मुकर्रर किया गया तो १८ फी सदी हरिजनों को रखा गया हम इस तरह आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सूबे भर में जितनी नियुक्तियां होती हैं उनमें हरिजनों को पर्याप्त जगह नहीं मिलती। १८ फी सदी तो मिलता ही नहीं, उससे बहुत कम मिलता है। यह अभी हमारे बहुत से भाई शिकायत करेंगे। इस तरफ भी हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि काफी लोगों को नौकर करा सकें। दिक्कत यह है कि एडवर्टिजमेंट होता है कि ६०० आदमी कोआपरेटिव सोसायटीज में लिये जायंगे तो १८ फीसदी के हिसाब से सौ के करीब आता है लेकिन दरख्वास्तें कुल ४० ही आती हैं और उन ४० में भी जब उनका इम्तिहान होता है तो कम नम्बर रखने पर भी २० ही पास होते हैं। तो ऐसी हालत में कोटा पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा आज हमारे हरिजन भाईयों के पास देहात में अखबार नहीं पहुंचता जिसकी वजह से उनको एडवर्टिजमेंट का पता ही नहीं चलता कि कब हुआ। तो हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि जो पढ़ेलिखे लोग हों, जो नौकरी चाहते हों। टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहते हों उनकी एक लिस्ट बनायें और एम्पलायमेंट एक्सचेंज में उनके नाम लिखायें। हालांकि इस काम के लिये इसमें बजट प्राविजन नहीं है लेकिन हम ऐसा करने का प्रयत्न करेंगे। कहने का मतलब यह है कि पैसा बांटने के अलावा जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिये जो भी काम उन का हो हम करें, चाहे वह रोजगार दिलाने का हो, चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो उस में कोई गड़बड़ न हो। कहीं लीकेज होता हो तो उस को रोका जाय। इन सब चीजों की तरफ हमारा ध्यान है और मैं सदन के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जब किसी को किसी तरह की बात मालूम हो तो वह हम को खबर कर सकते हैं। इत्तफ़ाक से मैं चीफ़ व्हिप भी हूं जिस की वजह से अपोजीशन के लीडर से हमारी काफ़ी दोस्ती रहती है तो वे आसानी से मुझ से कह सकते हैं।

मैं ज्यादा समय न लूंगा, बहुत लोग उत्सुक हैं बोलने के लिये लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि हरिजनों की गरीबी के बारे में, उनके रहनसहन के बारे में, उनके मकानों के बारे में, उन के सैनिटरी कंडीशन्स के बारे में जितना और हरिजन भाई जानते हैं उतना मैं भी जानता हूं। मैं इस विभाग में नया आया हूं इसलिये यह चाहता हूं कि आप सब सुझाव दें जिन्हें मैं नोट करूंगा और जहां तक हो सकेगा उन दिक्कतों को दूर करने के लिये कोशिश करूंगा। साथ ही साथ मैं

वह भी प्रार्थना करूंगा कि वे हमको अपना पूरा सहयोग दें और हम सब मिलकर देश की जो यह कमजोरी है उसको दूर करें। मैं इस काम को इस तरह से मानता हूं कि देश हमारा एक शरीर है और उसमें पिछड़े भाई हमारे एक कमजोर अंग हैं। हर आदमी महसूस कर चुका होगा अपनी जिन्दगी में कि अगर कभी एक अंग खराब या कमजोर हो जाता है तो फिर कुल शरीर काम नहीं करता। इसलिये हमारे देश में जो पिछड़े हुये लोग हैं उनको हमें ऊंचा उठाना है और जब तक हम यह नहीं करेंगे तब तक हमारे देश की जो बाडी पोलिटिक्स है, जो हमारा शरीर है पूरे देश का यह शक्तिशाली नहीं हो सकता। इसलिये हम सब जो इस देश के रहने वाले हैं उनका कर्त्तव्य है कि इस ओर तेजी से कदम बढ़ावें और इस महान काम में पूरे तौर से लग जायं और भेदभाव का कोई खयाल न रखें। इतना कहकर अब आप लोगों को सुनने के बाद मैं फिर कुछ कहूंगा।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से अनुदान संख्या ४०--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान--लेखा शीर्षक:५७--विविध के सम्पूर्ण अनुदान के अन्दर १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव करता हूं।

श्रीमन्, आज प्रदेश में हम यह देखें कि जो सत्तारूढ़ दल है वह अब से नहीं, बल्कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय या उस से पहले से ही, बराबर इस प्रकार के नारे लगाता रहा कि हम हरिजनों का उत्थान करें, पिछड़ी जातियों को उठायें, लेकिन आज दस साल हो गये, वे जातियां कितनी उठीं, इसका पूरा रचनात्मक रूप आज हमारे सामने उपस्थित है। श्रीमन्, मैं इस बात को मानने के लिये तयार हूं कि उन्होंने कुछ पद देकर कुछ लोगों को बढ़ा दिया, कुछ लोगों को सर्विस दिला कर ऊंचा उठा दिया, परन्तु जो वास्तविक समस्या है, उसकी ओर यदि हम ध्यान दें, तो हम उधर शून्य होजाते हैं। हमें सबसे पहले जड़ को खोदना होगा। जिस प्रकार माननीय मंत्री जी ने बताया कि यदि शरीर का कोई अंग खराब होजाता है तो उसे ठीक करने की आवश्यकता होती है लेकिन ऊपर से मरहम पट्टी करके हम यह नहीं कह सकते कि वह पूर्ण रीति से ठीक होगया है। बल्कि हमें उस की जड़ को देखना होगा। हमारे पिछड़े भाई, हरिजन किस प्रकार इस स्थिति पर आयें, उस की ओर देखना होगा। फिर उस को देख कर एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना होगा जिससे हरिजनों का उत्थान हो सके। अंग्रेज जमींदारी व पैसे वालों को नौकरी देकर, और दूसरी तरह से, ऊपर उठाते चले गये। हरिजन जिनके पास सिर्फ मजदूरी का पेशा था या २०, २५ बीघे खेत जोतते थे, और जो आदिवासी थे जिन्हें अंग्रेजों ने पीसा था वे पिछड़ते चले गये। उन का हम किस प्रकार से उत्थान करें यही विचारना होगा। केवल नारेबाजियों से कोई काम नहीं होसकता, न सीट देकर हो सकता है, बल्कि उन का उत्थान उस समय होगा जब कि उनकी वास्तविक जड़ ढूंढी जायगी कि ये वास्तव में किस कारण कमजोर होते चले आये हैं।

श्रीमन्, किसी भी देश की संस्कृति को बनाने के लिये, या देश के उत्थान के लिये संस्कारों की आवश्यकता होती है। सुकृति संस्कृति संस्कारांति स संस्कृतिः। संस्कृति वही बनेगी जो कि संस्कारों द्वारा मनुष्य पर लादी गई है और किसी प्रकार से संस्कृति नहीं बन सकती। हमें सिर्फ एक ही दृष्टिकोण रखना चाहिये कि हम भारतीय हैं और हमारे जो पिछड़े बन्धु हैं उनको हमें साथ लेना है। हरिजन जो हैं वे हमारे समाज के अंग हैं, उनको हम साथ ले चलें। इस प्रकार का जब दृष्टिकोण होगा कि हम दो नाम लेकर चलें, इस प्रकार की स्थिति यदि हमारे सामने रखी जाय, तो हम कभी उन्नति नहीं कर सकते। सबसे पहले समाज में संस्कारों की आवश्यकता होगी और यह देखना होगा कि वास्तव में वे क्यों इस प्रकार से पिछड़ते चले गये हैं। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि जमीन की कमी के कारण, उद्योगों की कमी के कारण, या उन पर संस्कार पड़ने के कारण, जो कि गलत संस्कार डाले गये, उसी के कारण, वे आज पिछड़े हैं। इस मद में आज माननीय मंत्री जी ने केवल १३ हजार रुपये रखे हैं। इस समाज में कमी को सुधारने के लिये सिर्फ १३ हजार रुपये बहुत कम रखे गये हैं।

पिछड़ी हुई जातियों के लोगों को एजूकेशन में कुछ हेल्प की जाती थी इस सम्बन्ध में मैं उस रकम की जो इस बजट में रखी गई है, इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि शिक्षा के

[श्री मलखान सिंह]

लिये ५७-५८ के खाने में निल दिखाया गया है। पिछले वर्ष की रकम लिखी है, लेकिन इस वर्ष की रकल निल है।

दूसरे प्लानिंग के लिये जो रुपया मंजूर किया गया, उसमें आप देखेंगे कि कितने लोगों को विकास की योजनाओं से लाभ पहुंचेगा, इसके लिये समय का अभाव है। यदि अधिक समय होता, तो उस पर विशेष रूप से कह सकता। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि पहले तो नौकरशाही की बात कही जाती थी, तो वह मजबूरी थी, लेकिन मुझे कहना पड़ता है कि आज भी वही नौकरशाही कर्मचारियों में है। वेतन पर ७५ लाख ४८ हजार रुपया पिछले साल था और इस साल ७९लाख ३५ हजार ५ सौ रुपया दिया गया है। यह उन्हीं लोगों को दिया गया है जो कि सरकारी मंत्रियों अथवा अफ़सरों के नजदीक के लोग थे और जिन को फायदा पहुंचाना उनका ध्येय था। उनको एकत्रित करके एक रोजगार देने का यह एक अच्छा तरीका इस सरकार ने निकाला है। हम वास्तविक स्थिति को देखें तो पायेंगे कि हरिजन अधिकतर गांवों में रहते हैं, किन्तु बस्तियां शहरों में बनायी जा रही हैं। उनके उत्थान के काम शहरों में किये जा रहे हैं। उनमें से कुछ को मकान आदि देकर आप समूचे समुदाय का उत्थान करना चाहते हैं, तो वह नहीं हो सकता।

यह जो खाने और गल्ले पर टैक्स लगा है, यह उस हरिजन पर पड़ता है जो कि दिन भर श्रम करता है और शाम को अपने लिये रोटी कमा पाता है। यह ठीक नहीं है। यह जो ग्रांट रखी गयी है उसके आधार पर यदि एवरेज लगाया जाय तो फी आदमी वह ८ आना पड़ता है, और टैक्स के रूप में यदि हिसाब लगाया जाय तो खाने-पीने की चीजों पर, तो उस को ६० रुपये के करीब देना पड़ता है। मैं श्रीमन्, आपके द्वारा मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस तरफ देखें, और जो गरीब हरिजन हैं, उनसे खाने-पीने की चीजें पर टैक्स न लिया जाय। ऐसा प्रबन्ध करें, तभी उनकी उन्नति हो सकती है अन्यथा नहीं। श्रीमन्, जो यह खाने-पीने की चीजों पर टैक्स है, इसका असर बड़े आदमियों पर कम पड़ता है और जो मजदूर, हरिजन हैं, जो दिनरात मेहनत करते हैं, अधिक रोटी खाते हैं, उन पर अधिक पड़ता है। उनको अधिक टेक्स देना पड़ता है। यह कैसा समाजवाद है? गरीब पर अधिक टैक्स, यह मेरी समझ में नहीं आया। हमें यह सोचना पड़ेगा कि यह कैसी सरकार है कि जो समाजवादी समाज की रचना का तो नारा लगाती है और गरीब और पिछड़े हुये लोगों पर अधिक टैक्स लगाती है। तो इस सरकार को सोचना होगा कि इन मजदूरों, हरिजनों पर, जो यह टैक्स है, इसको हटाया जाय, और उस के बाद इन को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देकर, शिक्षा के द्वारा, इनकी सामाजिक कुरीतियों को दूर करके, शराब बन्दी करके, तथा शादी में जो अनेक प्रकार से अपव्यय होता है, उस को रोककर किस प्रकार हम इनका उत्थान कर सकते हैं। केवल नारे बाजी से अथवा हरिजन कल्याण के लिये अफसर नियुक्त करके, हम इनका उत्थान नहीं कर सकते। इसका ज्वलंत उदाहरण हमने अपने पिछले १० सालों के कार्यों में देख लिया है।

सरकार ने जितने नारे लगाये उसका परिणाम यह हुआ कि हम उतना ही जातिवाद में पड़ते चले गये। चुनाओं में जातिवाद बढ़ रहा है और उसका कारण एक यह सरकार है। यह उस पार्टी की सरकार है जिसने टिकट जातिवाद के आधार पर दिये और लोगों को जातिवाद के आधार पर चुना। हमें इनके उत्थान के लिये मूल को देखना होगा। इस देश के रहने वाले हमारे हैं, हमारे समाज के लोग हैं, जब तक इस प्रकार की एक राष्ट्रीय भावना नहीं जागृत होती तब तक हम इनकी उन्नति नहीं कर सकते। केवल नारे बाजी से यह काम नहीं हो सकेगा, जब तक गांव में रहने वाला सवर्ण यह नहीं समझता कि यह हमारे भाई हैं, इनके भले के लिये जो कुछ हो रहा है उसमें मेरी व समाज की भलाई निहित है। 'यदि इन पर आक्रमण होता है, तो वह आक्रमण मुझ पर है,' जब तक यह भावना नहीं जागृत होगी, तब तक इनका उत्थान नहीं हो सकता।

श्रीमती शकुन्तला देवी (जिला सहारनपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी का भाषण सुना और उनके प्रस्तुत बजट को भी देखा। मुझे यह कहते हुये गर्व अनुभव होता है और उन्होंने कांग्रेस के सिद्धान्तों के अन्तर्गत रहते हुये जो समाजवाद और जैसी समाज

व्यवस्था लाने का प्रयत्न किया है, उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। बजट में अनेक अच्छाइयां हैं। पिछला जो अनुदान दिया गया था, उसमें शैक्षिक उत्थान के लिये ६१.७८ लाख रुपया व्यय किया गया। उसके बाद आर्थिक उत्थान के लिये, उद्योग धन्धों के लिये, जैसे बिजली का काम सीखने के लिये, शीशे का काम सीखने के लिये, आदि पर भी काफी रकम दी गयी। दूसरे सामाजिक उत्थान के कार्यों के लिये भी, जैसे सड़कें बनाना, कुओं की मरम्मत करना, आदि कामों के लिये भी उसमें प्राविजन किया गया। इसके अतिरिक्त अस्पृश्यता निवारण के लिये भी काम किया गया और उस के लिये अनेक प्रकार के पोस्टर आदि छापे गये। इस प्रकार जो खानाबदोश लोग थे, उनको बसाया गया और उनके लिये मकान बनाये गये। इन सब बातों के लिये हम उनके कृतज्ञ हैं।

साथ ही साथ मैं यह कहना चाहती हूं कि जहां इतनी अच्छाइयां हैं, वहां थोड़ी कमियां रह जाना भी आवश्यक है, इसलिये माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि ९५ लाख ५५ हजार रुपया, जो इस अनुदान में रखा गया है, यह पूरा नहीं हो सकेगा। इस के ऊपर विचार करना होगा क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत समय से ही ये लोग कितने पिछड़े हुये थे। उनके उत्थान के लिये अधिक रुपये की आवश्यकता है। उसके लिये देहातों में, जो छोटे-छोटे उद्योगधन्धे किये जाते हैं, उनको बढ़ाने की जरूरत है। पिछले साल के बजट को देखने से यह प्रतीत होता है कि इस पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन थोड़ा बहुत रुपया जो इसके लिये रखा, उसमें विशेषकर उनको ऊंचे उठाने की जरूरत है। बहुत बार यह देखा गया है कि जो बड़े-बड़े व्यवसायी हैं, उनको वह रुपया मिल जाता है। अनुसूचित जाति के लोगों कोवह नहीं मिल पाता और वे वंचित रह जाते हैं।

उनके लिये दूसरी समस्या रहने की है। उनके लिये रहने के स्थान का कोई प्रबन्ध नहीं है। शहरों में तो कुछ प्रबन्ध किया गया है और धन की व्यवस्था कर दी गई है कि वे कर्जा लेकर अपना मकान बना लें, लेकिन देहातों के अन्दर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। वे बेचारे अपनी आवश्यकता को ही पूरा नहीं कर पाते हैं। उनकी दशा इतनी दयनीय रहती है कि यदि माननीय वित्त मंत्री उसको देखें, तो उनको देखकर उनका हृदय भी द्रवित हो जायगा कि किस प्रकार से वे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आज अनुसूचित जाति के परिवारों की यह दशा है कि एक फूंस की झोपड़ी के अन्दर उसके दादा, ससुर, उसका बेटा, दादी और सास, बहू सब ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इस चीज को अगर भुला भी दिया जाय, तो मूसलाधार वर्षा में उस झोपड़ी के अन्दर एक स्त्री के जब बच्चा उत्पन्न होता है, उस दृश्य को देखकर कोई भी पढ़ा लिखा आदमी उस दशा को सहन नहीं कर सकता है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि मकान और उत्थान के लिये जो सुविधा उनको दी गई है उसके लिये इस बजट में धनराशि और बढ़नी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि हमारे जो भूतपूर्व जरायम पेशा लोग हैं, उनको अगर इस जुर्म से दूर रखना चाहते हैं, तो अविलम्ब उनके लिये कोई ऐसा कार्य करना चाहिये जिससे वह उसमें लग जांय और अपने उस दूषित कार्य को करने से वे अलग हो जांय।

तीसरी बात यह है कि अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और जरायमपेशा के लोगों के उत्थान के लिये, जो बजट में धनराशि रखी गयी है और संविधान में संरक्षण जो उनको दिया गया है, उसके विषय में अधिकारी लोगों की उपेक्षा की नीति के कारण जो उनके उचित अधिकार हैं, वह उनको नहीं मिल पा रहे हैं। जिन स्कूलों व कालेजों में दाखिले की बात होती है, तो वहां पर कह देते हैं कि यह लोग इतनी बुद्धि वाले नहीं हैं। वे उन जगहों को खाली रखते हैं।

चौथी बात यह है कि अम्बर चर्खे की ट्रेनिंग दी जा रही है उसमें वही बहनें ट्रेनिंग पा रही हैं जिनके पास पैसा है। इन पिछड़ी जाति की बहनों के पास इतना पैसा नहीं है कि वे फीस दे कर ट्रेनिंग पास करें। इसलिये सरकार को अपनी ओर से उनकी फीस मुक्त कर देना चाहिये जिससे वह उसे सीखकर अपनी जीविका चला सकें।

[श्रीमती शकुन्तला देवी]

पांचवीं बात यह है कि अनुसूचित जाति के सुधार के लिये सोशल वर्कर की जरूरत है। हमारे जो बिना पढ़े-लिखे आदमी हैं, वे खून-पसीना करके पैसा कमाते हैं, लेकिन उसको खर्च करने की विधि नहीं जानते। जब तक वह शिक्षित नहीं हो सकेंगे, तब तक खर्च करने की विधि को नहीं जान सकेंगे। इसलिये उनके लिये एक अच्छे सोशल वर्कर की जरूरत है।

हरिजन लोग बड़े लोगों से बड़े सूद पर रुपया लेते हैं और मरते समय तक अपने को उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं। प्राचीन समय में ऐसा होता था कि बाप के मरने पर बेटे को कर्जा चुकाना पड़ता था। इनके लिये सहकारी ऋण व्यवस्था कायम होनी चाहिये।

शिक्षा के लिये जो रुपया रखा गया है वह नाकाफी है। ६०,७० लाख के लगभग लड़के और लड़कियां शिक्षा पा रही हैं। यदि उन्हें १-१ रुपया भी दिया जाय तो भी सबको नहीं मिल सकता है। किसी देश या जाति के उत्थान के लिये उसकी लड़कियों का शिक्षित होना जरूरी है। पिछड़ी जातियों में जो लड़कियों को न पढ़ावें उन्हें दण्ड देना चाहिये।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम एक ऐसे अनुदान पर बहस कर रहे हैं जिसका सम्बन्ध केवल समाज से ही नहीं है, बल्कि मानवता से भी है। मुझे खेद है कि माननीय मंत्री जी ने भूतपूर्व क्रिमिनल ट्राइब्स व अन्य पिछड़ी जातियों के लिये कुछ नहीं कहा, यद्यपि उनका इस अनुदान में जिक्र है। जो रिपोर्ट सन् ५४ में श्री श्रीकान्त जी ने लिखी, उस पर सरकार ने क्या किया? ७ जुलाई से १३ जुलाई १९५५ तक टेहरी गढ़वाल में, दौरा किया और उन्होंने देखकर लिखा है कि वहां की आबादी ४,१२,००० है जिसमें से २१,००० अनुसूचित जातियों की संख्या है। वहां के लोगों के पास सिवाय आधा एकड़ जमीन के कोई साधन नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि टेहरी गढ़वाल का विकास करने के लिये इसे अनुसूचित एरिया घोषित करना चाहिये। इसमें है कि उन हरिजनों (अनुसूचित जातियों) की स्थिति बहुत ही खराब है जिनके पास भूमि नहीं है। ये लोग उत्सव पर बाजे बजाते हैं परन्तु ये अस्पृश्य माने जाते हैं, यद्यपि यहां पर पीने के पानी की कोई कठिनाई नहीं है। एक साथी ने कहा कि वे फर्जी हरिजन तो नहीं बन गये। इसके लिये श्रीकान्त जी ने लिखा है "अस्पृश्यता से बचने के लिये कुछ लोगों ने पिछली जनगणना के समय अपने को राजपूत लिखा दिया है जिससे उनकी संख्या १९५१ में २१,००० रह गई है जबकि वह १९४१ में ७०,००० थी इसकी जांच की जानी चाहिये।" यह कमीशन की बात है। मंत्री जी ने कहा बड़े नेता लोग बतावें मैं चाहूंगा कि मुझ जैसे छोटे व्यक्तियों की बात भी सुनी जाय। थारू और बोग्सा भोटिया जातियों के बारे में यूनिवर्सिटी में पढ़े हुये लोगों को भी मालूम होगा। 'प्रिमिटिव ट्राइब्स बाई डाक्टर मजूमदार,' 'ट्राइब्स इन ट्रांजीशन,' 'ऐन्थोमालोजी टु डे,' पढ़ने से मालूम होगा। ये लोग सितारगंज, खटीमा और मिर्जापुर में रहते हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। उनकी हालत भी हरिजनों की तरह है। जिस समय लखनऊ के गवर्नमेन्ट हाउस या दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नाच-गाने के कार्यक्रम होते हैं उस समय उनकी याद की जाती है। उनकी बहू बेटियों को वहां नचवाया जाता है। विभागीय जिले की समितियों से आपको सही रिपोर्ट लेनी चाहिये।

टेक्निकल स्कूल आपने हरिजनों के लिये खोले हैं लेकिन क्या नैनीताल के टेक्निकल स्कूल में कोई अध्यापक हैं, पढ़ाई हुई? क्या नैनीताल से लड़कों को यहां आना नहीं पड़ा और वे माननीय मंत्री जी और दूसरे लोगों की सिफारिश से भर्ती हुये? उनकी हालत सन् १९५१ से भी बदतर हो गई है। किताबों के लिये रुपया उनको नहीं मिल रहा है। मद्रास में हाई स्कूल में पढ़ने वाले लड़के को ५३ रुपये मिल रहे हैं जबकि हमारे यहां केवल १२ रुपये ही मिलते हैं। मैं चाहूंगा कि छात्र वृत्तियां बढ़ाई जावें। पुलिस के बजट से कटौती करके इस विभाग में ज्यादा रुपया दिया जाय। देहात के लड़कों की ओर स्पेशल ध्यान होना चाहिये।

थारू और बोग्सा के साथ-साथ कुमायूं के हरिजनों की जांच के लिये समिति बननी चाहिये। एक समिति बैठी थी, लेकिन उसकी कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें।

श्री श्रीनाथ (जिला आजमगढ़)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट का हार्दिक स्वागत करता हूं, इस बात के लिये नहीं कि यह परिपाटी हो गई है कि कांग्रेस के लोग सरकार का समर्थन ही करें बल्कि इसलिये कि पिछले बजट में ८५ लाख रुपये की जगह अब ९५ लाख, यानी १० लाख रुपया बढ़ाकर, रखा गया है। इस वृद्धि में हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिये। जैसा मंत्री जी ने बताया, हरिजनों की आर्थिक और सामाजिक दशा बहुत ही खराब है। इस बजट से हम यह आशा नहीं करते कि जो समाज हजारों वर्षों से पिछड़ा हुआ है, वह पूरी उन्नति कर जायगा। हम यह आशा करते हैं कि उत्तरोत्तर वृद्धि से धीरे-धीरे दशा ठीक होती जायेगी।

जब से यह हरिजन कल्याण विभाग अलग से कार्य कर रहा है, हमने देखा है कि हरिजनों की शिक्षा का प्रसार हुआ है। लेकिन इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि आया हम उनकी आर्थिक स्थिति में भी कोई सुधार कर पा रहे हैं या नहीं।

शिक्षा प्राप्त करने के बाद लोगों में एक चेतना सी आती है, हम स्वास्थ्य बनाने के लिये कपड़े साफ पहनते हैं या साफ रहते हैं। लेकिन ये बातें केवल उन्हीं लोगों तक सीमित रहती हैं जो पढ़े लिखे हैं। इस समाज का बड़ा अंग पढ़ा-लिखा नहीं है। गांवों में रहने वाले किसान और मजदूरों की आर्थिक और सामाजिक दशा पिछड़ी हुई है। हम यह कह सकते हैं कि पिछले सालों की बनिस्बत हमने तरक्की की है। हमारा सामाजिक स्तर पिछले कुछ दिनों की उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण ऊंचा होता चला जा रहा है। इसके बावजूद आज भी हम देखते हैं कि हमारे साथ भी वही दुर्व्यवहार होता है, जो अपढ़ आदमियों के साथ समाज में किया जाता है। हम लिखपढ़ गये हैं, साफ रहते हैं, लेकिन अगर आज भी हम देहात में चले जायं या छोटे शहरों में चले जायं, तो वैसा ही व्यवहार हम लोगों के साथ किया जाता है, जो कि बेपढ़े लिखे और गंदे रहने वाले लोगों के साथ किया जाता है। हमारे समाज में आज भी अस्पृश्यता का बोलबाला है।

आज हम इस बात को भी देखते हैं कि हरिजन भाइयों को तरह तरह की सुविधायें दी जाती हैं, और उनको १८ प्रतिशत संरक्षण देने का दावा किया जाता है, और हमेशा इस बात की कोशिश सरकार की तरफ से की जाती है कि उनका संरक्षण पूरा हो जाय, लेकिन आज सरकारी अधिकारियों में ऐसी मनोवृत्ति पैदा हो गयी है कि वे इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। हम मानते हैं कि योग्य विद्यार्थियों की हम में कमी है। हमारे यहां पढ़े–लिखे लोगों का स्टैन्डर्ड और लोगों की बनिस्बत कम है। यह भी ठीक है कि और लोगों के साथ कंम्पीटीशन में हम नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन फिर भी 'मीनियल क्लास', जिनके लिये ऐसी क्षमता का कोई प्रश्न भी पैदा नहीं होता, चपरासियों आदि में भी उनके संरक्षण का कोई ध्यान नहीं रक्खा जाता।

सन् ५५–५६ में चार स्थान इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स के खाली हुये थे। उनके लिये एप्लीकेशन्स मांगी गयीं। शिड्यूल्ड क्लास की एक एप्लीकेशन आयी। उस व्यक्ति को गवर्नमेन्ट कालेज का नौ साल का ऐक्सपीरियेंस था और अब वह प्रिन्सिपल हो गया है, लेकिन फिर भी उसको अयोग्य ठहरा दिया गया। यह सरासर सरकारी अधिकारियों की धांधली का नमूना है। ऐसे ही और भी बहुत से उदाहरण पेश किये जा सकते हैं।

आज हमारे हरिजनों में एक बहुत बड़ा वर्ग खानाबदोशों का है। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, उनकी ओर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। वह मांगते हैं और तरह-तरह के ऐसे काम करते हैं जो अपराधशील जातियां करती थीं। यद्यपि वह नियम

[श्री श्रीनाथ]

आज खत्म कर दिया गया है, लेकिन वह वर्ग अभी तक हमारे समाज में है, उसकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं है। उनके पास न तो अपना मकान ही है और न उनके पास कोई आर्थिक साधन ही है। सरकार को इन खाना बदोशों की गणना करा लेना चाहिये क्योंकि लाखों की तादाद में वे लोग आज भी मौजूद हैं। लेकिन हमारा ध्यान उनकी तरफ बहुत कम जाता है। कुछ स्थानों में वे संगठित रूप से रहते हैं, उनके लिये एक कालोनी बना दी गयी है, लेकिन अब भी बहुत सी ऐसी संख्या है, जो इधर-उधर घूमा करती हैं। जब तक उनका कोई विशेष प्रबन्ध नहीं किया जायगा, तब तक उनकी समस्या हल नहीं हो सकती। उनकी आर्थिक दशा सुधारी जानी चाहिये। उनका सामाजिक स्तर बहुत ही गिरा हुआ है।

इन शब्दों के साथ मैं इस मांग का समर्थन करता हूं।

*श्री मूलचन्द (जिला सीतापुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के इस अनुदान को सदन के सामने सुनकर पहली बार तो मुझे बड़ी खुशी हुई लेकिन खुशी के साथ-साथ मैं यह देखता हूं कि सरकार सदन के सामने तरक्की के सैकड़ों किस्म के रास्ते हरिजनों और पिछड़ी हुई जातियों के लिये रखती है, लेकिन पिछड़ी हुई जातियों और हरिजनों की तरक्की इससे नहीं हो सकती। तरक्की तो सिर्फ दो ही तरीके से हो सकती है। जैसे किसी घड़े में पानी भर दिया जाता है, और घड़े के नीचे छेद हो, तो ऊपर से चाहे जितना ही पानी भरते चले जायं, जब तक उसका छेद बन्द नहीं होता, सारा का सारा पानी घड़े के बाहर हो जाता है। तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस छेद की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसके जरिये सरकार की तरफ से दी जाने वाली सारी की सारी मदें बेकार हो जाया करती हैं।

पहली बात यह है कि यू० पी० के अन्दर लाखों की तादाद में हरिजन और पिछड़ी हुई जाति के लोग बसे हुये हैं जो मजदूरी और खेती पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उन आदमियों के लिये सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी योजना नहीं कार्यान्वित की गयी है जो कि उनकी मजदूरी निश्चित करे या खेतिहर मजदूरों के लिये खेती का सही इन्तजाम कराये। यों तो उनके रोजगार के लिये कहीं तो सुअर पालने के लिये ग्रांट दी जाती है, तो कहीं बढ़ई-गिरी के लिये ग्रांट दी जाती है, कहीं सिलाई के लिये ग्रांट दी जाती है। मालूम होता है कि उनके बाप-दादों के नाम बयनामा हो चुका है, इसलिये सरकार भी उनके साथ वही बर्ताव करे, जो अंग्रेजों के जमाने में हुआ करता था। यों सरकार सदन के सामने कुछ भी कहे, ८५ लाख के बजाय ९५ लाख रुपया हरिजनोत्थान पर खर्च करने के लिये कहे, इससे कुछ नहीं हो सकता है। जब तक कि सरकार उस भरे हुये घड़े के छेद को बन्द नहीं कर सकती है, जब तक तो हरिजनों का उत्थान कतई नहीं हो सकता।

हमारी सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से जो सत्याग्रह का आन्दोलन चल रहा था, उसके अन्दर यह कहा गया था कि जमीन का बटवारा हो, और जमीन के बटवारे से वही लोग ज्यादातर फायदा उठा सकते थे, जोकि आज कल हरिजन और पिछड़ी हुई जाति के कहलाते हैं। इसलिये कि अगर खेती की सीमा निर्धारित की जाती और यह कहा जाता, उसके अन्दर यह शर्त होती, कि ३० एकड़ से अधिक या ६ एकड़ से कम किसी के पास जमीन नहीं होगी, तो ५,१०,२० और २५ बीघे खेत वाले हरिजन ही होते, और इस कानून के बनने पर हरिजन को जमीन मिलती। उसका नतीजा यह होता है कि उसमें वे परिश्रम करते और उससे उनको फायदा होता।

शिक्षा के सम्बन्ध में सीतापुर जिले के अन्दर मैं देखता हूं कि जो यहां पर कहा जाता है कि गवर्नमेन्ट लाखों रुपया हरिजनों की शिक्षा पर व्यय कर रही है, या उनकी फीस माफ करती जा रही है, उसके लिये रुपया दे रही है, लेकिन मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपको विश्वास दिला कर बतलाना चाहता हूं कि सीतापुर जिले के अन्दर मैंने अभी भी देखा है कि वहां पर ज्यादातर उन्हीं लड़कों को वजीफा मिलता है, जो अक्सर बड़े घराने के हैं, हालांकि हरिजनों को ही सरकार का रुपया मिलता है। वास्तव में रुपया उन लोगों को मिलना चाहिये जो पढ़ने के शौकीन हैं, मगर खाने व किताब के लिये उनके पास पैसे नहीं हैं। सीतापुर में आज यह चीज हो रही है और मैंने वहां देखा है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में विद्यार्थी सीतापुर में विद्या प्राप्त करने के लिये आ रहे हैं, लेकिन उनके रहने के लिये वहां कोई स्थान नहीं है। सिर्फ एक स्थान ऐसा है, जहां पर वे ही लड़के रह सकते हैं, जो कांग्रेस कार्य का देहातों के अन्दर प्रचार करें, जो कांग्रेस का प्रोपेगेंडा करें, या जो वहां के जो भी हरिजन नेता कहलाने वाले हैं, उनके नाम का प्रचार करें, तभी वे उस होस्टल में रह सकते हैं। १९५२ के एलेक्शन के वक्त उस होस्टल के लड़कों ने माननीय मुख्य मंत्री जी के पास एक प्रार्थना-पत्र भेजा था और यह कहा था कि हमारी सहूलियत के लिये जो रुपया हम लोगों को दिया जाता है, वह हमारे ऊपर खर्च न होकर पता नहीं कहां जाता है। लेकिन आज तक जितने भी अफसर इसकी इन्क्वायरी के लिये गये हैं, उसकी क्या रिपोर्ट है, इसका पता नहीं चलता। आज भी वही व्यवस्था है जिसके लिये मुझे बड़ा दुख है। माननीय मुख्य मंत्री जी के पास उन लड़कों के जो प्रार्थना-पत्र आये उन पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने खुद लिखा था कि आपके यहां लड़के इस तरह की गड़बड़ी कर रहे हैं और इस सम्बन्ध में आप क्या विचार कर रहे हैं, मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी की उस चिट्ठी को देख कर बड़ा दुख होता है। एक ओर तो हम हरिजन उत्थान करें और दूसरी ओर उन लड़कों पर जिन पर हरिजन समाज का भाग्य निर्भर है उनकी सहूलियतों को खत्म करें, अगर सरकार सुनवाई न करे तो यह बड़े दुख की बात है।

एक बात और मुझे यह कहना है कि जिलों में हरिजन सहायक विभाग बनाये गये हैं उनमें भी वही सवर्ण जाति के लोग रखे गये हैं, यह तो वही दशा है जैसे कि किसी भेड़िये या शेर के सामने एक बकरी को बांध दिया जाय और कहा जाय कि यह शेर इस बकरी की रक्षा करेगा, तो उसके द्वारा उसकी रक्षा कैसे हो सकती है?.....

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहली बात है हरिजन छात्रों की समस्या। इन हरिजन छात्रों को, जो छात्रवृत्तियां और पुस्तकें दी जाती हैं, वह यद्यपि बहुत काफी मात्रा में दी जाती हैं, लेकिन उनका समय पर वितरण न होने से उचित लाभ हरिजन छात्रों को नहीं पहुंच पाता, वह पुस्तकें और छात्रवृत्तियां उनको शुरू में यानी जुलाई मास में मिल जानी चाहिये, लेकिन वह सितम्बर और अक्तूबर में आम तौर से मिलती हैं, और कई-कई मास की छात्रवृत्ति एक साथ मिलती है। नतीजा यह होता है कि उसका समय से छात्र उपयोग नहीं कर पाते। इसका ठीक प्रबंध होना चाहिये।

दूसरे इन छात्रों की सरकार की ओर से फीस माफ है, लेकिन जौनपुर में स्कूलों में हरिजन छात्रों से, पूअर फंड, महंगाई फंड, बिल्डिंग फंड, और दूसरी तरह की फीस, अनिवार्य रूप से वसूल की जाती है। मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि इस तरह की फीस हरिजन छात्रों से न ली जाय।

तीसरी बात यह है कि हरिजन छात्रों से फेल होने के बाद फीस ली जाती है जिससे बहुत से ऐसे छात्र, जो एक नम्बर से भी फेल हो जाते हैं, वह आगे शिक्षा पाने से वंचित हो जाते हैं। हमारी वर्तमान परीक्षा प्रणाली, ऐसी कसौटी नहीं है, जिसमें असली काबिलियत का पता चल सके, इसलिये मैं मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करूंगा कि ऐसे फेल होने वाले हरिजन छात्रों से फीस न ली जाय।

चौथी चीज यह है कि हरिजन छात्र जो छात्रवृत्तियां पाते हैं, स्कूल से व्यवस्थापक उनसे लाजमी रूप में चन्दा लिया करते हैं, इसके लिये भी हिदायत होनी चाहिये।

[श्री माताप्रसाद]

दूसरे, हरिजनों की एक बहुत बड़ी समस्या देहातों में है कि वे हर तरह से वहां परेशान किये जाते हैं और उन पर झूठे मुकदमे चलाये जाते हैं, लोग रिश्तेदारों से शहरों में मुकदमे चलवाते हैं, और उनको शिकमी का इस्तीफा देने के लिये मजबूर करते हैं, और बेचारे हरिजन विवश हो कर इस्तीफा दे देते हैं। इसलिये, मैं सरकार से आपके द्वारा अनुरोध करूंगा कि सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिये, कि जिससे ऐसे मुकदमों के लिये व्यय हरिजनों को दिया जाय, और मुकदमों में लड़ने के लिये उनकी सहायता की जाय। अगर सरकार की ओर से यह सुविधा दे दी जाय, तो हरिजन वर्ग पर जो अत्याचार और अन्याय होता है, मैं विश्वास दिलाता हूं, तब हरिजनों की बहुत सी समस्यायें अपने आप हल हो जायंगी। इसलिये आपके द्वारा मैं मंत्री जी का ध्यान उधर आकर्षित करना चाहता हूं।

इस साल सरकार ने मुसहर जाति को परिगणित जाति के अन्दर रख दिया है। इसके लिये मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, मुसहर जाति पूर्व में, चार पांच जिलों में रहती हैं। उनकी एक विचित्र रहन-सहन की अवस्था है और आज भी वे लोग बिच्छू, सर्प, मेंढक और कछुवे, इस तरह के जीवों को खाकर हमारे यहां रहते हैं, और हमारे नागरिक हैं। सोचिये, अगर कोई विदेशी इस तरह से उनकी इस हालत को देखे और अपने देशों में जाकर इसको कहे, तो किस तरह से हमारे देश की बदनामी होगी। इसलिये, सरकार ने यह बहुत ही अच्छा किया।

पिछले दो तीन साल से सोशल वर्करों की नियुक्ति सरकार करती रहती है। लेकिन उनकी नियुक्ति सितम्बर, अक्तूबर के अन्दर होती है और मार्च में ही खत्म हो जाती है। सरकार को उनकी साल भर की नियुक्ति का इंतजाम करना चाहिये।

एक बात और कहनी है। कुछ हरिजन पाठशालायें हैं, जिनको राजकीय अनुदान दिया जाता है। उन्हें तीन-तीन महीने पर सहायता दी जाती है, जिससे अध्यापकों को बड़ी परेशानी होती है और जिलों में रुपया प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती है। इसलिये आपके द्वारा मंत्री जी का ध्यान इधर आकर्षित करता हूं कि हर महीने उन्हें वेतन देने की सुविधा की जाय, और ऐसी व्यवस्था की जाय, जिससे आसानी से वे रुपया निकाल सकें।

माननीय मंत्री जी ने जो हरिजनों की आबादी की समस्या की तरफ ध्यान दिया है, उसके लिये मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूं कि वह हरिजनों की आबादी की समस्या को इस तरह से सोचते हैं और जरूर वह इधर ध्यान देंगे।

एक चीज और कहनी है। अस्पृश्यता निवारण पर अधिक से अधिक जोर माननीय मंत्री को देना चाहिये और प्रचार अधिक से अधिक किया जाय जिससे अस्पृश्यता हमारे देश से, चाहे किसी किस्म की हो, वह जितनी जल्दी हो सके, खत्म हो जाय।

श्रीमती गेंदा देवी (जिला बस्ती)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस ग्रान्ट का सम्बन्ध देश के समाज के ऐसे वर्ग से है जो सबसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है। यह दुर्भाग्य की बात है कि जो वर्ग सबसे अधिक परिश्रम करने वाला है, उसको पिछड़ा हुआ कहा जाय। परन्तु इतना सत्य है कि पिछले हजारों वर्षों से वह जीवन की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने से रोका गया है। इस वर्ग को उठाने के नाम पर जो कुछ भी किया जाय, उसका स्वागत है, परन्तु इतना कहना आवश्यक है कि यह दाल में नमक के बराबर है।

हम आज भी जिसे हरिजन कहते हैं वह जाति मनुष्य की बराबरी में नहीं है। क्या कोई सोच भी सकता है कि कोई मनुष्य मलमूत्र से निकला हुआ अन्न ग्रहण करेगा ? परन्तु ये हमारे भाई हैं, जो विवश हो कर इसको भी ग्रहण करते हैं। नर्क में भी ठेला, ठेली है। यह भी तो पेट भर नहीं मिलता। हमें कठोर परिश्रम करके भी देश और समाज को बढ़ाने की खुशी होगी, परन्तु हमें भी तो अपने आजाद मुल्क में रोटी इतनी मिल सके जिससे हम कमर सीधी करके चल भी सकें।

हम अपने बस्ती जिले के खेतिहर मजदूर, जिसमें अधिकांश हरिजन जाति के हैं, और थोड़ी जमीनों वाले हैं, उन किसान भाइयों के चित्र को जब देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि अभी हम स्वराज्य से बहुत दूर हैं। इससे कौन इन्कार करेगा कि गांव के इस गरीब वर्ग ने मुल्क के नाम पर सबसे अधिक कुर्बानी की है? हम आज भी अपना कर्त्तव्य समझते हैं कि अपने पूज्य और योग्य नेताओं के नेतृत्व में चल कर, मुल्क को इस लायक बना सकें, जिसमें हर आदमी यह समझ सके कि यह मुल्क हमारा है। हम यही चाहते हैं कि आज यह सर्वाहारा और सर्वाहारा वर्ग, जिसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक केवल जिला बस्ती में है, उसको कमर सीधी करने का अवसर दें।

हमारा विश्वास है कि हमारा उत्थान इस राष्ट्र का उत्थान है।

श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं कि कम से कम ४, ५ महीने के बाद १ हजार बैठक के बाद, आपने मुझे ७ मिनट का समय देने की कृपा की।

श्री उपाध्यक्ष——मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपनी पार्टी के सचेतकों से भी यह बात कह दिया करें।

***श्री रामशरण यादव**——ध्यान रखूंगा। मेरे मन में पहले उमंग थी अपने मंत्री जी को धन्यवाद देता। परन्तु उनका जो आज अनुदान पेश करते समय बयान हुआ उससे मुझे निराशा हुई। १०८ करोड़ के बजट में ९५,५५,३०० रुपया रखा गया है। यह कितने दुख की बात है। जिस महात्मा गांधी का जीवन ही इसमें बीता, जिनके जीवन का उद्देश्य ही यह था कि इस देश के एक बहुत बड़े बहुसंख्यक समाज की सेवा करूं, उसको समाज के दूसरे अंगों के बराबर लाना, उनका जीवन स्तर उठाना, उनके अन्दर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक उन्नति और सामंजस्य पैदा करके एक स्तर पर ला करके नागरिकता की भावना पैदा करना, और आधे से ज्यादा जीवन उनका इसमें लगा, आज उस महात्मा के उत्तराधिकारी १०८ करोड़ के बजट में से १ करोड़ भी नहीं देते हैं। जिनकी आबादी ५४ फीसदी से कहीं ज्यादा है हर सूबे में, जिले में गांव में, तहसील में। मुझे याद है कि करीब डेढ़ साल पहले अमीनुद्दौला पार्क में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भाषण हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि जिस वक्त मैं विदेशों में जाता हूं, तो उस वक्त जब समाजोत्थान की बात करता हूं, तो मेरा सिर झुक जाया करता है, वह इसलिये कि हम जब हिन्दुस्तान के समाज पर ध्यान करते हैं, तो बहुसंख्यक समाज जो पिछड़ी और हरिजन जाति के हैं, वे हमसे बहुत पीछे पड़े हुए हैं; और हममें और उनमें इतनी लम्बी-चौड़ी खाई है कि जिसको पाटने के लिये काफी साधनों को जुटाने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा था कि प्लानिंग में बहुत बड़ा ध्यान इस ओर रखा जायगा कि जब तक समाज का एक स्तर न होगा तब तक यह प्लानिंग करीब-करीब फेल सी होगी। उनको अंदेशा था, लेकिन बावजूद इन सब बातों के कहने के, जो आज बजट पेश किया गया है उसमें जो ९५ लाख के करीब अनुदान रखा गया है, वह बहुत ही मायूसी पैदा करने वाला है। क्या कहूं ७ मिनट का ही समय है वक्त होता है, किस्सा है "तूलानी दिल में बहुत दर्द छिपा है।"

सरकार की जो नीति है, अभी जिस वक्त यह अनुदान आया, उस पर बहुत सी बातें कहने को थीं, तो मैं कुछ अधिकारियों से मिला, हरिजन कल्याण के डायरेक्टर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि सरकार की नीति का यह रवैया है, जो समाजवादी नीति बताती है, कि ६, ६, महीने से फाइल पड़ी हुई हैं, उस पर अर्जेन्ट और इमीडियेट की स्लिप भी लगी हैं, वे फाइलें इतने अर्से से मिनिस्टर महोदय के कन्सीडरेशन के लिये, और फाइनल डिस्पोजल के लिये पड़ी हुई हैं जिनकी वजह से आज तक काम रुका पड़ा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामशरण यादव]

तो इस प्रकार से जब सरकार की नीति है अनुसूचित और पिछड़ी जातियों के लिए, जिनकी संख्या ५४ फीसदी है तो ऐसे समाज को दुत्कार करके कोई भी नीति सफल नहीं हो सकती है। कम से कम इस हिन्दुस्तान के अन्दर सफल नहीं हो सकती है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, यों तो आपने बहुत सुना होगा, आपके कानों में दर्द हो रहा होगा, हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने भी कहा भ्रष्टाचार की बात के ऊपर के भ्रष्टाचार की और तमाम बातें सुनकर के हमारे कानों में दर्द होने लगता है, तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वह कम से कम अपने ऊपर तो इस लांछन को लेने का कष्ट न करें कि उनके यहां छः छः महीने तक फाइलें पड़ी रहें। अगर उनके अधिकारियों के यहां पड़ी रहें, तो यह तो एक बात भी है, लेकिन कम से कम उनके यहां तो ऐसा न हो।

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि अगर हम हरिजनों और पिछड़ी जाति के उत्थान के लिए और कोई रास्ता नहीं निकाल सकते हैं, तो कम से कम, जो उनके पेशे हैं, उनमें उनको आगे बढ़ाया जाय। अगर धन की जरूरत हो, तो उसके लिए उनको धन दिया जाय, अगर शिक्षा की जरूरत हो, तो शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि हमारा जो गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट लखनऊ में ही है, उसमें क्या उन्होंने कभी इस बात को जानने का कष्ट किया है कि कितने विद्यार्थी अनुसूचित और पिछड़ी जाति के उसमें लिये जाते हैं? उनको कितना अनुदान दिया जाता है और उनके ऐडमीशन में कितनी दिक्कत होती है? कभी माननीय मंत्री महोदय ने इसके आंकड़े लेने की कोशिश नहीं की। दूसरी बात यह है कि जो विदेशों में डेरी फार्मिंग और टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए लड़के भेजे जाते हैं, उनमें कितने अनुसूचित और पिछड़ी जाति के लड़के होते हैं?

एक बात मैं बहुत अदब से आपके द्वारा आदरणीय सदन की सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूं कि ९९ प्रतिशत अनुसूचित और पिछड़ी जाति की जनता देहातों में पड़ी हुई है और यह वही छोटी-छोटी मजदूरी, किसानी करने वाली जनता है, उसके लिए कोई ग्रामोद्योग के लिए आपने इस अनुदान में कतई कुछ नहीं रखा। टेक्निकल ट्रेनिंग और कालेज इंडस्ट्रीज के लिए आपने कोई अनुदान नहीं रखा है। यह कितने अफसोस और दुख की बात है। मैं आपके समाजवाद की बात को क्या समझूं। मुझे याद पड़ता है अभी कुछ दिन पहले हमारे आचार्य जी ने, जो उधर बैठते हैं, यह कहा था कि मेरा समाजवाद मेरे पास रहने दीजिए, आपके पास दिमाग नहीं है, उसे समझने के लिए। ठीक है हमारे पास दिमाग तो नहीं है, लेकिन मैं उनको चेतावनी देता हूं कि पिछड़ी और अनुसूचित जाति अच्छी तरह से आपके समाजवाद को समझ चुकी है, और उसके अन्दर की जो घातक नीति है उसे भी समझ चुकी है। बराबर शिकायत आ रही है इस सदन में, और हम भी महसूस करते हैं, जहां आप १८ फीसदी नौकरी उनको देने की बात कहते हैं वहां अगर किसी को नौकरी मिल भी जाती है, तो उसको इस तरह से दबाये हुए हैं कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त ऐक्शन लिया जाता है। नौकरी तो देना ही पड़ता है, लेकिन उसके बाद जो आप घातक नीति अपनाये हुए हैं; उससे अगर कोई अफसर नियुक्त भी हो जाता है तो उसका रहना मुश्किल हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

श्री रामलखन (जिला वाराणसी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो हरिजन कल्याण का बजट पेश है, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। हरिजनों की समस्यायें मैं समझता हूं कि कोई नयी नहीं है, और न तो हाउस में कोई ऐसा व्यक्ति है, जो कि उनकी समस्याओं से अनभिज्ञ हो। लेकिन जब सदन के अन्दर हरिजनों की समस्याओं और उनके कल्याण के बारे में हम विचार करने बैठते हैं, तो मैं देखता हूं कि जितनी उनकी समस्यायें हैं,

उसके हिसाब से उस पर विचार नहीं होता है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि इस बजट में पिछले वर्ष १ करोड़ से अधिक रुपया खर्च किया गया, लेकिन इस साल ९५ लाख का बजट पेश किया गया है। माननीय मंत्री महोदय उसके लिए एक्सप्लेनेशन देते हैं कि वह रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से आया था। लेकिन वह रुपया चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का रहा हो, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रहा हो, जब एक आइटम के मातहत आपने खर्च किया था और एक मद आपने कायम की थी, तो आज जब आप बजट पेश कर रहे हैं, तो उसमें खर्च के लिए रुपया आना चाहिये। अब यह विषय विचाराधीन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो रुपया मिलेगा उसको फिर हम खर्च करेंगे। यह तो इस मामले को टाल देना है। हमारे माननीय मंत्री जी कहते हैं कि जितनी लम्बी चादर हो उतना ही पैर पसारने की हम कोशिश करेंगे। मैं कहता हूं कि चादर तो आपके हाथ में है। वह हमें दीजिये, तब हम पैर पसारेंगे। चादर को काट करके एक १० गिरह का टुकड़ा रख दें फिर पैर पसारने को कहें तो कहां से पसारेंगे ?

आज स्टेट के अन्दर जितना अन्धाधुन्ध खर्चा हो रहा है, मैं समझता हूं कि उन जगहों से सेविंग किया जाय, तो हरिजन कल्याण और हरिजन उद्धार के ऊपर काफी रुपया खर्च हो सकता है। आज जो रुपया है भी, उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है।

बाढ़ के लिए हरिजनों को रुपया दिया गया। एक बाढ़ में हरिजनों के काफी मकान गिरे और एक बाढ़ खत्म नहीं हुई कि दूसरा बाढ़ आ गया, लेकिन उस रुपये का डिस्ट्रिब्यूशन नहीं हुआ। डिपार्टमेंट ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि लाखों रुपया हरिजनों का था, जिनके मकान ध्वस्त और तबाह हो गये, वह क्यों डिस्ट्रिब्यूट नहीं हुआ ?

हमारे एक भाई ने बतलाया कि जुलाई में स्कूल खुलते हैं और अक्तूबर तक किताबें नहीं बांटते हैं। किताबें रखी रह जाती हैं और फिर वापस हो जाती हैं।

'अनटचेबिलिटी' के लिए कहा जाता है कि अस्पृश्यता को हम दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं अपने जिले को जानता हूं कि अस्पृश्यता-निवारण के नाम पर एक हजार रुपया कई साल से पड़ा है और उसमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि अस्पृश्यता-निवारण के लिए प्रोग्राम बनाया जाय। हिदायत डायरेक्टोरेट से ईश्यू होगी, तब फंक्शन मनाइयेगा। लेकिन आज तक न तो हिदायत गयी, साल बीत गया, दूसरा बजट आ गया, लेकिन न तो फंक्शन हुआ और न अस्पृश्यता निवारण हुआ। तो सिर्फ कागजों से समस्या निवारण नहीं होगी, रुपये से ही हल हो सकती है, यह चीज आपको अपने दिल और दिमाग में बैठानी होगी। महात्मा गांधी थे। उन्होंने अधिक परिश्रम किया, सरकार भी उनके राग अलाप रही है, लेकिन समस्या हल नहीं हो रही है। अस्पृश्यता ऐसी मामूली बात भी हल नहीं हो पा रही है। सब से बड़ी अस्पृश्यता की जड़ जो है, उसको आप समूल नष्ट कर दीजिये--वह है गरीबी और अशिक्षा। हरिजनों की गरीबी और अशिक्षा को दूर करते ही अस्पृश्यता आप से आप खत्म हो जायगी।

आप कहते हैं कि शिक्षा के लिए बहुत कर रहे हैं और दसवें दर्जे तक कहा जाता है कि ८ रुपये स्कालरशिप देंगे। उधर घर में खाने तक को नहीं है। एक जिले में मान लें ५० वजीफे देते हैं और हरिजनों की ४ लाख आबादी है, तो ५० वजीफे तो ५० आदमियों को दिये जा सकते हैं, बाकी का क्या होगा ? तो जितना हमारा कागजी प्रचार है उसको न करके वास्तविक प्रचार करें तब तो हल होगा।

कुएं बनाने के लिए १० हजार रुपया दिया जाता है। ५००–६०० रुपये में कुआं बनता है, तो २० कुएं बनवा सकते हैं; लेकिन मंत्री जी कहते हैं कि कुएं की बड़ी विकट समस्या है, दिया है केवल १० हजार रुपया।

[श्री रामलखन]

इस तरीके से हरिजनों की समस्या को हल करने की कोशिश की जायगी, तो मैं समझता हूं कि जैसे 'अनटचेबिलिटी ऐक्ट' पास हुआ और वह कागज पर ही रह गया और अमल में नहीं आया, उसी तरह से इसका भी हाल होगा। इसका ज्वलंत उदाहरण काशी का विश्वनाथ मन्दिर है। सेंट्रल ऐक्ट पास होने के बावजूद आज तक हरिजनों का मामला खटाई में पड़ा हुआ है। कचहरियां इसको खटाई में अटकाये हुये हैं और इसको हल करने की कोशिश नहीं की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष---अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री रघुवीर राम (जिला गाजीपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, श्रीमन्, मैं आपके द्वारा आज जो हरिजनों के बजट का प्रस्ताव पेश हुआ है, उसमें कटौती करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हरिजनों की हालत दिन-प्रति-दिन बदतर होती जा रही है। माननीय मंत्री जी अपने घृत भरी जबान में बहुत कुछ कह गये हैं और कागज में यह उपन्यास दिखाई देता है, लेकिन उनके गृहों में, उनके चेहरों पर उनके बच्चों के सामने, और उनके परिवारों में, नहीं दिखाई देता है।

आज हरिजनों के लिये १,१०,००० रुपया प्रचार के रूप में दिया जाता है। यह लोग ग्राम-ग्राम में जाकर हरिजनों की टोली में बैठ कर दस रुपये के बताशे मंगा लेते हैं, उनके घरों से आटा वगैरह इकट्ठा कर लेते हैं, और किसी ब्राह्मण को बुला कर भोजन पकवाते हैं, किसी बगीचे में बैठ कर खाते हैं और कहते हैं कि मैं हरिजनों के साथ कंधे से कंधा मिला कर रहता हूं। लेकिन दूसरे दिन से हरिजन कुओं पर नहीं चढ़ पाते हैं। अगर कोई हरिजन चारपाई पर बैठा मिल जाय, तो उसकी पीठ पर खाल नहीं रह सकती है। यह आपका हरिजन उत्थान है।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह भी कहना चाहता हूं कि हरिजन समस्या ऐसे हल नहीं होगी। हरिजनों के लिये पीने के पानी का प्रबन्ध होना चाहिये। जिस समय आपने जमींदारी उन्मूलन किया, तो क्या हरिजनों की तरफ कुछ ध्यान दिया गया कि ये हरिजन अलाभकर मजदूर कहां जायेंगे, कैसे अपना रोटी कमायेंगे? जब सरकार ने नलकूप लगाये, नहरें बनवाईं, तरह-तरह के विकास कार्य किये, मैं इनका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या सरकार ने हरिजनों के लिये सोचा कि जो चर्सा बनाने वाले हरिजन हैं वह कैसे जिन्दगी बितायेंगे? आज नलकूप से आबपाशी की जाती है तो उनके लिये क्या प्रबन्ध किया गया? क्या यह पानी उसके प्रांगण सींचने के लिये, या उसका मुंह सींचने के लिये रहेगा? इससे गरीबों का भला नहीं हो सकता है।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि जब तक भूमि का बंटवारा नहीं होगा, जब तक उनकी मजदूरी निश्चित नहीं की जायगी, जब तक उनके लिये ग्राम-ग्राम में कुयें का प्रबन्ध नहीं किया जायगा, तब तक हरिजनों की तरक्की नहीं हो सकती है। सिर्फ कागज के घोड़े दौड़ाने से कुछ नहीं होगा।

आज जिन हरिजनों के पास मुश्किल से डेढ़, दो बीघा खेत है वह भी नाजायज तरीके से बेदखल किया जा रहा है। उन हरिजनों पर कलकत्ता, बम्बई और दूर-दूर के शहरों से नाजायज मुकदमे चला कर उन्हें परेशान किया जाता है, ताकि वे मुकदमे न लड़ सकें और मजबूर होकर खेत छोड़ दें। मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात की छानबीन करे और अगर वह इसको सही पाये, तो ऐसे लोगों के ऊपर मुकदमा चलाये और जो पिछले तीन सालों में हरिजनों के खेत बेदखल हुये हैं, उनको वापस दिलाये।

अगर इन चीजों पर ध्यान दिया जाय तो सचमुच हरिजनों का उत्थान हो सकता है। मैं ६ तारीख को बोला था और आज भी उसी चीज को रखता हूं, और हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने भी रखा था, कि आज हरिजनों की हालत यह है कि वे जानवरों के

पाखाने में जो अन्न होता है उस पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। आज वे आम की गुठली की रोटी पका कर खाते हैं जिसको कुत्ते-बिल्ली भी नहीं छूते। शहरों में जाकर देखिये कि होटल से खाना खाकर, जो पत्तल फेंक दी जाती हैं उस पर एक तरफ से कुत्ता दौड़ता है और दूसरी तरफ से हरिजन की सन्तान दौड़ती है। यह तो हरिजनों की दशा है और कहा जाता है कि हम हरिजनों का उत्थान कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--आपका समय समाप्त हो गया।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की बैठक का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाय, क्योंकि बोलने वाले अभी बहुत हैं।

श्री रामशरण यादव--मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि--मैं भी इसका समर्थन करता हूं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--जब सब की यह राय है, तो एक घंटा जरूर बढ़ा दिया जाय, ऐसा मैं भी समझता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सदन की बैठक का समय एक घंटा और अर्थात् आठ बजे तक बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रथम तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया। उसके बाद मैं माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा उस दलील पर नहीं जो माननीय श्रीनाथ जी ने दी। उन्होंने कहा कि पिछले साल और इस साल में करीब १० लाख की बढ़ोत्तरी हुई और इसके लिये उन्होंने धन्यवाद दिया। लेकिन असल बात यह नहीं है। अगर वे पिछले साल के बजट आंकड़ों को देखें तो रिवाइज्ड बजट में ९९,२८,९०० रुपये का प्राविजन किया गया था। अगर उससे पहले देखें तो ५५-५६ में ऐक्चुअल्स में १,१०,३२,७९२ रुपये का प्राविजन था। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि माननीय मंत्री ने बढ़ोत्तरी नहीं की है, बल्कि करीब १५ लाख रुपये के घटोत्तरी की है।

मैं जो निवेदन करना चाहता हूं, वह यह है कि पिछले तीन सालों से हरिजन सहायक डिपार्टमेंट की यह परम्परा रही है कि जितने बजट एस्टीमेट्स किये गये उससे अक्सर ज्यादा खर्चा हुआ है। आप देखेंगे कि ५२-५३ में रिवाइज्ड बजट ४९ लाख रुपये का था, लेकिन खर्चा ५५ लाख किया गया। उसी तरीके से ५३-५४ में रिवाइज्ड बजट ६१ लाख रुपये का था, लेकिन खर्चा ६५ लाख के करीब किया गया। इसी तरह से सन् ५५-५६ में ७४ लाख रुपये के करीब खर्चा रखा गया था, लेकिन एक्चुअल एक करोड़ १० लाख खर्चा किया गया। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस साल भी उसी परम्परा को कायम रखेंगे और तभी वे वास्तव में धन्यवाद के पात्र होंगे।

इसके बाद मैं एक और चीज के बारे में अर्ज करना चाहता हूं, और उसके लिये भी माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, और वह है पापुलेशन की समस्या के बारे में। उन्होंने अपनी राय जाहिर की और बताया कि हरिजनों की पापुलेशन साधारण पापुलेशन से ज्यादा बढ़ती है, लेकिन अगर आप सेन्सस रिपोर्ट को देखें तो आपको उलटी ही सूरत नजर आयेगी। उसके कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि गलत गिनती करने की वजह ही है। बहुत से लोग उसमें लिखे नहीं गये हैं, जिसका बहुत बड़ा असर रिजर्वेशन पर पड़ा है। मिसाल के तौर पर मैं बताऊं कि सन् ५१ में हापुड़ शहर की जो आबादी लिखी गई है, वह ४ हजार के करीब लिखी गई है। लेकिन उसको जब मैंने वेरीफाई कराया, तो उस हिसाब

[श्री वीरसेन]

से ७ हजार की आबादी बैठती थी। तो अगर हापुड़ शहर में ही तीन हजार की आबादी का फर्क हो सकता है, तो सारे प्रदेश में बहुत बड़ा फर्क आबादी पर पड़ सकता है। पिछली बार सन् १९५५ में कुछ सदस्यों ने प्रेसीडेन्ट को एक मेमोरेंडम दिया था, उसमें इस प्रश्न को उठाया था। उसमें अन्दाज लगाया गया था कि करीब १ करोड़ ६५ लाख की आबादी हरिजनों की होगी। तो मैंने मुनासिब समझा कि फिर उसका जिक्र करूं कि सरकार इस प्रश्न पर सोचे और अगर हो सके तो या तो उस सिद्धान्त पर जिस पर साधारण आबादी बढ़ी है उसे मान ले या दूसरा सेन्सस कराये जिससे हरिजनों को जो अधिकार कांस्टीट्यूशन से मिलते हैं, वे मिल सकें।

इसके बाद मैं दूसरी चीज जो अर्ज करना चाहता हूं, वह है ग्रांट के बारे में। जो ग्रांट है, उसके तीन विभाग किये जा सकते हैं। एक तो अधीक्षण, दूसरा आर्गनाइजेशन और तीसरा रिक्लेमेशन, जो कि विमुचित जातियों से ताल्लुक रखता है। इन तीनों में मैं रिक्लेमेशन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन बाकी दो हिस्सों के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा।

पहली चीज अगर आप देखेंगे जो कि आर्गनाइजेशन है, तो डिस्ट्रिक्ट में उनके पास कोई काम नहीं है। वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट हरिजन आफिसर होते हैं उनके पास पोस्ट आफिस की तरह सिवाय सार्टीफिकेट इश्यू करने के और कोई काम नहीं होता और जितना भी सरकार का रुपया वेतन के रूप में जाता है, वह बर्बाद होता है। इसी तरह से यहां पर हेडक्वार्टर पर जो आर्गनाइजेशन है, उसके पास भी मैं समझता हूं, कि एक हफ्ते से ज्यादा काम नहीं है। उनका काम सिर्फ यही है कि वजीफा दें। जो पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज होते हैं, उनके वजीफे यहां से मंजूर किये जाते हैं, और जो नीचे के वजीफे होते हैं, उन्हें इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स करता है। तो इस तरीके से अगर वजीफे का सारे का सारा काम जिले में ही कर दिया जाय तो और कमी हो सकती है। मेरा खयाल है कि फाइल का काम सिर्फ इसी तरीके से होता है कि फाइल जब तक सामने रही और पत्र सामने होता तभी तक व्यक्ति की जरूरत होती है और जब फाइल सामने से हट जाती है तो फिर उस की जरूरत नहीं होती। मैं तो यह जानता हूं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका हरिजन कार्य से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं पिछले साल की एक बात अर्ज करूं कि एक बार मैंने दोपहर में हरिजन सहायक आफिसर के दफ्तर में फोन किया, वह फरवरी का महीना था, तो पता चला कि वे क्रिकेट खेलने गये हैं। मैंने अक्सर देखा है कि काफी हाउस में अक्सर लोग आफिस टाइम में बैठते हैं। तो इस तरह से कैसे उद्धार हो सकता है।

अब समय बहुत कम रह गया है। अब जो ग्रांट है उसके बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूं। इसमें करीब १८ आइटम्स हैं जिनमें से १६ रेगुलर आइटम्स हैं। इन १६ आइटम्स में करीब १४ आइटम्स ऐसे हैं जिनमें सरकार ने कटौती की है। ५७-५८ में सरकार ने इनमें १२,१८,६०० रु० की कटौती की है। जिनमें से सिर्फ दो ग्रांटों में एक में ७८,००० रुपया और एक में ४०० रुपये बढ़ोत्तरी की गई है और बाकी उन प्लांड आइटम्स में से जो पिछले साल तय किये गये थे १२,१८,६०० रुपये का काम किया गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि १४ परसेंट खर्च का इस में कम कर दिया गया।

श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री जी को यह बताना चाहता हूं कि आज हरिजनों की समस्या के न सुलझने के कारण हमारा देश कमजोर रह जायगा। आप को मालूम है कि जो रुपय हरिजन कल्याण विभाग के द्वारा उन पर खर्च किया जाता है, वह सही मानों में उन पर कितना खर्च हो पाता है? आप देखें कि हरिजन, जो गांवों में रहते हैं, उनकी हालत कितनी खराब है। वे आज भी गड्ढों और तालाबों का पानी पीते हैं। आज १० साल मुल्क को आजाद हुए हो गये परन्तु उनके लिए पीने के पानी की सस्या अब तक हल नहीं हुई। जो हरिजनों के लिए बस्तियां बनायी गयी हैं उनकी

आप हालत देखिये कि क्या हो रही है। उनको दो साल भी बने नहीं हुए कि वह गिरने जा रही हैं। आजकल बरसात के दिनों में वह मकान कभी भी गिर सकते हैं। इसलिए हरिजन विभाग की ओर से जो काम किया जा रहा है उसकी देख-रेख सरकार की तरफ से होनी चाहिए कि आया वह ठोस काम हो रहे हैं या केवल नकली तरीके से काम किया जा रहा है। आज हरिजनों की वही हालत है जो बहुत दिन पहले थी। आज भी हरिजन यदि किसी सवर्ण की चारपाई पर बैठ जाता है तो बड़ी कौम के लोग उसे बिना पीटे नहीं छोड़ते। प्रोफेसर शिब्बन लाल सक्सेना ने हाल ही में किसी हरिजन को कुवें पर पानी भरने के लिए कह दिया था। उसने कुवें से पानी भरा और उसके बाद जब प्रोफेसर साहब वहां से चले गये तो उसको पीटा गया। उसकी रिपोर्ट थाने में की गयी, लेकिन सरकार की तरफ से उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। यह सरकार की उदासीनता है। केवल ढोल पीटा जाता है कि हम हरिजनों को आगे बढ़ायेंगे। जो रुपया उन पर खर्च किया जाता है, उसका सही उपयोग नहीं किया जाता।

उनकी हालत कैसे सुधर सकती है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। आखिर यह पिछड़ा वर्ग किस तरह से तरक्की कर सकता है? वह बापू ही थे कि जो हरिजन बस्तियों में जाते थे, वहां ठहरते थे और उनकी हालत को जानते थे, उनकी बीमारी की दवा को जानते थे। लेकिन यह हरिजनों का अभाग्य था कि वह मुल्क के आजाद होने के बाद नहीं रहे। इस कारण हमको काफी परेशानी उठानी पड़ी।

आज हमारे मन्त्री जी जब गांव में जाते हैं या शहरों में जाते हैं तो बंगलों में ठहरते हैं। वे हरिजनों की स्थिति कैसे जान सकते हैं कि उनकी हालत क्या है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह कहूंगा कि जब भी आप देहातों या शहरों के अन्दर जाइये तो हरिजन बस्तियों में ठहरिये और वहां ठहरकर उनकी हालत को देखिये और उनके उत्थान के उपाय सोचिये कि उनकी हालत कैसे अच्छी हो सकती है, क्योंकि वे भी इसी देश के रहने वाले हैं।

हरिजन छात्रों को छोटी क्लासों में जो वजीफा दिया जाता है, उस वजीफे के रुपये को अध्यापक लोग ज्यादातर ले लेते हैं और उसको अपने काम में खर्च करते हैं। केवल उनसे दस्तखत करा लेते हैं, और कह देते हैं कि तुम्हारा वजीफा मिल गया। इस तरह से सरकार जो वजीफा देती है, उसकी इन्क्वायरी भी बराबर सरकार कराये, ताकि जो सहायता उनको मिलती है उससे उनकी उन्नति हो सके।

किताबें जो हरिजनों को दी जाती हैं, वह समयानुसार न मिलने की वजह से और हरिजन छात्र अपनी गरीबी की वजह से किताबें नहीं खरीद पाते हैं, तो वे अपने दर्जे में कमजोर होते हैं और यह शुरू की कमजोरी आखिर तक बनी रहती है।

इस प्रकार जब हरिजन छात्र कम्पीटीशन में जाते हैं, तो वे कमजोर रहते हैं, इसलिये उनको नौकरी मिलने में आसानी नहीं होती है। हर महकमे में, जो हमारे हिस्से का कोटा नियत किया गया है, जो हमारे लिए १८ फी सदी जगहें नियत की गयी हैं, हम लोगों को वे जगहें, हम दावा कर सकते हैं कि किसी मकहमे में नियत परसेन्टेज के मुताबिक हम लोगों को स्थान नहीं मिलता है। इसलिए हम सरकार से यह निवेदन करेंगे कि सरकार इस मामले की छान-बीन करे और उनका जो हक है निश्चित रूप से जिन जगहों के लिए है, उसको दिलाने का प्रयत्न करे। मैं कहता हूं कि लोग जो यह कहते हैं कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो क्या चपरासी-गीरी में किसी तालीम की जरूरत पड़ती है, चौकीदारी में कौन सी बड़ी तालीम की जरूरत पड़ती है, लेकिन कचहरियों में चपरासी के स्थान पर भी उनको नियुक्त नहीं किया जाता है।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करने के बाद, बहुत उठक-बैठक लगाने के बाद, आपने थोड़ा सा समय दिया, तो मैं इस थोड़े से समय में उनकी प्रशंसा करूं या हरिजनों की बात करूं। मैं यह जरूर कह सकता हूं

[श्री बंशीधर शुक्ल]

कि यह सरकार हरिजनों का वास्तव में कल्याण नहीं चाहती। अगर यह कल्याण चाहती होती तो यह कल्याण कोई दाम की चीज नहीं है। अगर इस को हमेशा दान के रूप में धन दिया जायगा तो इससे हरिजनों का कल्याण नहीं हो सकता। हमारे जिले में हरिजनों के उद्धार के दो उदाहरण मौजूद हैं। उनका एक तो अंग्रेजों ने उद्धार किया था और दूसरा इस सरकार ने उनका कल्याण किया। वहां पर एक हरिजन कालोनी बसा कर उनका कल्याण किया गया है। कुकरा परगना में हरिजनों का उद्धार किया गया था। वहां पर जंगल को काटकर हरिजनों को बसाया गया था। वहां पर २, ४ लाख लोग बसे हुए हैं, मौज में हैं। सब अपनी खेती जोतते हैं। सरकार ने उनके लिए क्या किया? सरकार ने हमारे जिले में सांसिये बसा दिये हैं जिनका पेशा चोरी, डकैती है। वह सेंध नहीं लगाते हैं, आग नहीं लगाते, बाकी सब काम करते हैं। उनके लिए मकान बना दिये गये हैं। उनको जमीन दी गयी है। वहां पर २० हजार और ४० हजार रुपया खर्च करके खेती के फार्म खरीदे गये हैं और उन फार्मों को खरीदकर एक-एक में बहुत से मकान बनाये गये हैं, जहां पर वे लोग बसे हुए हैं। मेरे पड़ोस में वह स्थान है। जब मैं उनको देखने के लिए जाता हूं तो कहते हैं कि पंडित जी पालागन, लेकिन मैं समझता हूं कि उनके दिल में क्या है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।

हमारे जिले खीरी में बहुत जमीन है, वहां हरिजन बसाये जा सकते हैं। पीलीभीत और शाहजहांपुर में भी बहुत जमीन पड़ती है और इन सब जगहों में ४० लाख हरिजन आबाद हो सकते हैं। पलिया कालोनी में किस हरिजन को सरकार ने जमीन दी सिवाय कुछ सरकारी कर्मचारियों के? आज एक ठोस कदम की जरूरत है। दान से हरिजनों का कल्याण नहीं हो सकता। जो पढ़ना चाहे, उसे जरूर मदद दीजिये। मगर वास्तव में हरिजनों के कल्याण का रास्ता उन्हें जमीन, जल और रहने की जगह देना है? अभी हमारे जिले में एक सवाल था कि हरिजनों का कुछ पैसा बचा है, उसका क्या किया जाय? प्लानिंग आफिसर ने कहा कि उनको बांट दिया जाय। हम ने कहा कि लकड़ी और टीन उन को दे दें, जिससे वे मकान बना सकें। उन्होंने कहा कि उसे वे बेच लेंगे। तो हमने कहा कि तब तो सहायता करना ही बेकार है। अंग्रेजों ने जैसा किया था, वैसा अगर सरकार करना चाहे तो ४० मील जगह नहर के किनारे बनबसा से गोला तक है, जिसमें से एक बिस्वा भी नहीं सींची जाती है। वहां सरकार हरिजनों का कल्याण कर सकती है। यहां तो वही है कि बस क्या बतावें।

श्री हरदेवसिंह (जिला सहारनपुर)--श्रीमान्, उपाध्यक्ष महोदय और मन्त्री जी, यह विवाद जो आज चल रहा है, रुपया इसमें रखा है, सो ठीक है। रुपये की बात मैं नहीं कहता हूं। रुपया तो देना है, क्योंकि पास हो गया है, लेकिन हमारी हरिजनों की समस्या बहुत जटिल होती जा रही है। जमींदारी उन्मूलन के बाद हम लोगों को बसने के लिए जमीन नहीं मिली। पहले जमींदार लोग हमको एक गांव से दूसरे गांव में गाड़ियों द्वारा लाते थे कि इन से बेगार लेंगे। जितनी भूमि हमको जमींदारों से जोतने व बसने के लिए मिली हुई थी, वह सारी की सारी आज छिन गयी है इससे बहुत ही हानि हो रही है। जो जमीन हमको जमींदारों से आध बटाई पर मिलती थी और उससे हम लोग भी फायदा उठाते थे लेकिन आज अधिक मात्रा में हम लोग भूखों मर रहे हैं, क्योंकि जमींदारी खत्म हो गयी है। हमारे इलाके में लाखों बीघा जमीन गंगा और यमुना के इलाकेमें पड़ी हुई है, लेकिन हरिजनों को नहीं दी जाती है। मुजफ्फरनगर के चौहानों को वह जमीन दी जा रही है। लोग वहां के कर्मचारियों को जाकर बहका देते हैं---हमारा हल कौन चलायेगा, खिदमत कौन करेगा? इसलिए यह एक बड़ी भारी जटिल समस्या बनी हुई है।

आज महात्मा गांधी नहीं हैं, जो सामने खड़े हुए हैं, वे हरिजनों का उद्धार करते थे। आज जो दोनों तरफ के लोग बैठे हुए हैं, कहते हैं कि हरिजनों का उद्धार करो। अगर आप लोग हरिजनों के घरों में जाकर उनको उपदेश नहीं देंगे तो उनका उद्धार नहीं हो सकता है। हमारी गरीबी का ठिकाना नहीं है। हरिजन लोग भूखों मरते हैं, उनके पास बरतन

नहीं हैं, उनके कपड़े गन्दे हैं। बरतन उन के नीचे पड़े हुए हैं, जिनको कुत्ते चाटते हैं। उनको ज्ञान नहीं कि कैसे हम बरतनों को रख, किस प्रकार से कपड़े धोयें। किस प्रकार से बातें करें। उपदेश करने वाले लोग उन में नहीं जाते हैं। हमारा कांग्रेस के भाइयों और उधर के भाइयों से अनुरोध है कि वे उन में जाकर प्रचार करें, ताकि उनका कल्याण हो सके। हमारे जिले में ४० मील लम्बा चौड़ा पहाड़ का इलाका है। वहां की सारी भाभड़ हरिजनों के लिए बन्द हो गयी है। गरीबों को रोटी नहीं मिलती है। पहले ३ आना बोझ में उनको भाभड़ मिल जाती थी, जिसका बान बना कर वे अपनी रोटी कमाते थे, लेकिन आज उनका रोजगार बन्द हो गया है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह उनके लिए ६ आना बोझ भी कर दे, तो उनकी रोजी चल सकती है।

सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। सन् २१ में लाला लाजपत राय ने वाइसराय का हाथ पकड़ कर यह लिखा लिया था कि जिस मदरसे में हरिजन नहीं होगा, उसकी ग्रान्ट बन्द कर दी जायगी, जिसका नतीजा यह हुआ कि प्रिंसिपल लोग जाकर हरिजन बच्चों को लाने लगे। आज भी अनेक प्रकार की प्रगति हो रही है। बहुत से पढ़े-लिखे आदमी हो गये हैं। आज हलों के स्थान पर बहुत सी जगहों पर ट्रैक्टर्स चल गये हैं। इससे बहुत से लोग हरिजनों में बेकार हो गये हैं। जो पिसाई, उटाई, कुटाई होती थी, उसके लिए इंजिन लगा दिये गये हैं। इससे उनका रोजगार छिन गया है और उनकी हालत बहुत ही खराब हो हो गई है। मैं प्रार्थना करता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे।

मैं सब लोगों से, जो इधर के और उधर के बैठने वाले हैं, प्रार्थना करता हूं कि वे हरिजनों का उद्धार करें। हम लोग बहुत गरीब हैं, पिसे हुए हैं, हमारी हालत बहुत खराब है, इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा और सदन के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि हमारी दशा पर ध्यान दिया जाय और हमारा उद्धार किया जाय।

*श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज माननीय मन्त्री जी के उस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, जिस में उन्होंने हरिजनों के ऊपर साल भर के आय-व्यय का ब्योरा पेश किया है। जब मैं उनके इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं तो दूसरी तरफ के बैठने वाले भाइयों से खेद भी प्रकट करता हूं कि हरिजनों की समस्या से हमारे भाइयों को कितना प्रेम है। वह तो इसी से मालूम होता है कि आज हमारे बीच में हमारे नेता विरोधी दल मौजूद नहीं हैं। मैं चाहता था कि हमारे नेता विरोधी दल इस हाउस में मौजूद होते और हम को हरिजनों के प्रति अपने विचार बतलाते। आज जिस तरह की अवहेलना उन्होंने हरिजनों के प्रति की है, इसका मुझे खेद है और मैं चाहूंगा कि दूसरे अवसर पर माननीय नेता विरोधी दल आवें, और हमको अपने विचार बतलावें कि हरिजनों के प्रति उनके क्या ख्याल हैं। मेरे भाई प्रतापसिंह जी ने माननीय मन्त्री जी के भाषण की कटु आलोचना की थी, और उन्होंने कहा था कि आप के भाषण में कोई ऐसी बात रह ही नहीं गयी, जिसका आपने जिक्र न किया हो। मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि थोड़े समय में जब वे भाषण कर रहे थे, तो हर चीज का बयान करना कहां तक ठीक हो सकता है, और न इतनी जल्दी हर चीज का बयान दिया ही जा सकता है। थोड़े समय में जो कुछ भी उनको कहना था, जो कुछ भी खास-खास मसले थे, उन पर उन्होंने प्रकाश डाला।

जो हरिजनों की समस्या है, वह बड़ी विकट समस्या है। खास करके उन की समस्या आर्थिक और सामाजिक है। मेरे कुछ भाइयों ने सुझाव दिया कि कहीं वजीफा बढ़ा दिया जाय, कहीं लोगों को इन्डस्ट्रियल ग्रान्ट दे दिया जाय, लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि वजीफा बढ़ा देने से या इन्डस्ट्रियल ग्रान्ट दे देने से हरिजनों की आर्थिक व सामाजिक समस्या हल नहीं हो सकती है, जब तक कि आप जमीन का अच्छी तरह से बटवारा नहीं करते। हम देखते हैं कि हमारे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गनेशी लाल चौधरी]

सूबे में जितने भी ऐग्रीकलचरिस्ट्स हैं, बड़े-बड़े फार्म वाले हैं और जितने बड़े किसान हैं, वे सब हरिजनों से ही अपना काम करवाते हैं और उनको खाने के लिए बहुत थोड़ा सा, बहुत मामूली और ऐसा अन्न दे देते हैं जिसको वे लोग जानते हैं कि हमसे फाजिल है या हमारे लिए बेकार है। ऐसा अन्न वे उन लोगों को खाने के लिए देते हैं। नतीजा यह होता है कि वह बेचारा हरिजन व पिछड़ा हुआ आदमी पूरे साल भर उनका कर्जदार बना रहता है और उन्हीं के यहां काम करता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब तक आप जमीन का बटवारा नहीं करते तब तक इन हरिजनों की समस्या हल नहीं हो सकती। मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि वे जल्द से जल्द इस जमीन के बटवारे की बात को उठावें और तभी हरिजनों की समस्या कुछ हद तक हल हो सकती है।

आप पढ़ा तो रहे हैं, और पढ़ाने में काफी रुपया खर्च कर रहे हैं, तो मैं तो आप से कहूंगा कि जब आप पढ़ा रहे हैं और उनकी आर्थिक समस्या को हल करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं यह करते कि कुछ समय के लिए नौकरियों में हरिजनों को ही स्थान दिया करें? मैं यह नहीं कहता कि जहां एफीशियेंसी घटने की बात हो, उन स्थानों पर भी उनको करें, लेकिन ऐसी बहुत सी छोटी। छोटी जगहें हैं, जैसे क्लर्कों का काम है, वहां पर तो ये काम कर ही सकते हैं। अगर इस तरह से आप करें, तो हर साल जो कालेजों और युनिवर्सिटीज से इतनी बड़ी संख्या में पढ़ने वाले निकलते हैं, उनकी समस्या भी कुछ हद तक दूर हो सकती है।

सामाजिक क्षेत्र में, माननीय मन्त्री जी से मुझे यह कहना है, कि हर साल आप रुपया खर्च करते हैं, लेकिन यह जो रुपया खर्च करते हैं, उससे हमको यह नहीं पता चलता कि इस से समाज में हरिजनों को कितना ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि आप सूबे के तमाम सोशलाजिस्ट की एक कान्फ्रेंस बुलावें, जिसमें सोशल अपलिफ्ट' की कोई स्कीम तैयार करावें, जिससे प्रति वर्ष यह अनुभव किया जा सके कि पिछले वर्ष, १९५७ में हमारे देश में इतने पिछड़े हुए लोग थे और अब सन् १९५८ में इतने पिछड़े हुए लोग निकल गये हैं, और उनका स्थान ऊंचा हो गया है।

*डाक्टर खमानी सिंह (जिला मुरादाबाद)---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस अनुदान की रकम देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि हमारी ६० प्रतिशत आबादी के लिये इतनी कम रकम रखी गई है। इससे क्या उनका उत्थान हो सकता है? जहां तक पिछड़ी जातियों और हरिजनों का ताल्लुक है, उनके बारे में मैं कहूंगा कि यह दोनों कौमें एक्सप्लायट की जा रही हैं, और ऊंची कौमों का पंजा हमारे ऊपर है, वह हमारी कमाई खाते हैं। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि इस रुपये में से भी ५० फीसदी वही लोग खा जाते हैं और उन्हीं पर खर्च हो जाता है, जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं और गलत तरीके से हमारा एक्सप्लायटेशन कर रहे हैं। इसमें जितना भी खर्च है, वह उन्हीं मुलाजिमों का है, उन्हीं कौमों का है, जिनका हम पर शासन है। हमारी समस्या, हमारी तकलीफ हमारी परेशानियां क्या हैं? वह यह हैं कि हम गरीब हैं, कुपढ़ हैं, तालीमयाफ्ता नहीं हैं और बहुत हम में से मजदूर पेशे के लोग हैं। ऐसे लोगों का सवाल हमारे सामने है, उनके पढ़ने का और ऊपर उठाने का तरीका सरकार सोचे।

हमारे यहां सब से बड़ी जरूरत तालीम की है, और अगर तालीम बढ़ेगी तो हम भी कुछ आगे बढ़ सकेंगे। तालीम के लिये जो वजीफे दिये जाते हैं वह कतई नाकाफी हैं, उनके लिये पढ़ने की कोई सुविधायें नहीं हैं। एक बड़ी परेशानी यह है कि जितना भी खर्च शिक्षा पर हो रहा है, वह ऐसा है कि जितने भी स्कूल कालेज खुल रहे हैं, वह ऐसे हैं कि वह कौमों के नाम से चलाये जाते हैं---जैसे ब्राह्मण स्कूल, कायस्थ पाठशाला या वैश्य स्कूल, और ऐसे स्कूल हम लोगों से घृणा पैदा करते हैं और हमारे लड़कों को वहां दाखिले में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बड़ी परेशानी होती है। अगर इस देश से और इस कौम से हमें जाति का भेद-भाव दूर करना है तो इस तरह की संस्थाओं के नाम बदल कर साधारण नाम उनके रखे जायं।

दूसरी बात यह है कि आज कल जितने भी आदमी नौकरी में जा रहे हैं, जितने भी हमारे मौजूदा लीडर्स हैं, उन्होंने एक और नया तरीका अख्तियार किया है कि वह अपने नाम के साथ अपनी बिरादरी का नाम जैसे पंडित फलां, लाला फलां, इस तरह की चीज नहीं रहनी चाहिये, इससे भी बहुत झगड़ा बढ़ता है और भेद-भाव पैदा होता है.....

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को यहां भेद-भाव की बात नहीं करना चाहिये, उसका स्थान दूसरी जगह हो सकता है, यहां नहीं है।

डाक्टर खमानी सिंह—बहुत शुक्रिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हरिजनों का उत्थान करना है और भेद-भाव मिटाना है तो ऐसी बात होनी चाहिये कि जिनसे भेद-भाव न बढ़े। उसके साथ ही छूत-छात और खाने-पीने की बात है। लोग कहते हैं कि यह अब कम हो रही है, लेकिन मेरा खयाल है कि वह और बढ़ रही है। मैं थोड़ी सी बात कह दूं कि हमारे साथ मजाक किया जाता है, एक मजाक सन् ५४ में किया गया कि एक कमीशन हमारे लिए मुकर्रर किया गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट पर आज तक कुछ नहीं हुआ, इतना रुपया उस पर व्यय हुआ, लेकिन नतीजा यह है कि वह रिपोर्ट आज तक पड़ी है और पास नहीं हुई। सहानुभूति दिखाने के लिये ही ऐसा किया गया था।

मैं यह अर्ज करूंगा कि सर्विसेज में भी हमारे लिये ५० प्रतिशत जगहें रिजर्व होनी चाहिये ताकि हरिजन भी तरक्की कर सकें और उनके लिये भी आगे बढ़ने का मौका रहे। दूसरे हमारे हरिजन विभाग के जो मंत्री है वह भी किसी एडवान्स्ड जाति के हैं, यह काम भी किसी पिछड़ी जाति के आदमी को देना चाहिये, ताकि वह कुछ मदद उनकी कर सके।

श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो अनुदान इस समय प्रस्तुत है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, सरकार हरिजनों के लिए जो कार्य कर रही है और उसको जो आगे चलकर करना है उसके सम्बन्ध में सरकार की एक विस्तृत और लम्बी योजना है। लेकिन मैं यहीं तक सब्र नहीं करता। मैं यह भी नहीं समझ पाता हूं कि हमारे देश में एक मानव प्राणी, जो दिन रात लोगों के सामने श्रम करके जीते हैं परन्तु ऐसे लोग भी हैं जो नफरत की निगाहों से उन्हें देखते हैं। जहां तक सरकार का काम करने का सवाल है, वह कर रही है। लेकिन हम वहीं तक सीमित रह कर हरिजन समस्या की पूर्ति नहीं कर सकते। देश के दूसरे लोगों की जिम्मेदारी उससे अलग नहीं है। आज हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जो एक स्थान पर जो पत्थर, चूना और सीमेंट से बना हुआ है, वहां उसे जाने से रोकने के लिए, अपना शरीर बिछा देते हैं, और जरूरत पड़ने पर वही लोग हरिजनों के बीच में बड़े भारी सुधारक बन कर उन्हें अपनाने की भी कोशिश करते हैं। हम करपात्री जी की बात को जानते हैं। कभी हम उनको राजनीतिक बात, कभी समाज-सुधार की बात करते पाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे विचार रखने वाले लोग भी हमारे देश में आज हैं, जो यह कहते हैं कि हम मंदिरों में हरिजनों को नहीं जाने देना चाहते। हम देखते हैं कि हमीं लोगों में राजनीतिक विचार रखने वाले ऐसे लोग भी हैं जो कि उन्हें मन्दिर में जाने से वंचित रखते हैं। सरकार चाहे लाखों नहीं करोड़ों रुपया खर्च कर दे, लेकिन हरिजनों के प्रश्न रुपयों के बल से हल नहीं हो सकते। हरिजनों का कल्याण नहीं हो सकता, जब तक कि देश के बच्चे-बच्चे की मनोवृत्ति में परिवर्तन न हो। इस प्रकार के विचार के रखने वाले लोग जब तक इस देश में जीवित रहेंगे, तब तक हमारे देश के रहने वाले ऐसे लोग, जो दबे हुये हैं, सताये हुए हैं, सदियों से रगड़े हुए

[श्री शिवप्रसाद]

हैं, उनकी भावनाओं को दबाते रहेंगे। इसलिए दिमाग के परिवर्तन के लिए आवश्यकता होने पर, हमें क्रान्तिकारी विचार भी पैदा करने होंगे। हम सरकार के ऊपर हर बात को टाल कर नहीं चल सकते। हमें अपने को एक रास्ते पर लाकर हरिजनों की आवश्यकताओं को महसूस करना पड़ेगा। जब तक हम हरिजनों के प्रति जिम्मेदारियों को महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम अपने को देश का सच्चा नागरिक नहीं समझेंगे। हम समझते हैं कि सरकार कितना भी पैसा खर्च कर दे, लेकिन उससे उसका कल्याण होने वाला नहीं है। प्रान्तीय सरकार इस समय हरिजनों के सुख के लिए, सामाजिक सुधार के लिए और हरिजनों के रहन-सहन में परिवर्तन करने के लिए जो खर्च कर रही है, उसका हम स्वागत करते हैं। वह सराहनीय है। लेकिन हम इतने ही तक सीमित रह कर हरिजनों का कल्याण नहीं कर सकते।

यह कहा जाता है कि हरिजन अपने सुधार की बात स्वयं करें। क्या हमारी जिम्मेदारी राजा महाराजाओं से भी ज्यादा है? हम समझते हैं कि आज ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि ताल्लुकेदार हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी उनसे ज्यादा है? जब तक वे हमें सुधार नहीं सकते, तब तक उन्हें प्रायश्चित्त करना चाहिए। हमें दुःख है कि हमारे सदन में विरोधी दल के नेता श्री त्रिलोकीसिंह जी इस वक्त नहीं हैं। श्री गेंदासिंह हमेशा गरीबों की दुहाई देते हैं। लेकिन इस वर्ग से भूखा नंगा और कौन सा गरीब है? वह भी आज यहां से लापता हैं। ऐसे अवसरों पर वह लोग मुंह मोड़ लेते हैं। सरकार के नाम पर एक उलाहना देकर बगल ताकते हैं। ऐसे काम चलने वाला नहीं है।

हमें और आपको समाज का स्तर ऊंचा करना है। हरिजनों के कल्याण के लिए गांव में एक वातावरण पैदा करना पड़ेगा। गांव के लोगों के विचारों में एक परिवर्तन करना पड़ेगा। ऐसे नौजवानों को हम जब तक इस प्रकार से आगे नहीं बढ़ायेंगे, तब तक करोड़, दो करोड़ रुपये से हरिजनों की समस्या को सरकार हल नहीं कर सकती। हमारी एक ही समस्या नहीं है। हमको अभी इस बात को सोचना है कि हम रुपये के ही बल से आगे बढ़ सकते हैं या श्रम से। हम स्वयं अपने पैरों पर खड़े होकर के आगे बढ़ सकते हैं और जब तक ऐसी भावना हमारे बच्चों में नहीं पैदा होगी, तब तक हरिजनों का कल्याण नहीं होगा। रुपये से उनके रहन-सहन में परिवर्तन भले ही हो जाय, यह दूसरी चीज है, लेकिन असल में भावना बदली जानी चाहिये। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार समझती है कि देश का पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसको आगे लाने की आवश्यकता है। इस जिम्मेदारी के साथ सरकार आगे बढ़ रही है।

श्री प्रतापसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से एक बात कहना चाहता हूं। अभी माननीय सदस्यों ने विरोधी दल के नेता श्री त्रिलोकीसिंह और माननीय गेंदासिंह जी के विषय में कहा कि वे यहां इस समय उपस्थित नहीं हैं। मैं आपकी आज्ञा से इसका जवाब दे दूं कि वे एक आवश्यक कार्य से एक मीटिंग में गये हुए हैं। और क्योंकि सदन का समय आज बढ़ा है, कल इसका कोई निश्चय नहीं था, इसलिये वह चले गये हैं। हम लोग तो यहां उपस्थित हैं। ऐसा तो नहीं है कि पार्टी का कोई भी सदस्य न हो।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर तो दे दिया। मैं अपने हरिजन कल्याण मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने सौभाग्य से १० लाख रुपया हरिजनों के परोपकार के लिए इस वर्ष के बजट में और बढ़ा कर रखा है।

जहां तक इनके कल्याण का प्रश्न है यह हमारे देश के सभी नेताओं ने मिल करके इस बीड़े को उठाया था और बराबर १०, १२ साल से यह कार्य चल रहा है। इसमें

यह देखा जा रहा है कि उत्तरोत्तर उन्नति होती जा रही है। परन्तु उन्नति के साथ-साथ हमारी आकांक्षायें, इच्छायें भी उतनी ही बढ़ती जा रही हैं जितनी कि एक मानव की बढ़नी चाहिये। हम देखते हैं कि शिक्षा में प्रगति हुई है, दस्तकारी में प्रगति हुई है और खेती में भी प्रगति हुई है, लेकिन जब हम दूसरे लोगों से अपने को नापते हैं कि आज से कुछ साल पहले वह जहां थे वहां से वह कितने आगे बढ़े और उसी अनुपात से हम जहां थे वहां से कितने आगे बढ़े हैं, तो परिणाम यह निकलता है कि हम लोग उतने ही नीचे गिरे हैं, दूसरे उतने ही ऊंचे बढ़े हैं, कोई विशेष अन्तर नहीं आया है, क्योंकि यह एक विशेष बात देखने में आयी है कि चाहे विरोधी दल के नेता हों या किसी दल के हों, दुहाई और डींग उनका मत हासिल करने के लिये, हांका करते हैं, क्योंकि उनकी राय से ही यहां सफल हो कर आते हैं। लेकिन जब उनके काम की हित की बात आती है, तो कोई आवश्यक मीटिंग हो जाती है.....

(श्री बंशीधर शुक्ल द्वारा व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—माननीय बंशीधर जी आप शांत रहिये।

श्री हरीसिंह—अभी जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा, मैंने खुद उस जिले में जाकर के देखा है कि जो लखीमपुर खीरी में हरिजनों के लिये बस्ती बसी है और अधिकारियों ने बड़े परिश्रम के साथ उसको बसाया है, मैं आपके द्वारा उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि इस प्रान्त की सारी हरिजन जनता उस बस्ती की प्रशंसा करती है, जिसको हमारे अधिकारियों ने लखीमपुर खीरी में बसाया है। लेकिन आज हमें मालूम हुआ कि उधर के लोग हरिजनों के प्रति कितनी भावना रखते हैं। जब उसका जिक्र किया जाता है तो उधर से कहा जाता है कि वह लोग आवश्यक मीटिंग में गये हुए हैं। जिनके बल पर यहां बैठे हुए हैं, उनको गीधिया नाम से पुकारा जाता है, चोर कहा जाता है, डकैत कहा जाता है। बुरे, इन्हीं नामों से तो वे अब तक परेशान होते आये हैं।

मैं अपने मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि नौकरियों में जगह देने के बारे में यहां कहा जाता है कि उतनी योग्यता के नहीं मिलते। पता नहीं उनके पास योग्यता का कौन सा पैमाना है कि जब इतने लड़के हमारे स्कूलों, कालेजों से निकल कर आते हैं, इंटरव्यू में आते हैं और वह नहीं लिये जाते। उसका एक विशेष कारण है। हमारे बार-बार अपील करने पर तो इस विभाग के एक मंत्री की नियुक्ति हुई, लेकिन जो हमारी दूसरी मांग थी उसे अब भी नजरअन्दाज किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके अन्दर भी हमारा एक नुमाइन्दा होना चाहिए, ताकि हमको यह आशा बंधे कि कोई हमारी भी वहां सुनने वाला है।

दूसरी बात यह है कि यदि आप इनका सुधार चाहते हैं तो आपकी इन नौकरियों से, इस शिक्षा से, उतना भला अब होने वाला नहीं है, जितना हम चाहते हैं; क्योंकि आज हम अपनी शिक्षा का प्रबन्ध कर सकते हैं, हम अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं, यह हिम्मत और यह साहस आपने हमारे अन्दर पैदा कर दिया है। लेकिन जो आपका हरिजन सहायक विभाग है, उसका काम यह होना चाहिए कि वह प्रचार करे, वह लोगों का हृदय परिवर्तन करने की कोशिश करे, उनके विचारों को बदलने की कोशिश करे, ताकि आपस में भाई चारे का व्यवहार लोग एक दूसरे से कर सकें। आज हम देखते हैं कि हरिजनों से पिछड़ी जाति के लोग दूर भागते हैं। कोई ब्राह्मण या कायस्थ उतना दूर उनसे नहीं भागता है जितना कि ये पिछड़ी जाति वाले भागते हैं, जो अपने को इस डिपार्टमेंट में शामिल करते हैं। यह हमारे अन्दर कमजोरी है। तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि हम अपनी इस कमजोरी को भी दूर करें। अगर हमारी यह कमजोरी दूर हो जाय तो किसी में हिम्मत नहीं कि वह हमसे भेदभाव का बर्ताव करे।

[श्री हरीसिंह]

जो उद्योग-धन्धे हैं, उनकी हालत आप अच्छी कर दें तो इससे बहुत लाभ हो सकता है। लेकिन आप तो उन्हें बिल्कुल दबा देना चाहते हैं। पांच वर्ष चिल्लाते हो गए इस हाउस में। कोई भी उद्योग-धन्धा हरिजनों में नहीं है। अगर कोई हो तो एक भी ऐसा उद्योग धन्धा आप बतला दें ? हमने चमड़े के काम का उदाहरण दिया था कि आप उसका लाइसेंस हमें दिलावें। हमारे लोग वह काम करें। वह विदेशों की बातें मालूम करें और अपनी तरक्की करें। लेकिन वह भी नहीं किया गया।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो आपकी नौकरशाही है इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसकी जगह अगर आप हजार पांच सौ सोशल वर्कर्स छोड़ दें, तो हमारे हरिजनों का वाकई कल्याण हो सकता है। जितना फायदा हमको सोशल वर्कर्स से हुआ है, उतना आपके हरिजन अधिकारियों से नहीं हुआ है, क्योंकि वह तो फाइलें देखते हैं। काम-धाम कुछ है नहीं। चार दिन का काम है और फिर आनन्द लेते हैं। हमें वहां जाते हुए दुःख होता है। वहां बात करने वाला कोई नहीं है।

एक बात आपके हरिजन कल्याण विभाग की और बतलाऊं। पिछले साल बाढ़ आयी थी। उसके लिए कुछ रुपया मिला था। आज तक वह रुपया किसी भी जिले में नहीं बटा है। कृषि के काम के लिए मिला, वह भी नहीं बटा, मकानों की सहायता के लिए मिला, आज दूसरा वर्ष लग गया, लेकिन वह आज तक नहीं बटा। माननीय मंत्री महोदय कम से कम यही अपने विभाग से पूछने की कृपा करें कि यह रुपया क्यों नहीं बटा ?

श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या ४० में, जो एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, अभी हमारे उस पक्ष के एक भाई ने कहा कि विरोधी दल के नेता यहां उपस्थित नहीं हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हरिजनों के उत्थान का ढोल पीटने वाले हमारे मंत्रीगण और मुख्य मंत्री स्वयं उपस्थित नहीं हैं। यह कितनी वैसी बात है।

श्रीमन्, हरिजनों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक दशा बड़ी ही शोचनीय है, जिसके उत्थान की बहुत कुछ बातें हमारी सरकार करती है। लेकिन वास्तव में कोई उत्थान होता दिखाई नहीं देता। यदि वास्तव में सरकार उत्थान करना चाहती है, तो दो-तीन सुझाव मैं पेश करता हूं उन पर ध्यान दिया जाय।

पहला प्रस्ताव यह है कि हरिजनों को कुटीर उद्योग धंधे दिये जावें। जिससे उनकी बेकारी दूर हो। टेक्नीकल शिक्षा भी फ्री दी जाय।

दूसरा सुझाव यह है कि जिन हरिजनों के पास भूमि नहीं है, करीब दो लाख एकड़ जमीन तोड़ी गयी है यदि सरकार उसमें दो-दो एकड़, एक-एक हरिजन को दे दें तो एक लाख हरिजन उससे अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं।

तीसरा सुझाव यह है कि हमारे गरीब हरिजन देहात में रहते हैं, अक्सर लोग जबरदस्ती उनकी जमीन छीन लेते हैं और उनको मुकदमा दायर करना पड़ता है। चूंकि उनके पास पैसा नहीं है, इसलिये मुकदमा करने से मजबूर होते हैं और अपनी जमीन से वंचित रह जाते हैं। तो सरकार उन अछूतों के मुकदमे फ्री करने का प्रबन्ध करे।

चौथे हमारे हरिजनों की शिक्षा के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है कि प्राइमरी शिक्षा तो निःशुल्क है लेकिन जूनियर हाई स्कूल में हरिजनों से फीस ली जाती है, और अंग्रेजी शिक्षा की फीस वे नहीं दे पाते हैं, इसलिए आगे पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। इधर सरकार ग्यारहवीं शिक्षा से लेकर उच्चतर कक्षाओं में फीस माफ करती है और छात्रवृत्ति भी देती है लेकिन जब हरिजन बच्चे जूनियर हाई स्कूल में

शिक्षा पाने से वंचित रह जाते हैं, तो परिणाम यह होता है कि जो नीचे से ही पढ़कर नहीं जा सकते हैं वह आगे नहीं पढ़ सकते हैं। इसका आशय यह है कि सरकार उनकी शिक्षा के लिए रुपया अधिक खर्च नहीं करना चाहती है ताकि ये अधिक न पढ़ सकें।

एक सुझाव मेरा यह है कि हरिजन इतना गरीब है कि जब उसके यहां कोई बीमार होता है तो वह दवा के लिए पैसा नहीं लगा सकते हैं, इसलिये हमारी सरकार को चाहिये कि उनकी दवा फ्री करवायें।

शिक्षा के सम्बन्ध में मुझे एक बात यह भी कहनी है कि हमारे अछूत भाइयों के लिए जो रिजर्वेशन है उसके हिसाब से भी अभी कहीं-कहीं प्रवेश नहीं दिया जाता है। उदाहरणार्थ अभी एक लड़का जिला शाहजहांपुर का लखनऊ यूनिवर्सिटी में दाखिल होने के लिए आया था जिसको दाखिल नहीं किया गया और उसे प्रयत्न में सभी के पास दौड़ना पड़ा--शिक्षा मंत्री की भी शरण लेनी पड़ी तब कहीं हो पाया। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसी दशा में एक आर्डर हो जाय जिससे अछूतों के दाखले में कोई कठिनाई न हो। यही कठिनाई देहात के जनियर और सेकेंन्डरी स्कूलों में हरिजनों को पड़ती है, जहां प्राय: उनको साफ जवाब दे दिया जाता है कि उनके लिए स्थान नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय समाप्त हो गया। आपके नेता ने थोड़ा ही समय मांगा था, इसलिये दे दिया था।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोग मेरा चेहरा देख कर ही समझ रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूं और इसलिये और भी खुश हूं कि अन्त समय में भी मेरा ध्यान रखा गया इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करूंगा।

जो अनुदान इस समय हाउस के सामने हैं, उस पर जो उद्गार हमारे हरिजन कल्याण मंत्री जी ने रखे हैं उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। चूंकि समय बहुत कम है इसलिये बहुत बहस वाली बात तो कही नहीं जा सकती है, अत: कुछ सुझाव ही देना मैं उचित समझता हूं। लेकिन सुझाव देने के पूर्व कुछ ऐसी बातें इस समय सदन में हुई हैं जिनका असर हमारे मस्तिष्क और हृदय पर पड़ा है। हमारे सामने बैठे हुए सदन के जो भाई हैं, उनमें से श्री रघुवीर राम जो कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने जो अपने शब्दों में कहा कि हरिजन कुत्तों के सामने की पड़ी हुई जूठी पत्तलें उठाकर खाते हैं, मैं समझता हूं इससे हरिजन वर्ग का बहुत बड़ा अपमान हुआ है और अगर हमारे हरिजन जाति के जो सदस्य यहां पर मौजूद हैं, उनको चाहे कम चोट लगी हो लेकिन मैं जिस वर्ग से ताल्लुक रखता हूं वह महा हरिजन वर्ग है जिसे मेहतर, भंगी, चूहड़ा और चांडाल कहते हैं और यह वर्ग, सदन के समस्त माननीय सदस्य जानते हैं ऐसा है, जो जूठन भी खा लेता है। मैं आपको बतलाता हूं कि आज दस वर्षों से जब से हमारा देश आजाद हुआ है, हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में मेहतरों ने जूठन खाना छोड़ दिया है और वह भी ऐसा नहीं कि कोई साधारण आदमी खाकर चला गया बल्कि बड़े-बड़े महाजनों के यहां ब्याह शादियों में भी जूठन नहीं खाते हैं और जूठन खाना बंद कर दिया है। वहां से वह जूठन उठा लाते हैं और उनके सूअर तथा भैंसें आदि खाते हैं। इसलिये यह बात कहना कि कुत्ते के आगे से पत्तल उठाकर हरिजन खाते हैं, गलत है और मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्तियों ने हरिजनों की बस्ती में शायद कभी प्रवेश नहीं किया है। मैं ऐसे कम्युनिस्ट कार्यकर्त्ताओं को भी जानता हूं जो हरिजनों की बस्ती में जाते हैं और वहां उनको उभाड़ने की बातें करते हैं और तीन-तीन डिब्बी कैप्सटेन सिगरेट की पी जाते हैं और तीन-तीन रुपये का नाश्ता उन हरिजनों के पैसे से होटलों में जा कर खा जाते हैं। मैं उनके नाम तक बतला सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---नाम बताने की जरूरत नहीं है।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—दूसरे साथी लखीमपुर के निवासी हैं उन्होंने सांसिया-वाली बस्ती की बात कही । यदि मैं गलती नहीं करता हूं तो मैं दस वर्षों से उनसे परिचित हूं और वह ब्राह्मण कुल के हैं । मुझे त्रेता का वह युग याद है जब एक व्यक्ति चोर चांडाल के नाम से मशहूर था जिसने कुछ ब्राह्मणों के उपदेश से बड़ी भारी महाऋषि की पदवी पाई और वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उन्होंने रामायण बनाई । अगर इस बस्ती का वह सुधार नहीं कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि हरिजनों के प्रति उनकी हमदर्दी केवल दिखाने की है और उनके हृदय में उनके प्रति कोई खास भावना नहीं है । इसलिये मैं इस मामले को उनके ऊपर ही छोड़ता हूं कि वह कितना सुधार करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी लाल बत्ती जलने से पहले मैं दो एक सुझाव देना चाहता हूं । लखनऊ में एक आरोग्य निकेतन है, वहां छुआछूत मिटाने के लिये काफी प्रयत्न हो रहा है । वहां दस बैड्स हरिजनों के लिये ही रखे जाते हैं। १४० रुपये म ीना एक मरीज के खाने और दवा –दारू उपचार को वह लेते हैं, लेकिन हरिजनों का फ्री इलाज करते हैं । उनका एक ही मेस है, उसमें हरिजन और ऊंची जाति के सब लोग मिलकर खाना खाते हैं । अगर कोई व्यक्ति इन्कार करता है, तो वहां डाक्टर दिलकश डाँट देते हैं कि अगर हमारे यहां रहना है तो सबके साथ खाना होगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि सप्लीमेंटरी ग्रांट आने पर है, उसमें आरोग्य निकेतन को सहायता जरूर दी जाय ।

दूसरी बात यह है कि हमारे नोटिस आफिस के सामने जो होटल है और असेम्बली के आस-पास जितने होटल्स तथा दुकानें हैं, वह सब हरिजनों को दे दिये जायं हरिजनों में ऐसे ठेकेदार हैं, जो दुकान चला सकते हैं और उनमें खाना खिलाने वाले भी हरिजन ही हों तो हम देखेंगे कि जो लोग हमदर्दी दिखा रहे हैं, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो वहां चाय वगैरह खा पी सकते हैं । मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इसको नोट कर लें कि जब इस तरह की दुकानें दी जांय तो केवल हरिजनों को ही दी जांय और उनमें खिलाने–पिलाने वाले भी हरिजन ही हों ।

अंत में मैं कहूंगा कि हरिजनों में एक मेहतर वर्ग ही ऐसा है जिसकी बड़ी भारी समस्या है । उसको या तो भगवान ही संभाल सकते हैं या हमारे बापू के आशीर्वाद से कांग्रेस ही संभाल सकती है । इस वर्ग की बड़ी भारी उपेक्षा की जाती है । अगर मंत्री महोदय ,मुझे आज्ञा दें, तो मैं एक बड़ी भारी पुस्तक इनकी समस्या पर लिख सकता हूं । मेहतर कहलाने वाले लोग गंदे नाले का या गंदे तालाब का पानी पीते हैं । जो अनुदान हरिजन वर्ग के लिये दिया जाता है उसको मेहतर वर्ग प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि अरबन एरिया में यह लोग अधिकांश रहते हैं । इसलिये अन्य हरिजनों को तो अनुदान का लाभ पहुंचता है, लेकिन मेहतर वर्ग उससे वंचित रह जाता है । इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि अरबन एरिया में भी इस तरह का अनुदान दिया जाय जिससे मेहतर वर्ग को मुर्गी पालने में, सुअर पालने में और अन्य काम करने में सहायता मिल सके और उनका आर्थिक स्तर ऊपर उठे ।

ऋषिकेश में एक बहुत बड़ी मेहतरों की बस्ती है, वहां लोग झोपड़ियों में रहते हैं । हरिजन कालोनी के नाम पर कई बार बातचीत की गई, लेकिन उनकी कालोनी अभी तक नहीं बनायी गयी । दो साल के बाद उनका स्थान भी बदल दिया जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया ।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम भूतपूर्व माननीय हरिजन कल्याण मंत्री तथा वर्तमान हरिजन विभाग मंत्री और हरिजन विभाग को बधाई देने के लिये और प्रस्तुत अनुदान संख्या ४० का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं ।

श्रीमन्, मैंने दोनों पक्षों के वाद विवाद को सुना । जिस प्रकार इस सृष्टि का क्रम रहा है कि सुख-दुःख और जीवन-मरण साथ चलते हैं, उसी तरह से इस मानव समाज के भी दो पहलू हैं । वे ह उत्थान और पतन। जब समाज उत्थान की चरम सीमा पर पहुंचता है तो पतन आरम्भ होता है और जब पतन की चरम सीमा पर पहुंचता है, तो उत्थान आरम्भ होता है। यही हमारा इतिहास बताता है । इस पतन की चरम सीमा के साथ ही हमारी इस धरती पर बड़े-बड़े मसीहा, पैगम्बर और अवतार होते रहे हैं। समयाभाव से मैं बहुत ऐतिहासिक बातें न कह करके बहुत संक्षेप में एक काल का थोड़ा सा वर्णन करूंगी जो कि सम्भवतः वाममार्गी धार्मिक काल माना जाता था । उस समय मदिरा के लिये, विलासिता के लिये, और वासना के लिये एक बहुत बड़ा स्थान दिया जाता था । उस समय जो मद्यपान करता था, उसके लिये कहा जाता था :-

"पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पतति भूतले ।
पुनरुत्थाय पुनः पीत्वा, पुनर्जन्म न विद्यते ।

पियो पियो फिर पियो, जब तक जमीन पर न गिर जाओं तब तक पियों। और फिर उठ कर पियो और पीते पीते मर जाओ तो, उसका पुनर्जन्म उस विश्वास के अनुसार नहीं होता था। वह भी एक जमाना था । उस जमाने में भी बड़ा शोषण था । गरीब लोगों के बच्चों को मोल लिया जाता था और नरमेध के नाम पर उनकी बलि दी जाया करती थी।

इसी प्रकार आधुनिक जमाना आया जिसके अन्दर धनिकों व शोषकों आदि को समाज में प्रतिष्ठा मिली। इसी बीच हमारे बहुत से राजनीतिक नेता हुये और अन्ततोगत्वा विश्ववन्दनीय बापू पैदा हुये और उन्होंने हरिजन कल्याण का गरीबों के अभिशाप को दूर करने का, समाज शोषितवर्ग को और स्त्री वर्ग को भी, ऊपर उठाने का बीड़ा उठाया और तभी से हमारी कांग्रेस और कांग्रेस सरकार इस नीति को अपनाते हुये बापू के चरण चिन्हों पर शनै-शनैः चल रही है। इस सामाजिक कोढ़ को दूर करने के लिये तो हम सभी जिम्मेदार है । यह सामाजिक सुधार ऐसा है, जिसके लिये सभी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक नेताओं तथा इस माननीय सदन के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है।

मैं संक्षेप में बताना चाहती हूं कि आज के समाज में भी जिन लोगों के पास बड़े-बड़े मकान हैं बड़ी-बड़ी बातें है, जो बड़े वैभवशाली हैं और बड़े लोक प्रतिष्ठा प्राप्त हैं, हम सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। जरा हम आत्म निरीक्षण करके देखें तो सही कि क्या हम अपने हृदयों को शुद्ध पाते हैं, और हम वाकई सुधार की और समाजवाद की बातें करते है, और सर्वोदय की बातें करते हैं, क्योंकि उधर से अधिकतर क्रिटिसिज्म, होता है भ्रष्टाचार की बातें कही जाती हैं, करप्शन की बातें कही जाती है। तो मैं पूछना चाहती हूं कि मेरे जितने साथी, जिनमें नवयुवक भी शामिल हैं, जो आज यहां बोले हैं, वे अपना हृदय टटोल कर देखें कि क्या उन्होंने रक्षाबंधन या जन्मअष्टमी के अवसर पर जातिवाद को खत्म करने का, और मानव एक ही जाति है ऐसा मानने का उन्होंने कोई संकल्प किया ? मैं समझती हूं कि नहीं। तो श्रीमन्, हमें यह सोचना पड़ेगा कि आज के समाज के जो कुछ न्यायकर्ता, वकील, डाक्टर, व्यापारी जो अन्य सभ्य तरीकों से चोरी करते हैं जिससे सामाजिक जीवन का घात होता है, वे चोर अछूत नहीं, वे तो प्रतिष्ठित हैं, समाज में उनका हम भी मान करते हैं। श्रीमन् यदि हम उन्हें अछूत शोषक मान लें, उन के विवाह, उत्सवों में न जायं, उन्हें प्रतिष्ठा व पद न दें, तो मैं समझती हूं कि वास्तव में सामाजिक सुधार व अछूतोद्धार हो सकता है। श्रीमन्, मैं प्रस्तुत विषय पर एक मिनट में संकेत करूंगी ।

[कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री]

हमारे प्रदेश के अन्दर लगभग २० लाख भूतपूर्व अपराधशील जाति के लोग हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में हरिजन विभाग का बजट लगभग ३०२ लाख से ऊपर का था। इसमें से केवल २५ लाख भूतपूर्व अपराधशीलों के उत्थान के लिये रखा गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ४७५ लाख के बजट में इन जातियों के लिये केवल १७.८९२ रुपया रखा गया है। यह तकलीफ की चीज है। मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि इन ३२ जातियों में से, बहेलिये, डोम और कुछ नट आदि अपनी स्त्रियों और नन्हीं बच्चियों से पेशा करवाते हैं। भूतपूर्व अपराधशील जाति के लोगों की बस्तियां बसाई जायें, उन्हें उद्योग, शिक्षा आदि की सुविधा के लिये आवास दिया जाय तथा स्त्रियों के लिये आश्रम खोले जायें। इनकी प्रबन्ध समितियों में ४० प्रतिशत इन्हीं के आदमी तथा शेष सरकारी और गैर सरकारी आदमी हों। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगी कि प्रान्तीय हरिजन बोर्ड, तथा जिला हरिजन सहायक बोर्ड वगैरह में भी इन अपराधशील व्यक्तियों के लोगों को रखने का ध्यान रखा जाय।

अन्त में मैं उन हरिजन भाइयों को विशेष धन्यवाद देती हूं जिन्होंने यहां इन जातियों के लोगों के उत्थान की बातें कहीं। वास्तव में जो मनुष्य अपने नीचे के दुःखी आदमियों को देखते हैं, वही मानवता की तरफ चलते हैं और निर्माण की तरफ जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि एक घंटे का समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता। अगर सभी बोलने वालों को केवल पांच ही मिनट का समय दिया जाय फिर भी सभी बोलने वालों की इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती। मैं हमेशा यही प्रयत्न करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा नये सदस्यों को बोलने का मौका दूं। अगर आप स्थिति का अनुमान करें, तो आप को पता चलेगा कि मुझे कितनी परेशानी हो जाती है।

(श्री मलिखान सिंह से) आप केवल दो मिनट बोल लें।

श्री मलिखान सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आज जो अनुदान संख्या ४० पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसका अधिकतर सदस्यों ने समर्थन किया है। उधर जो सरकारी बेंचेज की तरफ बैठे हैं, उनकी तरफ के भी मैंने भाषण सुने, तो उधर से भी समर्थन हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब तक पिछड़ी हुई जातियों की आर्थिक दशा नहीं सुधरेगी, उनके लिये उद्योग नहीं खोले जायेंगे, तब तक उनका कोई उत्थान नहीं हो सकता। इस सम्बन्ध में मैंने यहां पर दृढ़ निश्चय के साथ में अपने शब्द रखे। मैं उधर के लोगों से यह आशा रखूंगा कि वे किसी अनुशासन या किसी भी भेद-भाव को छोड़कर वे मेरे इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये इसे पास करेंगे जैसा उन्होंने अपने भाषण में कहा। साथ ही मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वे इस अनुदान के प्रस्ताव को वापिस लें और उसे एक प्रवर समिति के सुपुर्द करें, जो दोनों पक्ष के लोगों ने समर्थन किया है, उसको सोचें और विचारें, क्योंकि इधर के और ऊधर के, दोनों तरफ के लोगों ने इसका समर्थन किया है, इस पर वह विचारें और तब यह अनुदान यहां पर प्रस्तुत करें जिससे कि हम सब लोग अपने उत्तर प्रदेश के उन लोगों को जो कि गरीब हैं, अशिक्षित हैं, समाज से बहिष्कृत हैं, उनकी उन्नति कर सकें। उनकी आर्थिक, सामाजिक और दूसरे प्रकार की उन्नति में भाग लें। वह इसको समिति में लायें, और उसके बाद इसको यहां पास कराने के लिये हम लोगों के सामने रखें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मंगलाप्रसाद—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव को पेश किया है, ने एक बड़ी बात कही कि हरिजन और बैकवर्ड क्लास, जो ज्यादा खाते हैं, उनको अधिक सेल्स टैक्स देना पड़ता है और उसका असर सब से ज्यादा उन्हीं पर पड़ता है। उनको शायद नहीं मालूम कि सूबे भर में हरिजन भाई अधिकतर देहातों में रहते हैं और सिवाय एक आगरा की सीट को छोड़ कर, हमारे जितने हरिजन भाई यहां आये हैं, वह देहातों की सीटों से ही आये हैं। शहर में हरिजनों को सीटें नहीं मिली हैं। इसके माने यह हैं कि उनका एक बहुत बड़ा बहुमत देहातों में रहता है और वहां के हरिजनों को किसी तरह का सेल्स टैक्स नहीं देना पड़ता। शहर के बड़े आदमियों को सेल्स टैक्स लगता है। देहात का हरिजन किसान से गल्ला लेता है इसलिये उसको किसी तरह का टैक्स उस पर नहीं देना पड़ता।

दूसरी बात उन्होंने पब्लिसिटी की कही। अगर वह बजट को जरा गौर से देखें और पढ़ने की कोशिश करें तो उनको मालूम होगा कि काफी रुपया पब्लिसिटी के लिये रखा गया है, केवल १३,००० नहीं। पढ़ने से उनको पूरा पता लग जायगा कि कहां-कहां कितना-कितना रुपया खर्च होता है।

शकुन्तला जी ने बहुत सी बातें कहीं, उसमें उन्होंने अम्बर चर्खे का भी जिक्र किया। मेरा ख्याल है कि यह एक अच्छा सुझाव है और मैं प्रयत्न करूंगा कि इसमें कुछ लोगों को सीखने का मौका मिले।

एक भाई ने पहाड़ के शिल्पकारों की समस्या के बारे में कहा। मैं उसको जानता हूं और घंटा आध घंटा उनकी बात कहने में लगा सकता हूं। उनको शायद नहीं मालूम कि मेरे विभाग का सम्बन्ध १५० जातियों से है और अगर मैं उनमें से एक-एक के बारे में कुछ कहने लगूं तो १०-५ घंटे मुझे कहने के लिये चाहिये।

श्री प्रतापसिंह—मैंने अन्य जातियों के विषय में कहा है।

श्री मंगलाप्रसाद—हो सकता है, उसमें अन्य जातियां भी हैं और शिल्पकार भी, लेकिन इतना समय नहीं है कि उनके बारे में अलग-अलग कहा जाय। मैंने इसीलिये सबसे पहले यह कहा कि जो भाई कोई सुझाव देना चाहें, कोई शिकायत उनको या और कोई बात हो, उसके लिये वे मेरे पास स्वयं आ सकते हैं। मैं उनकी सुनने और उनकी शिकायत दूर करने की, जहां तक मुमकिन हो सकता है, कोशिश करूंगा।

खीरी में जो चोरों को बसाने की बात कही गई, उसका जवाब कई लोग दे चुके हैं यह सवाल सोचने का है।

मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि जो किताबें बच्चों को दी जाती हैं वह वक्त से दी जायं, जल्दी दी जायं, लेकिन एक बात शायद आप लोग जानते होंगे, जो लोग शिक्षा विभाग से ताल्लुक रखते हैं, वह खास तौर पर जानते होंगे, कि उसमें लोगों को जो स्टाइपेंड दिया जाता है, उसके लिये दरख्वास्तें मांगी जाती हैं, उसके लिये समय निर्धारित होता है। हाई स्कूल में लड़कों के पास होने का नतीजा निकलता है, उसके बाद दरख्वास्त देने का निश्चित समय होता है और उसके बाद फैसला होने में कुछ देर लगती है। तो इस तरह से स्कालरशिप आदि के केसेज में कालेज, यूनिवर्सिटी आदि में दो-दो, तीन-तीन महीने लग जाते हैं, वह इस कारण पहले नहीं मिलती, लेकिन हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि पैसा उनका जल्दी से जल्दी मिल जाय। इसलिये जहां कहीं ग्रांट मिलने की बात है वह जल्द मिल सकती है। इस साल बजट देर से पास हो रहा है। इस वजह से कुछ विलम्ब हुआ। पहले साल कुछ पहले मिल जाया करती थी। आगे हम कोशिश करेंगे कि जल्द मिल सके।

[श्री मंगलाप्रसाद]

कुछ केसेज (मुकदमों) के बारे में कहा गया कि हरिजनों के लिये दिक्कतें हैं और बहुत से मुकदमे उनके ऊपर चलाये जाते हैं। वह गरीब हैं, इसलिये सताये जाते हैं। उनका अगर प्रबन्ध हो सके और हम कुछ उनके लिये कर सकें, तो यह हमारे लिये एक अच्छा काम करने को होगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब हरिजन भाई परेशान होते हैं, चोरी में पकड़े जाने पर या मर्डर में पकड़े जाने पर तब क्या हो? इस तरह के केसेज में पैरवी करने के लिये मदद करना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन यह सोचना पड़ेगा कि कौन सी दफायें हैं जिसमें वे शिकार होते हैं और उनके ऊपर ज्यादतियां होती हैं। उस ज्यादतियां को रोकने के लिये समाज में हमको कुछ करना चाहिये। इसके लिये मैं वायदा तो नहीं करता, लेकिन यह देखने की बात है। अगर हम इसमें कुछ कर सकते हैं, तो जरूर करेंगे।

सोशल वर्कर के बारे में कुछ राय दी गयी है। मैं भी इससे इत्तफाक करता हूं। किसी भाई ने इसके खिलाफ नहीं कहा। इस पर मैं विचार करूंगा। ३-४ या ५-६ महीने के लिये उनको रख दिया जाता है, तो उससे कुछ काम नहीं होता है। यही सही राय है कि अगर उनको साल भर के लिये रखा जाय, तो अच्छी बात होगी। अगर पूरे समय के लिये आदमी रहेंगे, तो वह उत्साह से काम करेंगे। मेरी निजी राय यह है कि ऐसा होना चाहिये। लेकिन, अगर पूरे साल के लिये इनको रखा जायगा, तो कुछ आदमी शायद कम हो जायेंगे। इस साल नहीं हुये, तो अगले साल कम हो जायेंगे। बहरहाल, मैं चाहता हूं कि अगर पूरे साल के लिये आदमियों को रखा जाय, तो वे अच्छा काम कर सकते हैं।

एक भाई ने कहा कि बजट में एजूकेशन की ग्रांट नहीं है। इसमें कुछ प्लान आइटम हैं और कुछ नान प्लान आइटम हैं। यह जो शिक्षा की प्लान आइटम की मद है, अगर उसको देखने का प्रयत्न करें, तो उनको वह मिल जायगी। उसमें ४७ लाख रुपया रखा गया है। पिछले साल ६० लाख खर्च हुआ था। मैंने शुरू में कहा था कि जो ओरिजनल (original) बजट था, उसमें कम था। उससे इस साल बजट ज्यादा है। पारसाल भी ८५ लाख था। और गवर्नमेन्ट आफ इंडिया का रुपया मिलाकर १ करोड़ १४ लाख व्यय हुआ था। ऐसा भी कुछ रुपया होता है, जो इसमें शामिल नहीं होता है, लेकिन व्यय किया जाता है। इस साल भी उस तरीके से बढ़ जायगा। पिछले साल ६० लाख शिक्षा पर खर्च किया गया था, जबकि शुरू में कम रखा गया था। बाद को उसको बढ़ा दिया गया था। हमारी पालिसी वही है जो पिछले वर्ष थी। कुदरती तौर से जिस प्रकार से हम पहले सप्लीमेंटरी लाये थे उसी प्रकार से फिर लायेंगे और हमें आप से सुझाव पाने की और आपकी बातें सुनने की खुशी होगी। आप उस मौके को क्यों हमसे छीनते हैं।

एक साहब ने एक बात बड़े मार्के की कही कि इस सूबे में हरिजन लोग १८ प्रतिशत हैं और यहां का बजट १०८ करोड़ का है और उनके लिये केवल ९५ लाख रुपया ही रखा गया है। बड़े महत्व की बात कही, लेकिन शायद बिना समझे बूझे की। इस १०८ करोड़ के बजट में जितना खर्च होता है, वह उन हरिजनों और पिछड़ी जाति के लोगों पर भी होता है। आपने सिर्फ फीस की बात को देखा। स्कूलों को और कालेजों को रुपया दिया जाता है, वह आपने नहीं देखा। मास्टरों की तनख्वाह को नहीं देखा यूनिवर्सिटी को जो रुपया दिया जाता है, उसको नहीं देखा, इसी प्रकार से रिसर्च के लिये, अस्पतालों के लिये और सड़कों आदि के लिये जो रुपया दिया जाता है, उसको आपने नहीं देखा। क्या उसमें से हरिजन और बैक्वर्ड क्लासेज को निकाल दिया जाता है? नहीं, उसमें सब का हिस्सा है उसके अलावा यह रुपया उनके लिये अलग से दिया जाता है। इसलिए मुझे यह आपसे कहने की जरूरत पड़ी कि इस तरह से जो गलत प्रोपेगेंडा किया जाता है, वह उचित नहीं है। यह जो हरिजनों का मसला है वह १०८ करोड़ से नहीं, अगर १००८ करोड़ रुपया भी उसके लिये रख दिया जाय, तो वह मसला हल नहीं हो सकता है। इसलिये आपको जो बात कहनी हो, उसको समझ कर कहना चाहिये, ऐसा नहीं कि कुछ कहना है, इसलिये कह दिया। हरिजनों

का मसला, मकान का मसला है, रोजगार का मसला है, लिखने पढ़ने का मसला है। अगर आप देखें तो यह हिन्दुस्तान का मसला है, गरीबों का मसला है। यह सौ पचास करोड़ रुपये से हल नहीं हो सकता। अगर हजार करोड़ रुपये से यह हल हो सकता, तो केन्द्रीय सरकार, और यह सरकार मिल कर उसको हल कर देती। इसलिये ऐसी ऊंची बात करना ठीक नहीं है। अगर मुझसे बोलने को कहा जाय तो १० घंटे हरिजनों के ऊपर बोल सकता हूं कि उनको क्या-क्या तकलीफें हैं। जब एक आदमी ऐसा डटकर कहता है कि जो भी मसले हों, वह हमारे सामने रक्खे जायं मैं दिक्कतों को दूर करने की कोशिश करूंगा लेकिन फिर भी, क्योंकि कुछ कहना है, इसलिये बिना सोचे-विचारे कह दी जाती है।

जमीन के बटवारे की बात भी कही गयी जो बहुत दिनों से चल रही है। यह एक बड़ा भारी मसला है। मैं तो एक ऐसा आदमी हूं जो हर वक्त इस कोशिश में रहता हूं कि हरिजनों को जमीन मिले। एक साहब ने कह दिया कि ६ महीने से फाइल ही नहीं देखी जब कि मंत्री की जगह पर आये हुये भी मुझे ६ महीने नहीं हुये। फाइल इस विभाग में इतनी होतीं नहीं। हफ्ते दो हफ्ते में कोई कुछ फाइल आती हैं। लेकिन कह दिया कि ६ महीने से कोई फाइल ही नहीं देखी। मैं समझता हूं कि हमारे सदस्य बड़े-बड़े जिम्मेदार सदस्य हैं। उन्हें ऐसी सुनी हुई बात नहीं कहनी चाहिये। अगर कोई उनसे ऐसी बात भी कहता है, तो उनको उसे डांट देना चाहिये था बजाय इसके कि इस हाउस में आकर एक लगी बात कह दें।

कुछ सदस्यों ने कहा था कि फ्लड के लिए जो रुपया मंजूर हुआ था वह उनको नहीं मिला। इस बारे में भी मैं छानबीन करके देखूंगा कि क्यों रुपया नहीं मिला और अगर नहीं मिला तो जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए और जिस किसी की गलती होगी, जिससे वह रुपया नहीं मिला, तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जायगी, अगर बात सही हुई।

श्री उपाध्यक्ष—अब ३ मिनट ही समय रह गया है।

श्री मंगलाप्रसाद—उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि ५–७ मिनट समय और बढ़ा दिया जाय। अच्छा हो कि १० मिनट के लिए समय बढ़ा दें।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सदन का समय १० मिनट और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—इसका मतलब यह हुआ कि ८ बज कर १० मिनट तक सदन बैठेगा।

श्री मंगलाप्रसाद—तो जितने सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनके अनुसार काम किया जा सके। मैंने उन बातों का भी जिक्र कर दिया, जिनके बारे में माननीय सदस्यों ने कुछ जिक्र नहीं किया था। उसका बजट में कोई प्राविजन न होने पर भी मैंने जिक्र कर दिया। मैंने कुछ टाइम बढ़ावा लिया है ताकि तमाम माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करूं कि आप इस काम के लिए सिर्फ यहीं पर कह कर अपनी जिम्मेदारी को न खतम कर दें। जितने भी माननीय सदस्य हैं सभी जिम्मेदार हैं और जहां जहां से भी वे चुन कर आये हैं, वहां पर उनका असर है, वहां पर उनकी शक्ति व ताकत है। इस तरह का सुझाव दे देने से ही कि दो लाख हरिजनों को फलां जिले में बसाया जाय, केवल इस तरह की बात कह कर टालने की कोशिश करें, तो इससे यह समस्या हल नहीं हो सकती है। आप समझें कि जितने हरिजन जहां-जहां हैं, उनको जंगल काट कर वहां तथा पहाड़ों में बसा भी दिया जाय, तो उनको खाना देने वाला कौन होगा, उनको काम देने वाला कौन होगा? वहां पर उनके लिए मकान कहां से आवेगा? केवल कह देने से यह मसला हल होने वाला नहीं है। अगर कोई जादू मन्तर हो, या अलादीन का चिराग मिल जाता तो जरूर यह मसला हल हो जाता, लेकिन इस तरह से गरीब हरिजनों को १०० मील, ५० मील, या २०० मील दूर उठा कर ले जाना और बसाना सम्भव नहीं होगा और यह किसी तरह से मुनासिब नहीं होगा कि इस तरह से उन को इतनी दूर ले जाकर बसाया

[श्री मंगला प्रसाद]

जाय। मेरा तो खयाल है कि वे इसके लिए तैयार भी नहीं होंगे। इससे अच्छा तो यह होगा कि आप अपने गांव गांव में एक एक, दो दो, बीघे जमीन कम से कम उनके बसने के लिए इकट्ठा करें। क्या आप अपनी कांस्टीटुएंसी में इतना भी नहीं कर सकते हैं? मैंने तो अपनी कांस्टीटुएंसी में एक हजार बीघा जमीन ली है खेती करने वाली और हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी जमीनें मिले। जब मैं इस विभाग का मन्त्री नहीं था, उसके पहले की बात मैं कह रहा हूं। तो मैं आप से कहता हूं कि आप जितने माननीय सदस्य हैं, जिनकी शक्ति को मैं जानता हूं, बहुत से लोग कांग्रेस के मुकाबले में भी चुन कर आये हैं, हम सब मिल कर सहयोग करें, तो इन हरिजनों का काफी फायदा हो सकता है।

एक्स क्रिमिनल ट्राइब्स सिर्फ तीस हैं। उनमें से आठ ऐसी हैं जो शिड्यूल्ड कास्ट के अन्दर नहीं आती हैं। मैंने उनके बारे में अलग-अलग जिक्र न कर के सब के बारे में जिक्र किया। खासकर जो अछूत कहे जाते हैं, जिनकी सब से खराब हालत है वे सब से ज्यादा परेशान हैं, उनकी तरफ अधिक ध्यान देने की जरूरत है। बुन्देलखण्ड में भी कोल जाति के हैं। किसी भाई ने मुसहरों का भी जिक्र किया। श्रद्धा जी ने बेड़िया का जिक्र किया। चारों तरफ से, जो हरिजनों की बस्तियां हैं, जो क्रिमिनल ट्राइब्स हैं, उन सब को देखना है। और एक नहीं हजारों समस्याएं हैं, जिनको दूर करना है, हल करना है, लेकिन इन को जादू मन्तर से हल नहीं किया जा सकता। यह चीजें एक दिन में दूर नहीं हो सकतीं चाहे आप कैसा भी प्लानिंग करें। अगर उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य ही बजट बनाते, तो शायद वह भी इतना कुछ न कर पाते, जितने कि वह आशा हमसे करते हैं। पार्टियां बदलती रहती हैं, मुमकिन है उनको भी कभी मौका मिले, लेकिन जितने करोड़ की वह बात करते हैं, वह सम्भव नहीं है, वह भी कभी उतना प्रोवाइड न कर सकेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप में एक शक्ति है। जहां कहीं भी कोई खराबी मालूम हो, जहां कहीं भ्रष्टाचार मालूम हो, दूर कीजिये।

मैं स्वयं जानता हूं कि हमारा बहुत सा पैसा, जो हरिजनों पर खर्च करने के लिए रखा जाता है, उस का अक्सर दुरुपयोग होता है। कहीं कुंओं का रुपया लोगों ने खा लिया है, कहीं मरम्मत के लिए लेकर लोग खा गये, कहीं-कहीं तो बड़े-बड़े लोगों ने ऐसा किया है। रुपया फीस के लिए हरिजनों के नाम से ले गये, नाम भी उन का स्कूल में लिखा गया, लेकिन जब नाम मालूम किया गया, तो वहां पर कहीं उन के नाम का पता नहीं चला कि कौन हैं। नतीजा यह हुआ कि मुकदमा नहीं चला और मामला रुक गया। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, लेकिन जहां खराबी है, बुराई है, वहां हमें उसको मालूम कर के दूर करने की कोशिश करना चाहिए। हम भी खराबी तलाश करें, आप भी तलाश कर के बताइये, यह न हो कि हरिजन भाई गड़बड़ी कर रहे हैं, इसलिए चुप रहो, क्योंकि इससे हरिजन उत्थान में आप रुकावट डालते हैं, अगर आप छिपाते हैं, तो अपना फर्ज अदा नहीं करते। इसलिए मैं आशा करता हूं कि सब माननीय सदस्य इस तरफ ध्यान रखेंगे कि जहां कहीं भी उनको खराबी दिखायी दे, वह बतायें और अधिक जागरूक रहें, जहां-जहां हरिजन मारे जाते हैं, उन की जमीन छीनी जाती है, फर्जी मुकदमे में फंसाये जा रहे हैं, वहां पर आप उन की मदद क्यों नहीं कर सकते, सरकार की तरफ ही क्यों दौड़ते हैं? आप पर ही मुकदमा चल जाय, तो आप उसकी पैरवी स्वयं नहीं करते? आप उनके लिए भी कोई इन्तजाम कर सकते हैं, अपनी जगह पर, खास कर ऊंची जाति वाले शक्तिशाली हैं, वह कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। यहां पर बहुत जोर से बात करेंगे, जब वोट लेना होगा, तो बड़ी-बड़ी बातें करेंगे, केवल उसी से काम नहीं चलता।

इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय सदस्य बाहर फील्ड में काम करें और वहां उनकी जो समस्यायें हैं, उनको हल करने की कोशिश करें, पार्टी और दल की बात छोड़ दें, वह हमारी शक्ति हैं, जब तक हम उनको नहीं उठायेंगे, उनकी भावनाओं में ताकत और शक्ति नहीं भरेंगे, तब तक उनका उत्थान नहीं हो सकता। इस तरह से आप साहबान मोहब्बत से

संगठन करें, कोई लड़ाई किसी से करने का विचार न रखें और आप अपना ऐसा संगठन करें कि अगर किसी के साथ ज्यादती हो, तो उसका मुकदमा आप मिलकर लड़ें, आपकी जरूरत हो तो बिचवई करें और ज्यादती को दूर करने की भरसक कोशिश करें। आप ४३१ सदस्य हैं और कौंसिल के भी माननीय सदस्य हैं, सारे हरिजन आदि आप के ही क्षेत्रों में बंटे हैं। आप वहां की समस्याओं को अधिक आसानी से दूर कर सकते हैं। गांव में लड़ाई होती है, वहां सरकार पहुंच जाय, आप न पहुंचें, यह तो हो नहीं सकता। आप की भी अव्वल जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं कि अपनी इस जिम्मेदारी को हम आप सब समझें, और इन दिक्कतों को दूर करने का प्रयत्न करें। फिर भी जो सुझाव माननीय सदस्यों की तरफ से आये हैं, उनमें से जो अमल करने के काबिल होंगे, उन पर मैं अमल करने का प्रयत्न करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४० के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४०––अनुसूचित औरपिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान––लेखा शीर्षक ५७––विविध के अन्तर्गत ९५,५५,३०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ८ बजकर ८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

श्री देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१३ अगस्त, १९५७ ई०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०४ पर।)

WATER SUPPLY

Statement showing the amount of loan sanctioned to various Municipal Boards for execution of their water supply schemes out of the funds received from The Government of India during the year 1955-56 and 1956-57 under the National Water Supply and Sanitation Programme during the First Five Year Plan Period.

Sl. no.	Name of Municipal Board	Amount of loan sanctioned during 1955-56	Amount of loan sanctioned during 1956-57
1	2	4	5
		Rs.	Rs.
1	Agra	11,92,000	..
2	Allahabad	11,00,000	2,50,000
3	Azamgarh	4,14,000	..
4	Ballia	1,55,000	..
5	Bareilly	10,00,000	..
6	Bulandshahr	3,95,000	..
7	Basti	2,91,200	..
8	Banaras	12,50,000	16,00,000
9	Chandpur	17,135	..
10	Chandausi	7,25,000	..
11	Dehra Dun	5,00,000	..
12	Deoria	1,00,115	..
13	Etah	5,67,680	..
14	Etawah	1,42,500	..
15	Faizabad (Ayodhya Water-supply) ..	6,35,400	..
16	Farrukhabad-*cum*-Fatehgarh	13,09,687	..
17	Fatehpur	2,36,100	..
18	Fatehpur-Sikri	70,000	..
19	Firozabad	8,60,028	..
20	Gorakhpur	12,75,000	..
21	Haldwani	1,14,825	..
22	Hamirpur	25,000	..
23	Hapur	7,26,875	..
24	Hardwar (Kankhal Water-supply) ..	2,17,000	..
25	Jaunpur	1,90,400	..
26	Jhansi	14,18,000	..
27	Kanpur	27,00,000	14,00,000
28	Lucknow	14,60,065	10,00,000
29	Lalitpur	9,00,000	..
30	Mainpuri	7,62,900	..
31	Nagina	4,12,600	..
32	NainiTal	2,80,050	..

Sl. no.	Name of Municipal Board	Amount of loan sanctioned during 1955-56	Amount of loan sanctioned during 1956-57
1	2	4	5
		Rs.	Rs.
33	Najibabad	2,00,000	..
34	Pratapgarh	2,91,500	..
35	Pilibhit	10,00,000	..
36	Padrauna	2,04,300	..
37	Rampur	15,20,000	..
38	Ramnagar (Varanasi)	1,53,666	..
39	Rishikesh	4,68,000	..
40	Rath	2,90,900	..
41	Ramnagar(NAC)	3,88,700	..
42	Saharanpur	19,50,000	..
43	Sitapur	10,00,000	..
44	Virandaban	3,14,616	..
	Total ..	2,92,25,242	42,50,000

सत्यमेव जयते

DRAINAGE

Statement showing the amount of loan sanctioned to various Municipal Boards for execution of their drainage schemes out of the funds received from the Government of India during the year 1955-56 and 1956-57 under the National Water Supply & Sanitation Programme during the First Five-Year Plan Period.

Sl. no.	Name of Municipal Board	Amount of loan sanctioned during 1955-56	Amount of loan sanctioned during 1956-57
		Rs.	Rs.
1	Agra	5,60,697	..
2	Allahabad	12,50,000	1,50,000
3	Aligarh	1,88,000	..
4	Banaras	6,00,000	..
5	Bahraich	1,92,000	..
6	Basti	4,12,000	..
7	Baraut	3,60,800	1,00,000
8	Dehra Dun	4,00,000	..
9	Deoria..	2,47,962	..
10	Faizabad (Ayodhya Drainage) ..	4,91,419	..
11	Hathras	5,11,000	..
12	Kanpur	30,00,000	..
13	Lucknow	21,25,000	..
14	Naini Tal	2,16,750	..
15	Orai	4,46,000	..
16	Pilkhuwa	2,73,130	..
	Total ..	1,12,74,758	2,50,000

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०४ पर।)

जिला बरेली में १९५४–५५ व १९५५–५६ में तहसीलवार सीमेन्ट वितरण की सूची :—

क्रम-सं०	तहसील का नाम	१९५४–५५	१९५५–५६
१	शहर बरेली	३,६८८	२,५५२
२	तहसील बरेली	४१८	३९८
३	तहसील फरीदपुर	३०८	२४२
४	तहसील बहेड़ी	१९८	५०४
५	तहसील आंवला	१९८	४८४
६	तहसील नवाबगंज	१९८	२४२
	योग ..	५,००८	४,४२२

१९५४–५५ का कुल योग .. ५,००८ टन

१९५५–५६ का कुल योग .. ४,४२२ टन

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०६ पर।)

तालिका 'क'

गोरखपुर जिले में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई पक्की तथा कच्ची सड़कों की लम्बाई निम्न है:—

	मील	फर्लांग
(क) पक्की सड़कें		
१—गोरखपुर-देवरिया	१६	०
२—गोरखपुर-फरेंदा	२१	७
३—महराजगंज-निचलौल	१४	४
४—फरेंदा-नवतनवां	११	०
योग ..	६३	३
(ख) सीमेंट कांक्रीट ट्रैक्स		
१—पिपराइच-बरगाधी	३	०
२—पिपराइच-कुसमही	३	०
३—सराय गुलरिया-तुलसीदेव	३	०
४—सोनबरसा पटवा-इनार	४	०
५—फरेंदा-महाराजगंज	२	६
योग ..	१५	६
(ग) कच्ची सड़कें		
१—महाराजगंज-फरेंदा	१८	३
२—निचलौल-महाराजगंज	१५	२
३—नवतनवां-तुर्तीबारी निचलौल	३	३
४—निचलौल-सिसवाबाजार ५—मोहनपुर-फरेंदा ६—मोहनपुर-कोल्ही-नवतनवां	२२	०
योग ..	५९	०

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना में कोई कच्ची अथवा पक्की सड़क नहीं बनाई गई।

विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०५ पर।)

तालिका 'ख'

गोरखपुर जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जाने वाली पक्की तथा कच्ची सड़कों की लम्बाई निम्न है:—

	मील	फर्लांग
(क) चालू योजनाओं के अन्तर्गत		
सी० सी० ट्रैक्स		
१—सिसवा-शिवदत्त-छपरा	३	
२—सिसवा-हवेली	२	०
३—बिशनपुर-बहादुर-पकरी	६	०
४—सराय-गुलरिया-तुलसीदेव..	२	०
५—पिपराइच-कुसमही	३	०
६—पिपराइच-बरगधी	२	०
७—फरेंदा-महाराजगंज	१	२
८—बेला-कसिया	४	०
९—सोनबरसा-पटवा-इनार	२	४
१०—चौरी चौरा-मोती पाकर	२	५
योग ..	२८	३
कच्ची सड़कों को पक्का किया जाना		
१—महाराजगंज-निचलौल	१	०
२—फरेंदा-नवतनवां	१६	५
३—सिसवा-निचलौल-तुर्तीबारी	१९	०
योग ..	३६	५
(ख) नई योजनाओं के अन्तर्गत कच्ची सड़कों को पक्का किया जाना।		
१—चिल्लूपुर-गोलाबाजार	७	०
२—रुद्रपुर-खजनी-उरवा-गोलाबाजार	२४	०
योग ..	३१	०
गन्ना विकास विभाग की योजना का सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाना।		
१—गुगली-शिकारपुर	२	०
२—पिपराइच-मजनानाला	७	०
३—बरवा-द्वारका-रामपुर-बांगर-भाया-बलवाघाट	४	०
४—चौरी चौरा-नकबर	५	०

५—शिकारगढ़—बुरहाना—बर्घपुर सड़क (पावहा नाला पुल के साथ)	१	०
६—कैलात हरनामपुर	०	४
७—नटवर रोड—कैम्पीयरगंज रेलवे क्रासिंग से करतारही	१	०
योग ..	२०	४

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई कच्ची अथवा पक्की सड़क नहीं बनाई जायगी ।

विधान सभा सचिवालय मध्यप्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०७ पर।)

जिला झांसी, तहसील महरौली व ललितपुर में स्थित वनों की सन् १९५२–५३ से १९५६–५७ तक का आय और व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

तहसील	५२–५३	५३–५४	५४–५५	५५–५६	५६–५७	५२–५३	५३–५४	५४–५५	५५–५६	५६–५७
	आय		(रुपयों में)			व्यय		(रुपयों में)		
ललितपुर	१,८०,३६७	३,१६,६४४	३,२०,८५२	२,७८,३२८	२,९६,०१०	४०,२०८	६२,३२२	७४,१४४	६९,६९२	७५४९९
महरौनी	६२,३१२	१,४१,०७४	११९८०१	१,२८,२७७	१,०५,५५१	२६,०६५	२७,२७१	२७,११३	३५,२५०	३०,७१३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०८ पर।)

जिला आजमगढ़ की विभिन्न तहसीलों में खोली गई सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों की सूची

क्रम-संख्या	तहसील	दुकानों की संख्या
१	सदर	२५
२	लालगंज	३५
३	फूलपुर	३३
४	मुहम्मदाबाद	२६
५	सकड़ी	३४
६	घोसी	२८
	योग ..	१८१

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५११ पर।)

जौनपुर शहर की सस्ते गल्ले की दुकानें

क्रम-संख्या	दुकानदार का नाम और पता	नियुक्ति की तिथि	स्थान
१	श्री देवराज सिंह, जगदीश पट्टी, जौनपुर	८-९-५६	लाइन बाजार
२	श्री महावीर प्रसाद राम प्रसाद, जौनपुर	८-९-५६	जौनपुर शहर
३	श्री जगन्नाथ प्रसाद परमेश्वरी प्रसाद सुटहटी	८-९-५६	सुटहटी जौनपुर
४	श्री रामबाबू रामचन्द्र, राशमंडल	८-९-५६	राशमंडल, जौनपुर
५	श्री तिलकधारी कालेज, कोआपरेटिव स्टोर	११-१०-५६	तिलकधारी, कालेज
६	कन्जूमर कोआपरेटिव स्टोर सब एरिया सी० जौनपुर।	१-९-५६	सदर चुंगी, जौनपुर
७	" " "	१५-९-५६	जोगियापुर
८	श्री तबकीर हसन मु० फारूक मुलना टोला	३-१०-५६	पुरानी बाजार, जौनपुर
९	श्री बाबूलाल कचौड़ी लाल, रिजवी खां	८-१०-५६	रिजवी खां, जौनपुर
१०	श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल, नखाश	८-१०-५६	नखाश, जौनपुर
११	श्री आनन्द स्वरूप श्रीवास्तव, हुसेनाबाद	१०-९-५६	ओलन्दगंज, जौनपुर
१२	श्री जैनरायन चन्द्र प्रकाश, राशमंडल	१५-१०-५६	सुटहटी, जौनपुर
१३	श्री इकबालुद्दीन अहमद मकदूम शाह अडहन	८-११-५६	मकदूम शाह, अडहन
१४	श्री सन्तोष प्रसाद आदित्य प्रकाश, बलुआघाट	१२-११-५६	ढालगढ़ टोला, जौनपुर
१५	श्री मूल नारायण श्यामकुमार, राजाबाजार	२३-११-५६	भंडारी
१६	श्री मुफ्ती विलायत हमन, मुफ्ती मुहल्ला	४-१२-५६	मीरमस्त, जौनपुर
१७	श्री हरीनाथ शर्मा, राजाबाजार	२४-१२-५६	ढालगढ़े टोला
१८	श्री सीताराम गुप्ता, मीयांपुर	२८-१२-५६	मीयांपुर, जौनपुर

जौनपुर तहसील

१	श्री लाल जी, अहियापुर	२६-११-५६	जफराबाद
२	श्री लक्ष्मनदास, रघुवंश प्रसाद, गौराबादशाहपुर।	५-१२-५६	गौराबादशाहपुर
३	श्री तैय्ब जमा, अलीगंज	२२-१२-५६	नीपैड़वा

शाहगंज तहसील

१	श्री हाजी वाजिद अली आविद अली शाहगंज	३-१०-५६	शाहगंज
२	श्री नन्दलाल विश्वनाथ, शाहगंज	१०-१०-५६	शाहगंज
३	श्री रामभरोसे रामलखन, शाहगंज	८-१०-५६	शाहगंज
४	श्री छोटेलाल मेवालाल, खेतासराय	१३-१२-५६	खेतासराय
५	श्री कमाल नरायन सिंह, जमुनिया	२९-११-५६	जमुनिया

केराकत तहसील

१	श्री देवदत्त गिरी, केराकत	१६-१०-५६	केराकत
२	श्री राधेमोहन सिंह, कराकत	१२-१२-५६	केराकत

क्रम-संख्या	दुकानदार का नाम और पता	नियुक्ति की तिथि	स्थान
	मछलीशहर तहसील		
१	श्री बेनी प्रसाद गंगा प्रसाद, मछलीशहर	१६-१०-५६	मछलीशहर
२	श्री श्याम चरन दुखरन प्रसाद, सोनहिता	२१-१२-५६	सोनहिता
३	श्री लक्ष्मीचन्द, मीरगंज	२८-१२-५६	मीरगंज
४	श्रीमंजूर अहमद, मुंगराबादशाहपुर	५-१०-५६	मुंगराबादशाहपुर
५	श्री राममूर्ति गुप्ता	१०-१०-५६	मुंगराबादशाहपुर
	मड़ियाहूं तहसील		
१	श्री सरदार जैराम सिंह, मड़ियाहूं	१७-१०-५६	मड़ियाहूं
२	श्री बृजकिशोर कौशलपति, मड़ियाहूं	२२-१०-५६	मड़ियाहूं
३	श्री राधेश्याम शिवशंकर, जमालापुर	१३-१२-५६	मड़ियाहूं

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(देखिये तारांकित प्रश्न ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१३ पर।)

जिला हरदोई

जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों तथा आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में १ जनवरी, १९५७ से ३१ मार्च, १९५७ तक के आये हुए, निर्णय किये हुए तथा शेष मुकदमों की सूची

न्यायालय का नाम		१ जनवरी, १९५७ तक शेष	आये हुये मुकदमें १ जनवरी, १९५७ से ३१ मई, १९५७ तक	कुल योग	निर्णय किये गये	ट्रांसफर किये गये दूसरी अदालतों को	३१ मई, १९५७ तक शेष
१—जुडीशल मैजिस्ट्रेट ..	१	१८४	१९०	३७४	१७१	६१	१४२
२— ,, ,,	२	१५०	२२८	३७८	१५३	२०	२०५
३— ,, ,,	३	१९७	२५७	४५४	१९२	७८	१८४
४—श्री बी०सी० पांडेय, आनरेरी मैजिस्ट्रेट ..		..	१४४	१४४	३८	१	१०५
५—श्री बी०डी० पांडेय, आनरेरी मैजिस्ट्रेट ..		..	२१६	२१६	७८	१	१३७
६—श्री आर०एफ० द्विवेदी, आनरेरी मैजिस्ट्रेट :		..	२०३	२०३	४८	..	१५५
७—श्री एस०एस० अटल, आनरेरी मैजिस्ट्रेट ..		२४	६०	८४	५१	३३	..
८—श्री सफातुल्ला किरमानी, आनरेरी मैजिस्ट्रेट		..	४६६	४६६	८२	१	३८३
९—कुंवर शिवराज बहादुर, आनरेरी मैजिस्ट्रेट		१५	२३८	२५३	१९९	..	५४
१०—श्री डी० बी० सिंह, आनरेरी मैजिस्ट्रेट ..		१५३	१२२	२७५	६८	१	२०६
११—श्री भगवती प्रसाद मिश्र, आनरेरी मैजिस्ट्रेट		६७	२६९	३३६	१६७	२	१६७
योग ..		७९०	२,३९३	३,१८३	१,२४७	१९८	१,७३८

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२१ पर।)

नैनीताल जिला बोर्ड को दिये गये सरकारी अनुदानों की सूची

	१९५५-५६	१९५६-१९५७
	रु०	रु०
१--शिक्षा (क) आवर्त्तक	४,६४,७४१	५,१९,४९०
(ख) अनावर्त्तक	१७,१७९	३५,९००
२--चिकित्सा (पाश्चात्य पद्धति)		
(क) आवर्त्तक	२३,३८०	२२,७२०
(ख) अनावर्त्तक	८,०००	३०,३१२
३--चिकित्सा (भारतीय पद्धति)		
(क) आवर्त्तक	१,२१५	१,२१५
४--सड़कें (क) आवर्त्तक	३४,३३८	३४,३३८
(ख) अनावर्त्तक	६,०००	४०,०००
५--अन्य कार्यों के लिये		
(क) आवर्त्तक	२८१	२८१
(ख) अनावर्त्तक	१,५३,६७५	१,५०,०००
६--न्यायालयों द्वारा किये गये जुर्माने	१,०८०	१२३
७--घाटों से प्राप्त आय	४,१४४	३,२९५
८--लोकल रेट से हानि की पूर्ति के लिये	८३,२६०	७४,४६२
९--मंहगाई भत्ता		
(क) शिक्षा विभाग	३६,२४०	४९,९५३
(ख) सामान्य	१०,११९	१०,५१५
योग ..	८,४३,६५२	९,७२,६०४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२१ पर।)

सूची

क्रम-संख्या	सड़क की किस्में	सड़क का नाम	लम्बाई (बलरामपुर तहसील में)	लम्बाई (उतरौला तहसील में)
			मी० फ० फीट	मी० फ० फीट
१	गांव की कच्ची सड़कें	गैसरी–कोटना	४–०–०	—
२	,, ,,	गैसरी–तुलसीपुर	८–०–०	—
३	,, ,,	गंगौली–तुलसीपुर	१३–०–०	—
४	,, ,,	मनकापुर–छपिया	—	१३–०–०
५	,, ,,	बरजीकुआं–मनकापुर	—	६–२–०
६	सीमेंट की सड़क	तुलसीपुर–उतरौला	२–१–०	—
७	,, ,,	महेश्वरी–मेलवाघाट	३–४–०	—
८	,, ,,	बलरामपुर–उतरौला	३–५–३३०	—
९	स्थानीय सड़कों का पुनर्निर्माण।	गोंडा–उतरौला	—	१८–०–०
१०	,, ,,	नवाबगंज–उतरौला	—	३६–७–०
११	,, ,,	बहराइच–बलरामपुर	९–६–६००	—
१२	,, ,,	बलरामपुर–उतरौला	८–२–३२०	—
१३	नई पक्की सड़कें	बलरामपुर–तुलसीपुर	१७–०–०	—

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ९९ एल० ए०—१९५७–७९६ ।